खण्ड-312, अंक-2
गुरूवार, 5 पौष, शक संवत् 1896
(26 दिसम्बर, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 312 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही दिनांक २६ दिसम्बर, १९७४ का शुद्धि-पत्र

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	विवरण
१	२	३
१	..	विषय सूची के पृष्ठ 'ख' पर १८वीं पंक्ति में शब्द 'अधिनियम" के स्थान पर "अधिनियमन" पढ़ा जाय।
२	८७	प्रथम कालम की तीसरी पंक्ति में शब्द "अजीत प्रताप सिह सेठी, श्री" के स्थान पर "अजीत प्रताप सिह, श्री" पढा जाय।
३	८७	पहले कालम की चौथी पंक्ति में "अजीत सिह, श्री" के स्थान पर "अजीत सिह सेठी, श्री" पढ़ा जाय।
४	८९	दूसरे कालम में नीचे से १४वीं पंक्ति में शब्द "मिसयार खां, श्री" के स्थान पर "मिस्रयार खां, श्री" पढ़ा जाय।
५	९७	अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ३ की चौथी पंक्ति में "थाना औरा" के स्थान पर "थाना औरास" पढ़ा जाय।
६	९९	नीचे से तीसरी पंक्ति में "मै और हजारी" के स्थान पर "मैकू और हजारी" पढ़ा जाय।
७	१००	सातवीं पंक्ति में "श्री भीखा लाल" के पूर्व तारांक (*) के स्थान पर "**" पढ़ा जाय।
८	१००	अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ की दूसरी पंक्ति में "ऐक्ट १७१" के स्थान पर "ऐक्ट १९७१" पढ़ा जाय।
९	१००	पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति में शब्द "डिस अकेक्शन" के स्थान पर "डिस अफेक्शन" पढ़ा जाय।
१०	१०३	प्रथम पैरा की दूसरी पंक्ति में "बदकिस्मती से" तथा "जी" के मध्य शब्द "शक्ल" पढ़ा जाय।
११	१०५	आठवीं पंक्ति में श्री झिलमिट के नाम के पहले "*३" पढ़ा जाय।
१२	१०५	तारांकित प्रश्न ३ की तीसरी पंक्ति में शब्द "बी० ए० ल०" के स्थान पर शब्द "बी० एल०" पढ़ा जाय।
१३	१०७	18वीं पंक्ति मे शब्द "एक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट" के स्थान पर "एक बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट" पढा जाय।
१४	१०७	अन्तिम पंक्ति में "छात्रावास के बनने' के स्थान पर "छात्रावास के न बनने' पढ़ा जाय।
१५	११३	तारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर की चौथी पंक्ति में "उनकी जगह अनुसार" के स्थान पर "उनकी सलाह के अनुसार" पढ़ा जाय।

१	२	३
१६	१२२	अतारांकित प्रश्न १८ के शीर्षक की दूसरी पंक्ति में शब्द "निस्ताकरण" के स्थान पर "निस्तारण" पढ़ा जाय।
१७	१२४	प्रथम शीर्षक की दूसरी पंक्ति में "महालखक परीक्षा" के स्थान पर "महालेखा परीक्षक" पढ़ा जाय।
१८	१३६	दूसरे पैरा की तीसरी पंक्ति में "माल भेजा जाय" के स्थान पर "माल न भेजा जाय" पढ़ा जाय।
१९	१३८	चौथे पैरा की छठी पंक्ति में शब्द "फारमूला" के स्थान पर "फारमल" पढ़ा जाय।
२०	१४०	तीसरे पैरा की तीसरी पंक्ति में शब्द "आगर" के स्थान पर "आगरा" पढ़ा जाय।
२१	१४१	१६वीं पंक्ति में शब्द "गुगरात" के स्थान पर "गुजरात" पढ़ा जाय।
२२	१४६	दूसरे पैरा की १२वीं पंक्ति में अन्तिम शब्द "न रोकेगा" के स्थान पर "कौन रोकेगा" पढ़ा जाय।
२३	१४६	दूसरे पैरा की नीचे से चौथी पंक्ति में "राम चन्द्र सिंह" के स्थान पर "राजेन्द्र सिंह" पढ़ा जाय।
२४	१५३	दूसरे पैरा की तीसरी पंक्ति में "कार्यालय" के स्थान पर "कार्यकाल" पढ़ा जाय।
२५	१५४	पृष्ठ के प्रारम्भ में बांयी ओर कोष्ठक में "नियाज हसन खां" के स्थान पर "कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा" पढ़ा जाय।
२६	१५५	दूसरे पैरा की चौथी पंक्ति में शब्द "कोआपरेटिव" के स्थान पर "जो आपरेटिव" पढ़ा जाय।
२७	१५७	दूसरे पैरा की दूसरी व तीसरी पंक्ति के मध्य वाक्य "माननीय खाद्य मन्त्री ने किस तरह से बाजरा दूसरे प्रदेशों में भेजने के लिए परमीशन दिया ?" पढ़ा जाय।
२८	१६१	दूसरे पैरा की प्रथम पंक्ति में शब्द "दिन" के स्थान पर "सदन" पढ़ा जाय।
२९	१७२	नीचे से ११वीं पंक्ति में "के० बी० सहायक" के स्थान पर "के० बी० सहाय' पढ़ा जाय।
३०	१७२	अन्तिम पैरा की नवीं पंक्ति में "प्रोग्रेसिव फार्म्स" के स्थान पर "प्रोग्रेसिव फार्मर्स" पढ़ा जाय।
३१	१८०	११वीं पंक्ति में "श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)" को १२वीं पंक्ति में 'एक सदस्य' के स्थान पर रखा जाय तथा "एक सदस्य" निकाल कर पढ़ा जाय।

क्रम-सं०	पृष्ठ-सं०	विवरण
३२	१८१	तीसरी पंक्ति में "The Marconi Scanral.....Act of 1921" के स्थान पर "The Marconi Scandal....Act of 1921" पढ़ा जाय।
३३	१८२	अंग्रेजी के प्रथम पैरा की दूसरी पंक्ति में "In adulious" के स्थान पर "In a dubious" पढ़ा जाय।
३४	२०४	नत्थी "ज" के शीर्षक की दूसरी पंक्ति में "तस्तारित" के स्थान पर "निस्तारित पढ़ा जाय।
३५	२१०	खंड 4 के दूसरे पार्श्व शीर्षक में अंक "१७५" के स्थान पर "२७५" पढ़ा जाय।
३६	२१०	"खंड 5" के साथ "दि ड्रग्स कास्मेटिक्स" के बीच शब्द "ऐन्ड" भी पढ़ा जाय।
३७	२१०	खंड 5 की अन्तिम पंक्ति में "अभिगृहीत हो गयी थी" के स्थान पर "अभिगृहीत की गयी थी" पढ़ा जाय।
३८	२११	दूसरी पंक्ति के प्रारम्भ में "२७" पढ़ा जाय।
३९	२११	नीचे से नवीं पंक्ति में शब्द "अध्याय" व "अधीन" के बीच में शब्द "के" पढ़ा जाय।
४०	२१७	नत्थी "ण" में शीर्षक की दूसरी पंक्ति में "(अस्थायी प्रधिकार)" के स्थान पर "(अस्थायी अधिकार)" पढ़ा जाय।
४१	२१७	नत्थी "ण" के प्रथम पार्श्व शीर्षक में "अधिनियम संख्या २२, १९७४" के स्थान पर "अधिनियम संख्या २२, १९६२" पढ़ा जाय।
४२	२१७	नत्थी "ण" में खंड २ के पार्श्व शीर्षक में "संख्या २२, १९७४" के स्थान पर "संख्या २२, १९६२" पढ़ा जाय।
४३	२४५	नत्थी "द" में खंड १५ की प्रथम पंक्ति में वाक्यांश "धारा ३ का संशोधन" मार्जिन में रखा जाय तथा शब्द "उपधारा (१) में" के बाद चिन्ह ":—" पढ़ा जाय।
४४	२४६	नत्थी "द" के खंड २३ के पार्श्व शीर्षक में अंक "१९३१" के स्थान पर "१९३५" पढ़ा जाय।
४५	२४९	नत्थी "द" के खंड २९ की प्रथम अनुसूची के भाग "क" की अन्तिम पंक्ति में अंक "६६२३" के स्थान पर "६६ २/३" पढ़ा जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २६ दिसम्बर, १९७४

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेवसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३९५

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह सेठी, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां) (एडवोकेट)
अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काली चरन यादव, श्री
काशीनाथ मेहरोत्रा, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाशपति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री

गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री (जिला अल्मोड़ा)
गोविन्द सिंह नेगी, श्री (एडवोकेट)
(जिला टिहरी-गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रभान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चरन दास सेठ, श्री
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेंहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद झोझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्म पाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्म पाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्म वीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म वीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री

नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
वंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डा० श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह सैनी, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिसयार खां, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुलतान सिंह यादव, चौधरी श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशौदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री

मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पंत, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह ठाकुर, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम जनम राय, श्री
रामजी, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजीलाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम पाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही श्री
राम शिरोमन दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समुझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री

वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री (जिला आगरा)
शिव प्रसाद, श्री (जिला आजमगढ़)
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह युसूफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टमटा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल लाठ, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २६ दिसम्बर, १९७४

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गोंडा नगर में भूतपूर्व विधायक द्वारा चलाई गई गोली के फलस्वरूप एक विद्यार्थी की मृत्यु

**१—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३०-११-७४ को गोंडा नगर में किसी भू० पू० विधायक द्वारा विद्यार्थियों पर गोली चलाई गई जिसके परिणामस्वरूप २ विद्यार्थियों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गये ? यदि हां तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

राजकीय इंटर कालेज, गोंडा के एक छात्र ने दिनांक ३०—११—७४ को कोतवाली गोंडा में सूचना दी कि उक्त कालेज का जलूस उस दिन जब जिला मजिस्ट्रेट से मिलकर लौट रहा था तो भूतपूर्व विधायक श्री राघव राम पांडे, उनके पुत्र तथा एक अन्य व्यक्ति ने श्री पांडे के घर की छत से लड़कों पर गोलियां चलाई जिससे कुछ लड़के घायल हो गये। उक्त सूचना पर धारा ३०७ भारतीय दंड विधान का मुकदमा दर्ज किया गया। उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसमें घटना का विवरण दिया गया है, की प्रतिलिपि संलग्न है।

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राघव राम पांडे के घर की छत से चलाई गई गोलियों से कोई छात्र नहीं मरा किन्तु ६ छात्रों को चोटें आईं। बाद में उत्तेजित छात्रों द्वारा किये गये पथराव तथा उनको नियंत्रित करने में पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज से १३ अन्य छात्र घायल हुए जिनमें से एक छात्र की अस्पताल में मृत्यु हो गई।

उपरोक्त धारा ३०७ भारतीय दंड विधान के मुकदमें के तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। मुकदमें की विवेचना क्षेत्र निरीक्षक द्वारा की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९२ पर)

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यार्थियों का जो शिष्ट मंडल जिला मजिस्ट्रेट से मिला और ज्ञापन दिया तो उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ज्ञापन की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो गोली चलाई गयी और जो छर्रे प्राप्त हुए वह एल० जी० के छर्रे थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसकी भी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी प्रथम सूचना की रिपोर्ट को पढ़कर सुनायेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह तो काफी लम्बा है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न के साथ लगी हुई है ।

श्री दशरथ सिंह (जिला बांदा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय घटना स्थल पर गोली चल रही थी, उस समय क्या वहां पर पुलिस उपलब्ध थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कुछ पुलिस के लोग लड़कों के जलूस के साथ थे, वे वहां पर मौजूद थे ।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भूतपूर्व विधायक श्री राघवराम पांडे के पास कितनी बन्दूकों के लाइसेंस हैं ? और इतने ज्यादा लाइसेंस क्यों दिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है ।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, क्या कोई व्यक्ति धारा ३०२ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उसकी मृत्यु अस्पताल में जाकर हुई, उसके बाद गिरफ्तारी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दशरथ सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यह रिपोर्ट साढ़े ४ बजे लिखायी गयी है और घटना साढ़े ११ बजे की है, तो पुलिस ने इतनी देर से क्यों रिपोर्ट लिखायी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जब गोली चली तो पुलिस के कहने पर ही दूसरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और इसके बाद लोगों को गिरफ्तार किया गया ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी गंभीर घटना हुई और केवल क्षेत्र निरीक्षक की जांच पर्याप्त मानी गयी, मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच क्यों नहीं करायी गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

निरीक्षक के द्वारा तो विवेचना की गयी है, जांच तो बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा करायी जायेगी

श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन लोगों की मृत्यु अस्पताल में हुई है और उनके गोलो के छर्रे निकले ह तो क्या वे छर्रे राघवराम पांडे की बन्दूक के हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

जो व्यक्ति मर गये हैं तो क्या सरकार उनको मुआवजा देने की कार्यवाही कर रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पोस्टमार्टम में कहा गया है कि डेथ इज काज्ड बाई ह्यूमरस शाक ड्यू टु हेड इनजरी । और जहां तक मुआविजे का प्रश्न है, २४-१२-७४ को २ हजार रुपया शमीम अहमद के पिता को दे दिया गया है और जितने लोग घायल हुये हैं, उनमें प्रत्येक को ५००-५०० रुपया दिया गया ।

श्री दीप नारायण पांडेय (जिला गोंडा)—

जिन लोगों की क्षति हुई है, जैसे ट्रक वगैरह जलायी गई है, क्या उनको भी मुआविजा दिया गया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसा तो प्राविधान नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मुआविजे का आधार क्या था अर्थात् यह कैसे डिटरमिन किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उन लोगों को सहानुभूति के रूप में एक्स ग्रेशिया पेमेंट किया गया है । इसका कोई आधार नहीं होता है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जिस भूमि (मैदान) के बारे में यह सारी दुर्घटना हुई है, क्या उसको अधिग्रहण कर लिया गया है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अभी तो यह मामला कोर्ट में चल रहा है । इसलिये अधिग्रहण नहीं किया गया है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं । अगर एक सिविल सर्जन मार डाला जाय या एक लीडिंग लाइयर को मार डाला जाय तो क्या उसको भी एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया जायगा या उसके लिये और कुछ विचार होगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो काल्पनिक प्रश्न है । आप स्वयं मंत्री रहे हैं, आप स्वयं विचार कर लें ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री राघव राम पांडेय, पहले किस दल में थे और आज किस दल में है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

क्या इसकी इन्क्वायरी सी०बी० आई० से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

भूतपूर्व विधायक का क्या किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध है या उस दल के सदस्य हैं ?

श्री अध्यक्ष—

ज्यादातर नेता लोग किसी किसी न किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखते ही हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उनका सम्बन्ध शासकीय दल से तो नहीं बताया गया ।

श्री दीप नारायण पांडेय—

उस समय जब लड़कों का जत्था आ रहा था, तो उसको किस विरोधी दल के लोगों ने भड़काया था ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उनका सम्बन्ध शासकीय दल से तो नहीं है । अभी हाल में जिला परिषद् के लिये उनका नाम लिया गया था और जितने साम्यवादी लोग हैं इनका उनसे सम्बन्ध है । जिस जमीन के लिये गोली चलाई गई, जिसके लिय झगड़ा हुआ उसको अधिग्रहण करने की तुरन्त आवश्यकता है । लड़कों ने जलूस निकाला ।...

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप सूचना दे रहे हैं । आप प्रश्न कर लीजिये ?

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार उस जमीन के तत्काल अधिग्रहण की घोषणा करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां तक स्थानीय प्रशासन का सम्बन्ध है, स्थिति को संभालने के लिये उनको इसका पहले ही अन्दाजा लगा लेना चाहिये था ताकि स्थिति बिगड़ने न पाती । चूंकि यह मसला अदालत में है, इसलिये इस पर सरकार कोई निर्णय अभी नहीं दे सकती ।

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)—

मंत्री महोदय ने बताया कि भूतपूर्व विधायक सत्तारुढ़ दल के नहीं हैं और प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के हैं । तो मान्यवर, हम लोग जानना चाहते हैं कि सदन को कौन गुमराह कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें गुमरा करने का कोई सवाल नहीं है । एक राय इनकी है और एक उनकी है । कई दफा पक्की तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि कौन किस दल का है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस से सम्बन्धित नहीं हैं और माननीय सदस्य ने कहा कि वह कांग्रेस दल से ही सम्बन्धित हैं ।

श्री अध्यक्ष—

सम्बन्धित व्यक्ति ही अधिकारिक तौर से कह सकता है कि वह किस दल से सम्बन्धित है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मंत्री जी का कोई आधार तो होगा कहने का ?

श्री अध्यक्ष—

एक राय इनकी है और दूसरी राय उनकी है ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जिन लड़कों को बन्दूक की गोलियां लगीं वह कौन-कौन हैं और बन्दूक की गोलियां कहां पर चलायी गयी और किसकी बन्दूक की गोलियां थीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिन लड़कों के बन्दूक की गोलियां लगीं उनके नाम हैं—सुधीर कुमार पुत्र श्री कैलाश नाथ श्रीवास्तव, मनेन्द्र कुमार आर्य पुत्र श्री सत्यनारायण आर्य, अरविन्द कुमरा गुप्ता पुत्र श्री मदन लाल गुप्ता, ओम प्रकाश पुत्र श्री राम तेज, चरनजीत सिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह सलूजा, अनिल कुमार सिंह पुत्र डाक्टर निरंकार सिंह ।

श्री दशरथ सिंह—

माननीय तिवारी जी ने कहा कि वह कांग्रेस विधायक नहीं थे । मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

इसका फैसला यहां करने के लिये कोई समय नहीं है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

सदन के सामने सही बात इनके माध्यम से आनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह कहते हैं कि इस दल के नहीं हैं, आप कहते हैं कि इस दल के हैं ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

यह आब यक है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी जांच थोड़े ही करूंगा । आपकी राय कुछ है, इनकी राय दूसरी है ।

गुजरात के लिये बाजरे के निर्यात में बरती गयी अनियमितता की जांच

**२--श्री मधुकर दिवे (जिला गोरखपुर) तथा श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि मई, १९७३ में, गुजरात के सूखा क्षेत्रों के सहायतार्थ आदर्श सेवा समिति, भावनगर के नाम से जो बाजरे का परमिट उत्तर प्रदेश से कटा था और दिल्ली में ही बेच दिया गया था, उसके सम्बन्ध में होने वाली जांच पूरी हो चुकी है। अगर हां, तो क्या खाद्य मंत्री उक्त जांच की रिपोर्ट कृपया सदन के पटल पर रखेंगे ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई)--

यह सही है कि तथाकथित आदर्श सेवा समिति, भावनगर के नाम से जो बाजरे के निर्यात की अनुज्ञा दी गयी थी उस मामले की गोपनीय जांच पूरी हो चुकी है । अब मामला दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अनुसंधान के लिये अपराध अनुसंधान विभाग को शीघ्र कार्यवाही हेतु शासन द्वारा सौप दिया गया है और अनुसंधान प्रारम्भ हो गया है । गोपनीय जांच की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है

हरदोई जिले के ग्राम घुसपाहा के प्रधान के घर की पुलिस द्वारा ली गई तलाशी

**३- श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) तथा श्री राम आधार (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक ३०-११-७४ को उन्हें व गृह सचिव, आई०जी० पुलिस, डी० आई० जी० पुलिस, लखनऊ क्षेत्र तथा एस०पी०, हरदोई को किसी माननीय विधायक का पत्र व उसके साथ ग्राम प्रधान घुसपाहां, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई का प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ कि गैर जिला उन्नाव के थाना औराम की पुलिस ने दिनांक २७-११-७४ को मुबह करीब ४ बजे ग्राम प्रधान घुसपाहां, थाना कासिमपुर, जिला हरदोई के मकान पर जबरदस्ती घुस गई और औरतों के जेवर छीन लिये तथा उनकी रिपोर्ट भी थाने में नहीं लिखी गई ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की और प्रार्थी की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था । उसमें उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई । जांच से शिकायतें प्रमाणित नहीं हुई ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी गयी और उसका विवरण क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जांच से यह पता चला कि श्री त्रियुगीनारायण प्रधान के भाई ज्ञानकुमार के विरुद्ध दो डकैतियों के मामले में नामजद रिपोर्ट थी । दिनांक १३/१४ जनवरी, १९७४ को वादी श्री लालता सिंह, निवासी ग्राम करौदी, थाना औराम, जिला उन्नाव के यहां डकैती पड़ी थी । उसमें एफ० आई० आर० में नाम था । दूसरी डकैती श्री राजा राम, ग्राम दुर्जन खेड़ा, थाना औराम, जिला उन्नाव के यहां पड़ी १५/१६ फरवरी, १९७४ को जिसमें भी उनका नाम था । ज्ञान कुमार दोनों डकैतियों के सिलसिले में वांछित था । पुलिस इनकी तलाश में थी मगर उसको इन्हें पकड़ने में सफलता नहीं मिल रही थी । ज्ञान कुमार की गिरफ्तारी के लिये ही पुलिस ने त्रियुगीनारायण सिंह के घर की तलाशी ली । जब पुलिस वहां गयी तो उसने घर को खुलवाया, वह बन्द था । ज्ञान कुमार वहां मिले नहीं । बाद को ज्ञान कुमार ने स्वयं

]श्रीं नारायण दत्त तिवारी]

अपने को सरेन्डर कर दिया । जांच से यह साबित नहीं हुआ कि त्रियुगी नारायण सिंह के घर पर जेवर आदि छीने गये या जबरदस्ती की गयी ।

श्री राम आधार--

हरदोई के कासिमपुर थाने की भी पुलिस को साथ लिया गया था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

नहीं ।

श्री राम अधार--

जब नियम यह है कि दूसरे क्षेत्र में जब दूसरी जगह की पुलिस जाती है तो स्थानीय क्षेत्र की भी पुलिस को साथ लेती है, तो इसमें से ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह बात ठीक है कि नियम ऐसा है, इसके लिये स्पष्टीकरण मांगा गया है ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

पुलिस किस समय गयी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सुबह ४ बजे ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)--

गांव का एक-एक आदमी जानता है कि जब पुलिस घर में घुसी तो पुलिस ने जेवरात वगैरह छीने । पुलिस ने डकैती डाली, यह मेरी निश्चित जानकारी है । तो मेरी निजी जानकारी के आधार पर क्या मंत्री महोदय विजिलेन्स से इसकी जांच करवायेंगे ? पुलिस तो पक्षपात करती ही है ?

श्री नरायण दत्त तिवारी--

यह पुलिस तो औरास की थी, स्थानीय नहीं थी ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

पुलिस जब घर में घुसी तो घुसने से पूर्व पुलिस की किसी ने तलाशी ली थी ? अगर ली थी तो वे कौन-कौन लोग थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जब पुलिस वहां गयी तो प्रधान रामपुर खंजडी, श्री महादेव प्रसाद, प्रेमनारायण व छेदा धानुक को बतौर गवाह अपने साथ लेती गयी थी । जो जांच हुई उसमें केवल २ गवाहों ने इस बात को कहा कि ऐसा पुलिस ने किया है । मगर बाद को पता यह चला कि उन दोनों गवाहों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वे दोनों ही अभियुक्त है, इसलिये उनकी गवाही नहीं ली गयी ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मैंने प्रश्न किया है कि घर में घुसने से पहले किसी ने पुलिस की तलाशी ली है या नहीं और अगर पुलिस ने तलाशी दी है, तो कौन कौन से गवाह है ?

श्री अध्यक्ष—

इनका प्रश्न है कि क्या पुलिस ने अपनी तलाशी दी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अपनी ओर से किसी ने पुलिस की तलाशी नहीं मांगी ।

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि औरास की पुलिस वहां गयी और कासिमपुर की पुलिस को साथ नहीं लिया । अन्य जगह के व्यक्ति औरास की पुलिस लेकर गये थे इसलिये पुलिस ने घर लूट लिया । क्या इस सम्बन्ध में आप विजीलेंस अथवा सी० आई० डी० द्वारा जांच करायेंगे । चूंकि पुलिस औरास की है इसलिये उन पर आक्षेप नहीं आता । औरास की पुलिस थी इसलिये लूट लिया अगर पुलिस कासिमपुर की होती तो अवश्य उनको हमदर्दी होती और वह न लूटते ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप अटकल लगा रहे हैं कि बाहर की पुलिस थी इसलिये उन्होंने निर्ममता की । आप अटकल लगा रहे हैं, आप प्रश्न पूछिये ।

श्री जंग बहादुर वर्मा—

क्या इस मामले की जांच सी०आई०डी० के द्वारा करायी जायगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, काफी जांच इस मामले में की जा रही है ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम घुसपाहा जिसका जिक्र है उन्नाव जिले के और हरदोई जिले के बार्डर पर स्थित है । ग्राम घुसपाहा में डकैत बड़ी भारी संख्या में हैं, उन्नाव जिले के बार्डर में जितनी भी डकैतियां पड़ती है उनमें किसी न किसी डकैत का जो घुसपाहा का होता है नाम अवश्य रहता है, क्या यह जानकारी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो रिपोर्ट आयी है उससे यह पता चलता है कि घुसपाहा में काफी संदिग्ध लोग रहते हैं । इसलिये पुलिस को सामान्य सहयोग नहीं दिया जाता है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रर्थना-पत्र प्रधान घुसपाहा ने दिया था क्या उनके अनुसार मौके पर उनको अपनी बात कहने का मौका दिया गया है ?

जैसा मैंने पहले कहा था कि विजीलेंस द्वारा जांच होनी चाहिये या मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच होनी चाहिये । पुलिस के खिलाफ पुलिस में मुकदमा नहीं लिखा जायगा । तो क्या पूछताछ की गयी है और क्या गवाहों को पेश किया गया है इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जो सूचना है उसके अनुसार पूछताछ की गयी है और केवल दो लोगों ने, मैं और हजारी ने पुलिस के खिलाफ बयान दिया है और चूंकि यह दोनों हिस्ट्रीशीटर हैं और उनके खिलाफ खुद ही मामला चल रहा है इसलिये इनके बयान को नहीं माना गया ।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि घुसपाहा थाना है उसकी पुलिस वहां को लोगों से मिली रहती है और सहयोग नहीं देती है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने यह नहीं कहा कि पुलिस सहयोग नहीं देती है मैंने वहां के लोगों के बारे में कहा है ।

सर्व श्री पी० एन० शुक्ल तथा शिवकुमार मिश्र की मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तारी

*श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उसके द्वारा विधान सभा में बार-बार दिये गये आश्वासनों के बावजूद कि मीसा का प्रयोग राजनैतिक पार्टियों व अन्य जन आन्दोलनों को दबाने के लिये नहीं किया जायगा, राज्य कर्मचारियों के नेताओं श्री पी० एन० शुक्ल व श्री शिव कुमार मिश्रा को मिसा में बन्दी बनाकर जेल में डाल दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

सर्व श्री पी० एन० शुक्ल तथा शिव कुमार मिश्रा शासन द्वारा "दि मेंटेनेंस आफ इन्टर्नल सिक्योरिटी ऐक्ट, १९७१ की धारा ३(१)(ए) (२) तथा (३) के अन्तर्गत पारित निरोधादेश दिनांक १८ नवम्बर, १९७४ के अनुसरण में निरुद्ध कर लिये गये है । श्री पी० एन० सुकुल तथी शिवकुमार मिश्र की आपत्तिजनक गतिविधियों को देखते हुये उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था एवं जन-जीवन के लिये आवश्यक संभरण तथा सेवाओं के प्रतिकूल कार्यवाही करने से रोकने के लिये उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है ।

श्री भीखा लाल—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि १८ नवम्बर, १९७४ को जब सरकार ने श्री पी०एन० सुकुल व श्री शिव प्रकुमार मिश्रा को मीसा की नोटिस दी तब वे जेल के अन्दर थे । तो जेल में रहते हुये कौन सी ऐसी विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी थी कि जिससे वे प्रदेश में उपद्रव मचा देंगे और इसलिये उनको मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् मीसा की नोटिस जो दी गयी उससे उनको एक अवसर मिला कि वे अपने मामल को एडवाइजरी बोर्ड के सामने रख सकें । इसलिये उनको स्पष्टीकरण देने का मौका दिया गया है । क्या उनके खिलाफ आरोप है उसकी प्रति भी दी गयी है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द करने से पहले वे किस कानून के अन्तर्गत जेल में रखे गये थे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उनको इन धाराओं में जेल में रखा गया था:—

(१) धारा –४, डी० आई० आर० ।
(२) धारा ७ क्रिमिनल ला एमेन्डमेंट ऐक्ट ।
(३) धारा –४, ५ एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स ऐक्ट ।
(४) धारा –३, पुलिस इनसाइटमेंट टु डिसअर्केक्शन ऐक्ट के अन्तर्गत जेल में रखा गया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, जितनी धारायें सुनाई गई वे सब प्रिविन्टिव की धारायें नहीं हैं । वे अदालत में सफाई दे सकते थे फिर आपने उनको मीसा के अन्तर्गत क्यों गिरफ्तार किया ? क्या आप एडवाइजरी बोर्ड में उनके मामले को लाना चाहते है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, एडवाइजरी बोर्ड के सामने लाना चाहते हैं ।

श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

सवाल यह है कि कौन धारा प्रिविन्टिव है और कौन नहीं है—इसकी एथारिटी आप नहीं हैं । इसकी एथारिटी जज साहब हैं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री शुक्ल और श्री मिश्रा के जेल में रहते हुये भी ऐसी कौन सी गतिविधियां उनकी थी जिससे हमारे प्रदेश को खतरा पैदा हो गया था । क्या इसको बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल आप दोहरा रहे हैं ।

श्री ऊदल—

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी कौन-सी गतिविधियां थी जो प्रदेश के खिलाफ थीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसकी सूचना श्री शुक्ल को दी जा चुकी है कि २८ जून, १९७४ को सब्जी मंडी, गांधी नगर, बस्ती में एक पब्लिक मीटिंग में भाषण देते हुये पुलिस और पी०ए०सी० के संगठन को तोड़ना था ..... ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, यह कब्र से खोदकर सूचना लायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

जवाब देने दीजिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, २८ जून, १९७४ की शाम को सब्जी मंडी, गांधी नगर, बस्ती में एक पब्लिक मीटिंग में पुलिस और पी० ए० सी० का जो मामला हुआ उसका हवाला देते हुये कि आखिर उनका क्या जुर्म था...पुलिस संगठन को तोडना था । पुलिस को भड़काया है और दुबारा पुलिस और पी० ए० सी० के मामले को उठाने की चेष्टा की । फिर दुबारा उन्होंने सेन्ट्रल रोडवेज वर्कशाप, कानपुर में १८—७—७४ को भाषण दिया और उसमें पुलिस और पी० ए० सी० के मामले को पुनः उभाड़ा ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

शिवकुमार मिश्र को टेहरी-गढ़वाल भेजा गया है, यह ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने श्री राममूर्ति को बोलने का समय दिया है ।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

सवाल कुछ है और जबाब कुछ है । जिन बातों का जिक्र माननीय तिवारी जी ने किया उनके अनुसार उनको जेल में बंद कर दिया गया । जब वह जेल में बंद हो गये तो उसके बाद कौन सी बात थी जिसके कारण मीसा में गिरफ्तार किया गया । यह जानने की बात है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जैसा मैंने बतलाया, उस प्रश्न के जो कानूनी पहलू थे उसमें यह उचित समझा गया कि उनको मीसा में मौका दिया जाय ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं जानना चाहता हूं कि जब यह पहले पहल गिरफ्तार हुये तो यह तथ्य मंत्री जी के पास थे या नहीं और थे तो उसमें यह कार्यवाही क्यों नही की गई ?

श्री अध्यक्ष—

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का प्रश्न है कि बीच में यह कार्यवाही क्यों की गई ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मेरे मन में शंका है कि जब दूसरे कानून का सहारा नहीं मिला उन्हें बंद करने के लिये,तो यह कानून लगाया। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो तथ्य आपने बतलाये है वह पहले मौजूद थे या नहीं, उसकी सूचना आपकी पुलिस को थी या नहीं और उसके आधार पर कदम क्यों नहीं उठाया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

शासन को अधिकार है कि जिस कानून से वह अपना पक्ष मजबूत समझे उसको सम समय पर लागू करे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उन्होंने यह जबाब ठीक से नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

आपके मन के अनुसार उत्तर नहीं दिया ।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

पहले जिन दफाओं में रक्खा उससे सरकार की मंशा पूरी नहीं हुई, क्या इसलिये दूसरी दफा लगाई गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पुरानी दफाओं के स्थान पर नयी दफाओं को मीसा में लगाया गया है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अब सरकारी कर्मचारियों में न कोई आन्दोलन चल रहा है और न कोई अशांति की आशंका है, इन दोनों कर्मचारी नेताओं को शीघ्र ही रिहा कर दिया जायगा ?

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, यह सरकार किसी भी ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता को "मिसा" में बन्द करने के हक में नहीं है। बदकिस्मती से जी ने सिर्फ ट्रेड यूनियन का काम न कर सिविल अथारिटीज से चैलेन्ज में खतरनाक हिस्सा लेना शुरू कर दिया।इसीलिये हमने इन धाराओं में उन्हें पकड़कर बन्द किया। लेकिन पिछले १५ दिनोंमें बीसियों कर्मचारी मुझसे इस सम्बन्ध में मिल चुके हैं और हम बातचीत उसमें कर रहे है।

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, सवाल यह है कि उनकी खतरनाक बातों का असर क्या पड़ा ? हमारी जानकारी में है कि प्रदेश में कई बडे नेता गृह युद्ध की धमकी दे चुके हैं, और उससे वातावरण खराब हो रहा है और प्रदेश में एक खतरनाक स्थिति पदा हो रही है। तो क्या मुख्य मंत्री जी उनके खिलाफ "मिसा" में कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो अलग सवाल है।

श्री सत्यपाल मलिक—

मान्यवर, सुकुल साहब ने जो बोला है, उससे प्रदेश का वातावरण नहीं खराब हुआ है लेकिन दूसरे जो बड़े आदमी बोल रहे ह उससे प्रदेश का वातावरण खराब हो रहा है, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही कर सकते ? अगर जरूरी हो तो मैं नाम दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन वह तो अलग सवाल है और दूसरे, आपके निष्कर्ष से जरूरी नहीं सरकार सहमत हो।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तगत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

टिहरी-गढ़वाल जिले के सूर्य प्रयाग विद्युत गृह के जल के ओवर फ्लो से फसल को क्षति

*१—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या सरकार को जानकारी है कि सूर्य प्रयाग टिहरी गढ़वाल विद्युत् गृह में बनने वाली विद्युत् के लिये प्रयुक्त जल ओवर फ्लों होकर किसानों की फसलों को भारी क्षति पंहुचाता है ? अगर हां, तो सरकार इस दिशा में किसानों की फसल को इस ओवर फ्लो पानी से बचाने हेतु क्या कर रही है ?

श्रम एवं न्याय मंत्री (श्री राज मंगल पांडेय)—

सूर्य प्रयाग विद्युत गृह तिलवाड़ी विद्युत गृहों के पावर चैनल से जब बिजली की मांग कम होने पर पावर हाउस बन्द किया जाता है तब ओवर फ्लों से लगभग १८ एकड़ क्षेत्र के फसल की क्षति होती है।

वर्ष १९७३–७४ में ओवर फ्लो को रोकने के लिये पावर चैनल की दीवारों को ऊंचा करने का कार्य प्रारम्भ किया गया था परन्तु स्थानीय किसानों ने इसका प्रबल विरोध करके काम रोक दिया। स्थानीय कृषकगण का सुझाव है कि इन्टेक चेम्बर से नीचे की ओर उनकी गूल की क्षमता को बढ़ाकर उसे लगभग ७००मीटर आगे ले जाकर मन्दाकिनी नदी में डाल दिया जाय तो फालतू पानी से होने वाली क्षति नहीं होगी। कृषकों के इस सुझाव की जांच हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों का जो यह सुझाव है, वह कब शासन को प्राप्त हुआ और उसे मानने में क्या कठिनाई है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, यह बहुत अच्छी बात माननीय सदस्य ने उठाई है और उनके प्रश्न के आने के बाद अपने मन में कल रात में हमने निर्णय लिया और आज आदेश कर देंगे कि ३५ हजार खर्च करने के बाद अगर १८ एकड़ जमीन बच सकती है तो उस स्कीम को जरूर चालू कर देंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जो १८ एकड़ की फसल में नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी दिलवा देंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

भविष्य के लिये देंगे, लेकिन भूतकाल का नहीं। इसमें तो ऊदल भाई की भी राय है कि भूतकाल के लिये न दिया जाय।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

यह तो १८ एकड़ की बात है, लेकिन जहां हजारों एकड़ भूमि जल से डूब गयी है, वहां क्या राहत पहुंचायेंगे?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

वैसे इस प्रश्न के उत्तर से मेरा सीधा सीधा सम्बन्ध नहीं है लेकिन जो उन्होंने छींटाकशी की है उस सम्बन्ध में मैं उनको पूर्णतया आश्वासन देना चाहता हूं कि देवरिया में गंडक नहर की वजह से जो नुकसान हुआ था उस सिलसिले में मैं स्वयं गया था और देखा था और उपचार भी निकाल रहे हैं जिसमें ३५ हजार नहीं करोड़ों रुपया व्यय होगा।

जिला समादेष्टा बहराइच के विरुद्ध रिश्वत लेने की शिकायत

*2- श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या यह सच है कि जिला समादेष्टा, बहराइच के खिलाफ २८ व २९ मई, १९७४ के प्लाटून व कम्पनीकमान्डर्स के चुनावमें ३००.०० रु०प्रति प्लाटून व कम्पनी कमान्डर से अनैतिक रूप में लेने की लिखित शिकायत जिलाधिकारी को हुई है ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां। उस पर जांच की जा रही है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जो शिकायतें दी गई थीं वे किन-किन लोगों की थीं और किस सम्बन्ध में वह शिकायतें थीं ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जो लोग भरती किये गये थे उनसे तीन-तीन सौ रुपये रिश्वत ली गयी थी इस सम्बन्ध में शिकायत थी और शिकायत करने वाले सज्जन थे जयप्रकाश एडवोकेट और बाबू राम दुबे।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

कौन जांच कर रहा है और जांच अब तक पूरी न होने का कारण क्या है ?

श्री राज मंगल पांडेय---

ए० डी० एम० स्वयं जांच कर रहा है और जिलाधीश से पूछा गया है कि विलम्ब क्यों हो रही है ।

जौनपुर जिले के ग्राम पुराकोदई के किसानों को विद्युत कनेक्शन मिलने में विलम्ब

श्री झिलमिट (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)---

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा ३४२० ई० एल० सी० ७३-२ ३, पी० ए०, दिनांक १२ जून, १९७३ द्वारा जौनपुर जनपद के किसी किसान को १० हा० पा० विद्युत् स्वीकृत किया गया और सम्बन्धित कृषक ने अर्नस्टमनी तथा बी०ए०ल० फार्म आदि जमा कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि विद्युत कनेक्शन शासकीय आदेशों के बाद भी न मिलने का क्या कारण है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

जी हां । सम्बन्धित किसान श्री राजकरन तिवारी ग्राम पुराकोदई, पोस्ट-बालवरगंज जिला जौनपुर को दी जाने वाली विद्युत की लाइन खीचने में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है । इस कारण कृषक को कनेक्शन नहीं दिया जा सका ।

*४---श्री झिलमिट (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि विकास खंड सुजान गंज (जौनपुर) में इसी ग्राम के कितने और किसानों को विद्युत दिया जाना है ? और उन्हें बिजली सिंचाई के लिये कब तक मिलने की सम्भावना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

सुजान गंज विकास खंड ग्राम-पुराकोदई में एक अन्य किसान श्री प्रहलाद नारायण मणि त्रिपाठी को भी विद्युत कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है तथा इनको भी विद्युत कनेक्शन श्री राजकरन तिवारी के साथ क्लस्टर में दिया जाना है । शीघ्र ही तार खींचे जाने में उत्पन्न अवरोधों को समाप्त कर विद्युत देने की कोशिश की जा रही है। अतः कनेक्शन देने की तिथि निश्चित रूप से बताया जाना संभव नहीं है ।

नागरिक सुरक्षा अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध पारित अविश्वास का प्रस्ताव तथा शिकायती-पत्र

*५---श्री चन्द्र शेखर सिंह (जिला बस्ती)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नागरिक सुरक्षा संगठन, गोरखपुर के समस्त पोस्ट वार्डनों ने दिनांक ११-४-७२ को एक बैठक करके नागरिक सुरक्षा अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया तथा १४-४-७२ को आवश्यक कार्यवाही के लिये जिलाधिकारी को दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राज मंगल पांडेय---

नागरिक सुरक्षा संगठन, गोरखपुर के कुल १७ पोस्ट वार्डनों में से केवल ६ पोस्टवार्डनों ने दिनांक ११-४-७२ को एक बैठक करके नागरिक सुरक्षा अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध

[श्री राजमंगल पांडेय]

अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया था । उसकी एक प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही के लिये जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर को २०-४-७२ को प्राप्त हुयी । उक्त प्रस्ताव में उल्लिखित आरोपों की जांच जिला स्तर पर की गयी । जांच में आरोपों को सिद्ध नहीं पाया गया । अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

*६—श्री चन्द्र शेखर सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक, समिति, गोरखपुर के सदस्य, श्री गिरधारी लाल अग्रवाल द्वारा गोरखपुर के नागरिक सुरक्षा अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमिततायें करने सम्बन्धी कोई शिकायती पत्र जनवरी तथा फरवरी, १९७३ में डी० एम०, गोरखपुर तथा नागरिक सुरक्षा संगठन के कमांडेन्ट को मिला ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

श्री गिरधारी लाल अग्रवाल, सदस्य, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति गोरखपुर का नागरिक सुरक्षा अधिकारी गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र निदेशक, नागरिक सुरक्षा उत्तर प्रदेश को फरवरी, १९७३ में प्राप्त हुआ था परन्तु उनका कोई शिकायती पत्र सीधे जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर को नहीं प्राप्त हुआ । श्री अग्रवाल का कोई शिकायती पत्र जनवरी १९७३ में नहीं प्राप्त हुआ था । श्री गिरधारी लाल अग्रवाल के पत्र में उल्लिखित शिकायतें संलग्न तालिका में उल्लिखित है। निदेशक नागरिक सुरक्षा द्वारा इन शिकायतों की जांच करवाई गयी और उन्हें निराधार पाया गया ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ १९३-१९४ पर)

श्री चन्द्र शेखर सिंह—

जिन कर्मचारियों ने एप्लीकेशन दी थी क्या उनको बुला कर पूछा गया था और फिर इंक्वायरी की गयी थी तो उसका क्या नतीजा निकला ?

श्री राज मंगल पांडेय—

इस सम्बन्ध में जो जांच की गयी थी उससे ज्ञात यह हुआ है कि करीब करीब जितनी शिकायतें थीं वे कागजी शिकायतें थीं जैसे किसी सामान के क्रय करने में टेंडर काल न करना । सब शिकायतों को देखा गया और जिला मजिस्ट्रेट के स्तर पर जांच भी की गयी और ज्यादातर शिकायतें वह थीं जिनके खिलाफ पहले से कार्यवाही चल रही थी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों ने शिकायत की, उन्हीं के उत्तर से मालूम होता है कि उनको बुलाया नहीं गया। आमतौर से तरीका यह है कि जो व्यक्ति शिकायत करे उनको भी बुलाया जाय चाहे उनके पास कुछ कहने की सामग्री हो या न हो । किन्तु यहां पर इस साधारण नियम का भी पालन नहीं किया गया । इसलिये मेरा प्रश्न यह है कि क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की दृष्टि से इस व्यक्ति को वहां से हटाने के लिये सरकार कोशिश करेगी या हटायेगी ताकि आपस में वैमनस्य न हो ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि शिकायतें जो कागजों से सम्बन्धित थीं उसमें कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध पहले से कार्यवाही की जा रही थी। जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जांच की तो मालूम हुआ कि सारी की सारी शिकायतें निराधार हैं इसलिये उसे हटाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शिकायतें नागरिक सुरक्षा अधिकारी महोदय के विरुद्ध है और जो आरोप कर्ता है उनमें एक श्री अग्रवाल भी है जो उस समिति के मेम्बर है उनको नहीं बुलाया गया। आरोपकर्ता का यह अधिकार होना चाहिये कि वह अपनी बात उनके सामने रखे। तो क्या मंत्रीजी फिर से उस व्यक्ति को सुनने का अवसर देंगे जिसने शिकायत की है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, आदेश हो तो मैं एक-एक शिकायत को पढ़ दूं, यदि आपको शंका होती है...

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न है उसी का आप जबाब दें।

श्री राज मंगल पांडेय—

मान्यवर, जिससे आप चाहेंगे, उनसे हम जांच फिर से करा लेंगे।

श्री मधुकर दिघे—

प्रश्न तो यह पूछा गया था कि शिकायतकर्ता को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया और यदि नहीं बुलाया गया तो क्या बुलाया जायेगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

बुलाया जायेगा। न बुलाना गलत बात है। चाहे कितने भी सबूत हों, उनको अवश्य बुलाया जायगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनका पक्ष अवश्य प्राप्त करेंगे मैं आज ही इसके आदेश भेज दूंगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या ५ के सन्दर्भ में जो मुख्यतः आरोप लगाये गये है, वे क्या-क्या है, उन्हें मंत्री जी पढ़ दें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, जब इसमें पुनः जांच होनी है तो फिर माननीय सदस्य न पूछें तो अच्छा ही है।

मेरठ जिले के मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों को हरिजन छात्रावास बनाने हेतु दी गई कथित धनराशि

*७—श्री रेवती शरन मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि १९६९ से १९७३ तक हरिजन छात्रावास बनाने हेतु किन-किन मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों को मेरठ जिले में सरकारी धनराशि दी गयी ? इनमें से कितनों में छात्रावास बने तथा कितने में न बनाने की स्थिति में पुलिस केस दर्ज कराया गया ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

१९६९ से १९७३ तक मेरठ जिले में किसी भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों को हरिजन छात्रावास बनाने हेतु कोई धनराशि हरिजन सहायक विभाग द्वारा नहीं दी गई। अतः किसी छात्रावास के बनने पर पुलिस केस दर्ज कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला खीरी के कतिपय थानों के अंतर्गत पड़ी डकैतियों का विवरण

*८—श्री मन्ना लाल (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि जिला खीरी के थाना मैगलगंज, थाना पसगवां तथा थाना मोहम्मदी में दिनांक १ मई, १९७४ से २० जून, १९७४ तक कितनी डकैतियां पड़ीं तथा कितने लोग जान से मारे गये ? उक्त डकैतियों के विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ग" आग पृष्ठ १९५ पर ।)

श्री मन्ना लाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन डकैतियों को ६ महीने से ज्यादे का समय हो गया है और अभी विवेचना जारी है, वह कब तक पूरी हो जायेगी ? अब तक उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार मैगलगंज थाने में जिन तीन मुकदमों की जांच हो रही है उनमें से दो में एक-एक अभियुक्त का चालान किया जा चुका है और सभी में विवेचना जारी है । पसगंवा में ८ डकैतियां हुई थीं जिनमें से ६ में जांच जारी है, दो मुकदमों में कुछ अभियुक्तों का चालान हो चुका है और सभी में विवेचना जारी है । मोहम्मदी थाने में दो डकैतियों में एक मुकदमें में विभिन्न तिथियों में ८ अभियुक्तों का चालान हो चुका है और विवेचना जारी है ।

श्री मन्ना लाल—

मैं जानना चाहता हूं कि थाना मैगलगंज में डकैती के साथ-साथ दो कत्ल भी हुये थे । वे किस गांव के थे और उसमें कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

२० मई, १९७४ को श्री सुमेर के यहां डकैती पड़ी थी जिसमें श्री रामलाल और श्रीमती रामवती मार डाले गये थे । जो विवेचना हो रही है उसमें कार्यवाही जारी है । दो अभियुक्त जिला हरदोई की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं एक श्री दिवाकर और दूसरे शारदा भक्त सिंह । यह गिरफ्तारी २१ जुलाई, को हुई है ।

श्री मन्ना लाल—

मैंने पूछा था कि जो दो कत्ल हुये वह चौकीदार के नहीं वह वैश्य के घर कत्ल हुये । इस गांव के ४ बार डकैती पड़ चुकी है और दो मरडर हो गये है और पुलिस ने वहां पर अभी तक कोई सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया । तो वहां पर सुरक्षा की कार्यवाही करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह लम्बी सूची है माननीय सदस्य स्वयं बता दें उनका किस डकैती से तात्पर्य है ।

आजमगढ़ जिले में हरिजन कालोनी का निर्माण

*९—श्री राम सुन्दर पांडे (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के किन-किन विकास खंडों के किन-किन स्थानों पर सरकार द्वारा हरिजन कालोनी का निर्माण किया गया है ? तथा प्रत्येक पर लागत क्या-क्या है ?

श्री रामश्री लाल सहायक—

आजमगढ़ जनपद के जिन-जिन विकास खंडों के जिन-जिन स्थानों पर हरिजन कालोनी का निर्माण किया गया है उसकी सूची संलग्न है तथा प्रत्येक कालोनी पर लागत का विवरण भी दिया गया है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ १९६ पर ।)

श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सरकार इसके ऊपर जांच करायेगी कि इन हरिजन बस्तियों में जो सामान लगा है वह घटिया है और जिसकी वजह से वह बस्तियां अभी से गिरने लगी हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह आप सुझाव दे रहे हैं उसको देखा जाय ।

पुरवा इलाहीबक्स, जिला मेरठ के निवासी श्री क़मईलाही की हत्या

*१०—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 12 दिसम्बर, १९७३ की रात में पुरवा इलाही-बक्स, मेरठ के कर्मइलाही को एस० आई० त्यागी ने गोली मार दी थी जिसकी तफतीश सी०आई०डी० कर रही है ? यदि हां, तो अब तक मुलजिमान के खिलाफ क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक १२–१२–७३ की रात में पुलिस द्वारा जबरन घर में घुसकर वादी के दामाद कर्मइलाही को गोली मार दिये जाने के बारे में दिनांक १५–१२–७३ को थाना देहली गेट मेरठ पर मोहल्ला पुरवा इलाहीबक्स निवासी यासीन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा १४७,१४८/१४९/३६४/३०२/४५२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत दर्ज किया गया । मुकदमें की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई गई । विवेचना से पुलिस द्वारा श्री कर्म इलाही को गोली मारे जाने की कथन की पुष्टि नहीं हुई और विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त कर दी गई । इस सम्बन्ध में किसी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा ।

लखनऊ तथा इलाहाबाद के कतिपय सिनेमा भवनों की अध्याप्ति की कार्यवाही

*११—श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह सही है कि सरकार ने दो सिनमा की इमारतें एक इलाहाबाद और एक लखनऊ में एक्वायर करने का निर्णय लिया है। यदि हां, तो वह कौन-कौन सी इमारतें हैं और इसमें कितनी-कितनी धनराशि लगेगी तथा यह कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सरकार ने इलाहाबाद में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के निकट श्री राजाराम जायसवाल द्वारा तथा लखनऊ में सचिवालय के निकट मेजर बैंक्स रोड पर श्री मोहन लाल सेठ द्वारा बनवाये जा रहे सिनेमा भवनों को अध्याप्ति (एक्वायर) किये जाने का निर्णय लिया है।

जहां तक इलाहाबाद स्थित सिनेमा का संबंध है, जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ४(१) के अधीन विज्ञप्ति जारी की गई थी किन्तु सिनेमा के

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

स्वामी ने उच्च न्यायालय में रिट दायर करके कार्यवाही का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है और यह मामला अब उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

लखनऊ स्थित सिनेमा भवन की अध्याप्ति के संबंध में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा दिनांक ३ जनवरी, १९७४ को भूमि अर्जन अधिनियम की धारा ४(१) के अधीन विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है तथा धारा६ के अधीन विज्ञप्ति जारी किये जाने का मामला इस समय विचाराधीन है अभी यह बता सकना संभव नहीं है कि इसके अध्याप्त किये जाने में कितनी धन-राशि लगेगी तथा कार्यवाही अंतिम रूप से कब पूरी हो सकेगी।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जब सरकार को खुद मालूम नहीं है कि कितना रुपया लगेगा तो इसको एक्वायर करने के लिए किस आधार पर निर्णय लिया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

एक्वायर करने से पहले यह कहना मुश्किल होता है कि कितना रुपया लगेगा। लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर जो हैं वह अपनी प्रोसीडिंग करेगा और वह बतायेगा कि कितना रुपया लगेगा। तो इसमें एक तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन चाहता है जिसका धन हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद देगा और दूसरा जो लखनऊ वाला है उसको सरकार चाहती है और उसका धन सरकार देगी। जब आर्डर्स हो जायेंगे कि इतना रुपया देना है, लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर इसे बतायेगा कि इतना रुपया आपको देना है तो उतना रुपया हम जमा कर देंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस संबंध में पी०डब्लू०डी० विभाग की क्या रिपोर्ट है कि सिनेमा को सरकार के प्रयोग में लाने के लिए कितना रुपया व्यय होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अभी इसका प्रश्न नहीं आया, क्योंकि इसके जो लैन्ड लार्ड हैं, वह हमारे अधिकरियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं सूचना हर चीज की देने में । किन्तु जब लैन्ड एक्वीजीशन की प्रोसीडिंग होगी तो उनको जाब्ते से सूचना देनी ही होगी, जिसके आधार पर उसका मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मेरा तो प्रश्न यह है कि यदि ले लिया भी जाए, तो उसको प्रयोग में लाने के लिए और कितनी धनराशि लगेगी? पी०डब्ल्यू०डी० विभाग की इसके बारे में क्या रिपोर्ट है, इसकी जानकारी क्या सरकार के पास है ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जब यह प्रथम बार इस स्थान पर सिनेमा बना तो उस समय की सरकार ने सभी कारणों को देखकर उसके निर्माण की अनुमति दी थी, किन्तु अब उसके विपरीत सरकार उसे एक्वायर करना चाहती है तो क्या कारण है जो इस नीति में परिवर्तन किया गया जबकि सरकार की दृष्टि में इंटरटेनमेंट टैक्स से मिलने वाला लाभ पहले से ही दृष्टि में था ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जब सरकारें बदलती हैं तो मूल्य भी थोड़ा बदल जाते हैं । बदले हुए मूल्यों में ऐसा करना आवश्यक था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या मंत्री जी उन पत्रों को पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे, जिनके आधार पर सिनेमा बनाने की अनुमति दी गई थीं? मुझे लग रहा है, इसमें कोई खास बात है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है । पूर्ववर्ती सरकार ने आदेश दिया लखनऊ के सिनेमा को । लखनऊ में जिलाधीश ने यह राय दी थी कि इस स्थान पर सिनेमा बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि आने-जाने की असुविधा होगी । उस पर उसने तत्कालीन सरकार में अपील की। अपील मंजूर हुई और जिलाधीश ने पुनः २०-३-७२ को अनुमति दे दी उस वक्त उसने कहा कि ७५ मीटर से यह दूरी ज्यादा है । किन्तु २०० मीटर तक का प्रतिबन्ध अब लागू है । इसमें मेरी कोई दुश्मनी, दोस्ती नहीं है। यदि माधव बाबू कह दें तो मैं अपना निर्णय अभी बदलने को तैयार हूं ।

श्री मधुकर दिघे—

माननीय मुख्य मंत्री ने अभी बताया कि मूल्यों में तब्दीली हो गई, तो क्या लेन-देन में भी कोई तब्दीली हुई थी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिघे साहब के दिमाग में लेन-देन की बात ही ज्यादा है, मैं विवश हूं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

और दूसरी जमीन को क्यों नहीं लिया जा रहा है जो बराबर में है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मैं माननीय असरार अहमद साहब का, अनुगृहीत हूं, सरकार की धन प्राप्ति के संबंध में वह चिंतित हैं। वैसे तो शराब की दूकानों से बहुत पैसा आ सकता है लेकिन हमने कहा कि इन-इन जगहों में शराब की दूकानें नहीं होंगी जैसे स्कूल के करीब नहीं होंगी, इत्यादि । सिनेमा देखने वालों के लिये नया सिनेमा बनवाने के लिए माननीय असरार अहमद साहब कोई नयी जगह तलाशें जो सार्वजनिक जीवन में बाधा उत्पन्न न करे तो उस जगह पर लाइसेंस देने में कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मेरा कहना है, चाहे लें या न लें । १२ महीने तक सरकार क्यों रुकी हुई है । १२ लाख का नुक्सान हो चुका है । कीमतें भी बढ़ती जा रही है। जब भी लेंगे और कीमत बढ़ेगी और भी सिनेमा करीब में हैं । उनको क्यों नहीं लेती ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सामुदायिक विकास मंत्री, कार्यसूची, २ ।

श्री बाबू लाल वर्मा—

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

बाद में कहियेगा ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

एक सिनेमा से इंटरटेनमेंट एक महीने में एक लाख रुपया प्राप्त होता है। इस संबंध में एक वर्ष से निर्णय नहीं लिया गया है यों भी १२ महीने में १२ लाख रुपये का नुक्सान हो चुका है। उस सिनेमा के बगल में जमीन खाली पड़ी है, जिसको सरकार मामूली दामों पर ले सकती है। जबकि यह ३० लाख में बनी है और ६ लाख उसमें अभी और लगाना पड़ेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार ने कोई अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया, इतना लास क्यों किया गया?

तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कर्मचारी

*१२—श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी आदेशानुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के १८ प्रतिशत आरक्षण की पूर्ति हेतु नई भरती में ५० प्रतिशत सुरक्षित किया गया था उसके अन्तर्गत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नवम्बर, १९७३ से ३१ मार्च, १९७४ तक कितने लोग इन पदों पर नियुक्त किये गये ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अभी तक ४२ जिलों से सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार नवम्बर १९७३ से ३१-३-७४ तक श्रेणी ३ व ४ में क्रमश: ५,९८६ व ४,३२० रिक्तियां हुई। जिनमें क्रमश: वर्ग ३ व ४ में ३,२१८ तथा ३,०२९ लोग नौकरी पर रखे गये। इसमें अनुसूचित जाति के वर्ग ३ व ४ क्रमश: ९०९ व १,५११ लोग रखे गये। अनुसूचित जनजाति के क्रमश: २१ तथा २५ लोग नौकरी में रखे गये।

गुरुवार दिनांक २७ दिसम्बर, १९७४ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न

*१—श्री सुखद राज सिंह तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[१२वें गुरुवार में प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२—श्री सुखद राज सिंह तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

श्री सोहन लाल, निवासी, ग्राम बबुरी, जिला सीतापुर का क़त्ल

*३—श्री मधुकर दिघे—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सोहन लाल पुत्र परवन हरिजन ग्राम बबूरी, थाना रामकोट, जिला सीतापुर के कल्ल की एक रिपोर्ट दिनांक१९ जून, १९७४ को श्री गिरधारी पुत्र परवन ने थाना रामकोटपर लिखायी और क्या उसमें श्री छोटे लाल पुत्र देवीदीन, शिवराम पुत्र देवीदीन के नाम दर्ज करायी? यदि हां, तो इस संबंध में क्या मुलजिमानों की गिरफ्तारी की गयी, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक १८-१९ जून, ७४ की रात्रि में श्री सोहनलाल पुत्र परवन हरिजन निवासी ग्राम बबूरी की हत्या कर दिये जाने की सूचना मृतक के भाई श्री गिरधारी ने दिनांक १९-६-७४

नोट:—नियम ३८(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ११ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

को थाना रामकोट पर दी जिसमें छोटेलाल पुत्र देवीदीन, शिवराम पुत्र देवीदीन तथा कुछ अन्य व्यक्ति नामांकित किये गये थे । इस सूचना के आधार पर थाने पर एक मुकदमा धारा १४७/१४८/१४९/३०२ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया । अब तक की विवेचना से इसमें नामांकित अभियुक्तों का नामांकन संदिग्ध पाये जाने के कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। सही अभियुक्तों का पता लगाये जाने के लिये प्रयास जारी है ।

बांदा जिले के ग्राम जसपुरा निवासी सुशीला देवी को हरिजन आवास मद से फर्जी तौर पर अनुदान

*४—श्री मधुकर दिघे, श्री भाभी (जिला आजमगढ़), श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी) तथा श्री विश्राम (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम जसपुरा, विकास खंड जसपुरा, जिला बांदा की एक ठाकुर जाति की सुशीला देवी महिला को फरजी तौर पर हरिजन बना करके हरिजन आवास मद में २,००० (दो हजार) रुपये का अनुदान दिये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक १८-७-७४ को उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५—श्री बाबू लाल वर्मा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

आगरा नगर में दंगे से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

*६—श्री बाल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री प्यारेलाल वर्मा (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त,१९७४ में आगरा में हुए उपद्रव के कारण दंगाग्रस्त लोगों को क्षति पूर्ति हेतु आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो सहायता देने का आधार क्या रखा गया तथा किस किस व्यक्ति को कितनी सहायता दी गयी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगस्त, १९७४ में आगरा में हुए दंगे से पीड़ितों को क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता दी गई है । पीड़ितों को सहायता देने का आधार उनकी आर्थिक क्षति तथा आर्थिक स्थित थी । सहायता देने के संबंध में स्थानीय लोक सभा विधान परिषद् व विधान सभा के सदस्यों की बैठक में विचार विमर्श किया गया और उनकी जगह अनुसार अनुमानित क्षति पर २५ प्रतिशत से शत प्रतिशत तक सहायता दी गई।

जिन व्यक्तियों को जो धनराशि सहायतार्थ दी गई उसकी सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १९७-२०० पर)

*७—श्री राम सेवक यादव—

[निधन हो जाने के कारण निरस्त]

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अपना सामान रेलवे स्टेशन से छुड़ाने में विलम्ब

*८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या बिजली मंत्री को इसकी जानकारी है कि आजकल (२०-७-७४ को) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा खरीदी गयी करोड़ों रुपये की मशीनें तथा अन्य सामान ऐसा है जो कि रेलवे स्टेशनों पर २० जुलाई, १९७४ को समाप्त होने वाली तिथि से एक माह पूर्व से पड़ा है तथा अभी छुड़ाया नहीं जा सका ? इस प्रकार न छुड़ाने से विद्युत परिषद् को अनुमानित रूप से कितना रुपया डैमरेज का रेलवे को देना है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ की ग्राम सभा खजियाबर की हरिजन कालोनी में बरामदे न होने की शिकायत

*९—श्री राम सुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सभा खजियाबर, तहसील सगड़ी, विकास-खंड महाराजगंज, जिला आजमगढ़ के प्रधान ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आजमगढ़ के यहां दिनांक १२-८-७४ को शिकायती पत्र भेजा है कि उनके ग्राम के हरिजन कालोनी के भवनों के सामने बरामदे नहीं बनाये गये हैं जबकि जिले के और सरकार द्वारा निर्मित हरिजन कालोनी में बनाये गये है? यदि हां, तो उक्त शिकायत की जांच किस अधिकारी से करायी गयी और परिणाम क्या हुआ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां ।

इसकी जांच सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा से करायी गई। जांच के परिणाम स्वरूप प्राक्कलन में संशोधन करके बरामदे का प्राविधान कर दिया गया है ।

*१०—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

*११—श्री मुहम्मद रफी खां—

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

*१२—श्री राम सेवक यादव—

[दिवंगत हो जाने के कारण निरस्त]

शहीद राम प्रसाद बिस्मिल बेसिक विद्यालय, देवरिया में कथित तोड़-फोड़ की घटना

*१३—श्री हरि केवल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के देवरिया नगर में अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल बेसिक विद्यालय के मुख्य द्वार का हथियारों से लैस सैकड़ों व्यक्तियों ने दिनांक २८/२९ मई, १९७४ की अर्ध रात्रि में ताला तोड़ दिया और चौकीदारों को घायल कर कागजात एवं सायकिल उठा ले गये तथा अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल बेसिक विद्यालय के नाम को तोड़ कर उस पर कालिख पोत कर महाराजा अग्रसेन बालिका इंटर कालेज तथा मारवाड़ी विद्यालय के नाम का बोर्ड लगा दिया जिसकी रिपोर्ट कोतवाली पुलिस में दर्ज है यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

दिनांक २९-५-७४ को सुबह ९-४५ बजे श्री शिव औतार प्रधानाचार्य, शहीद राम प्रसाद विस्मिल बेसिक विद्यालय, देवरिया ने थाना कोतवाली देवरिया पर इस आशय की लिखित सूचना दी कि २८/२९-५-७४ की रात्रि के करीब ११-३० एवं १ बजे के बीच आठ नामजद व कुल ४०-५० अभियुक्त लाठी भालों से लैस होकर विद्यालय में आये, चौकीदारों को मारा पीटा, उनसे सादे कागज पर जबरन अंगूठा निशान लगवाया, गेट पर विद्यालय के नाम को पेंट कर दिया व ताला तोड़कर अन्दर घुस गये तथा पांच अदद साइकिल एवं विद्यालय के रेकार्ड लूट ले गये।

उक्त सूचना प्राप्त होने पर थाने पर धारा ३९५/३९७/३८४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से मुकदमा असत्य पाये जाने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगाकर न्यायालय भेज दी गई।

शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट न्यायालय भेजी गई जो विचाराधीन है।

श्रम कानूनी सलाहकार के पद पर कथित नियुक्ति

*१४—श्री कल्याण सिंह—

क्या श्रममंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७४-७५ में श्रम कानूनी सलाहकार पद पर किन-किन व्यक्तियों की नियुक्ति की गयीं? नियुक्तियां लोकसेवा आयोग से हुयीं अथवा विभाग द्वारा? चयन का आधार तथा न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गयी थी तथा क्या उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु व्यय की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्राप्त करली गयी थी?

श्री राजमंगल पांडेय—

कोई नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी हेलीकाप्टर को किराये पर देने की व्यवस्था

*१५—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सभी राजनैतिक दलों को किराये पर हेलीकाप्टर देने की व्यवस्था है? यदि हां, तो किस दर पर? यदि नहीं तो विधान सभा के उपवेशन में दिनांक १८ जुलाई, १९७४ के लिये प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१ के उत्तर से संबंधित क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च,१९७४ में हेलीकाप्टर से हुयी यात्रा पर सरकार का कुल कितना रुपया व्यय हुआ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां। उत्तर प्रदेश सरकार के हेलीकाप्टर को अन्य व्यक्तियों को किराये पर देने की व्यवस्था है। किराये की दर ४,८०० रु० प्रति घंटा तथा रात्रि के ठहरने की फीस-२०० रु० प्रति रात्रि के हिसाब से है। हेलीकाप्टर किराये पर उसी दशा में दिया जा सकता है जब इसकी आवश्यकता राज्य सरकार के उड़ाने के लिये न हो।

झांसी स्टेशन पर युवा कांग्रेसियों के लिये सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा कथित जलपान की व्यवस्था

*१६—श्री भगवत दयाल (जिला झांसी) तथा श्री राम चरन शाह (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ८ जुलाई, १९७४ को दिल्ली जाने वाले युवा कांग्रेसियों का झांसी स्टेशन पर सिटी मजिस्ट्रेट ने स्वागत किया तथा चाय व जलपान की व्यवस्था की? यदि हां, तो इसके लिये धन की व्यवस्था किस कोष से की गयी? यदि सिटी मजिस्ट्रेट ने इसकी व्यवस्था चन्दे द्वारा की तो कितना चन्दा किया गया तथा उस चन्दे में से कितना धन खर्च किया गया?

श्री राज मंगल पांडेय—

दिनांक ८ जुलाई, १९७४ को दिल्ली जाने वाले युवा कांग्रेसियों का झांसी स्टेशन पर सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा न तो कोई स्वागत किया गया और न ही उनके लिये चाय व जलपान की कोई व्यवस्था सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी थी। इस प्रकार सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में कोई धनराशि व्यय करने अथवा किसी कोष से धनराशि लेने का प्रश्न नहीं उठता। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त व्यवस्था नहीं की गयी और न उसके लिये चन्दा एकत्रित करके कोई धनराशि व्यय की गई।

लखीमपुर खीरी तथा गोला में हुई घटनाओं की जांच रिपोर्ट

*१७—श्री रामचरन शाह, श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई), श्री दधीचि सिंह, श्री मन्ना लाल तथा श्री राज बृजराज सिंह (जिला लखीमपुर खीरी)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९७२ में लखीमपुर तथा गोला नगर में पुलिस द्वारा गोली चलाने के कारणों की जांच के लिये गठित न्यायिक जांच आयोग रिपोर्ट का, जो शासन को १ जनवरी, १९७४ को प्राप्त हो चुकी है, सारांश क्या है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

अगस्त, १९७२ में लखीमपुर खीरी तथा गोला में हुई घटनाओं की जांच के लिये गठित एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट का सारांश संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २०१ पर)

मेरठ जिले के लता अपहरण काण्ड की जांच की रिपोर्ट

*१८—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री उमानाथ (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि २४ सितम्बर, १९७३ को मेरठ में हुए लता अपहरण कांड की जांच हेतु एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है। यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं, किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया है तथा उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जी हां। आयोग की रिपोर्ट के महत्वपूर्ण निष्कर्ष संलग्न परिशिष्ट में अंकित हैं। आयोग ने जिन अधिकारियों की त्रुटियों का उल्लेख किया है उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २०२–२०३ पर)

*१९—श्री उमानाथ—

(३रे सोमवार में प्रश्न संख्या २९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

*२०—श्री हरिकेवल—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

बिजनौर जिले के अंतर्गत आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस का निरस्तीकरण

*२१—श्री हरप्रताप सिंह (जिला इलाहाबाद) तथा श्रीमती शांती देवी (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर में बंदूक रिवाल्वर और रायफल के लाइसेंस मार्च, १९७४ से अगस्त, १९७४ तक बड़ी संख्या में निरस्त किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों और वे कितने है और क्या यह भी सही है कि वे लाइसेंस उन्हीं के निरस्त किये गये है जो विरोधी दलों से संबंध रखते है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

जिला बिजनौर में मार्च, १९७४ से अगस्त, १९७४ तक ६७ आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस निरस्त किये गये। इनमें ६२ लाइसेंस बन्दूक के, ३ लाइसेंस राइफल के तथा २ लाइसेंस रिवाल्वर १ पिस्तौल के है। ये लाइसेंस आग्नेयास्त्र का दुरुपयोग करने, शस्त्र को निरीक्षणार्थ समय से प्रस्तुत न करने तथा लाइसेंस को बहुत अधिक विलम्ब से नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करने के कारण निरस्त किये गये ।

यह सही नहीं है कि लाइसेंसों को निरस्त करते समय किसी दल विशेष का ध्यान रखा गया।

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले के ग्राम पांती हरिजन बस्ती तथा अन्य हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

१—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कोयलसा ब्लाक में छतौना, पांति धनेड दुबे गुरते टहर वाजिदपुर बिजली की एक लाइन स्वीकृत हो चुकी है क्या उसमें पांति हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की योजना है? यदि हां, तो कार्य कब तक पूरा होगा ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आजमगढ़ जिले के कोयलसा ब्लाक में छतौना, पांति से टहर वाजिदपुर तक ११ के०वी० की एक ४० कि०मी० की लाइन स्वीकृत है । उसमें पांति हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण सम्मिलित है। धन की सीमित उपलब्धता के कारण यह बताना मुश्किल है कि कार्य कब तक पूरा हो सकेगा।

२—श्री दयाराम भास्कर—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में कौन-कौन सी हरिजन बस्ती में रजत जयंती के अवसर पर विद्युतीकरण करने का सरकार ने निर्णय लिया है। यदि हां, तो कितनी हरिजन बस्ती का कार्य पूरा हुआ और कितनी हरिजन बस्ती में कार्य बाकी है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आजमगढ़ जिले में रजत जयन्ती वर्ष में ८७ हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था जिसके विपरीत कुल ९७ बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया। इस प्रकार निर्धारित लक्ष्य में से अब किसी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण शेष नहीं है।

पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये बलात्कार के आरोप

३--श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में १९७२-७३ व १९७३-७४ में कितने पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगा और इस सम्बन्ध में कितनों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गयी तथा कितने अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सका ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में १९७२-७३ में १९ व १९७३-७४ में १७ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगा। इस सम्बन्ध में अगस्त, १९७४ तक१६ के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की गई । १६ अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सका। चार कर्मचारियों के मामले विवेचनाधीन है ।

अकबर इलाहाबादी स्मारक समिति को दी गई धनराशि

४--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वर्गीय अकबर इलाहाबादी का स्मारक बनाने के लिये बजट १९७४-७५ में स्वीकृत धनराशि अकबर स्मारक समिति को दे दी गयी है अथवा नहीं यदि हां, तो उपरोक्त संस्था के पदाधिकारी कौन है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अधीन, संस्था कब पंजीकृत हुयी ? स्मारक कहां बन रहा है तथा उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

स्वर्गीय अकबर इलाहाबादी के स्मारक बनाने के लिये वर्ष १९७४-७५ में सरकार द्वारा स्वीकृत १५,००० रु० का भुगतान अकबर स्मारक समिति को कर दिया गया है। संस्था के प्रेसीडेन्ट डा० सलाहउद्दीन सिद्दीकी तथा सचिव श्री पद्मकन्त मालवीय हैं । इसका रजिस्ट्रेशन सन् १९५७-५८ में हुआ था । प्रस्तावित स्मारक इलाहाबाद में अकबर इलाहाबादी के मजार पर बनेगा।

बाराबंकी जिले में असलहा हेतु प्राप्त प्रार्थना-पत्र

५--श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

क्या शासन कृपया बतायेगा कि बाराबंकी जनपद में वर्ष १९७२, ७३ व ७४ में अलग-अलग कितने लोगों ने असलहा हेतु प्रार्थना-पत्र दिये और कितने प्रार्थना-पत्र निर्णीत किये गये और कितने अब भी अनिर्णीत हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ २०४ पर) ।

६--श्री राम सेवक यादव--

[दिवंगत हो जाने के कारण निरस्त।]

थाना चौक, लखनऊ के कान्स्टेबिल के विरुद्ध श्री बाबू लाल वर्मा, सदस्य विधान सभा का शिकायती-पत्र

७—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा सदस्य, श्री बाबू लाल वर्मा द्वारा कोई पत्र दिनांक २० मार्च से २५ मार्च, ७४ के अन्दर इस आशय का प्राप्त हुआ था, जिसमें लखनऊ के एक कान्टेबुल की विधायक के प्रति दुर्व्यवहार व भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी की शिकायत की थी ? यदि हां, तो अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

श्री बाबू लाल वर्मा, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांकित २०-३-७४, जिसमें उन्होंने लखनऊ के एक कांस्टेबिल के विरुद्ध शिकायतें की थीं, प्राप्त हुआ था ।

इन शिकायतों की प्रारम्भिक जांच के आधार पर थाना चौक पर सम्बन्धित कांस्टेबिल के विरुद्ध एक मुकदमा अन्तर्गत धारा १६१ भारतीय दंड विधान तथा ५(२) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत कायम हुआ । अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण मामले में दिनांक १२-१२-७४ को अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है । मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार कर लिये जाने के उपरान्त उसके विरुद्ध धारा ७ पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावेगी । इस कांस्टेबिल को लाइन हाजिर कर दिया गया है ।

८—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[९वें गुरुवार के प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड को कोयले की आपूर्ति तथा हाइडिल पावर स्टेशन, दोहाना बरेली से दी गई बिजली

९-१०—श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या विद्युत् मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, बरेली को ७१-७२, ७२-७३, ७३-७४ वर्षों में कितना कोयला बिजली बनाने के निमित्त दिया गया तथा उससे कितनी बिजली का उत्पादन हुआ ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त कम्पनी को उपरोक्त वर्षों में हाइडिल पावर स्टेशन, दोहना (बरेली) से कितनी बिजली दी गयी जिसे उसने डी०सी० में परिवर्तित करके सप्लाई किया ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "झ" आगे पृष्ठ २०५ पर)

हाफ ए मिलियन जाब्स कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति की योजना

११—श्री शारदा भक्त सिंह, श्री दधीचि सिंह तथा श्री कल्याण सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाफ ए मिलियन जाब्स के अधीन १९७३-७४ में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया ? और उल्लिखित प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्थायी रोजगार दिलाने हेतु सरकार के पास क्या योजना है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हाफ ए मिलयन जाब्स कार्यक्रम के अधीन वर्ष १९७३–७४ में ४४,८११ व्यक्तियों को प्रशिक्षण स्वत: रोजगार तथा सब्सीडाइज्ड रोजगार योजनाओं के तहत प्रशिक्षित किया गया था उपरोक्त व्यक्तियों में से २,८५९ स्वत: रोजगार, ४१,७५३ प्रशिक्षण एवं १९९ सब्सीडाइज्ड रोजगार योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किये गये ।

जैसा कि नाम से स्पष्ट है स्वत: रोजगार तथा साब्सीडाइज्ड रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह परिकल्पना की गयी थी कि वे अपने लिये रोजगार की व्यवस्था स्वयं करेंगे । प्रशिक्षण योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों को वर्ष १९७४–७५ में सृजित होने वाले पदों में लगाने का उद्देश्य रक्खा गया था परन्तु वर्तमान आर्थिक कठिनाइयों के कारण वर्ष १९७४–७५ की वार्षिक योजना का परिव्यय काफी कम हो गया है और पूर्व अनुमानों के अनुसार नये पदों का सृजन नहीं किया जा सका है ।

उच्च न्यायालय के कार्यालय का पुनस्संगठन

१२—श्री अवधेश कुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय के पुनर्गठन के सम्बन्ध में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुयी ? उसका मुख्य सुझाव क्या है तथा उनके लागू करने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

उच्च न्यायालय के कार्यालय के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय द्वारा तैयार की गई योजना सरकार को ४ मई, १९७४ को प्राप्त हुई । तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश महोदय सेवा निवृत्त हो चुके हैं और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश महोदय जिन्होंने १३ नवम्बर, १९७४ को ही अपने पद का कार्यभार सम्हाला है उक्त योजना में निहित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रहे है जैसा उन्होंने शासन को सूचित किया है । वे शासन को यथा समय अपनी संस्तुति भेजेंगे जिसके बाद ही आगे कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा ।

रियो काफी हाउस, बरेली के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

१३— श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि रियो काफी हाउस, बरेली के कुछ कर्मचारियों ने नौकरी के बिना बताये निकाल दिये जाने तथा श्रम विभाग द्वारा अनियमित ढंग से नौकरी से निकालने पर भी कोई राहत दिलाने की प्रभावी कार्यवाही न करने के विरोध स्वरूप पहली अगस्त, १९७४ से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल जारी कर दी ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राज मंगल पांडेय—

जी हां । सेवायोजकों ने तीन कर्मचारियों को बिना नोटिस दिये नौकरी से निकाल दिया था । सहायक श्रमायुक्त के प्रयास से समझौता वार्ता चली, परन्तु समझौता न होने पर एक कर्मचारी ने ९ ८ १९७४ से १३–८–१९७४ तक भूख हड़ताल की तथा दूसरे कर्मचारी ने १३–८–१९७४ से भूख हड़ताल की परन्तु सहायक श्रमायुक्त बरेली के हस्तक्षेप से भुख हड़ताल २४–८–१९७४ को समाप्त हो गई ।

श्रमिकों की प्रमुख मांग तीनों निकाले गये कर्मचारियों को पुन: काम पर लिये जाने की थी ।

तीनों निकाले गये कर्मचारियों का विवाद श्रम न्यायालय , लखनऊ को अभिनिर्णय हेतु भेज दिया गया है ।

उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित मुकदमें

१४--श्री राम सुन्दर पांडे--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कत्ल, डकैती, माल आदि के कितने-कितने मुकदमें जून, १९७४ को विचाराधीन है और कब से ?

श्री राज मंगल पांडेय--

३० जून, १९७४ को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन विभिन्न प्रकार के मेन केसेज की कुल संख्या ६४,८६७ है। संलग्न तालिका में उक्त मुकदमों की वर्गवार संख्या तथा वे कब से विचाराधीन है यह सूचना दिखाई गई है। विविध मामलों की संख्या इनके अतिरिक्त है। इस प्रकार कुल मामलों की संख्या ९३,२७६ है।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ २०६-२०७ पर)।

१५--श्री बृजपाल सिंह यादव--

(८वें गुरुवार में प्रश्न संख्या १४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित)।

राजकीय नलकूपों को बिजली

१६--श्री बृजपाल सिंह यादव (जिला बदायूं)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में बिजली उत्पादन की कुल कितनी प्रतिशत बिजली राजकीय नलकूपों को चलाने हेतु दी जा रही है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

उत्तर प्रदेश में कुल विद्युत उपभोग का लगभग १० प्रतिशत राजकीय नलकूपों द्वारा उपभोग होता है।

पुलिस कांस्टेबिल के पदों पर चयन हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी

१७--श्री दधीचि सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ७४-७५ में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों को पुलिस कांस्टेबिल के पदों पर भरती के पूर्व प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त योजना के अधीन कुल कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की योजना है ? व्यक्तियों का चयन हो चुका है अथवा नहीं ? यदि नहीं,तो कब होगा ? यदि हां, तो कितने व्यक्ति चुने गये। चुनने का आधार क्या था ? इस योजना के अधीन चुने गये व्यक्तियों को नौकरी मिल गयी है अथवा नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

वित्तीय वर्ष १९७४-७५ में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों को पुलिस कानिस्टेबुल के पदों पर भरती के पूर्व प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई थी। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ३०० अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जनजाति के २० अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने की योजना थी। शासन ने इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि बिना पूर्व प्रशिक्षण दिये हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थी पुलिस कान्स्टेबुल के पदों पर भरती हेतु उपलब्ध हो रहे हैं और उन्हें भरती भी मिल रही है। अत इस योजना को अब न चलाने का निर्णय लिया है। अतः अन्य प्रश्नों के उत्तर का प्रश्न उठता।

न्यूनतम मजदूर अधिनियम, १९४८ के अधीन प्राप्त शिकायतों का श्रमायुक्त द्वारा निस्ताकरण तथा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायालयों में लम्बित विवाद

१८—श्री कल्याण सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असंगठित श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिये बनाये गये न्यूनतम वेतन अधिनियम की आहेलना करने के विरुद्ध कितनी शिकायतें श्रमायुक्त को वित्तीय वर्ष १९७३–७४ में प्राप्त हुयीं? उनमें से कितनों का निस्तारण कर दिया गया है। यदि हां, तो उपरोक्त शिकायतों पर किये गये निर्णयों का कार्यान्वयन हुआ अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो कार्यान्वयन हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं ।

श्री राज मंगल पांडेय—

वित्तीय वर्ष १९७३–७४ में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ के अधीन कुल २,००९ (दो हजार नौ) शिकायतें प्राप्त हुयीं। इनमें से ६०० (छः सौ) शिकायतें निर्धारित मजदूरी से कम दर पर मजदूरी के भुगतान के संबंध में उस अधिनियम की धारा २० के अधीन थीं शेष १,४०९ (एक हजार चार सौ नौ) अन्य मामलों, जैसे रजिस्टर न रखना, वेज स्लिप न देना, नोटिस न लगाना, आदि के संबंध में थीं ।

धारा २० के अधीन प्राप्त शिकायतों में से ३५८ (तीन सौ अठावन) पर निर्णय हो गया है तथा रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किये जा चुके हैं । शेष विचाराधीन हैं १४०९ अन्य शिकायतों में से १,४०५ (एक हजार चार सौ पांच) का निस्तारण हो गया है ।

१९—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९७४ के अन्त में श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायालयों में अवशेष विवादों की संख्या क्या है तथा इनमें ऐसे-ऐसे विवाद कितने हैं जो कि १९७०–७१ में अथवा उससे पूर्व भेजे गये थे, परन्तु अभी तक निर्णय नहीं हो सका है?

श्री राज मंगल पांडेय—

३१ अगस्त,१९७४ को श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक न्यायाधिकरणों के समक्ष अवशेष विवादों की कुल संख्या ४,२५६ थी उनमें से समस्त न्यायाधिकरणों तथा श्रम न्यायालयों के समक्ष कुल १९८ ऐसे अनिस्तारित मामले थे जो वर्ष १९७०–७१ में अथवा इसके पूर्व अभिनिर्णयार्थ भेजे गये थे ?

नवीन श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना

२०—श्री राम चरन शाह तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आय-व्याक वर्ष १९७४–७५ में आयोजनागत व्यय के अधीन नवीन श्रम कल्याण केंद्र अब तक कहां-कहां स्थापित किये जा चुके है और क्या स्थापना के पूर्व कोई जांच करायी गयी? यदि हां, तो जांच किसने की तथा जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री राजमंगल पांडेय—

जी नहीं । अभी कहीं नहीं स्थापित किये गये ।

एवरेडी फ्लैश लाइट कम्पनी, लखनऊ के मजदूरों का मांग-पत्र

२१—श्री कल्याण सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एवरेडी फ्लैश लाइट कम्पनी, लखनऊ के मजदूरों का कोई शिष्ट मंडल ३०-८-७४ को उनसे मिला था तथा मजदूरों की कठिनाइयों के संबंध में एक मांग-पत्र प्रस्तुत किया था? यदि हां, तो मुख्य मांगें क्या हैं तथा उनको पूरा करने की दृष्टि से सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राज मंगल पांडेय—

तारीख ठीक याद नहीं है लेकिन शिष्ट मंडल मिला था । उनकी कोई नई मांगें नहीं थी, बल्कि पुरानी मांगों के बारे में बातें हुई थीं, जिन पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप-प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (पंचम संशोधन) नियमावली, १९७४†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग-२ की अधिसूचना संख्या २८०७-बी/३३-७४, दिनांक १४ अगस्त, १९७४ द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (पंचम संशोधन) नियमावली, १९७४, को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

पंचायती राज (२) अनुभाग की विज्ञप्ति के संबंध में जारी किया गया शुद्धि-पत्र††

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायतीराज (२) अनुभाग द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या ३०१-डी/३३-३००-७२, दिनांक २७ जुलाई, १९७३ के संबंध में जारी किये गये शुद्धि-पत्र संख्या २८४-बी/३३-१५२-७३, दिनांक ४ जुलाई, १९७४ को, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समति तथा जिला परिषद अधिनियम, १९६१ की धारा २३७ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी यात्री-कर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७४†

परिवहन मंत्री (श्री राजमंगल पान्डेय)—

मान्वर मैं,आपकी आज्ञा से परिवहन विभाग अनुभाग-४ की अधिसूचना संख्या ११८३-टी/तीस-४-११३ के० एम० ७२, दिनांक १० जुलाई, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७४ को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ की धारा ३० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी।
††छापा नहीं गया ।

वित्त एवं विनियोग लेखे १९७१–७२ तथा भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षा की १९७१–७२ की रिपोर्ट†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोजन लेखे १९७१-७२ को भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की १९७१–७२ की रिपोर्ट सहित सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग-अनुभाग-१ की अधिसूचना संख्या ११/११-३ (२) ७३–राजस्व १, दिनांक २० जुलाई, १९७४,द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४†

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या ९८/११–३(६) ७३–राजस्व-१, दिनांक १९ अक्तूबर, १९७४ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (प्रथम संशोधन) नियमावली, १९७४ को, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (७) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

खाद्य विभाग की अधिसूचना†

खाद्य तथा रसद मंत्री(डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७४ की धारा१२–क के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या ५५४/१ उन्नीस-अ० व०२, दिनांक २६ अगस्त, १९७४ को उक्त अधिनियम की धारा १२–क की उपधारा (१–क) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

बिक्री-कर अनुभाग–२ की विज्ञप्ति†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-२ की––

(१) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० दो/४६८६/दस-९०० (१०७), ७२, दिनांक ३१ अगस्त, १९७४, एवं

---

†छापी नहीं गई।

(२) विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-दो–७७६७/दस(२)-१९७४, दिनांक ४ नवम्बर, १९७४ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, १९४८ की धारा ३ (ध)की उपधारा (८); तथा

(१) विज्ञप्ति संख्या एस० टी० दो-४२१२/दस-९००(१०७)-७२, दिनांक ३१ अगस्त, १९७४; एवं

(२) विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-दो-७७६७/दस-१०(२)-७४, दिनांक ४ नवम्बर, १९७४।

(३) विज्ञप्ति संख्या एस०टी०-दो-७७६८/दस-१०(२)-७४-दिनांक ४ नवम्बर, १९७४ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम १९४८, की धारा ३-क की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की स्थिति का विवरण पत्र‡

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं की स्थिति का विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखती हूं।

राज्य की आर्थिक स्थिति का संक्षप्ति विवेचन‡

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से राज्य की आर्थिक स्थिति का संक्षिप्त विवेचन सदन के पटल पर रखता हूं।

प्रदेश की शान्ति व्यवस्था, सुरक्षा तथा भ्रष्टाचार निवारण कार्यवाही संबंधी विवरण‡

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रदेश की शांति व्यवस्था सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार निवारण कार्यवाही संबंधी विवरण, १९७४ सदन के पटल पर रखता हूं।

लखनऊ विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट†

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से "लखनऊ विश्वविद्यालय जांच आयोग" की रिपोर्ट को टिप्पणी सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लखीमपुर खीरी जांच आयोग की रिपोर्ट, १९७३†

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से "लखीमपुर खीरी जांच आयोग की रिपोर्ट, १९७३" को ज्ञापन सहित कमीशन आफ इंक्वायरी ऐक्ट, १९५२ की धारा ३ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

‡छापा नहीं गया।

संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, १९७४ के अनुसमर्थनार्थ संकल्प

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, १९७४ द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों को संविधान के अनुच्छेद ३६८ के खण्ड (२) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के संबंध में राज्य सभा सचिवालय से विधान सभा सचिवालय प्राप्त पत्र को उक्त विधेयक एवं तद्विषयक संसद की कार्यवाहियों की प्रतिलिपि सहित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १८२(१) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष,मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५० (२) के अन्तर्गत "खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) , विधेयक, १९७४" को, उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक विधान सभा द्वारा दिनांक १४ अगस्त, १९७४ को पारित किया गया था और विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक १३ सितम्बर, १९७४ को वापस प्राप्त हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ २०८-२१३ पर)

इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम, १६० के अन्तर्गत इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों का विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ २१४ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, पुनः अधिनियमन तथा संशोधन विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली,१९५८ के नियम १६० के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों को सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ २१५ पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १४९ के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण(संशोधन) विधेयक, १९७४, जो विधान सभा के दिनांक १६ अगस्त, १९७४ उपवेशन में पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक २६ अगस्त, १९७४ को वापस हो गया है ।

इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक, १२ जून, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २५ जून, १९७४ को वापस प्राप्त हुआ था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २१ जुलाई, १९७४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का २० वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १० जून, १९७४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १३ अगस्त, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २५ अगस्त, १९७४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का २६वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक २१ अगस्त, १९७४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २२ अगस्त, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २६ अगस्त, १९७४ को प्राप्त हो गयी थी और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का २७वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली (संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २० अगस्त, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २६ अगस्त, १९७४ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २९ अगस्त, १९७४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का २८वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ७ अगस्त, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक १७ अगस्त, १९७४ की बैठक में संशोधनों सहित पारित किया था जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २१ अगस्त, १९७४ के उपवेशन में स्वीकार किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से दिनांक २२ सितम्बर, १९७४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का २९वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २० अगस्त, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक २२ अगस्त, १९७४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २८ सितम्बर, १९७४ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का ३०वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति संबंधी) विधेयक, १९७३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधियों का (समाप्ति सम्बन्धी) विधेयक, १९७३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १२ जून, १९७४ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक १३ अगस्त, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २३ अक्तूबर, १९७४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का ३१वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक २० जून, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक ५ जुलाई, १९७४ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक २८ अक्तूबर, १९७४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का ३२वां अधिनियम बन गया।

भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि भारतीय भागीदारी (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक ७ अगस्त, १९७४ के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ अगस्त, १९७४ को बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक ४ नवम्बर, १९७४ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९७४ का उत्तर प्रदेश का ३३वां अधिनियम बन गया।

श्री सत्यपाल मलिक की नई दिल्ली में गिरफ्तारी के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

ए० डी० एम० चाणक्यपुरी, नई दिल्ली ने अपने तार संख्या २६०/२ नई दिल्ली पी० एस० १०-५९ द्वारा श्री सत्यपाल मलिक, सदस्य, विधान सभा के बन्दीकरण के संबंध में मुझे यह सूचित किया है कि माननीय सदस्य की गिरफ्तारी दिनांक १० दिसम्बर, १९७४ को धारा १४४ सी० आर०पी०सी० का उल्लंघन करने के दोष में नई दिल्ली में की गई। उन पर मुकदमा चलाने हेतु उन्हें मैटरोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायगा। एस० डी० एम० चाणक्यपुरी का तार इस विषय में है।

श्री राम सेवक यादव के निधन से लोक लेखा समिति में हुये रिक्त स्थान पर निर्वाचनार्थ कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैंने वित्तीय वर्ष १९७४-७५ के लिये निर्वाचित लोक लेखा समिति में श्री राम सेवक यादव सदस्य, विधान सभा के निधन के कारण हुए रिक्त स्थान की पूर्ति के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है:—

१—नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय।	दिनांक २७ दिसम्बर, १९७४ के अपरान्ह ३ बजे तक।

[श्री अध्यक्ष]

२——नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ।	दिनांक २७ दिसम्बर, १९७४ के अपरान्ह ४ बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में) ।
३——नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय ।	दिनांक ३० दिसम्बर, १९७४ को अपरान्ह १ बजे तक ।
४——मतदान, यदि आवश्यक हुआ तो	दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७४ को ।

विधान मंडल पुस्तकालय में दिन के १२ बजे से ५ बजे तक होगा ।

२——यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत (सिंगल ट्रांस्फरेबल वोट) द्वारा किया जायेगा ।

३——इस निर्वाचन से संबंधित नाम निर्देशन-पत्र आपको विधान सभा के नोटिस आफिस से प्राप्त होंगे ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष——

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न एक माननीय ओम प्रकाश सिंह ने दिया है। यह विशेषाधिकार का नहीं बनता है । इसको अस्वीकृत किया गया है । एक माननीय सत्य प्रकाश मालवीय का आया है । यह औचित्य का प्रश्न है । इसे भी अस्वीकृत किया है । कोई अधिकारी किसी सदस्य के साथ शिष्टता का व्यवहार करे यह तो औचित्य का प्रश्न है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)——

जब विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है तो सरकार का वक्तव्य दिलाया जा सकता है । इस तरह की मिसाल है । माननीय सुखपाल पांडेय की शिकायत के ऊपर यह व्यवस्था दी गयी थी । अध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने की अनुमति नहीं दी और यह निर्णय दिया कि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री एक वक्तव्य द्वारा सदन को वस्तु स्थिति से अवगत करा दें । तो मान्यवर इस सम्बन्ध में सरकार का वक्तव्य ही दिला दें।

श्री अध्यक्ष——

वक्तव्य से ज्यादा यह सख्त है । किसी चीज को औचित्य का प्रश्न बनाना माननीय सदस्य की महिमा के अनुरूप ज्यादा होगा। हर अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सदस्यों से किस तरह से व्यवहार करे । इस सम्बन्ध में केन्द्र और यहां के तमाम सरकुलर हैं । उन्हीं के अनुरूप व्यवहार किया जाना चाहिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय——

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से वस्तु स्थिति सामने नहीं आ पायेगी। वक्तव्य से सामने आ जायेगी ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)——

यह तो सबसे बड़ा औचित्य है कि आपको माननीय मुख्य मन्त्री जी ने छोड़ दिया ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय——

मुख्य मंत्री ने नहीं छोड़ा, स्टेट ने छोड़ा ।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहेब ने एक प्रश्न उठाया है, बजट के सम्बन्ध मे विशेषाधिकार का। तो मैं सारी नज़ीरें देख रहा हूं और आप भी हमारी मदद करें कि विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं। इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं। आप मुझे सन्तुष्ट कर दें। ऐसा कहीं विशेषाधिकार नहीं बनता है। आज समय दूसरा है। इसलिए हम इसको आज नहीं ले रहे हैं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि इस प्रकार का प्रश्न किसी विधान सभा या लोक सभा में आया हो। यह तो नयी बात है। पिछले प्रेसीडेंट : सवाल नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें दो दिन का...

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न मेरा भी था।

श्री अध्यक्ष—

आपका भी होगा लेकिन मैंने देखा नहीं है।

श्री भीखालाल—

उसको आप कल ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आज जो आये है उसको कल लेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, एक सूचना मेरी थी और एक माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी की थी?

श्री अध्यक्ष—

अभी तो वे ली गई हैं, जो पहले दी गई थीं। जो आज दी हैं, उन्हें देख लूंगा।

[कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव]

श्री अध्यक्ष—

जो १८ तारीख का 'कार्यक्रम' निर्धारित हुआ था उसकी सूचना कार्यसूची में लिख हुआ है। आज प्रातः ९ १/२ बजे कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक हुई जिसमें निर्णय हुआ कि आज की कार्य सूची में अंकित आइटम नं० ३२ के बाद तथा ३३ के पूर्व सर्वश्री चौधरी चरण सिंह, माधव प्रसाद त्रिपाठी, नियाज हसन खां तथा शिवनाथ सिंह द्वारा दिया गया नियम २०० के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव लिया जाय :—

"माननीय अध्यक्ष इस सदन के १५ सदस्यों की एक समिति विरोधी पक्ष के किसी सदस्य के सभापतित्व में गठित करें जो इस प्रदेश से अनियमित रूप से बाजरा व धान (चावल) निर्यात कांड की छानबीन करके अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन को प्रस्तुत कर दे"।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

मान्यवर, क्या आज निधन प्रस्ताव आदि नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष—

एक और आ गया है, तो कल लेंगे। आज की कार्य सूची में अंकित नहीं था। एक और निधन की सूचना आई है, अतः कल लिया जायगा।

उसी क्रम में कार्य-मंत्रणा समिति में यह भी निश्चय हुआ कि :

"पूर्व निश्चित कार्यक्रम* के अनुसार दिन-प्रति-दिन के कार्य लिया जायेगा"।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम को, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, स्वीकार करता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम जिसकी सूचना आज सदन में दी गई है, सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

पार्टियों के जो सदस्य इधर से उधर गये हैं, उनके बारे में मुझे सदन को यह सूचित करना है कि स्वतंत्र पार्टी के सदस्य श्री महेन्द्र रिपुदमन सिंह (आगरा) और भूतपूर्व भारतीय क्रान्ति दल के सदस्य, श्री वैजनाथ सिंह यादव (वाराणसी) भारतीय लोक दल में सम्मिलित हो गये हैं।

मुझे सदन को यह भी सूचित करना है कि निर्दलीय सदस्य श्री अनवार मुहम्मद (फर्रुखाबाद), श्री ओम प्रकाश (मुरादाबाद), श्री राजेन्द्र सिंह यादव (फर्रुखाबाद), श्री सरस्वती प्रताप सिंह, (खीरी) भू० पू० भारतीय क्रान्ति दल के सदस्य, श्री बलवानसिंह (कानपुर), श्री रघुवीर (गाजीपुर), श्री रघुवीर सिंह (मैनपुरी), सीताराम निषाद (फैजाबाद) तथा भारतीय लोक दल के सदस्य श्री गंगा सिंह (एटा) आदि कांग्रेस (शासन) दल में सम्मिलित हो गये हैं।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

*(पूर्व निश्चित कार्यक्रम के लिये देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ११६ पर।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) बिधेयक, १९७४ को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ २१७–२१८ पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर,मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन, विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ को पुर:स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "त" आगे पृष्ठ २१९–२३६ पर)

उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि-श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रवेश भूमिहीन कृषि-श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि-श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी "थ" आगे पृष्ठ २३७–२४० पर)

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, १९७४

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

अध्यक्ष महोदय मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १२३ के अन्तर्गत इसका विरोध करता हूं । नियम १२३ में स्पष्ट दिया हुआ है कि नियम ११४ के अधीन रहते हुये किसी भी विधेयक को पुरःस्थापना के पूर्व सदन में तदर्थ प्रस्ताव द्वारा अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी, परन्तु अध्यक्ष के अन्यथा आदेश के अधीन रहते हुए उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायेगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से पूर्व दिनांक को सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों ।

श्री अध्यक्ष—

आपको प्रतियां पहले ही उपलब्ध करायी जा चुकी है इसीलिये मै अनुमति देता हूं ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । प्रदेश की जनता के ऊपर इतना भारी टैक्स लाद दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

जब विचार होने लगें तब आप यह कह सकते हैं ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—

प्रतियां आज बंटी हैं न ?

श्री अध्यक्ष—

प्रतियां नियमानुसार बांट दी गयी हैं और वह सब को मिल चुकी हैं । आपका ध्यान नहीं गया होगा । आपके पिजन होल में रखी होंगी ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, १९७४ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं विभाजन की मांग करता हूं । अनुज्ञा न दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं कह चुका। बात यह है कि अनुज्ञा वाले मामले में आप और आप, दोनों को अवसर मिलता है और इस तरह से डिवीजन कराने की मैं इजाजत नहीं देता। इससे विरोध पक्ष का नुकसान होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, १९७४ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी "द" आगे पृष्ठ २४१–२५८ पर।)

प्रदेश से अनियमित रूप से बाजरा, धान व चावल के निर्यात संबंधी कांडों की जांच के लिये सदन की जांच समिति गठित करने के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय नेता, विरोधी दल यह प्रस्ताव रखेंगे इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया है। '३२–क कर दिया है ताकि एजेन्डा में आ जाय।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "माननीय अध्यक्ष इस सदन के १५ सदस्यों की एक समिति विरोधी पक्ष के किसी सदस्य के सभापतित्व में गठित करें जो इस प्रदेश से अनियमित रूप से बाजरा व धान (चावल) निर्यात काण्ड की छानबीन करके अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन को प्रस्तुत कर दे।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय काशीनाथ मिश्र को विधान सभा की बजाय व्यवधान सभा में भेज दिया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपका ध्यान विधान सभा की नियमावली के नियम ४० की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें आप देखें कि इस तरह के विषय बाद में लाये जायेंगे एजेन्डा में। आपने अपने अधिकार का प्रयोग करके सूची में ला दिया। इसके लिये आप सक्षम हैं। लेकिन नियम ३४ के अधीन उस दिन के लिये निर्दिष्ट प्रश्नों की सूची के अन्त में रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

अभी सदन ने ही इसको स्वीकार किया है, आप शायद सो रहे थे।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

आप (विरोध पक्ष से) कार्यवाही शुरू करें, माननीय सदस्य शांति के साथ सुनें।

*चौधरी चरणसिंह---

अध्यक्ष महोदय इस प्रस्ताव में दो कांडों का जिक्र है, एक बाजरा तथा दूसरा धान व चावल। मैं अपने कुछ विचार बाजरा के संबंध में रखूंगा, धान व चावल के बारे में विपक्ष के अन्य नेतागण अपनी बात तफसील के साथ रखेंगे क्योंकि मुझे उसके बारे में जानकारी कम है। मार्च, ७४ में इसी सदन में मैंने कुछ प्रश्न पूछे थे और उसका उत्तर यहां पर दिया गया था जिसे मैं पहले पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि त्रिपाठी मंत्रि मंडल के समय आदर्श सेवा समिति, भावनगर (गुजरात) को इस प्रदेश से गुजरात बाजरा ले जाने की अनुमति दी गई थी ? क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उस समिति द्वारा ले जाया गया बाजरा गुजरात न पहुंचकर दिल्ली में ही बेच लिया गया और राष्ट्रपति शासन के समय जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि वह समिति भी फर्जी थी और उसमें ३० लाख रुपये का घोटाला किया गया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है तथा इस घपले में कौन कौन व्यक्ति तथा अधिकारी शामिल हैं ? खाद्य मंत्री ने जवाब दिया था कि "६८७६ क्वीन्टल बाजरा रोड द्वारा दिल्ली तथा वहां से भावनगर गुजरात रेल से ले जाने की परमिट दी गयी थी। शासन को सूचना मिली कि बाजरा दिल्ली पहुंचा, भावनगर नहीं पहुंचा तथा यह विदित नहीं कि आदर्श सेवा समिति ने उसे कहां बेचा। छानबीन पर पता चला कि आदर्श सेवा समिति नामक भावनगर में कोई संस्था नहीं है। शासन को इसकी कोई सूचना नहीं है कि इस मामले में कितने रुपये का घुटाला हुआ। इस मामले में सी०आई०डी० द्वारा जांच कराई जायेगी तथा दोषी अधिकारियों,कर्मचारियों के विषय में शासन कठोर से कठोर कार्यवाही करेगा।"

मेरे ही एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि "श्रीमन्, इसकी सूचना राज्यपाल के रेजीम में शासन को प्राप्त हुई थी। तो इसकी तहकीकात की गयी और उसके बाद यह तय हुआ कि आगे के लिये इस सोसाइटी को माल भेजा जाय। इस सिलसिले में इस प्रकार की रुकावट इसीलिये लगायी गयी क्योंकि पाया गया था कि यह सोसाइटी, ठीक नहीं है। तहकीकात के बाद ही ये तथ्य सामने आयें थे।" यानी एक तहकीकात हो चुकी है। फिर मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि "क्या यह सही है कि इसकी तहकीकात चीफ सेक्रेटरी श्री सतीशचन्द्र ने की थी और वे स्वयं किसी नतीजे पर पहुंच चुके थे? उत्तरमें कहा था खाद्य मंत्री जी ने कि "श्री सतीश चन्द्र ने कागजात देखे थे और उसके बाद आर०एफ०सी० आगरा से रिपोर्ट मांगी थी, वह रिपोर्ट फाइल में है और उन्हीं तथ्यों के आधार पर सारी जानकारी सामने आयी। श्री सतीशचन्द्र की रिपोर्ट नहीं है लेकिन उनके द्वारा सारी जानकारी प्राप्त करायी गयी थी। फालो आन ऐक्शन में इस प्रकार से हुआ कि भावनगर के कलेक्टर जो हैं, उनसे जानकारी की गयी और उन्होंने यह कहा, तार के द्वारा, कि ऐसी कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है और उन्होंने यह भी कहा कि जब तक वहां से सर्टिफाइड वगैरह न हो, तब तक इस सोसाईटी को कोई परमिट इश्यू न किया जाय। और बाद में इसको रोक दिया गया।

जब प्रदेश में गवर्नर का शासन था उसी समय सब कार्यवाही हो चुकी थी। जैसा कि मैं आप से अर्ज कर चुका हूं, बावजूद डेढ़ साल बीत जाने के और हमारी सारी कोशिशों के अभी वह अपनी जगह पर मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, आगे चल कर फिर बाजपेयी जी कहती हैं---मैंने पूरी फाइल पढ़ी और पूरी जानकारी प्राप्त की और मैं ऐसा समझती हूं कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ी हुई है, इसलिये इसको सी० आई० डी० द्वारा जांच करा ली जायेगी। आगे फिर कहती हैं---आदर्श सेवा समिति ने कहा है कि हमारी समिति एक वालंटरी आर्गनाइजेशन है और राहत के कार्य कर रही है गुजरात के अन्दर। मुख्य मन्त्री के सामने यह जब लाया गया तो मुख्य मंत्री जी ने इसके ऊपर आदेश दिया कि इसको बाजरा दिया जाय। आर्डर है बाकायदा.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चीफ मिनिस्टर का, जहां तक मुझे मालूम हुआ कि बाजरा दिया जाय। बिना किसी तहकीकात के। आगे चल कर श्री वीरेन्द्र वर्मा का सवाल है—क्या यह सरकार के चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में नहीं आया और क्या उन्होंने इसकी कोई जांच की थी? इस पर उनका उत्तर आया कि इस पर पूछतांछ शुरू है। यह जवाब २७ जून का है। जो उत्तर दिया गया है उसकी तारीख मैं इसलिये बतला रहा हूं कि वह आपके जेहन में बैठ जाय।

आगे उस सवाल के जवाब में कहा गया है कि श्री सतीशचन्द्र, आर०एफ०सी० आगरा को बुलाया गया और उनसे बातचीत की तथा सारे कागजात वगैरह देखे। बाद में उनका तार आया "और परमिट देना बन्द कर दिया गया। आगे बाजपेयी जी यह कहती हैं कि मैं आश्वासन देती हूं, कि वे ऐसी बात न समझें कि हम दोषी व्यक्ति को छोड़ देंगे। यह वे सदन को बतला रही हैं। श्री धर्मवीर सिंह के सवाल के जवाब में उन्होंने यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आगे वे यह भी कहती हैं कि जितनी सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है वह हम करेंगे। यह आश्वासन वे सदन को दे रही हैं। अध्यक्ष महोदय यह मामला २७ मार्च का है लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं इस मामले में श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेई को दोष नहीं देता। उनकी शक्ति के बाहर की बात है। उनकी नियत नेक थी लेकिन उनकी सामर्थ्य में नहीं है कि जो लोग दोषी हैं उनको वे सजा दे सकें। यह २७ मार्च का मामला है, उसके ३ महीने बाद १९ जून को श्री सत्यप्रकाश मालवीय जी ने यह सवाल उठाया था, यह तहकीकात हो चुकी थी तो अध्यक्ष महोदय, मैं उस वक्त कहा था और सही सूचना की बात भी कही थी तो कहा गया कि इस मामले को सी०आई०डी० के सुपुर्द कर दिया गया है। मैंने कहा था कि इसको सी०आई०डी० के सुपुर्द करने की जरूरत नहीं है, सीधा सादा 'माम्ला है। कोई बड़ा भारी कागजात देखने, एकाउंट देखने, किसी बैंक का हिसाब देखने, इनका टैक्स का पेपर देखने या एक्सचेंज पेपर देखने की कोई बात नहीं है जिसमें सी०आई०डी० जांच की जरूरत होती है। यह तो मोटा सा मामला था फ्राड का कि यहां से बाजरा ले जाया गया कुछ लोगों के द्वारा, वह सही था या नहीं और उसमें क्या हुआ। इसकी जांच तो एक मामूली सब इंस्पेक्टर कर सकता था लेकिन नहीं सी० आई० डी० से इन वायरी करायी गयी। ३ महीने बाद फिर प्रश्न आया जो पृष्ठ ७३९ के ऊपर है।

मालवीय जी का सवाल था जिसके जवाब में कहा गया है। यह प्रश्न २७ मार्च को उपस्थित किया गया था और २९ मार्च को जांच का आदेश दे दिया गया था। और आई० जी० के लेविल के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा इसकी जांच हो रही है और यह पुलिस महानिरीक्षक गालिबन आजकल सी० आई० डी० के हैं। आग आप १९ जून, ७४ की कार्यवाही के पृष्ठ ७४० पर देखें कि इसमें जवाब आया है कि 'अधिक समय नहीं लगेगा। यह सत्य प्रकाश मालवीय के प्रश्न' क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी जांच कब तक पूरी हो जायेगी के उत्तर में है।

आगे कहते हैं कि इसकी जांच करीब करीब पूरी हो गयी है। १०–१५ दिन में महानिरीक्षक अभिसूचना की तरफ से जांच रिपोर्ट मेरे पास भेज देंगे।

अध्यक्ष महोदय, १९ जून को आज से लगभग ६ महीने हो गये हैं। अब तक मामला वहीं का वहीं है। अब एक रिपोर्ट लिखायी गयी है होम सेक्रेटरी की तरफ से सी०आई०डी० के डी०आई० जी० के यहां। रिपोर्ट है कि सी०आई०डी० जांच करे। सी०आई०डी० की जांच नहीं हुयी है कम से कम मैं तो यही समझता हूं। एफ० आई० आर० मेरे पास है। मैं इसको आप इजाजत दें तो पढ़ना शुरू करता हूं। बहुत रिलेवेंट रिपोर्ट है।

[चौधरी चरण सिंह]

यह जनहित की बात है। जनता के साथ धोखा है, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं पर मेरे जवान साथी इसको जनता के साथ धोखा ही कहेंगे। जिस वक्त की बात है उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी जो हमारे ईमानदार आफिसर हैं, यह सब रिकार्ड में मौजूद है, वह उस समय थे।

१३ नवम्बर को चार्ज लेते हैं श्री बहुगुणा, उसमें कुछ नहीं होता। राजेन्द्र कुमारी जी कहती हैं कि हम इलेक्शन में फंसे हुये थे तो मैं कहता हूं कि क्या इलेक्शन की वजह से सारे काम बन्द हो जाते हैं। और सेक्रेटरी क्या कर रहे थे, इतना जबरदस्त मामला है, लाखों का घपला है। बाजपेयी जी कहती हैं कि हमारी नोटिस में नहीं आया, आज आया है। चलिये मार्च में तो आपकी नोटिस में आ गया। फिर रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है कि सी० आई० डी० तहकीकात करे। सदन में आप आश्वासन देती हैं कि तहकीकात हो रही है रिपोर्ट १०–१५ दिन में आ जायगी। अध्यक्ष महोदय यह रिपोर्ट जो है उसको मैं आज सुनाना चाहता हूं। मैंने पहली बार देखा है कि होम सेक्रेटरी जाकर रिपोट लिखाता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

और वह भी एसेम्बली खुलने के एक दिन पहले।

चौधरी चरण सिंह—

मैंने १२ तारीख को पत्र लिखा था चूंकि मुझे बाहर जाना था। अखबारों में मैंने सुना है कि रिपोर्ट आ गयी है, सी०आई०डी० की। आप मंत्री महोदय से कहकर अगर यह रिपोर्ट आ गयी है तो हमको बतलाने की कृपा करें। रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या हैं इससे जनहित का पूरा संपादन नहीं होता है। फिर मैंने १५ तारीख को आपको पत्र लिखा कि रिपोर्ट और संबंधित पत्रावली आप गवर्नमेंट से कह कर सदन की मेज पर रखवा दें।

१६ तारीख को, आपके मकान पर माननीय त्रिपाठी जी माननीय नियाज हसन साहब और भीखा लाल जी और एक साहबान श्री रामपाल सिंह और स्वयं मैं, मौजूद था। आप वह पत्र मुख्यमंत्री जी के पास भेज चुके थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उतनी तैयारी है जितनी कि होनी चाहिये। रिपोर्ट मैं दिखा दूंगा। मेरे साथी इससे सहमत हो गये। तत्कालीन गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि सी०बी०आई० की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने से पहले सदन को अवगत कराया जायेगा। परन्तु उसका उल्लंघन करके एक फारमूला प्रामिज सदन को दिया है कि एक दावा दायर करा दिया। सी०बी०आई० की रिपोर्ट की सेक्रेसी वह देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से तैयार हुये। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चौ० साहब आप मुख्य मंत्री औ मंत्री रह चुके हैं और सी० बी० आई० की रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाती है यदि वह क्रिमिनल का मामला हो नहीं तो नहीं रखी जाती है। लेकिन पोलीटिकल मामलें में रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाती है। इसलिये मैं तैयार नहीं हूं। यह बातचीत १२–बजे या एक बजे की है। अगले रोज दैनिक जागरण में पढ़ा कि होम सेक्रेटरी की तरफ से रिपोर्ट दर्ज हो गयी है। यह क्यों? उसके बाद दर्ज हुयी होगी या पहले रिपोर्ट दर्ज हुयी होगी। यदि पहले हुयी तो हमारे साथियों को बताना चाहिये था। यदि बाद में तो कुछ सोच विचार करने के बाद हुयी है। नियत इनकी साफ है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

नियत साफ है परन्तु कुछ करना नहीं चाहते हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

आप चौधरी साहब को डिस्टर्ब न करें।

चौधरी चरण सिंह—

मैं जानता हूं कि कड़वी बात बुरी लगती है और वह न कही जाय । बात इतनी साफ है कि गवर्नमेन्ट को स्तीफा दे देना चाहिये । मैं जानता हूं कि आपकी तादाद ज्यादा है इसलिये शोर मचाते हैं ।

मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यदि उस समय तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुयी तो चीफ मिनिस्टर के सोचने के बाद में दर्ज हुयी है । वह रिपोर्ट यह है कि गोपनीय अ०शा० पत्र संख्या ७८७२/जी० एस०/७४ यू० पी० सेक्रेटेरियट गोपनीय (१) विभाग, विधान भवन, लखनऊ दिनांक १३ दिसम्बर, १९७४ । यह किसको गया यह नहीं मालूम । यदि इससे संबंधित था तो हमको बताना चाहिये था । ऊपर १६ दिसम्बर लिखा है । पत्र इस प्रकार है, गोपनीय अर्ध शासकीय पत्र संख्या ७८७२ सी० एस०/१७ यू० पी० सेक्रेटेरियट गोपनीय (१) डिपार्टमेन्ट, विधान भवन लखनऊ, दिनांक १३ दिसम्बर, १९७४ । प्रिय श्री दीक्षित, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि एक तथाकथित आदर्श सेवा समिति भावनगर दानपीठ गुजरात के नाम से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक १०—३—७३ पर जिसमें यह बताया गया था कि भावनगर में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिये उप समिति उस बाजरे का वितरण रिलीफ सेन्टर्स द्वारा करेंगी । शासन के खाद्य तथा रसद विभाग ने अपने पत्र संख्या १९२० (बी) दस/राइस ४—३(१४)—७३ दिनांक ३ मई, १९७३ द्वारा समिति को एक हजार टन बाजरा उत्तर प्रदेश से गुजरात ले जाने की अनुमति दी थी और लखनऊ, आगरा, कानपुर, बरेली तथा मेरठ के रेजनल फूड कन्ट्रोलर को परमिट जारी करने का आदेश दिया गया था । इसमें यह शर्त भी लगाई गयी थी कि २५ प्रतिशत बाजरा यह लेवी के तौर पर राज्य सरकार को देने के बजाय यह अनाज गुजरात ले जाया जाय । इसके अनुसरण में रीजनल फूड कन्ट्रोलर आगरा ने १९—५—७३, २२—५—७३, २५—५—७३ व २६—५—७३ को समिति के नाम परमिट जारी किये जिन्हें श्री ओमप्रकाश शर्मा ने प्राप्त किया। तत्पश्चात तथाकथित समिति की ओर से अनुरोध पर कि लेवी की शर्त के अनुपालन से सूखा पीड़ित क्षेत्र में सहायता का उद्देश्य पूरा नहीं हो पायेगा, लेवी की शर्त के अनुपालन से छूट दे दी गई । यह आदेश पत्रसंख्या २९:६४, २९ राइस—४-३(१४)/७३ दिनांक १३—६—७३ द्वारा दिया गया कि उक्त बाजरा यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ के माध्यम से खरीद कर गुजरात ले जाया जा सकता है । यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन ने बाजरा की खरीद करने में असमर्थता प्रकट की और इस आधार पर खाद्य तथा रसद विभाग ने अपने आदेश दिनांक १८ जून, १९७३ के द्वारा समिति को यह अनुमति दे दी कि उक्त बाजरा बाजार से सीधे खरीद लिया जाय और गुजरात राज्य में बिना लेवी के भेजा जाय। उक्त समिति ने तदनुसार बाजरा खरीदकर रीजनल फूड कन्ट्रोलर आगरा की अनुमति से आगरा से दिल्ली तक सड़क द्वारा भेजा ।

ओमप्रकाश शर्मा कौन हैं इसका कोई इसमें जिक्र नहीं है। किसी को पकड़ लेंगे जब सजा देनी होगी । समबोडी हैज टु बी इस्केपगोट। मैं समझ रहा था कि शर्मा कोई डिपुटी सिक्रेटरी होंगे । तो सिक्रेटरी का भी बचाव किया जा रहा है। दोष तो मेरी समझ में श्री कमलापति त्रिपाठी का है। उन्होंने जानबूझकर आर्डर दिया है । उन्होंने लिखा है कि यह समिति बड़ी अच्छी है, सेवा कार्य कर रही है, लिहाजा दे दिया जाय। तो डिस्क्रेशन का सवाल नहीं है । तो ओमप्रकाश शर्मा शायद डिप्टी सिक्रेटरी होंगे उनका भी पता नहीं है कौन हैं । मोटी सी बात है जो फिट हो जावेगा उसको फांसी दे दी जावेगी । बिना पढ़ा लिखा आदमी भी यदि रिपोर्ट लिखाने जावेगा तो इस तरह से रिपोर्ट नहीं लिखावेगा । परन्तु यह तो होम सिक्रेटरी साहब के द्वारा लिखाई गई है। यह नाम तो कामन है। बहुत जगह फिट हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, ओमप्रकाश शर्मा ने प्राप्त किया और तत्पश्चात लेवी के अनुपालन की शर्त से छूट दे दी गई। पुण्य का काम था और इसका १३ जून को आदेश

[चौधरी चरण सिंह]

दे दिया गया कि उक्त बाजरा यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा खरीदा जायगा और उसके माध्यम से गुजरात ले जाया जायगा। १३ का आदेश है ११ या १२ का होगा। त्रिपाठी जी ने १३को चार्ज दिया है तो जब वह चार्ज दे रहे थे उन्होंने यह रियायत की है। उन्होंने कहा कि उद्देश्य पूरा होने में दिक्कत होगी तो लेवी भी माफ कर दी। यू०पी० कोआपरेटिव फेडरेशन ने बाजरा खरीदने में अपनी असमर्थता प्रकट की। वे बराबर कहते रहते हैं, उनकी तरफ से उत्सुकता होती है कि यह काम हम करेंगे। लेकिन उन्होंने मनाकर दिया। खाद तथा रसद विभाग ने अपने आदेश १८ जून, १९७३ के द्वारा समिति को यह अनुमति दे दी कि वह बाजरा बाजार से सीधे खरीद ले और बिना लेवी किये गुजरात को भेज दे। कितनी उदारता है, कितनी दरियादिली है। गुजरात की गवर्नमेंट से नहीं पूछा गया इस संबंध में। यह लाखों आदमी भूखों मरते हैं। बिना कपड़े के ठंड से लोग मर जाते हैं। लेकिन इस केस में लेवी से भी माफ और बाजार से सीधे खरीद लो। फिर बाजरा कहां के जरिये गुजरात को भेजा जाता है। आगरा से दिल्ली को सड़क के द्वारा भेजा जाता है। इसमें १८ तारीख पड़ी है कि सीधे ले जाओ और खुद खरीद लो। असल में ऐसा है कि दुनिया का यह कायदा है कि जब पावर खत्म भी हो जाता है तो उसकी परछाई बहुत दिनों तक काम करती है। मतलब यह कि १३ जून के बाद चीफ मिनिस्टर त्रिपाठी जी नहीं रहे, लेकिन नाम तो था। दूसरी गवर्नमेंट तो नहीं थी। गवर्नमेंट कांग्रेस की ही थी। पावर्स कांग्रेस लीडर्स के हाथ में ही था। वह नहीं यहां नहीं रहे, तो क्या हुआ आंख का इशारा काफी था।

'उक्त समिति ने तदनुसार बाजरा खरीदा और आर०एफ०सी० आगरा की अनुमति से दिल्ली से सड़क के द्वारा भेजा।' आगरा से गुजरात जाने का दिल्ली का कौन सा रास्ता है? आगरा से सीधे जयपुर से जाता, लेकिन यह कौन रास्ता है कि बाजरा दिल्ली आयेगा और फिर दिल्ली से गुजरात भेजा जायगा। शायद त्रिपाठी जी से पास कराना चाहते रहे हों, इसलिये दिल्ली से भेजा, त्रिपाठी जी की दरियादिली है, इसलिये दिल्ली से भेजा। अध्यक्ष जी, मुझे एक बात मालूम नहीं, लेकिन या तो किसी ऐक्ट में दिया या इस संबंध में कुछ रुल्स दिये हुये हैं कि जो बाहर गल्ला जायेगा, वह कभी ट्रक के जरिये नहीं भेजा जायगा। वह ट्रेन के जरिये भेजा जायगा। प्रश्न है कि यहां क्यों इजाजत दे दी सड़क के जरिये गुजरात ले जाने को? तो बाजरा दिल्ली होकर गया। क्या फर्क है ट्रेन और ट्रक से ले जाने में? अगर ट्रेन से १०,००० टन जायेगा, तो दस हजार ही टन जायेगा, कम नहीं। लेकिन ट्रक से उसको १ दफे ले जा सकते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके। इसीलिये आफिसर्स के मश्विरे से उसमें रुल बना है कि जब बाहर गल्ला भेजा जायगा तो जितनी परमिट किया गया है, उससे दुगुना या तिगुना नहीं ले जाया जायेगा। तो इस संबंध में नियम दिये हुये हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया और कह दिया कि ले जाओ लूट ही तो ठहरी।

"दिल्ली से सड़क द्वारा भेजा। दिल्ली से ट्रेन द्वारा बाजरा गुजरात भेजा जाना था।" ये होम सेक्रेटरी की रिपोर्ट के लब्ज हैं। हमें नहीं मालूम किसने आर्डर्स दिया। बहुत भारी जंक्शन आगर है। वहां से सीधे क्यों नहीं जाने दिया? यह आर्डर किसने दिया कि ट्रक द्वारा ले जाओ और फिर वहां से ट्रेन से जायगा जबकि वहां जाने का कोई सवाल नहीं था। वहां से निकला ही नहीं, वहीं रह गया। इसमें यह कहा गया है जब शासन को यह ज्ञात हुआ कि इस प्रकार सड़क से भेजे जाने से यह सम्भावना है कि बाजरा दिल्ली से अधिक दामों पर भेज दिया जायगा और वह गुजरात तक सहायता कार्य के लिये पहुंचेगा ही नहीं तब विभाग ने २८जून को यह आदेश दिया कि निर्यात परमिट सड़क से दिल्ली तक न दिये जांय बल्कि आगरे सीधे गुजरात के लिये रेल द्वारा दिये जांय। यहां से हुक्म था कि ट्रक के जरिये दिल्ली ले जाया जाय तो यह अक्ल किसकी थी यह इससे ज्ञात नहीं होता। २८ जून, ७३ को आदेश के बावजूद भी ८ परमिट रीजनल फूट कन्ट्रोलर आगरा द्वारा २-७-७३ को सड़क द्वारा दिल्ली ले जाये जाने के संबंध में ओमप्रकाश शर्मा ने

प्राप्त किये। आर्डर हो गया फिर भी आर० एफ० सी० आगरा ने परमिट दे दिये तो उस आर० एफ० सी० को सस्पेंड कियां गया, बाजपेयी जी इस संबंध में बतलायेंगी ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डा टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

आर० एफ० सी० को सस्पेंड नहीं किया गया है।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर प्रदेश की बद किस्मती है। इसलिये कहता हूं कि किसी को कोई गुस्सा नहीं है बेईमानी के खिलाफ। किसी को कोई इंडिगनेशन और क्षोभ नहीं है। क्यों नहीं है ? काहे के लिये यहां हम बैठे हैं ? क्या सेवा करने के लिये बैठे हैं ? सेवा की पहली शर्त यह है कि एफिसियंशी और इंटेग्रिटी हो। यह एफिशियेंसी है ? मुझे तकलीफ होती है जब यह देखता हूं कि बजाय अफसोस करने के, माफी मांगने के बहुगुणा जी मुस्कराते हैं। इससे अधिक निर्लज्जता की बात और क्या हो सकती है ? (व्यवधान) आज नहीं तो ६ महीने बाद सजा मिलगी, मुल्क इनको माफ नहीं करेगा। बावजूद आर्डर दिये जाने के एस० एफ० सी० ने परमिट इश्यू किये और उसे सस्पेंड नहीं किया गया। उसको पहले सस्पेंड किया जाता उसके बाद फिर कोई कार्यवाही होती। क्या इस तरह से इतने बड़े सूबे की सरकार आप चलायेंगे ?

४ जुलाई, १९७३ को कलेक्टर भावनगर गुजरात शासन से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि इस नाम की कोई समिति नहीं है। गुजरात सरकार से कोई नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला था कि इस आधार पर शासन द्वारा बाजरा ले जाने की अनुमति दी जाती। नहीं तो यह ट्रक में कैसे दिखाते। मंशा ही ट्रक में लिये जाने की यही थी। जो वायदा बाजपेयी जी ने किया था कि सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी, वह भी इस प्रकार पूरी हुई। सतीश चन्द्र जी जो कार्यवाही कर गये थे वह कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आगे लिखा है कि तब तक कुल ६८२६ क्विंटल बाजरा राज्य से बाहर भेजा गया.....अतः शासन ने यह निर्णय लिया है--होम सेक्रेटरी कह रहे हैं आन बिहाफ आफ दि स्टेट गवर्नमेंट कि इस समस्त मामले की विधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन विवेचना अपराध अनुसंधान द्वारा प्राथमिकता के आधार पर करायी जाय। होम सेक्रटरी की यह रिपोर्ट दिखाते हैं...लिहाजा गवर्नमेंट ने यह तय किया है...जनता को बिफूल करनें के लिये ऐसा किया जा रहा है क्यों कि सदन आ रहा है अतः इसको अपराध अनुसंधान के सुपुर्द किया जाय।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ब्लाइन्ड स्टेप्स क्यों डेवलप किये हैं ? यह गवर्नमेंट इस तरह की गलत बयानी क्यों करती है। इस तरह से लोगों को गुमराह करना चाहती है जिसकी मिसाल मिलनी बहुत मुश्किल है। अगर कोई गवर्नमेंट इस तरह की हरकतें कर और इस तरह का जनमत जाग्रत हो तो वह गवर्नमेंट चल नहीं सकती है। और एक दो हफ्ते के अन्दर निकाल दी जा सकती है। कैसे इस देश में डिमोक्रेसी कामयाब होगी ? अभी पंजुलियर साहब ने एक सवाल उठाया कि प्राइम मिनिस्टर ने यह आर्डर दिया है कि किसी सवाल का जवाब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसका एप्रूवल प्राइम मिनिस्टर से न हो। यहां तक कि जो संभावित प्रश्न या सप्लीमेन्टरीज हो सकती हैं उनके लिये भी प्राइम मिनिस्टर से एप्रूवल की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने इस बात से इंकार किया। अभी परसों के अखबार में ही यह छपा है। मैं आपको उस आर्डर की तारीख और नम्बर बता सकता हूं। प्राइम मिनिस्टर ने उसमें इस बात को डिनाई किया है। मैं जानना चाहता हूं कि किस डिमोक्रैटिक कंट्री में यह मुमकिन है। यहां पर कोई पत्ता तक नहीं हिलता। इस तरीके से गवर्नमेंट चल सकती है ? मैं फिर दुहराता हूं--"अतः शासन ने यह निर्णय किया है कि इस समस्त मामले की विधिक विवेचना दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अपराध अनुसंधान द्वारा, क्रिमिनल

[चौधरी चरण सिंह]

इंवेस्टीगेशन द्वारा यानी सी० आई० डी० द्वारा कराई जाय तथा कानून के अनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जाय । देखिये कितने गर्मा गर्म आर्डर हो रहे हैं । तो इससे मालूम आपको हो जायेगा कि गवर्नमेंट कितनी जागरूक है । तो आपको गुस्सा नहीं होना चाहिये, तो इसमें लिखा है प्राथमिकता से तथा कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय ।

यह हैं महेशदत्त, सुपरिंटेंडेंट । तो हजरतगंज थाने को यह आर्डर जा रहा है, वह थाने को लिख रहे हैं हजरतगंज को कि उपरोक्त के बारे में सूचना रिपोर्ट तैयार करें और अपराध को पंजीकृत कर इन्वेस्टीगेशन करो । फिर है कि इस अपराध का अनुसंधान मुझे सौंपा गया है, मुझे सुपुर्द किया गया है दस्तखत से द्वारका सिंह १६-१२-७८ । इंस्पेक्टर थाना हजरतगंज को कह रहे हैं कि फौरन करो यह है क्षेत्र अपराध अनुसंधान अधिकारी द्वारका सिंह । विवेचना के लिये सी० आई० डी० के सुपुर्द किया जाय (विमल कुमार त्रिपाठी) जो मैंने सुना, मुझे लोगों ने बताया कि यह सब मुख्य मंत्री जी के ही आर्डर हैं और उसम किसी आफिसर का डिस्क्रीशन का सवाल छोड़ा ही नहीं है लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह आर्डर करेंगे । यहां तो फाइलें गायब हो जाती हैं । विजिलेंस डिपार्टमेंट को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई गायब हो जाती हैं । तो मुझे यह लगता था कि फाइल गायब नहीं होगी । मैंने २७ मार्च, को प्रोसीडिंग पढ़ी खुशकिस्मती से माननीय राजेन्द्र कुमारी जी ने अपनी गलती तसलीम कर ली कि यह आर्डर माननीय मुख्य मंत्री के हुए हैं । आर्डर में यह है कि बाजरा दे दिया जाय । तो मुख्य मंत्री जी के आर्डर से वह हुआ । उस वक्त के मुख्य मंत्री जी की रिस्पोंसिबिलिटी है ।

एक दूसरी बात है मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, मथुरा के कांग्रेस के एम० एल० ए० हैं । मैं भी अपनी पार्टी के सिलसिले में मथुरा जाता था । मैं भी जानना चाहता था कि वहां से किसे कांग्रेस खड़ा कर रही है । मालूम हुआ कि रामबाबू मिश्र हैं । वहां की कांग्रेस कमेटी ने रेजोल्यूशन पास करके दिया कि टिकट न दिया जाय और वहा के कांग्रेस कार्यकर्त्ता श्री देवा चन्द ने कहा कि वह स्तीफा दे देंगे । यानी वह कांग्रेस के स्टैंडर्ड में भी नहीं उतरते थे । मेरे साथी राधा चरण जी के दिमाग में यह रही और इस्तीफा दे दिया । अध्यक्ष महोदय, श्री क० मी०पाठक मिटी कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रहे जो पहले जर्नलिस्ट भी थे, मैं आपसे एक बात कहता हूं आप दो परसनेलेटी ह तो एक तो अध्यक्ष इस हाउस के और दूसरे श्री वासुदवसिंह एज ए प्राइवेट नागरिक तो वासुदेव जी, ऐज ए प्राइवेट नागरिक आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी से बुलाकर पछ लें कि किस रेपुटेशन का वह आदमी है, जो यहां बैठा है । उनको टिकट मिला । किसने दिलवाया ? वहां की सिटी कांग्रेस कमेटी उनके नाम को प्रोटेस्ट करती है । किन्तु उन्हें टिकट मिलता है दिल्ली से । अब दूसरा आदमी दोषी है, जिसने टिकट दिलवाया । वह एक एम० पी० साहब हैं । दिल्ली में एक बहुत बड़े जाने-माने दूसरी पार्टी के नेता ह, २३ तारीख की रात्रि को मैं उनसे बात कर रहा था । उन्होंने मुझसे कहा वह एम० एल० ए० तो यह कहते हैं कि मुझे तो दूसरी बार खड़े नहीं होना है, मुझ क्या करना है, मेरा काम तो हो गया है । मैं उनको बीच में क्यों लाऊं । इसमें दो राय नहीं हैं, वह ही सज्जन उनको जिताने के लिए जाते हैं । जिस वक्त काउन्टिग होती है, वहां ६ सीटस थीं । वहां पर बी० के० डी० का यह अमर था कि छहों सीटें जीतना, किन्तु ५ ही जीतीं । वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इतना ईमानदार है कि वह किसी का अमर मानने वाला नहीं है, इसलिये हम ५ सीटें ले गये । शहर की सीट पर हजरत पहुंच गये दिल्ली से । उनके तार हैं मेरे पास सबूत जुटाने के लिये । जिस वक्त गिनती हो रही थी अग्निहोत्री की, फर्जी वोटों के बक्से मिले हैं, बक्से टूटे हुए मिले हैं । उस महापुरुष के सामने यह हुआ ।

यह तीन आदमी दोषी हैं । अब यह ओमप्रकाश कहीं से पकड़ लाये । यह चाहे किसी को फांसी लगा दें । जो लोग गुजरात से आये । तीन नाम में से एक नाम और है । ये सब लोग लखनऊ के क्लार्क अवध होटल में ठहरे हैं । उनका मिस्टर डी० शाह नाम है ।

उन एम० एल० ए० का नाम लिखा है मेरे पास। रूम नम्बर भी मेरे पास है, रूम नम्बर ४०६। दो मई, ७३ को ये लोग वहां ठहरे हैं और ३ मई का यह आर्डर है। २ मई, ७३ को रूम नम्बर ४०६ में इनकी हाजिरी दर्ज है। जो साहब बाम्बे से आये हैं, उनका पता भी हमारे पास है, लिखा हुआ है। उनके द्वारा बिल भी साइन्ड हैं, जो उन्होंने अपने नाम से पेमेन्ट किये हैं। शराब अब कोई नाजायज चीज नहीं रही है। यह उसे गांव-गांव फैलायेंगे आमदनी के लिये। वह इनका मोर्म आफ इन्कम है। अध्यक्ष महोदय, यह है सच्चाई, ये है फैक्ट्स जो मुझे मालूम हुये हैं। हो सकता है इसमें गलती हो। लेकिन जिस तरह से जुलाई से लेकर २७ मार्च तक कुछ नहीं हुआ, २७ मार्च से २९ जून तक कुछ नहीं हुआ और तब से अब तक कुछ नहीं हुआ, उससे नतीजा यही निकलता है कि सच्चाई को गवर्नमेंट छिपाना चाहती है। इसमें उनकी मजबूरी है कि पद पर रहना है तो रिस्क नहीं लेना है। और पद का मोह छोड़ देंगे तो रिस्क ले लेंगे उनके लिये कोई मजबूरी नहीं होगी। अ र सारे मामले को एक्सपोज कर देंगे। न भी क रें, इट आलरेडी स्टैंडस एक्सपोज्ड। यह छिप नहीं सकता। इसलिये मैंने प्रस्ताव पेश किया है कि आप एक समिति मुकर्रर करें। यहां के १५ आदमी उसमें हों आप नामिनेट करें। आप को अधिकार है, आप जिसको चाहें उसको अध्यक्ष अप्वाइंट कर सकते हैं।

हमारा सुझाव यह है कि विरोधी पक्ष के किसी आदमी को करें विशेष कर जबकि गवर्नमेंट की नीयत यह हो गयी जो अब तक हुआ है, लिहाजा ट्रेजरी बैंचेज का कोई आदमी उसका अध्यक्ष नहीं होना चाहिये। अगर आप चाहते हैं जैसा कि मेरा विश्वास है कि आप चाहते हैं कि सच्चाई मालूम होनी चाहिये तो उस कमेटी में मैजारिती अपोजीशन की हो और प्रेसीडेंट भी अपोजीशन का हो जिस आदमी को समझते हों, थोड़ा बहुत शासन किस तरह से चलता है उससे वाकिफ हो, ना से अगर वाकिफ हो (व्यवधान) नहीं, बहुत से है। मुझे कोई चिन्ता नहीं है, कोई हों। मैं बैठ जाऊंगा अगर काशी प्रसाद जी मिश्र कहेंगे तो। किसी को जिस का माइंड फाइल से डील कर चुका हो, कहीं भी ऐडमिनिस्ट्रेशन में, छोटी-मोटी जगह पर रह चुका हो, लाइयर हो, न भी हो, आपके ऊपर है कोई क्वालिफिकेशन ले डाउन नहीं की जा सकती, जिसको मुनासिब समझें कि सच्चाई आने में आसानी होगी ऐसा अध्यक्ष आप विरोधी पक्ष के सदस्यों में से किसी को आप अप्वाइंट कर दें।

इन लफ्जों के साथ इस प्रस्ताव को सदन के विचारार्थ पेश करता हूं।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

दो कांड विशेष रूप से आपके सामने आ रहे हैं। एक बाजरा कांड और दूसरा धान कांड। बाजरा कांड के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक चौधरी साहब ने आपके सामने रखा जिससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। पहला तो यह कि सरकार कितनी भ्रष्ट है और दूसरा यह कि अपने किसी भी अधिकारी को यह स्वच्छ नहीं रहने देना चाहती है। यह सरकार अपने अधिकारियों को अपने कारनामों से, अपनी हरकतों से ध्वस्त कर देगी। ऊपर का आदमी स्वच्छ नहीं होगा तो नीचे का आदमी स्वच्छ नहीं रह सकता। कितना समय लिया इस कांड की इनक्वायरी कराने में? मुझे लगता है कि हर कागज का पन्ना फट जायगा लेकिन जांच का परिणाम इस असेम्बली के सामने आने वाला नहीं है। बाजरा कांड और उसके तथ्यों को मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन एक बात कह दूं। बाजरा कांड खत्म ही हुआ था कि या संसद का जो कुछ कांड हुआ था खत्म ही हुआ था कि फिर अब चावल कांड शुरू हो गया। कुछ दिन बाद चन्द्रजीत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

यादव कांड शुरू हो जायेगा। कुछ दिन बाद दीक्षित जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, वह कांड शुरू हो जायेगा। किसी ने कहा है एक लाइन--

कपड़ा सड़ा गला हो तो मुमकिन नहीं रफू,
सीते थे आस्तीन गरीबां फट गया।
बारे गुनह बढ़ गया उज्रे गुनाह से,
धोने में और दामने ईमां चिकट गया।

पिंड नहीं छुड़ा पाते यह। एक कांड खत्म होता है दूसरा आ जाता है। इस संदर्भ में एक बात कहूंगा। वह धान घोटाले के बारे में है। पहले मैं कह दूं। जो कुछ तथ्य मिले हैं मैंने टाइम्स आफ इंडिया पढ़ा, शैलराज पत्र है, उसमें पढ़ा। लगभग ३० हजार क्विंटल धान बीज के नाम पर तराई अंचल से पश्चिम बंगाल, मद्रास और अन्य कमी-वाले प्रदेशों में भेजा गया है। और मुझे इसकी शंका है कि भारतवर्ष की सीमा के बाहर भी भेजा गया है। यह राष्ट्र के साथ बहुत बड़ा अपराध किया गया है। जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान है कि इसमें लगभग १० करोड़ रुपया मुनाफा कमाया गया है। १०० प्रतिशत से लेकर ३०० प्रतिशत तक मुनाफा कमाया गया है। इसका महत्व क्यों इतना हो गया, कौन कौन से व्यक्तियों को सौभाग्य प्राप्त है जिन्होंने इससे लाभ उठाया। वह प्रदेश के कैबिनेट मन्त्रीके संबंधी हैं, बहुत उच्च अधिकारी के पुत्र हैं तथा केन्द्रीय मन्त्रियों के दो पुत्र इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अन्य मन्त्री इसमें होंगे उनकी बात छोड़ दी जाय।

इन महानुभावों ने तस्करी की है और मार्च-अप्रैल में गेहूं का बीज भी भेज दिया। उन्होंने तस्करी की। इसका एग्रो मारकेटिंग आरगेनाइजेशन, देहली में है। मैं तथ्य रखता हूं कि इसमें दस करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया गया है। इसके अलावा ३० हजार टन धान था जो बीज के नाम पर जा रहा था। इसमें सारा सरकारी तंत्र चक्कर में आ जाता है। पहले मैं आपको बताऊं कि इस फर्म के खिलाफ वहां के मारकेटिंग इंसपेक्टर जिनको खाद्य मन्त्री जी ने बुलाया है, तुलाराम जी ने रिपोर्ट लिखी है। मैं इस रिपोर्ट को इसलिये पढ़ूंगा कि आज तक सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया। इसमें सारे विभाग के अधिकारी, सारे पुलिस के दरोगा शामिल हैं। इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन मास्टर भी शामिल हैं जहां माल का लोडिंग और अनलोडिंग होता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी अधिकारी अछूता नहीं बचा। आपने एक अधिकारी को नियुक्त किया। उसने अनेक चैक पोस्टस लगाये। अगर एक चैक पोस्ट से माल निकल जाय तो दूसरे पर पकड़ा जाय, दूसरे से निकल जाय तो तीसरे पर पकड़ा जाय। लेकिन जब घर का कोतवाल ही कहे तो क्या किया जाय। जब सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का। वह बात हो गई। रिपोर्ट पढ़ने से सारा राज खुल जायगा।

यह रिपोर्ट सीनियर मारकेटिंग इंसपेक्टर जिला नैनीताल की ४ मई, १९७४ की है। वह इस प्रकार है कि--

"आज दिनांक ४ मई, १९७४ को समय करीब ३ बजे दिन के ट्रक नं० ३७१८ यू० एस० आर० जो एक सौ सत्तर (१७० कट्टा) धान आई० आर० २४ तथा अन्य धानों से मिश्रित, जिसका वजन कुल पिच्चासी क्विंटल है। एक कट्टे का वजन ५० किलोग्राम, जिसको चैक करने पर तथा ड्राइवर के पास पाये गये। कागजातों 'दि रुद्रपुर ट्रांसपोर्ट' व्यापारी की बिल्टी, जो दो प्रतियों में ड्राइवर के पास से बरामद हुई तथा एक पत्र अंग्रेजी में छपा हुआ जिसपर फार एग्रो मारकेटिंग आरगेनाइजेशन, मारकेटिंग मैनेजर की मुहर लगी है, प्राप्त हुआ।

उपरोक्त ट्रक को श्री निहालचन्द कालड़ा पुत्र श्री झण्डाराम कालरा निवासी, गल्ला मन्डी रुद्रपुर, नं० २ श्री दुर्गा प्रसादशर्मा पुत्र श्री दाताराम शर्मा निवासी गल्ला मन्डी, रुद्रपुर के सम्मुख

ट्रक में लदे धान एवं कागजातों को चैक किया । चैक करने पर पाया गया कि उपरोक्त धान प्राग फार्म किच्छा रोड से लादा गया है और दलपतपुर स्टेशन जिला मुरादाबाद को भेजा जा रहा है । कट्टों पर लेविल लगा है तथा बोरे (कट्टे) लाल रोशनाई से छपे हुए हैं । यह धान बीज के नाम पर जा रहा था । मौके पर ही आठ कपड़े की थैली नमूना लेकर उपरोक्त गवाहान के सम्मुख सील की गई ।"

मान्यवर, यह था कि कुछ स्पेसिफिक तरह के बीज भेजे जा सकते थे । जो बीज भेजा जाता था उसका लेविल लगा था और लेविल कौन लगवाता है? यह मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर लगवाता है । जैसे कि यह बाहर जा सकता है तो लेविल फर्जी लगाई गई । लेविल उन लोगों से मिलकर लगाई गई । उन कटटे बोरों पर 'ट्रुथफुल इग्जामिन्ड सील्ड" की मोहर लगाई गई थी । उसको इन लोगों ने कब्जे में ले लिया । यह जो शेड्यूल्ड हैं जो बाहर जा सकते हैं, उनमें से ये कोई नहीं हैं और न उनमें से कोई सील्ड थे । हमारे मन्त्री महोदय के आदेशों से, दौलतपुर स्टेशन, जो मुरादाबाद में है, वहां पर क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक महोदय, आर० एफ० सी० महोदय जाते हैं । मैं चौधरी साहब की बातों से सहमत हूं । आर० एफ० सी० को हम जानते हैं कि वे मिल सकते हैं । लकिन आर०एफ०सी० महोदय इससे पहले तब तक क्यों मौन रहे । उन्होंने तरकीब सोची, लेकिन न मालूम कहां से तुलाराम मिल गये । इस प्रकार चूंकि दौलतपुर स्टेशन मुरादाबाद में है, अतः उपरोक्त धान को ले जाने के लिये परमिट वांछनीय है । इस प्रकार फर्म एग्रो मारकेटिंग के मैनेजर जिनके हस्ताक्षर अपठनीय हैं, उनके हस्ताक्षर बनाये गये थे ।

मान्यवर, इसमें असेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत, डी० आई० आर० का उल्लंघन किया गया । यह भी बहुत मोके की बात है । यह डी० आई० आर० की धारा ७ के अन्तर्गत दन्डनीय है । उपरोक्त १७० कट्टा धान जोकि ट्रक पर लदा हुआ था पकड़ लिया गया । ट्रक की चेकिंग एम० आई० बहोरीलाल के सम्मुख पाई गई । एम० एम० आई० पुलिस को रिपोर्ट देता है और ट्रक को ले जाकर पुलिस स्टेशन पर पहुंचा देता है । पुलिस में न तो पूछा जाता है कि यह माल कहां से आया है और यह भी नहीं पूछा जाता है कि यह माल कहां से आया है और यह भी नहीं पूछा जाता है कि इसमें क्या माल है ? मेरी सूचना है कि थाने पर टेलीफोन से सूचित कर दिया गया था कि इस पर जांच-पड़ताल मत करना । मान्यवर, हिम्मत नहीं हुई, इस पर किसी की कार्यवाही करने की ।

मान्यवर, यह मेरी सूचना है कि एक चिट्ठी गई,हमारे डिप्टी सेक्रेटरी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, उनकी चिट्ठी गई । मान्यवर, उस पर कोई कार्यवाही न करने की चिट्ठी डिप्टी सेक्रटरी महोदय की वहां पर गई । मान्यवर, उसपर कोई कार्यवाही न नहीं की गई । दूसरे दिन ये लोग गये मन्डी में मिले, एक लम्बी सी कार है, उसमें बैठकर लोग गये । उनसे कहा गया कि खबरदार इस पर कोई कार्यवाही मत करना । इस पर जो भी कार्य है, बिना जांच-पड़ताल के समाप्त कर दो । वहां के अधिकारियों से कहा गया कि अगर इस पर जांच-पड़ताल करे तो अच्छा न होगा फिर मान्यवर, क्या होता है कि उसके बाद फिर तुलाराम से फिर से रिपोर्ट लिखाई जाती है ।

श्री तुलाराम ने दूसरी एफ० आई० आर० लिखायी । मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इसको पढ़ता हूं--सेवा में, थानाध्यक्ष रुद्रपुर, नैनीताल । निवेदन है कि कल दिनांक ४-५-७४ को श्री जी० एस० चड्ढा तथा गुलाटी एवं अन्य हिस्सेदारों एग्रो मारकेटिंग आर्गनाइजेशन २१२, सूर्य किरन कस्तूरबा गांधी मार्ग, न्यू देहली के विरुद्ध धान की तस्करी के अभियोग में एफ० आई० आर० थाने में दर्ज कराकर जब श्री अमर नाथ बांगा की मोटरकार पर वापस आ रहा था तो

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

उपरोक्त फर्म के दो लड़के जिनकी उम्र लगभग २० अथवा २२ साल की होगी जिसमें से एक को गुलाटी कहकर पुकारते हैं एक हरी कार में आये और कहा कि इस फर्म का पार्टनर श्री सुरेश कुमार श्री जगजीवन राम का लड़का तथा श्री ए० एन० झा का लड़का है। मैं तुमको देख लूंगा और देखता हूं कि तुम नौकरी में कैसे रहत हो कल सुबह तक पता लग जावेगा।

आज दिनांक ४-५-७४ को करीब ७.३० बजे सायंकाल जब मैं प्रकाश चन्द्र विजय कुमार गल्ला आढ़त, रुद्रपुर की दुकान पर गेहूं की खरीद के सिलसिले में अपने कुछ हाट निरीक्षकों के साथ बातचीत कर रहा था तब एक कार में जो देखने में अम्पाला टाइप की थी परन्तु अम्पाला नहीं थी उसमें से पांच नवजवान जिनकी उम्र लगभग २२ साल से ३० साल तक की थी, प्रकाश चन्द्र विजय कुमार के फाटक के पास उतरे और कहा कि एम० एम० आई० कहां है। तब मैं अपने हाट निरीक्षकों एवं ज्येष्ठ हाट निरीक्षक श्री डी० एस० त्रिपाठी श्री नानक सिंह, श्री राजपाल सिंह के साथ गया तब उन्होंने कहा कि ये जगजीवन राम के लड़के हैं, ये ए० एन० झा के लड़के हैं जिनमें से किसी को नरेशकुमार, किसी को गुलाटी और किसी को जी० एम० चड्ढा कहकर पुकारा और ये सब फर्म के पार्टनर हैं कहा कि हम तुझे धान की ट्रक पकड़ने की मजा चखायेंगे। देखते हैं तेरी नौकरी कैसे रहती है कल यहां टंडन सेक्रेटरी खाद्य विभाग, आर० एफ० सी० आदि सब यहीं होंगे और मौका पड़ा तो तुम्हें जान से मारने में भी कोई कसर नहीं रखेंगे और हम अभी डी० आई० जी०, आई० जी०, डी० एम० के पास जाते हैं देखते हैं हमारी ट्रक को न रोकेगा तुम्हारे खिलाफ दूसरी फर्म से रिश्वत लेने की भी शिकायत करेंगे। इस प्रकार मुझे उपरोक्त फर्म के पार्टनरों से मुझे जान माल का खतरा है तथा नौकरी भी खतरे में है यदि कोई भी बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी उपरोक्त फर्म के पार्टनरों की होगी, परोक्त धमकी के समय बाजार के काफी लोग इकट्ठे हो गये जिनमें से मुख्य गवाह इस प्रकार हैं। नाम गवाहान: श्री अमर नाथ बांगी गल्ला मंडी रुद्रपुर, रामअौतार, ओम प्रकाश चौधरी, राम चन्द्र सिंह मंडी सुपरवाइजर, मन्डी समिति, रुद्रपुर रिपोर्ट आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। हस्ताक्षर तुला राम ज्येष्ठ हाट निरीक्षक, रुद्रपुर। ये दो रिपोर्ट सरकारी अधिकारियों द्वारा लिखायी गयी हैं मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन पर क्या ऐक्शन लिया।

जब उन्होंने देखा कि ये तस्करी में शामिल होकर हमें परेशान कर रहे है डिप्टी सेक्रेटरी से एक चिट्ठी ले ली। इनका हरिमोहन नाम है। इस प्रकार का नाम है। उन्होंने बरेली के आर० एफ० सी० के नाम चिट्ठी दी और उसमें लिखा कि इनको परेशान न किया जाये। मैं कहता हूं कि इस काण्ड में सरकार का हाथ है। मैं दुबारा फिर कह रहा हूं कि तुला राम ने रिपोर्ट ४-५-७४ को लिखायी और इस पर लेविल भी लगा हुआ है, लेकिन बीज इसके अन्दर नहीं पाया गया। कैसे कोई अधिकारी हिम्मत कर सकता है। जब वह जानता है कि हमारा मिनिस्टर और हमारी सरकार हमारे विरुद्ध है तो वह कैसे इस तरह की चीजों को पकड़ेगा। जो आर० एफ० सी०, बरेली के हैं उनका भी इसमें हाथ था अगर डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी का इसमें हाथ है और खाद्य मन्त्री की निगाह है तो उस एम० एम० आई० की क्या मजाल है कि वहां पर बैठ कर कोई कदम उठा सके। बिना परमिट के वह माल जा रहा था। जैसा मैंने कहा इसी बहाने गेहूं भी बहुत भेजा गया। अब यहां पर एक दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि एफ० आई० आर० पर लिखा हुआ है कि एक कापी दी गई, मालिक और मैनेजर के दस्तखत अपठित हैं। मैं अपने होम मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि जिस वक्त दरोगा बैठे थे और डल्लेजिबिल दस्तखत लिख दिया गया उस वक्त उनकी दरोगाई कहां गई थी, वह अधिकारियों द्वारा व मिनिस्टर द्वारा दबाया गया। क्यों नहीं कहा या कि तुम बैठो, हमें पता करके बताओ। क्यों नहीं उस ड्राइवर को जेल भेजा गया, कैसे कर दिया ? तफतीश क्यों नहीं की गई। आज नीचे के लोग बोल नहीं सकते हैं। मैं वकील हूं, मैं जानता हूं कि एफ० आई० आर० की रिपोर्ट की प्रतिलिपि जो मुल्जिम होता है, उसको नहीं दी जाती है, लेकिन कार्यवाही ठीक कर ली

इसलिये उस एफ० आई० आर० की काफी मुल्जिमान को दे दी गई । कोई जांच पड़ताल भी नहीं हुई । इस प्रकार से पुलिस साजिश में आ गई ।

अब मैं उस पत्र संख्या ८१४/२९ चावल ५/३-७४, लखनऊ, दिनांक २३-४-७४ पर आता हूं जो श्री हरिमोहन सिंह द्वारा हस्ताक्षरित है । उसमें मालिकों को आगाह किया है कि आर० एफ० सी०, बरेली, को आगाह कर दिया गया है कि तुमको परेशान नहीं करेंगे । यह पत्र उस फर्म को लिखा जाता है कि जो धोखाधड़ी कर रही है । उसमें कहा गया कि जहां तक बीज सुनिश्चित करने का सम्बन्ध है, आदेश दिया या है कि कोई कार्यवाही न की जाय जिससे उनको अनावश्यक शिकायत हो । क्या कोई अधिकारी लिखता है कि तुम ऐसा-ऐसा करो । कहीं-कहीं ऐसा होता है कि यह लिख दिया जाता है कि तुम इसका खयाल करो । क्यों आंख में पट्टी बांधकर नरक में डाल दिया गया है । क्यों नहीं कोई स्टेप लिये गये हैं । अगर ये बातें साफ हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं है ।

आश्चर्य है कि यह भी लिखा गया है कि बहुत से चेकपोस्ट हैं, उनकी तस्करों का माल बाहर गया लकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई । यह माल आज अनेक स्टेशनों पर पड़ा हुआ है, मुरादाबाद, रामपुर और काशीपुर में यह माल पड़ा हुआ है । मुझे मालूम है, माननीय मुख्य मन्त्री जी नोट कर लें कि आज से ५-७ महीने हो गये होंगे कि चावल और गेहूं के २०० बोरे बांसी थाने में पड़े हुए हैं, कोई छोड़ा नहीं गया है लेकिन इस फर्म का माल जब्त नहीं हुआ है । हमारे फूड सेक्रेटरी, माननीय खाद्य मन्त्री और मुख्य मन्त्री जी देखें ।

खाद्य मन्त्री जी का बयान भी हमारे पास है । आपने कौंसिल हाउस में एक बयान दिया कि शासन को इस आशय की सूचनायें मिलीं कि कुछ फर्म्स तथा व्यक्तियों द्वारा इस प्रदेश के तराई क्षेत्र से अवैधानिक रूप से धान निर्यात किया गया । इस मामले की प्रारम्भिक जांच खाद्य विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने की । जरा उनके नाम बता दीजिये ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

फाउल करने का सवाल नहीं है । जैसे ही सूचना आती है हमारे पास हमने डिप्टी-सेक्रेटरी हरी मोहन सिन्हा और देवकुमार तिवारी द्वारा जांच करायी । उनकी जांच की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमारे सामने आयी । जो आपने डिप्टी सेक्रेटरी के पत्र का जिक्र किया है वह दूसरे संदर्भ में है, इस संदर्भ में नहीं है । मैं जब जवाब दूंगी तो आपको बताऊंगी । आप मिसलीड कर रहे हैं । आपको ठीक इन्फार्मेशन नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

अगर हमने १ परसेंट बिना जानकारी के मिसलीड किया है तो आपने ९९ परसेंट मिसलीड किया है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैंने अपने वह शब्द वापस ले लिये हैं । मैंने यह कहा कि आपको ठीक इन्फार्मेशन नहीं है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

आपने फिर कहा कि इन अधिकारियों की जांच के आधार पर मामला अपराध अनुसन्धान को सौंप दिया गया । पूरी सरकार जिम्मेदार है इसके लिये । मुझे दुःख है कि हमारे बहुगुणा जी ने अपने एक वर्ष के कारनामों में इन सब बातों का जिक्र नहीं किया क्योंकि उनके मित्र रह होंगे । फिर क्या हुआ? जैसे ही हाकी खेली जाती है, मैं हाकी खेलना जानता नहीं, बाल पास किया उनके पास और उन्होंने उसको पास कर दिया दूसरे के पास । तो यह बाल

[माधव प्रसाद त्रिपाठी]

पास किया । कैसे? पहले तो दो अधिकारियों को जांच करने के लिये दिया । उनकी जांच से सन्तुष्ट नहीं हुए । वह बेचारे भी ईमानदार रहे होंगे । परन्तु क्या बताऊं, गन्दे नाले में कोई पहुंच जाय तो सफेद कपड़े के साथ कोई निकल नहीं सकता । तब इन्होंने सी०आई०डी० से जांच करवायी । सी० आई० डी० से मामला सी० बी० आई० को पास किया गया । गालिबन यह तर्क होगा कि इसमें बहुत से लोग इन्वाल्व्ड हैं, केन्द्र के मन्त्री भी इन्वाल्व्ड हैं, केन्द्र के बड़े बड़े लोग शामिल थे, उनका नाम लेना मेरे लिये उचित नहीं, यहां के लीडरों के रिश्तेदार शामिल थे, उनका भी नाम लेना उचित नहीं है जब तक मैं जान न जाऊं । आज इसका जवाब दें कि हाकी के बाल की तरह पहले सी० आई० डी० को दिया फिर सी० बी० आई० को दिया, आखिर क्यों । मैं साबित कर दूंगा कि तस्करी यहां से होती है और उसके लिये जिम्मेदार हैं हमारे मिनिस्टर । तो अटल बिहारी बाजपेयी ने पार्लियामेन्ट में पूछा कि उस घोटाले का क्या हुआ । जवाब मिला कि सी० बी० आई० तैयार नहीं है जांच करने के लिये । वह कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है । तो उन्होंने पूछा कि कब तक होगा । तो कहा कि हम अब लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार को कि अपनी सी० आई० डी० के द्वारा जांच करा लो मान्यवर, कोई शहादत के कागजात पन्नों में बाकी न रहें इसलिये यह सब किया जा रहा है । अभी हमने देखा कि माननीय राजमंगल पांडेय जी ने कुछ जवाब दिया तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सम्भाल लिया ।

मैं मान्यवर, यह कह हा था कि इतना सब कुछ हुआ मगर न दरोगा के खिलाफ, न आर० एफ० सी० के खिलाफ न किसी अधिकारी के खिलाफ कोई ऐक्शन इस सरकार ने लिया । लिया किसके खिलाफ? एक तुलाराम हैं ए० एस० एम० आई०, उनके खिलाफ । उनकी सर्विस खतरे में पड़ी है क्योंकि उन पर चार्ज है कि तुमने राज क्यों खोला । मान्यवर इस १० करोड़ रुपये के घोटाले को केवल दो तीन आदमी ही हजम नहीं कर सकते हैं । इसमें कोई एक का हाथ है । इसमें वही हुआ है जैसे किसी मां के ८ लड़के हों, यह देख कर कि मां मर रही है किसी लड़के ने ४ आने हिस्सा ले लिया, किसी ने आठ आना ले लिया, किसी ने कुछ लिया । इसी प्रकार इस प्रदेश की सरकार ने, उनके अधिकारियों ने, सब ने मिल कर इस प्रदेश को लूट लिया और किसी दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । तराई डिवीजन के जो अधिकारी हैं कारपोरेशन के उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखी कि इसमें लाखों का घोटाला हो रहा है, सको आप रोकिये । मगर सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । इनको जब टेलीफोन करते हैं तो कभी तो मिलता ही नहीं, कभी जवाब मिलता है मन्त्री जी गुसलखाने में हैं, अगर दफ्तर में भी जाओ तो इनको सेक्रेटरी से पूछने पर कि मन्त्री जी हैं या नहीं, वह कहता है मैं कमरे में देख लूं तब बताऊं । वह यह भी बताने में डरता है कि मन्त्री जी हैं या नहीं । कमरे में जाता है, लौट कर कहता है कि मीटिंग हो रही है । इस तरह के जवाब मिलते हैं । टेलीफोन करिये तो भिन-भिन की घंटी सदन में सुनायी देती है, कभी मिलता ही नहीं ।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब अधिकारियों ने आपको चिट्ठी लिखी कि घपला हो रहा है तो आपने ऐक्शन क्यों नहीं लिया । एम० एम० सिंह की चिट्ठी का क्या हुआ? यह जब मामला पकड़ा गया तो आपने जून में आर्डर निकाला । फिर केन्द्र को लिखा कि बड़ा गड़बड़ है ।

चौधरी चरण सिंह--

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी की सीट पर लाइट कम होने के कारण पढ़ने में कठिनाई होने पर) यहां आ जाइये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

मेरी भी यही सिफारिश है यहां आ जायें । (हंसी)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सब मंत्रियों को सुनाने के लिये मैं यह कह रहा हूं और प्रेस वाले भी इसको सुन लें और जनता को बतलावें कि ३२ प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले प्रशासन में आज क्या हो रहा है। मैं यह कह रहा था कि यहां से एक आदेश निकला है। जब से यह कांड हुआ है तब से यह घपला चल रहा था कि बीजकांड को समाप्त किया जाय। मान्यवर, वह आदेश मैं पढ़ देता हूं जो इस प्रकार है—"ट्रुथफुल लेवेल्ड धान बीज के वहन में क्षेत्रीय खाद्य नियन्त्रक, बरेली तथा अधीनस्थ स्टाफ द्वारा अनावश्यक अवरोध उत्पन्न करने के सम्बन्ध में उनके पत्र दिनांक २२ अप्रैल, १९७४ के सन्दर्भ में मेसर्स एग्रो मार्केटिंग आर्गनाइजेशन नई दिल्ली को सूचित किया जाता है कि मामले में आवश्यक निर्देश क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, बरेली क्षेत्र, बरेली को भेजे जा रहे हैं, अतः कृपया उनसे सम्पर्क स्थापित करें।"

मान्यवर, इनसे रहा नहीं गया, दिल में खलबली मच गयी कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाय और बीज वाले मामले में कोई घपला न हो जाय। इसलिये उसकी कापी उन्होंने मेसर्स एग्रो मार्केटिंग आर्गनाइजेशन, नई दिल्ली और आर०एफ० सी०, बरेली को भेजा। पता नहीं उनका इसमें कितना हिस्सा था इस गलत काम के कराने में, मैं नहीं कह सकता। मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता लेकिन २०० रुपये तनख्वाह पाने वाले जिस कर्मचारी ने इस तरह की सूचना दी उसने इस प्रदेश का बड़ा कल्याण किया है और मैं समझता हूं कि हमारी जगह उसे एम० एल० ए० होकर आना चाहिये। मैं इस सन्दर्भ में उस प्रतिलिपि को पढ़ देता हू. जो इस प्रकार है:—

"प्रतिलिपि सन्दर्भित पत्र की प्रतिलिपि तथा फूडग्रेन्स रिस्ट्रिक्शन (एग्जेम्पशन आफ सीड्स) आर्डर, १९७० की प्रतिलिपि सहित क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, बरेली को उक्त आर्डर के प्राविधानों के प्रकाश में आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित। नोटिफायड काइन्ड या वैरायटी के सर्टिफाइड या ट्रुथफुल लेवेल्ड धान बीज के वहन पर उक्त आर्डर के अन्तर्गत इस समय कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उक्त धान बीज के प्रदेश के बाहर निर्यात के लिये अब यह भी आवश्यक नहीं है कि पारेपिति आयात करने वाले राज्य का कृषि निदेशक हो, कोई प्राइवेट एजेंसी भी हो सकती है।

इस सम्बन्ध में जहां इस बात की आवश्यकता है कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धान बीज, धान बीज ही है वहीं यह भी वांछनीय है कि सन्दर्भित आदेशों के विपरीत कोई ऐसी कार्यवाही न की जाये जिससे अनावश्यक शिकायत हो।" यह स्थिति है आज इस बीज घोटाले की। अगर मैं सब पढ़ कर सुनाने लगूं तो इसमें बड़ा टाइम लगेगा और बड़ी लम्बी कहानी हो जायगी। और जैसा कि हमारे रामायण में है, उल्टा रामायण वाली बात हो जायेगी। मैं कहता हूं कि क्या कारण है कि मंत्रिमण्डल ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है? क्या मंत्रिमंडल योग्यता की छानबीन कर रहा है कि इससे किसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस पहलू पर सब की बुद्धि क्यों कुंद है जिससे इस तरह की स्थिति सामने आयी। बेकार के लिये कहा जाता है कि फलां दरोगा भ्रष्ट है या कोर्टस बिलकुल भ्रष्ट है। आदर्श के लिये तो नीचे का आदमी चोटी वाले को देखता है कि जो वह कहता है उसको करता है कि नहीं।

जरा यह संदर्भ के बाहर की बात हो जायेगी, लेकिन आज हमारी प्रधान मंत्री कहती हैं कि वे सोशलिज्म को लाना चाहती हैं, ठीक है सोशलिज्म लावें। लेकिन कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिये। धनी और गरीब के अन्तर को आप कम करें लेकिन यहां तो बेटा ५० हजार रुपया साल कमायेगा, इस तरह से सोशलिज्म के डेफिनीशन को ही बदल दिया गया। बिना कहे रहा नहीं जाता। कोई इनश्योरेंस में १० हजार रुपये महीने कमायेगा। अगर आज मेरा बेटा जज होता और कहता कि मेरी अदालत में आकर वकालत

[माधव प्रसाद त्रिपाठी]

करो, तो मैं तो यही कहता कि जिस कोर्ट मे प्रैक्टिस करता हूं उस में आकर अपना नाम काला न करो। आगे चलकर मैं इस तरह की कितनी मिसालें अपने परिवार की दे सकता हूं। लेकिन यहां तो कांग्रेस वालों ने अपनी रायल डायनेस्टी बना रखी है। करोड़ों रुपये लेते हैं और कहते हैं कि हमारे पास रुपया नहीं है। वे टैक्स लगाते हैं और टैक्स भी किस पर लगाते हैं, लेबर आर्गनाइजेशन पर, लेबर यूनियन्स पर। मैंने सुना है कि अब इनके मित्रों का भी कोई संगठन बनने वाला है ।

जो गरीब हैं जो संगठित नहीं हैं जो हर एक चीज के लिये तरस रहे हैं आज वह टैक्स वसूल किया जा रहा है । हम सब गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शराब पीना नहीं चाहिये और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम शराब को टेस्टफुल बना रहे हैं । आपकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं, कमाल करते हैं ।

अभी जब मैं चौधरी साहब के यहां बैठा हुआ था वहां पर मैंने एक किताब देखी जिसमें चेंथम का कांम्पलेन्ट्स के मामले में वर्णन दिया था। अगर पब्लिक का आदमी कोई आरोप लगाये तो या तो वह आरोप सही होगा और या फिर वह आरोप गलत होगा। मान्यवर, यह बात बहुत जरूरी है कि जो आरोप जनता लगाये, जो आरोप डेमाक्रेसी पर लगाये जाय उनकी छान बीन की जाय । आप उसकी जांच कराइये कि जो कुछ पब्लिक कह रही है वह ठीक है या नहीं । आज हम डेमोक्रेसी को भूल गये हैं। मेरा कहना है कि आरोपों की जांच की जानीं चाहिये । अगर वह गलत निकले अगर वह निराधार निकले तो आप कहये कि हमारा मंत्री बहुत अच्छा है और वह अगार गलत निकलते हैं तो उस मंत्री की क्रेडेटिबिलटी उसकी योग्यता दो, तीन गुनी बढ़ जायेगी । उस पर शक नहीं होगा और अगर उसकी गलती निकलती है तो उसको आप सजा दीजिये। मैं तो कहता हूं कि आप एक पैनल को बनाइये कि जो कांग्रेस के हैं उनको सजा नहीं होगी वह गल्ती नहीं करते हैं तो जो गल्ती करेंगे वह इधर निकल आयेंगे । जिसकी गल्ती हो उसको हर हालत में सजा दी ही जानी चाहिये । मैं चेथम द्वारा कही गई बात जो आज से बहुत समय पहले कही गई थी पढ़े देता हूं :—

The rule in regard to complaints against Ministers was so correctly laid down by Chatham, a Prime Minister of England, more than 200 years ago—

When the people complain, they must either be right or in error. If they be right, we are in duty bound to inquire into the conduct of the Ministers and to punish those who appear to have been most guilty. If they be in error, we ought still to inquire into the conduct of our Ministers in order to concince the people that they have been misled"

मान्यवर यह उस देश से संबंधित है जहां की डेमाक्रेसी का हमने अनुकरण किया है । श्रीमन्, हमने कहने को सिर्फ अनुकरण किया है हमारी कथनी और करनी में बड़े फर्क हैं । तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि सोच समझ कर ही कोई निर्णय लिया जाय यह नितांत आवश्यक है । आप जिस कुर्सी पर विराजमान हैं, आपका जो कांशियस है, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं बल्कि उस स्थान की तारीफ करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज मन्त्री भी शामिल हैं और मंत्रि पद के लोग भी इसमें शामिल हैं । जिसमें हाइयेस्ट अफसर, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, दरोगा जैसे आदमी जो जनता के रक्षक हैं, शामिल हों तो जनता का क्या हाल होगा। मैं फिर कहता हूं कि जिस अनाज के लिये आज का गरीब तरस रहा है, दाने दाने का मोहताज है उसी अनाज की आज तस्करी की जा रही है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो चुका है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पग-पग पर वह स्थिति आ गयी है जिसका वर्णन करना कठिन है। जिसमें इतने बड़े-बड़े इन्वाल्व्ड हों, वहां गरीबों का हाल क्या होगा। मैं एक बात कहता

हूं कि कोई भगवान के पास जाय और कहे कि मुझे घोड़ा भी खाता है, शेर भी खाता है, हाथी भी खाता है और यह सुनकर भगवान यह कहें कि भाग जाओ नहीं तो मेरी भी तबियत आ गयी है, तो क्या हाल होगा । करप्शन की बात का तो कहना ही क्या है । हम डेमोक्रेसी को भूल गये हैं अखबारों में लिखते हैं कि 'डिफेंड दी फ्रीडम विद आल योर माइट' केवल लिखने की बात केवल भाषा रह गयी है ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर रहे हैं । जिसका जो जी चाहता है करता है, ऊपर से लेकर नीचे तक के सब गलती कर रहे हैं ।

मैं पुनः दोहराता हूं कि इतनी सब गल्तियां होते हुए भी उन को आप अलग किये देते हैं और वह लोग करते रहते हैं । इसलिये चौधरी साहब के प्रस्ताव को, यदि आप चाहते हैं प्रशासन साफ हो तो, मान लीजिये । बाजरा कांड को छोड़ दीजिये तमाम ऐसे कांड हैं जिनको गिनाने लगें तो एक लिस्ट बन जाये । यह कांड चल ही रहा था कि बीच में श्री चन्द्रजीत यादव आ गये । केन्द्र वालों के बिना आप कोई काम करते नहीं हैं । केन्द्र का कोई मिनिस्टर है जिसका इश्यू आ गया । उसमें कई इन्डस्ट्री सेट अप हो गयी हैं और लाखों का कर्जा ले लिया जिसमें मशीनें, बिल्डिग आदि में तमाम घोटाला हुआ है । इस अनिश्चित स्थिति को डिफेन्ड फ्रीडम, डिफेन्ड डिमोक्रेसी आप कहते हैं । यदि आप विश्वास करना चाहते हैं तो एक-एक कारनामे को लीजिये और उसकी लिस्ट बनाई जाये तो आपके कारण यह स्थिति हुई है । इसलिये जो प्रस्ताव हुआ है उसको आप स्वीकार करिये । इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे दो बुजुर्ग साथी इस मसले पर काफी विस्तार से बोले इसलिये मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा । सवाल यह है कि आज कल मीसा तथा डी० आई० आर० में तस्कर तथा तरह-तरह के लोग बन्द किये जा रहे हैं । तो जो यह पोलिटिकल तस्कर हैं उनको भी कहीं समेटा जायगा कि नहीं ? चौधरी साहेब ने एक प्रस्ताव पेश करके, जिसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं, हमारे मुख्य मन्त्री जी को और दलदल में फंसा दिया है । यह यों ही फंसे हुए हैं इसलिये दिल्ली की नजर कम हो रही है । उनके साथी मंत्रिमण्डल बनाने के लिये इनकी टांग घसीट रहे हैं और तीसरी ओर सरकार दिवालिया है । मुश्किल यह भी है कि दिल्ली से भी राय लेनी है कि क्या होना चाहिये । आपने १६ तारीख को एक मीटिंग बुलाई और उसमें मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि यह मामला कोर्ट में नहीं जायेगा और एफ०आई० आर० उसी दिन लाज कर दी गयी जिसमें श्री ओम प्रकाश शर्मा का नाम लिखा गया । परन्तु इनका पता नहीं है कि कहां के रहने वाले हैं । फिर होम सेक्रेटरी ने एफ० आई० आर० लाज कराया जो कि बड़े शर्म की बात है । दुख की बात है कि मुख्य मन्त्री जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । इनकी कथनी और करनी में अन्तर है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक छात्र का मसला उठाया गया था जिस पर अफसोशजनक घटना हुई थी । एक छात्र श्री रघुनाथ सिंह जो इलेक्शन लड़ने जा रहा था उसको मुख्य मन्त्री की सरकार ने बन्द कर दिया । और मुख्य मन्त्री ने सदन में यह कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइये । मान ली बात हमने लेकिन कितनी दफा में बन्द किया था । जो पोलीटिकल तस्कर है उनको छूट है लेकिन इसमें एक दफा भी बाकी नहीं रही ।

एक लड़का जो चार वर्ष से विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था दफा ११६, दफा १०७/१५१, ५०४ और ३३६ में गिरफ्तार किया गया । हमने जमानत की तो फिर दरोगाजी हसनगंज से पहुंच गये और पांचवीं दफा लागू की और फिर बन्द कर दिया गया। तो अगर कोई सरकारी

[नियाज हसन खां]

कर्मचारी है और करप्शन करे तो बन्द कर दिया जाय। मेरा तो सीधा सवाल है मुख्य मन्त्री जी से कि आया यह फायल किसी मन्त्री के पास जरूर गई होगी और गई तो क्या आदेश हैं और जब मुख्य मन्त्री जी के पास गई तो क्या आदेश हुए, वह उस कमेटी के सामने आने चाहिये। यह बेचारे ओम प्रकाश शर्मा की गरदन बिना वजह नापी जा रही है। मुख्य मन्त्री जी ने एक और इशारा किया था जब सदन में खौफनाक घटना हो गई थी कि विरोधीदल जो कांग्रेस (आर) की रैली हुई थी उससे बौखला गये थे। बौखला इसलिये गये थे कि आपके यहां कांड हो गया है और आप राजनैतिक तस्कर को छोड़ देते हैं। मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी कांग्रेस (आर) की रैली के क्या मानी थे। मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरदार कैरों जब पंजाब के मुख्य मन्त्री थे तो वहां सी०पी० आई० ने एक रैली की थी। उसके बदले में कैरों भी एक रैली कराना चाहते थे परन्तु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अगर ऐसा किया जावेगा तो उसको सरकारी रैली माना जावेगा। इसलिए उन्होंने सरदार कैरों को ऐसा करने से मना कर दिया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि चौधरी साहब ने कहा है दिल्ली जाने का क्या मकसद था और यह सड़क के द्वारा क्यों भेजा गया। बजाय अहमदाबाद के बाजरा दिल्ली को भेजा गया तो क्या कारण थे। मैं मुख्य-मन्त्री जी से अपील करना चाहता हूं कि वह यदि अपना नाम इतिहास में लिखाना चाहते हैं तो परम्परा कायम करें और जो चौधरी साहब ने कहा है एक कमेटी मुकर्रर करें और पोलीटिकल तस्करों को शील्ड न करें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब और त्रिपाठीजी ने सभी बातें सिलसिले से कह दी हैं इसलिये मैं मुख्यमन्त्री जी से चाहूंगा कि वह आज की परिस्थितियों को देखकर फैसला करें। जिसके कारण अनिश्चितता की स्थिति फैल गई है। आज अगर प्रत्येक राजनैतिक व्यक्ति, सरकारी बेंचों में बैठने वाले लोग और बड़े-बड़े अफसर, यदि सभी खुले तौर पर भ्रष्टाचार में जुट जायेंगे तो यह देश कहां जायगा। हमारी जितनी योजनायें और विचार हैं, वे दिखावटी और कागज में धोखामात्र रह जायगा। देश का क्या हश्र होता जा रहा है।

माननीय चौधरी साहब ने जो यह प्रस्ताव रखा है। लेकिन यहां केवल चावल और बाजरा काण्ड ही आज नहीं हैं। हमारे देश और प्रदेश में न जाने ऐसे कितने काण्ड हैं कि जिनको सुनकर एक ईमानदार नागरिक का दिमाग परेशानी में फंस जाता है कि हमारे देश का भविष्य कहां जा रहा है। रोज नयी-नयी समस्यायें आती रहती हैं। वर्तमान परिस्थितयिों में, जो रोज हमारे सामने आ रही हैं, ऐसा लगता है कि इस सरकार के रहते हुए, इन समस्याओं का हल नहीं होने वाला।

श्रीमन्, यह प्रस्ताव जो आज प्रस्तुत है, उसमें मैं एक कड़ी और जोड़ देना चाहता हूं। अखबारों में पढ़ने में आया है कि कानपुर के लाइसेन्स काण्ड के बारे में। यह लाइसेन्स काण्ड आज कोई नया काण्ड नहीं। रोज ऐसे काण्ड हो रहे हैं। सन् १९५६ से उद्योग विभाग की इन कमियों के बारे में बराबर उद्योग विभाग द्वारा कहा जाता रहा है और लिखा जाता रहा है लेकिन सरकार ने आज तक इस सिलसिले में कोई सुधार का रास्ता नहीं अपनाया है।

इसी तरह के एक काण्ड की अखबारों में चर्चा आ चुकी है और वह नरायनसिंह यादव काण्ड। इस काण्ड की रूप-रेखा मोटे तौर पर यहां प्रस्तुत करना चहता हूं। नरायन सिंह ने केमिकल इंजीनियरिंग पास की और सन् १९७१--७२ में बेकार था। हमारे कानपुर के एक नेता थे, जिनको इण्डस्ट्री लगाने का शौक आया। उनकी इण्डस्ट्री में ये नरायन सिंह ३०० रुपये महीने पर मैनेजर के तौर पर नौकरी में लग गया और उसी संबंध में उसका उद्योग विभाग में आना जाना शुरू हुआ। वहां पर जी०डी० मेहरोत्रा डेवलपमेन्ट अफसर थे जिनसे नरायन

सिंह का सम्पर्क हुआ। उनसे मिलकर यह लाइसेन्स के तिकड़म करता रहा और एकतौर से एजेन्ट के रूप में काम करने लगा। कोई नया आदमी आ जाय तो उसको फंसाकर उसकी फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना और आयात लाइसेन्स दिलवाना, इस तरह के काम इसने शुरू किये और इस इस काम में काफी सफलता मिली। फिर सरकार की तरफ से एक योजना निकली कि जो भी बेकार इन्जीनियर्स हैं, उनको सरकार इण्डस्ट्री लगाने के लिये पैसा देगी।

सन् १९७१-७२ में इन्होंने अपनी एक फर्म बनाकर उसका रजिस्ट्रेशन कराया और बाद में तमाम नकली तौर पर काम करते रहे। इनके बारे में स्थिति तब खुली जब १९७२–७३ में अपने इस कार्यालय में करीब ७०–७५फर्जी फर्में विभिन्न जिलों में विभिन्न नामों की बनायी और करीब एक करोड़ रुपये का घुटाला किया। इस बीच ये तमाम बड़े-बड़े लोगों के सम्पर्क में आ गये थे। इन्होंने जो काम किया, उस काम के सिलसिले में ये कई अधिकारियों के सम्पर्क में आये, जैसे जी०डी० अग्निहोत्री, गिरधर गोपाल ज्वाइन्ट डाइरेक्टर रजिस्ट्रेशन जो इलाहाबाद में थे और ए०के० शर्मा डाइरेक्टर थे। स्थानीय नेता तो इनके सम्पर्क में थे ही, उसके साथ-साथ हमारे भूतपूर्व मन्त्री श्री बलरामसिंह यादव भी इनके सम्पर्क में आये। चन्द्रजीत यादव, जो आज केन्द्र में राज्य मन्त्री हैं, उन दिनों कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनसे भी इनका सम्पर्क था। श्याम लाल यादव और उनके चचाजात भाई डा० रामलाल सिंह, जो चेयरमैन थे, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे, इस तरह के बहुतायत लोग इनके सम्पर्क में आये और ये सब लाखों रुपयों का गोलमाल करते रहे। यह स्थिति तब खुली जब इनके पास १२ फर्जी के लाइसेन्स निकले १९ लाख रुपयों के आयात लाइसेन्स थे। मिस्टर अग्निहोत्री डेवलपमेंट अफिसर थे और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट लगवा कर आयात लाइसेंस की स्वीकृति देकर उन्होंने केस आगे भेज दिया। मिस्टर सुब्बा राव ज्वायंट डायरेक्टर थे। जब उनके सामने केस गया। उनको थोड़ा शक हुआ। उन्होंने तत्काल उसकी जांच कर रिपोर्ट लगा दी कि फर्म जाली है। इनको कोई आयात लाइसेन्स न दिया जाय। जब नारायण सिंह और उनकी पार्टी को पता चला तो उनको बहुत बुरी तरह से धमकी दी गयी। और डाइरेक्टर से मिल कर जांच पुनः कराई गयी।

जांच डेवलपमेंट आफिसर श्री कोतवाल और सुब्बाराव को दी गयी। कोतवाल साहब समझते थे कि वह सुब्बाराव को पटा लेंगे लेकिन आफिसर ईमानदार था। जांच में कोतवाल ने लाइसेन्स देने के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी लेकिन सुब्बाराव ने फिर विरोध में रिपोर्ट लगा दी डाइरेक्टर के पास वह रिपोर्ट गयी। तब एक दूसरे ज्वायंट डाइरेटर को जांच के लिये दिया गया लेकिन उसने केस लेने से इन्कार कर दिया। संयोग से रजन कुमार ज्वायंट डाइरेक्टर पहुंच गये और उन्हें आज्ञा दे दी गई। उन्होंने जांच मौके पर जाकर की और उनके एक दूसरे साथी ज्वाइन्ट डारेक्टर मलहोत्रा साहब ने भी साथ में जांच की और उन्होंने उसे बोगस फर्म बता कर रिपोर्ट लगा दी। नारायण सिंह ने देखा कि सारा पोलखाता खुल गया और सारा मामला गड़बड़ हो गया है तो बड़ी धमकी दी। नारायण सिंह के पास २० लाख रुपया नकद था उसने अपने को बचाने में उसे खर्च किया। दिल्ली से बड़े बड़े नेता हवाई जहाज से आते रहे। प्रयास लेकिन फिर भी जब रिपोर्ट मलहोत्रा तथा रंजन कुमार साहब ने विरोध में लगा दी तब जो नेता भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे उन्होंने एक रास्ता निकाला।

वह यह कि यदि कोई अधिकारी मार दिया जाय तो केस ३०२ में बदल जायगा, भ्रष्टाचार की फाइल पीछे पड़ जायगी और सबसे पहले सुब्बाराव को मारने का इरादा किया गया लेकिन दफ्तर के काम से वह शिकोहाबाद चले गये और उन्हें एक हफ्ते के बजाय वहां उनको एक महीना लग गया और आखिरी दिन भी जिस दिन उन्हें आना था उस दिन भी सुब्बाराव साहब नहीं आये।इस बीच रजत कुमार को छूरा मार दिया गया। साथ में अरविन्द वर्मा

[नियाज हसन खां]

उनके बंगले में थे। २०, २५ मिनट तक जब रजत कुमार साहब अन्दर नहीं आये तो अरविन्द वर्मा ने जाकर देखा। वह घायल पड़े थे तब उन्होंने किसी तरह से उनको अस्पताल भेजा इस घ ना से अरविन्द वर्मा इतना घबड़ा गये कि वह एक हफ्ता तक उनको अस्पताल देखने तक नहीं गये। रजत कुमार श्री मन्नारायण भूतपूर्व गवर्नर थे उनके लड़के हैं और जमनालाल बजाज के नाती हैं। इतने बड़े आदमी के साथ यह बर्ताव किया गया। सुब्बाराव भी अच्छे घराने से सम्बन्धित हैं। उनके सम्बन्धी केन्द्र में अच्छे पदों पर सेवा कार्य कर रहे हैं। इस केस को छिपाये के लिये एड़ी चोटी का पसीना बहाया गया। केवल दो इंस्पेक्टरों को निलम्बित किया गया है और कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गयी। गिरधर गोपाल ज्वायंट डाइरेक्टर जो फर्जी फर्म्स का रजिस्ट्रेशन करते थे उनकी सारी पोल खुलने पर भी सारे मामले पर पर्दा डाल दिया गया और उन्हें सारे रहस्यों को छिपाने की नियत से रा मैटीरियल का इन्चार्ज कानपुर लाकर बना दिया गया है।

गत वर्ष के बारे में याद होगा कि सदस्यों कि "ब्लिट्ज" में कोयले कांड के बारे में बहुत छपा था। उस समय के मुख्य मंत्री श्री कमला पति त्रिपाठी को लेकर उनके खिलाफ यह किया गया। उसमें एक राजनैतिक चाल भी थी। श्री चन्द्रजीत यादव ने श्री कमलापति को हटाने के लिये एक लम्बा षडयंत्र रचा था। उद्योग विभाग के एक अधिकारी हैं उन्होंने ब्लिट्ज में एक लम्बी कहानी छपवायी है। इस कोयले के कांड में करोड़ों रुपये का घुटाला किया गया। एक मेकेनिकल इंजीनियर वहां के अफसर थे...

श्री अध्यक्ष—

आप तो प्रस्ताव की परिधि से अलग बात कह रहे हैं....

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मैं उसी सिलसिले में उद्धरण दे रहा हूं श्रीमन् जो कि एक दूसरे से जुड़े हुये हैं। केन्द्रीय बड़े-बड़े नेताओं को डाक्टर रामलाल सिंह को जो हमारे डेवलपमेंट आफिसर अग्निहोत्री थे ५० हजार रुपया रिश्वत दिया था कि डिप्टी डाइरेक्टर बन जायंगे लेकिन वे इसलिये नहीं बन पाये क्योंकि सी० बी० गुप्ता के आदमी बीच में आड़े आ गये थे किन्तु उन्हें विश्वास दिलाया कि आपको हम निश्चित ले लेंगे। बाद में उन्हें ए ग्रेड का इन्सपेक्टर बना दिया। इन परिस्थितियों में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह इतना बड़ा कोढ़ है इतना बड़ा घुन लग गया है कि न मालूम देश उससे कहां जायेगा। अगर सरकार और हम सबको इस देश के नागरिक होने के नाते देश के प्रति तनिक भी मोह और आस्था है तो इन परिस्थितियों में हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए कि आखिर आज देश कहां जा रहा है। आज देश में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार खुले आम फैला हुआ है। अगर इस भ्रष्टाचार के ऊपर हम मिट्टी डालेंगे, इसे छिपायेंगे तो परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जायेंगी। हमारे वे राजनीतिक लोग, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनके ऊपर देश को सम्भालने का पूरा-पूरा उत्तरदायित्व है अगर वे ही भ्रष्टाचार लिप्त होंगे, अपने स्वार्थों को सिद्ध करने में लगे रहेंगे तो देश की स्थिति और खराब होती चली जायेगी। इन परिस्थितियों के साथ मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि जो प्रस्ताव चौधरी साहब ने रखा है कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाय और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये, वस्तु-स्थिति को जानने के लिये ईमानदारी से उस समिति का गठन किया जाय, जोकि सारी छानबीन करे और इस भ्रष्टाचार के सिलसिले में पत्रावली पेश करे तभी इस विषम परिस्थिति का सही निराकरण हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं चौधरी साहब द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी साहब ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मान्यवर, जिन दो तथ्यों को लेकर यह प्रस्ताव लाया

गया—बाजरा कांड और धान के घुटाले का—जिनकी स्मगलिंग गुजरात और बंगाल में की गई थी, उन दोनों के बारे में प्रश्न पिछले बजट सेशन में यहां पर उठाया गया था। माननीय चौधरी साहब ने बाजरे के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था और धान के घुटाले के सम्बन्ध में हमारे किसी दूसरे माननीय सदस्य ने तथा मैंने भी प्रश्न उठाया था और उस वक्त की जानकारी पर माननीय खाद्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था और यह आश्वासन दिया था कि इसकी पूरी छानबीन की जायेगी और उचित कार्यवाही की जायेगी तथा साथ ही जो दोषी पाया जायेगा उसको बख्शा नहीं जायेगा। इधर बहुत दिनों से इस सम्बन्ध में तरह-तरह की चर्चायें उठती रही हैं कि इन दोनों मामलों में ऊंची जगहों पर बैठे हुए अधिकारी, कुछ ऊंची जगहों पर बैठे हुए राजनीतिक व्यक्तियों को बचाने की कोशिश हो रही है। इसलिए दोनों मामले दबाये जा रहे हैं। इसलिए मान्यवर यह चर्चा हुई कि इन दोनों मामलों पर सदन में विचार होना चाहिये।

मान्यवर माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जब यह प्रस्ताव दिया तो उस पर आपने चर्चा की इजाजत दी। मैंने भी इसी प्रकार का प्रस्ताव दिया था, मूल प्रस्ताव पर चौधरी साहब को इजाजत दी गई। जहां तक उसकी पृष्ठभूमि और तथ्यों का सवाल है उससे मेरा मतभेद नहीं लेकिन कोआपरेटिव पोरशन था उसमें मेरे प्रस्ताव में अन्तर था। मैंने प्रस्ताव में मांग की कि जो इन मामलों में तथ्य सरकार के सामने आये हैं वे सदन के समक्ष रक्खे जायं और जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसको सदन की मेज पर रखा जाय। जो सी०आई०डी० के कागजात हैं जो सी०आई०डी० की इनक्वायरी हुई और जो इस मामले में डिपार्टमेन्टल फाइल है वह अध्यक्ष महोदय के हवाले कर दी जाय और सारे विरोधी दल के नेताओं को देखने का अवसर दिया जाय और अगर विरोधी दल के नेता सन्तुष्ट न हो तो उस पर सदन में चर्चा का मौका दिया जाय। यह मेरा प्रस्ताव था। मैंने प्रस्ताव किस आधार पर दिया। १६ तारीख को जो माननीय अध्यक्ष महोदय अपने सब विरोधी नेताओं से परामर्श करने के लिए अपने यहां बुलाया था और भोजन भी दिया तो उस समय चौधरी साहब ने इस प्रश्न को छेड़ा तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि ऐसी कोई मिशाल नहीं है कि सी०आई०डी० की रिपोर्ट पर सदन में बहस हुई हो। इस उत्तर से मेरा इम्प्रेशन बना कि सी०आई०डी० की रिपोर्ट कम्प्लीट हो गई है। जैसा चौधरी साहब ने कहा और अगले दिन मैंने भी अखबार में पढ़ा कि रिपोर्ट पुलिस में लाज कर दी गई है। उसके बाद जब अध्यक्ष जी के कमरे में सभी विरोधी दलों के नेताओं की बैठक हुई उस वक्त भी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट पुलिस में लाज कर दी गई है और यह भी आश्वासन दिया कि कोई बात ऐसी नहीं करेंगे तथा अदालत में मुकदमा भेजने में जिससे सदन में बातचीत करने अथवा प्रश्न उठाने में बाधा पड़े तो उस वक्त भी मेरा यही इम्प्रेशन बना कि सी०आई०डी० की रिपोर्ट कम्प्लीट हो चुकी है लेकिन जो रिपोर्ट चौधरी साहब ने पढ़कर सुनाया उससे मालूम हुआ कि १६ तारीख को सी०आई० डी० को इनक्वायरी को दिया गया है जांच करने के लिए।

जहां तक धान की स्मगलिंग का सवाल है माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने तथ्यों पर प्रकाश डाला मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि यह मामला फुटबाल की तरह था क्रिकेट के गेंद की तरह यू० पी० और सेंट्रल सी० आई० डी० के बीच में दौड़ रहा है तो मैं त्रिपाठी जी से कहूंगा कि आपने इस मामले को वजन दे दिया है। सरकार ने उसे इतना हल्का समझा जैसे शटिल काक होती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस स्कैन्डल को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बड़े-बड़े अधिकारी हैं जो सचिवालय में बैठे हैं या बाहर बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है। कुछ आदमी हैं जो सरकार की ऊंची-ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं उनको बचाने की कोशिश हो रही है। यह अब सदन के

[श्री भीखा लाल]

सदस्यों तक ही नहीं सीमित है बल्कि जनता को शंका हो रही है कि कुछ लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है इसलिए यह मामला दबाया जा रहा है। इसलिए मान्यवर मैंने जो प्रस्ताव उस वक्त दिया था और अब इन तथ्यों को सुनने और जानने के बाद परिस्थिति बिल्कुल बदल गयी है। ऐसी स्थिति में जो चौधरी साहब ने प्रस्ताव रखा है, उसको सही समझता हूं और उसका पूरा समर्थन करना चाहता हूं कि सदन की एक कमेटी इस हेतु बननी चाहिए, जो इस मामले की पूरी जांच करे। इसके पीछे केवल यही एक बात नहीं है कि यह बाजरा कांड जो हुआ है, उसके लिए कौन-कौन दोषी हैं, यह कमेटी उन्हें ढूंढ़ निकाले या इस धान के मामले में कौन-कौन से लोग दोषी हैं, कौन-कौन से इसमें अभियुक्त हैं जिनको प्रदेश के सामने लाया जाए। केवल यही एक मामला नहीं है, इसके साथ में एक मौलिक प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, जिस पर भी इस कमेटी को गहराई से विचार करना बहुत आवश्यक है।

आज जो करप्शन दुनिया में और देश में बढ़ रहा है, चोर बाजारी, तस्करी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यह उस व्यवस्था की देन है, जिस पूंजीवादी विकास की व्यवस्था को सरकार ने अपनाया है, उसमें इस देश और प्रदेश का आर्थिक ढांचा चरमरा रहा है, टूट रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में एक पुस्तिका सदन के पटल पर रखी है, वह सही बात की है, हम सब को प्रदेश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान कराने के लिए किया है और उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं, इस दृष्टि से किया है, लेकिन जो पूंजीवादी विकास का रास्ता केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार ने अर्थात् कांग्रेस सरकार ने अपनाया है, आज उसके वजह से देश की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। तस्करी, रिश्वतखोरी, चोरबाजारी और जमाखोरी बढ़ रही है। इनका मुकाबला करने के लिए सरकार ने कुछ हल्के से कदम भी उठाये हैं, जिससे इस व्यवस्था को तोड़ा जा सके। तस्करों पर हमले हुए हैं, उनको उठा कर जेलों में पहुंचाया गया है। कुछ जमाखोरों के खिलाफ भी कार्यवाही हुई है। कुछ रिश्वतखोरी और चोरबाजारी करने वालों को भी पकड़ कर जेलों में बन्द किया गया है। तो यह कमेटी इस प्रश्न पर भी विचार करेगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, जो हमारे रास्ते में बाधक हैं जिनको हटा कर उन लोगों को जो ऊंची-ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, सचिवालय के अन्दर और बाहर भी, ऊंचे-ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं तथा वह राजनीतिक लोग जो तस्करों और भ्रष्टाचारियों से सांठ-गांठ रखते हैं, अपने राजनैतिक लाभ लिए उनसे पैसा लेते हैं, उन सब का पर्दाफाश करके उन्हें भी हाजी मस्तान और बखिया के बगल में जेल में रखा जा सके। इस बुनियादी प्रश्न पर भी वह कमेटी विचार करेगी।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने मुख्य मंत्री जी से, वह हर सार्वजनिक भाषण में यह कहते हैं कि मैं प्रदेश में करप्शन से लड़ रहा हूं, उसको मिटा कर रहूंगा। जब उनकी छपी हुई तस्वीरों को देखता हूं तो मालूम होता है कि वह बड़े संकल्प के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ मुट्ठी बन्द करके कह रहे हैं। इसलिए उनसे विशेष रूप से कहूंगा कि इस प्रश्न को वह दलगत प्रश्न और पार्टी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। हम सब को भ्रष्टाचारियों, तस्करों और जमाखोरों और चोरबाजारियों से लड़ना है, पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था को चकनाचूर करना है तो तस्कर चाहे सरकारी कुर्सियों पर हों या बाहर हों, उनके लिए समान व्यवस्था आपको करनी होगी। इसलिए आपसे अपील है और आपको सदन में खड़े होकर कहना चाहिए कि मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है और आपको सदन की उक्त कमेटी बनाने के लिए आगे आना चाहिए।

*बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश वह प्रान्त है, जहां फी दो घंटे पर एक कत्ल होता है, हर एक घंटे में एक डकैती पड़ती है जहां तक स्कैंडल का सवाल है घोटाले का सवाल है हर क्षण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं न कहीं कोई न कोई घोटाला हो रहा है, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ग्रीष्मकालीन सत्र में माननीय खाद्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि इस बाजरा कांड और पैडी स्कैंडल पर कोई जांच हो रही है। मैं माननीय खाद्य मंत्री से पूछ ना चाहूंगा कि यह आश्वासन किस आधार पर दिया था, क्या उन अभियुक्तों के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी या नहीं? नम्बर २, इस छः महीने के दौरान में उस जांच का क्या परिणाम हुआ है। क्या उसको माननीय खाद्य मंत्री रखेंगी? माननीय अध्यक्ष महोदय की टेबिल पर वह आ जाय। इसके अलावा बाजरा कांड में कुछ ऐसे वाक्यात हैं जिनसे स्पष्ट जाहिर होता है कि यहां के उच्च अधिकारी ही नहीं बल्कि मंत्री जी भी, यहां के मुख्य मंत्री भी उसमें शामिल हैं। एक आदर्श समिति जिसकी कोई कल्पना नहीं उसको लाइसेंस देना एक अनहोनी, घटना है। १० हजार क्विंटल बाजरा का लाइसेन्स दे देना एक अजीबो गरीब बात है। २ हजार ६२८ क्विंटल बाजरा जिस समय दिल्ली में बिक चुका है तब अधिकारियों और मंत्रियों को भान होता है कि हमारे यहां कुछ गड़बड़ी है। उसके बाद शायद पौन या एक साल समाप्त होने आया अभी तक उसके ऊपर कोई जानकारी या रिपोर्ट कि कहां तक ओम प्रकाश दोषी है या माननीय मुख्य मंत्री दोषी हैं या माननीय मंत्री जी दोषी हैं या अधिकारी दोषी हैं इस सिलसिले में कोई जूं तक नहीं रेंगी। जब कुछ विरोधी नेताओं ने इस मामले को उठाया तब चर्चा होने लगी कि कोई बाजरा और पैडी स्कैंडल हुआ है।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि जून १९७३ में जब यह आदर्श समिति से दरख्वास्तें ली गयी थीं उस समय उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति अच्छी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब जून १९७३ में उत्तर प्रदेश की खाद्य स्थिति अच्छी नहीं थी तो हमारे यहां से क्या बाजरा और चावल दूसरे प्रदेशों को दे सकते थे। इससे साफ जाहिर होता है कि जिन गुंडे, बदमाश, तस्करों ने जाली फर्म का निर्माण किया उसमें खाद्य मंत्री का जरूर कोई न कोई हाथ होगा। भविष्य में, ऐसी कोई न कोई कार्यवाही की जाय जिससे ऐसी घटना न हो। इसको हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। यह बहुत बड़ी दुर्घटना की बात है। जब कोई इस तरह का डील होता है तो गुड्स ट्रेन से भेजा जाता है। लेकिन इस केस में बाजरा दिल्ली जायगा, वहां से राजस्थान होता हुआ गुजरात जायगा। यह क्या रूट था, क्या माननीय मंत्री जी ने या अधिकारियों ने इसको नहीं देखा था? उत्तर प्रदेश की सरकार जो नाकाबिल है, धोखाधड़ी का व्यवहार करती है। इस तरह से स्कैंडल, साधारण घटना नहीं है। जो माननीय चौधरी साहब ने मांग की है तथ्य इस सदन के सामने आने चाहिए ताकि जनता को पता चल जाय कि इसमें किन, बदमाश, और तस्करों का हाथ है और चाहे वह तस्कर हों या मंत्री या पदाधिकारी हों उनको जरूर दण्ड दिया जाय। यह हमारी मांग है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जो प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया गया है और उससे संबंधित जो बातें कही गयी हैं कुछ तथ्य संबंधी बातों की संबंध में अभी कहूंगी। प्रस्ताव की ग्राह्यता, या प्रस्ताव को हमें स्वीकार करना है या नहीं करना है, बहस के बाद यह सदन तय करेगा कि क्या किया जाय। इसके ऊपर दो तीन बातें कहना चाहती हूं और वह यह है कि पिछले सदन में जो आश्वासन सरकार का था आज भी सरकार उसके ऊपर दृढ़ है। सरकार ने उस समय माननीय सदन को जिस गम्भीरता के साथ यह आश्वासन दिया था कि दोषी व्यक्तियों को नहीं छोड़ा जायेगा और इसकी जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी। आज भी सरकार कार्यवाही कर रही है। यह आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि जो सरकार की तरफ बाजरा

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

स्कैंडल के सम्बन्ध में एफ० आई० आर० लिखाई है, आज मैं सदन के सामने उपस्थित है तो कुछ काम करके, कुछ कदम उठा कर आपके सामने आई हूं।हमने केवल कहा ही नहीं है बल्कि कार्य किया है।

अब २–३ सवाल हैं। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि उस समय कहा गया था कि सी० आई० डी० की जांच करा रहे हैं।जांच के बाद तुरन्त कार्यवाही हो जानी चाहिये थी। माननीय नेता विरोधी दल शासन के काम करने के ढंग को अच्छी तरह से जानते हैं कि किस-किस तरह से अलग-अलग काम किया जाता है। जिस समय पिछली विधान सभा में माननीय सत्य प्रकाश जी के उत्तर में कहा था कि अभी माले को इंटेलीऐन्स विभाग को सौंपा गया है। हमारे यहां यह होता है कि पहले इटैलीजेंस विभाग खुफिया तौर पर जांच कर लेता है और तथ्यों की जानकारी कर लेता है। इसके बाद उसको सी० आई० डी० विभाग को दिया जाता है। सरकार की तरफ से जो कहा गया उसकी कोई दूसरी मंशा नहीं थी। इसीलिए आश्वासन देने दूसरे तीसरे दिन ही मुख्य मंत्री ने आदेश कर दिये थे और सूचना विभाग को सुपुर्द कर दिया था। दुबारा प्रश्न किया गया तो मैंने कहा था कि १०, १५ दिन में रिपोर्ट आने की सम्भावना है।वह इस सन्दर्भ में कहा था कि यहां पर प्रश्न उपस्थित था। जब मैंने अधिकारियों से जानकारी की तो मुझे बताया गया कि रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी और १०, १५ दिन में रिपोर्ट तैयार होना सम्भव है। इसलिये मैंने वही कह दिया था।

चौधरी चरण सिंह––

माननीय मंत्री जी का सूचना विभाग से क्या अर्थ है और आपने कहा था कि १०/१५ दिन में रिपोर्ट आ जायेगी तो उसका क्या अर्थ है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

पहले हमारे यहां इंटैलीजेंस विभाग द्वारा खुफिया जांच होती है और उसके हो जाने के बाद आगे कार्यवाही होती है। इसके दो हिस्से कर दिये गये हैं। पहले इंटेलीजेन्स विभाग द्वारा खुफिया जांच होती है। उसके बाद सी० आई० डी० द्वारा जांच होती है। वह मामले की पूरी तफतीश करती है। इसके बाद एफ० आई० आर० की बात कही गई। ठीक है, पूरी जांच करने के लिये सरकार मजबूर थी और सरकार ने उसको किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं। क्राइम इंटीवेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट क्राइम की जांच करता है तो यहां इंटेलीजेन्स का सवाल कहां से आता है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी––

माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने कहा था तो मेरे कहने का तात्पर्य खुफिया जांच से था जिसको इंटेलीजेन्स विभाग करता है। फिर सी० आई० डी० की मार्फत क्राइम का इंवेस्टीगेशन होता है।इसलिये अब खुफिया जांच के बाद कार्यवाही आरम्भ हुई है उसके आधार पर। अब पूरी इंवेस्टीगेशन चलेगी और जितने लोग दोषी पाये जायंगे और जो तथ्य आयेंगे उनकी सी० आई० डी० पूरे तरीके से जांच करेगी।

चौधरी चरण सिंह––

मैं मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे इल्म है, मेरे पास भी पुलिस विभाग रहा है, इंटेलीजेंस रिपोर्ट उस समय मंगाई जाती है कि जिससे वह जो संबंधित व्यक्ति है उसको इल्म भी न हो और जब यह सारी बातचीत सेक्रेटरी मालूम कर चुके और आर० एफ० सी० का नाम आ गया,

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुजरात का आ गया, भावनगर का आ गया, तो इन्टेलीऐन्स का तहकीकात कराने का कोई माने नहीं रखता। आप मुख्य मंत्री का नाम स्वयं लेती हैं। आपने यहां वायदा किया कि वह १०–१५ दिन के अन्दर रिपोर्ट आ जायगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

एक सवाल मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सब-इन्सपेक्टर, हजरतगंज श्री कमलापति त्रिपाठी को हथकड़ी लगा कर लायेंगे? उनको अधिकार है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो इंग्जाइटी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्या हो सकती है? मान्यवर, जो लोग भी इसमें शामिल हों, जो हमारी सी० आई० डी० इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, जो सरकारी आदेश दिये जा चुके हैं जांच में कोई भी दोषी व्यक्ति छूटने नहीं पायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार वर्ग—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत है फैक्ट कहा जा रहा है। जब एक आदमी के नाम एफ० आई० आर० लाज हो चुकी है तो किस कानून के अन्तर्गत कमलापति त्रिपाठी या और किसी को प्रासीक्युट करेंगे?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य शांति से सुनना चाहें तो जो प्रस्ताव है उस पर बोलूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मान्यवर, क्या इंदिरागांधी को आप इस जांच के द्वारा ले सकती हैं?

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

कानून के अन्तर्गत कमलापति त्रिपाठी को ले सकती हैं।

चौधरी चरण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आदमी के खिलाफ एफ० आई० आर० लिखाई गई है, तो एम० एल० ए०, मिनिस्टर के खिलाफ कार्यवाही कब होगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसमें ओम प्रकाश आदि हैं। सी० आई० डी० इन्वेस्टिगेशन में जो भी व्यक्ति सामने आयेंगे उन सबों के ऊपर कार्यवाही होगी।

चौधरी चरण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें आदि नहीं है। उसमें ओम प्रकाश शर्मा हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश शर्मा कोन हैं? क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

मान्यवर, जो थाने में रिपोर्ट दर्ज है वह पब्लिक डाकूमेन्ट है, उसमें हमें छिपाने की कोई बात नहीं है। आप स्वयं इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। माननीय सदस्यों की सुविधा के लिए उस रिपोर्ट को छपवा कर दिया भी जा सकता है।सरकार किसी तथ्य को जानबूझकर छिपाना नहीं चाहती है। किसी तथ्य को जानबूझकर छिपाना नहीं चाहती हूं और न गवर्नमेंट ही छिपाने की बात करती है। मैं केवल इतना ही कहती हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा आरोप है कि ऐसा कह कर माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इन्हें स्पष्ट बताना चाहिए कि ओम प्रकाश शर्मा कौन व्यक्ति है?

श्री अध्यक्ष—

आप जानना क्या चाहते हैं। अगर कोई बात होगी तो आप लिख कर दे देंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

ये कौन व्यक्ति हैं, मैं जानना चाहता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह तो प्रस्ताव रखा गया है उसके पक्ष में माननीय मंत्री जी बोल रही हैं या विपक्ष में बोल रही हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है बल्कि दिमाग की हरकत करें, कोशिश करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

जो प्रस्ताव रखा गया है उसी के संबंध में बोलें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी—

मैं यह कह रही हूं...

श्री मधूकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

आप अपने अफसरों से पूछ लें कि ४२० का मुकदमा दिया जाता है या नहीं। मेरेख्याल में नहीं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

दिया जाता है और इसीलिए दिया गया।

श्री मधुकर दिघे—

यह फौजदारी का मुकदमा नहीं है। जब इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेन्ट ने रिपोर्ट दे दी तो वह खुद इसको चलाये।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जिन सदस्यों को जिस प्रकार और जो कुछ कहना था वह कह चुके हैं गम्भीरता से हमने उनकी बातों को सुना। जो तथ्य सदन के सामने लाना चाहती थी वह ला रही हूं, वह सुनें। सरकार द्वारा बराबर कार्यवाही चालू रही और जब सूचना बिभाग ने मांग की कि हस्तक्षेपणीय

अपराध की आवश्यकता है और उसके बाद गोपनीय जांच सी०आई० डी० को दे दी गयी। उसके बाद मुकदमा चलाया जा सकता है। दूसरा प्रोसेस आरम्भ हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्यवाही चालू हो गयी है और इस में कोई विलम्ब करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। यह तो बाजरा से सम्बन्धित है। अब माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ व्यक्तियों के नाम लिए। यह सब सही है या गलत, इस सम्बन्ध में कहना संभव नहीं है। अब रह गया है दूसरा सवाल जो सीड के सम्बन्ध में है। यह कहा गया कि एप्रूव्ड लेवल्ड सीड के नाम पर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र से बाहर गुजरात, महाराष्ट्र या दूसरी जगहों को जा रहा है। स्वयं त्रिपाठी जी ने कहा कि हमारे एस०एम०आई० ने रिपोर्ट दर्ज करायी है। अगर हमारा डिपार्टमेन्ट इस सम्बन्ध में स्ट्रिक्ट न होता तो वह रिपोर्ट क्यों लिखाता और एक ही रिपोर्ट उसने नहीं लिखायी बल्कि दो-दो रिपोर्ट लिखायी है।

इन रिपोर्टों को माननीय त्रिपाठी जी ने दिन के समक्ष प्रस्तुत भी किया है। आप यह ठीक कहते हैं लेकिन जब सरकार की नोटिस में कोई चीज आती है तो उसके बाद कदम उठाती है और जैसे ही यह बात हमारी नोटिस में आई, हमने तुरन्त कार्यवाही की। १६ तारीख को रिपोट आई और हमरे २ वरिष्ठ अधिकारी उसके लिये गये और वहां जाकर उन्होंने कहा कि तराई क्षेत्र में इस तरह की चीज के नाम पर धान या चावल जाता है, तो हमने सोचा कि इसको रोकने के लिये क्या व्यवस्था की जाय। काफी जांच पड़ताल के उपरान्त हमने यह सोचा कि प्रारम्भ में पुलिस महानिरीक्षक को सुपुर्द किया जाय। खाद्य विभाग बराबर इसमें सतर्क रहा और जैसे ही हमारे पास तार आये बेनामी पत्र आये, कि इस तरह की चीज हो रही है तो हमने फौरन कार्यवाही की और इसे जांच के लिये दे दिया। उन दिनों भी इस सदन में यह प्रश्न उठाया गया था जब टाइम्स आफ इंडिया में छपा था और जो सदन में भावनायें व्यक्त की गईं थीं, उनको ध्यान में रखते हुये पहले तो सी०आई०डी० द्वारा जांच कराने को सोचा था चूंकि इन्टर स्टेट का मामला था इसलिये उसके तीसरे दिन सी० बी० आई० द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया गया। उस सम्बन्ध में भी हमारे दो अधिकारी गये, उस जानकारी के बारे में जो उन्होंने चाही थी। मामला चलता रहा। यह नहीं है कि जांच कहीं पर रुकी हो। फिर सी० बी० आई० वालों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी सी० आई० डी० द्वारा ही जांच करा ले। जैसे ही हमें यह सूचना मिली हमने भी सोचा कि करना तो हमें ही है, इसलिये इस मामले को सी० आई० डी० को ही दे दिया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारी सरकार बड़ी मासूम है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

सरकार मासूम तो नहीं है। हमें तो काम करना ही था। अगर सी० बी० आई०ने नहीं किया तो हमको तो करना ही था। यह चीज पुरानी हो गई है। जो तथ्य आये, हमने भारत सरकार को लिखा। हमने लिखा है ट्रुथफुली लेबिल्ड सीड जो कि बे रोक टोक उत्तर प्रदेश से बाहर जाने का प्रश्न है, उसको समाप्त किया जाय और मिनिस्टर लेविल से यह तय करा लिया है कि उत्तर प्रदेश से बाहर बिना नियम के, कानून को तोड़ कर कोई तस्करी के कार्य को न करें यह चीज हमारे नोटिस में आई और जैसे कि सदन के माननीय सदस्यों ने और कामों के पूर्व इस पर चर्चा करने का आग्रह किया ठीक उसी प्रकार से सरकार भी इसको गम्भीर समझते हुए इसमें लगी हुई है। जो बात हो गई है, उसमें जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे, उनको उचित सजा दी जायगी।

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

जहां तक आपने डिप्टी सैकेट्री के परि-पत्र का जिक्र किया यह उस समय का था कि जब ट्रूथ-फुल्ली लेबिल्ड सीड पर भारत सरकार द्वारा कोई रोक नहीं थी लेकिन हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि हम इस झंझठ में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब हमने पूरी रोक लगा दी है कि चावल पैडी प्रदेश से बाहर जाने ही न पाये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

यह पत्र इस के बाद में लिखा गया था या पहले ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

इसे बाद में देखकर बता दूंगी कि हरि मोहन सिंह जी का पत्र पहले की तारीख का था या बाद का लेकिन यह सही है कि जैसे ही हमारे सामने ये तथ्य आये, हमारे विभाग ने बड़ी सतर्कता से काम किया कि इसमें रुकावट कैसे डाली जाय और दोषी व्यक्तियों को कैसे दंडित किया जाय

श्री हरि केवल (जिला देवरिया)---

यह सदन को गुमराह करने वाली बात छोड़ दे। जो मंत्री जी, के सोर्स से जानकारी आयी है और उसके विपरीत लोगों ने जो सूचना दी है उस रपट को सदन में कहें। और इस प्रदेश को तस्करों और भ्रष्टाचर से बचाना है तो नैतिकता इसी में है कि चौधरी साहब ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश किया है उसको एकदम से स्वीकार करें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जहां तक तस्करी का सवाल है माननीय सदस्य जो अभी बहुत जोर से चिल्ला रहे थे वह स्वयं इस बात को जानते हैं कि तस्करी रोकने के लिये किस कदर सरकार तत्पर है। पूर्वी जिलों में जो हम ८ किलोमीटर से आगे नहीं बढ़ने देते हैं उसके लिये पूर्वी जिलों के एम०एल०एज० आ कर हमसे कहते हैं कि यह प्रतिबन्ध हटा दिया जाय। लेकिन उनके कहने के बावजूद हमने ८ किलोमीटर की रोक लगा रखी है। यह इसी लिये किया है कि तस्करी बन्द हो। जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि यह धान पता नहीं कहां चला गया तो हम बहुत से व्यापारी पूर्वी जिलों से परमिट कटवाते हैं और फिर बिहार बार्डर की तरफ ले जाते हैं। तो यह पूरा मैटर आफ इन्वेस्टिगेशन का है। तो हमने तो अपने समय में जहां तक हो सकता था लोगों को सस्पेंड करके, नौकरी से निकाल करके तस्करी को रोकने के लिये पूरा कानून बनाया।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)---

आपने पूर्वी जिलों के एम० एल० एज० पर आक्षेप किया है। मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यह बताइये कि गरीब लोग दो, चार किलो राशन परतावल बाजार से सेमकोला तरया सुजान और मुंडरेवा बाजार नहीं ले जा सकते हैं।एक ही जिलें में १०-२० थाने हैं तो एक थाने से दूसरे थाने नहीं ले जा पा रहें हैं और आपने इतना सामान चुरा लिया। इससे आप मुकर रही हैं। उसके लिये नाना प्रकार की बातें कह कर सदन को गुमराह कर रही हैं और सदन के सारे एम० एल० एज० के वक्तव्य को असत्य साबित कर रही हैं। इसके माने हैं कि आप उत्तर प्रदेश की साढ़े ७ करोड़ जनता को गुमराह कर रही हैं और अन्धकार में डाल रही हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही हैं। छोटे-छोटे बनिया जो जिले में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं उन पर तो आपने रोक लगा दी और लाखों रुपयें का घोटाला आपने कर दिया। इस पर शर्म आनी चाहिये इस सरकार को। इस सरकार के अन्दर कोई नैतिकता नहीं है। इस्तीफा दे देना चाहिये बहुगुणा मंत्रिमंडल को।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मंत्री जी ने पूर्वी जिलों के एम०एल०एज० को कहा। पता नहीं किसने कहा। मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। मैंने तो लिख कर दिया था, नाम भी दिया था और डिस्ट्रिक्ट लेविल की अथारिटीज का नाम दिया था जो तस्करी कराते हैं। जवाब आ गया कि जांच की, कुछ नहीं मिला। मैंने जांच की, बिल्कुल सही मैंने लिखा था। हमारे साथ कोई चले, मै बेट करता हूं कि जो तस्करी चल रही है उसको आपके सामने ला दूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

(व्यवधान) सी०बी०आई० के रिपोर्ट को सदन में रखने में क्या आपत्ति है?

श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ)--

६ आदमियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखायी गयी, नाम क्यों नहीं बताया जा रहा है, आदि-आदि क्यों कहा गया? (व्यवधान) यह ओम प्रकाश शर्मा कौन हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह तो मुझे भी अभी नहीं मालूम कि ओमप्राश शर्मा कौन हैं। रिपोर्ट में शब्द आदि आदि है। ओम प्रकाश शर्मा हैं हैंडलिंग एजेन्ट के रूप में कई जगह आये हैं (व्यवधान--शोर)

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से हल्ला मचाने से काम कैसे चलेगा ...(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

एक भी बात का जवाब नहीं दिया गया....

श्री चन्दन सिंह (जिला मथुरा)--

आप लोगों से निवेदन है कि अब आप लोग धैर्य के साथ ओम प्रकाश शर्मा को सुनें कृपया उनको बोलने का अवसर दें.....

(हंसी--व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह--

वाकयात कुछ और हैं और जवाब कुछ और है। आप फरमा रही हैं कि आदि-आदि शब्द लिखा है। हमारे पास भी नकल मौजूद है, अब कानून न तो श्रीमती राजेन्द्र कुमारी जी जानती हैं न बहुगुणा जी जानते हैं। इसलिये यह मुश्किल हो गयी है। इस्तगासा या अर्जी दावे की जब कोई नकल मिलती है तो उसके शुरू में हेडिंग में "ए" वर्सेज बी एक्सेटरा या बी०सी०डी० और डी० कई मुल्जिमान है या मुद्दई या मुद्दालय हैं तो एक्सेटरा वर्सेज बी० लिखा होता है लेकिन मुल्जिमान में सब का नाम होगा या बी मुद्दालय है तो मुल्जिमान में सब का नाम होगा। जो आपने पढ़ कर सुनाया उसमें श्री ओम प्रकाश शर्मा आदि कहीं नहीं है और आपने कहा है कि है, तो इसका माने यह है कि आप गलत बयानी कर रही हैं और जानबूझ कर रही हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मै कोई कानून की पंडित तो हूं नहीं, यह बात सही है। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई इन्कार नहीं है लेकिन इतना मैं कहती हूं कि जो कुछ मेरी जानकारी है उसी के आधार पर मैं यह कह रही हूं। जो रिपोर्ट लिखायी गयी है हरजतगंज

[डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

थाने में उसमें श्री ओम प्रकाश शर्मा आदि ही लिखाया गया है। मैं चौधरी साहब के पास उस रिपोर्ट की कापी भेज भी दूंगी। मैं सदन को गुमराह नहीं कर रही हूं और न कोई गलतबयानी ही कर रही हूं।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

इस मामले से संबंधित किसी कागज या किसी फाइल में श्री ओम प्रकाश की कोई फोटो भी मौजूद है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह सारा मामला सदन के सामने मौजूद है। सी० आई० डी० इसकी इनक्वायरी करेगी कि किसकी फोटो वहां है और किसकी नहीं है, या कहां है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, मैं उस रिपोर्ट को पढ़ कर सुना देती हूं।

(व्यवधान)

माधव बाबू एक अच्छे वकील हैं और क्रिमिनल साइड के वकील हैं, वें इसको ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि रिपोर्ट में क्या है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल ने कहा था कि रिपोर्ट में क्या लिखा है पढ़ कर सुना दें। तो उसमें लिखा है:--

दिनांक घटना--१०-३-७३ से लगायत २-७-७३ तक।

दिनांक सूचना--१६-१२-७४।

नाम व पता वादी श्री धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा, आयुक्त एवं सचिव, गृह उ०प्र० शासन, लखनऊ।

बनाम

श्री ओम प्रकाश शर्मा आदि

आई० ओ० श्री द्वारिका सिंह, सेक्टर आफिसर, अपराध शाखा, सी० आई० डी०, आगरा।

नकल तहरीर हिन्दी

धर्मेन्द्र मोहन सिन्हा सील

आयुक्त एवं सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश।

चौधरी चरण सिंह--

अन्दर क्या लिखा है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अन्दर किसी का नाम नहीं है। इसलिये किसी का नाम नही है क्योंकि अभी सी०आई०डी० इनवेस्टिगेशन करेगी उसके बाद पता लगेगा कि कौन है क्या चीज है। केवल इतना जो तथ्य थोड़ा सा प्रीलिमिनरी सामने आया, उसी के ऊपर यह रिपोर्ट लिखी गई है। इस सदन से फिर मैं यह कहती हूं कि यह सरकार किसी भी दोषी व्यक्ति को छोड़ने वाली नही है। जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसे कठघरे में खड़ा करके रखा जायेगा और किसी भी हालत में उसे छोड़ा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

(हंसी और शोर)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय नेता बिरोधी दल, और उधर के बैठने वाले सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरे इस आग्रह के पीछे ऐसा मंतव्य नहीं है कि कोई इस तरह का अगर अपराध हुआ है और जिस अपराध के लिये उधर के लोग व्यग्र हैं, तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इधर के लोग भी ऐसे अपराध के छिपाने के पक्ष में नहीं हैं और इसकी जानकारी चाहते हैं ।

(मेंजों की थपथपाहट)

मान्यवर, प्रश्न यह है कि जो हमारी प्रक्रिया नियमावली है, जिस धारा का उल्लेख माननीय नेता बिरोधी दल ने किया है, मैं अगर भूलता नहीं हूं (शोर) मेरे निवेदन से आप सभी को समझने में आसानी होगी और खासकर मै चौधरी साहब से आग्रह करूंगा, क्योंकि नियमों के बारे में मेरा विश्वास है कि चौधरी साहब मुझसे अधिक जानते हैं ।

मान्यवर, नियम २०० के अन्तर्गत यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है ।

श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

नियमों की बात नहीं चलेगी ।

(हंसी और शोर)

*श्री रामायण राय—

मान्यवर, नियम २०० के अन्तर्गत जब कोई समिति गठित होगी तो उस समिति के लिये आवश्यक होगा कि वह समिति नियम १०५ में जो शर्तें दी गयी हैं उन शर्तों को पूरा करे। मै आप सबको इन नियमों के बारे मे संक्षेप में बता देना चाहता हूं.....

(हंसी–शोर)

जहां तक आपके प्रस्ताव के विषय का संबंध है, मान्यवर, जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वह नियम १०५ में जो शर्तें दी गई हैं वह उन शर्तों को पूरा नहीं करता है और मान्यवर मान लीजिये....

(शोर)

श्री बांके लाल—

मान्यवर, नियमों का हवाला देकर सत्य और न्याय को नहीं दबाया जा सकता है । मैं तो कहता हूं कि न्याय होना चाहिये । इस संबंध में कोई कमेटी बनायी जानी चाहिये । नियम नियमों के लिये बने हैं और जब नियमों के अनुसार कार्य नहीं होते हैं तो नियमों को तोड़ा भी जाता है। जहां सत्य और न्याय का गला घोंटा जा रहा हो वहां नियमों का हवाला देने से कुछ नहीं होगा, वहां नियम तोड़े जायेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

आज यहां पर नियमों का हवाला दिया जा रहा है । जब यह घपला हो रहा था, उस समय भी तो उस संबंध में कुछ नियम थे, क्या वह नियम उस समय सो गये थे । आप एक यहां पर कमेटी बनायें जो इस मामले का पता लगाये ।

(शोर) (कई माननीय सदस्यों ने साथ-साथ बोलना शुरू किया)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, एक तरफ यह कहा जाता है कि हम जनतंत्र में विश्वास रखते हैं तो इस नियमावली के अन्तर्गत आपकी आज्ञा से कोई ऐसी समिति गठित नहीं हो सकती है कि जिस समिति में दलीय संख्या का ध्यान न रखा जाय.....

श्री जनार्दन प्रसाद झोझा—

जब यह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत है तो उसमें आप अपने विचार व्यक्त करें। नियमों का सवाल ऐसे समय में उठाया है तो उसका क्या औचित्य है ?

(शोरगुल)

श्री रामायण राय—

प्रस्ताव उन नियमों के बिलकुल विपरीत है इसलिये मैं नियमों का उल्लेख करना चाहता हूं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष—

सब अपनी-अपनी राय देते हैं इसलिये सुन लीजिये। कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। केवल राय दे रहे हैं।

श्री बांके लाल—

जब बहस चल रही है तब नियमों की आवश्यकता क्या है ?

चौधरी चरण सिंह—

श्री रामायण राय जी की तरफ से जो सवाल उठाया गया है। तो पहली बात यह है कि इस बात यह इन्टरटेन नहीं हो सकती है में शुरू में होना चाहिये था। १०५ में है कि सार्वजनिक महत्व पर चर्चा नहीं होगी, परन्तु यह नहीं कि इसको हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। कमेटी के एप्वाइन्टमेन्ट का प्रस्ताव है सेशन २०० में। इसको आप रूल आउट क्यों नहीं कर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मान लीजिये कि माननीय सदस्य कोई वैधानिक आपत्ति करना चाहते हैं तो उसको हम शून्य कर देते। परन्तु यह विचार व्यक्त कर रहे हैं इसलिये इजाजत देता हूं।

चौधरी चरण सिंह—

वैधानिक आपत्ति शुरू में करनी चाहिये थी परन्तु उन्होंने शुरू में नहीं की। इसलिये बोलने की इनको इजाजत क्यों दे रहे हैं ? कमेटी में तय हुआ है कि बहस होगी और इसको सरकार ने एग्री किया है। आधी बहस हो गयी तब आप खड़े हुये कि नहीं होनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि इस स्टेज में वैधानिक आपत्ति ठीक नहीं होती। यदि होती तो माननीय रामायण राय सबसे पहले इसको उठाते। अब विचारों की हैसियत है। जो कह रहे हैं कि वह उनके विचार हैं। अपने अपने तर्क रखे और वह अपने रख रहे हैं। इसमें कोई वैधानिक आपत्ति नहीं की जानी चाहिये।

श्री बांके लाल—

ऐसा नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं। आपमें सुनने की क्षमता होनी चाहिये। मैं नेता, विरोधी दल से कहूंगा कि अपने दल के सदस्यों को संयत करें। अगर बहम चलानी है तो अपने सदस्यों को अनुशासन में रक्खें।

श्री बांके लाल—

आप संयम से काम लें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री बांके लाल—

मैं अपनी बात अवश्य कहूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको चेतावनी देता हूं। अगर आप नहीं बैठेंगे तो कार्यवाही की जावेगी। आप इस सदन में रहने लायक नहीं हैं।

श्री बांके लाल—

मुझे इसकी परवा नहीं है। आप मेरी पार्टी छोड़कर चले गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

बांकेलाल जी को इसकी परवाह होगी, इसको मैं जानता हूं और वह जानते हैं।

चौधरी चरण सिंह—

मुझे बड़ी शिकायत है कि आप गुस्सा अच्छी तरह से करते ही नहीं हैं। अब आप इजाजत देकर विचार करने का मौका दें। हाउस चलाना है तो यह होना चाहिये।

श्री रामायण राय—

बाजरा और धान कांड के सम्बन्ध में जितने लोगों के नाम लिये गये उनमें से एक माननीय सदस्य जिनका नाम लिया गया वह उस समय इस सदन के सदस्य नहीं थे। कोई भी सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं रहा उसको विशेषाधिकार की परिधि में लाने का प्रस्ताव करना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई सदस्य नहीं भी है तो भी विधान सभा जुर्म से बचाव की जगह नहीं है।

श्री रामायण राय—

मैं इस बात को मानते हुये स्वयं यह कह रहा हूं कि विधान सभा का कोई भी माननीय सदस्य अपराध छिपाने की नियत नहीं रखता, है इसलिये माननीय खाद्य मंत्री जी ने और मुख्य मंत्री जी ने नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेताओं को दावत दी थी कि आइये और रपट देख लीजिये लेकिन मुख्य मंत्रीजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया। आप इस बात को मानेंगे कि अगर सारी रिपोर्ट इस सदन में रख दी जाय तो बहुत से ऐसे तथ्य प्रकाश में आवेंगे जिनसे अपराधी को बचाने का मौका मिल जावेगा।

[श्री रामायण राय]

समिति का गठन करने से ऐसा हो सकता है कि अपराधी को उससे लाभ हो सकता है । मैं मान्यवर, आपसे आग्रह करूंगा कि इंगलैंड में भी जहां जनतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं, ऐसा नहीं होता है । ऐसी समितियों में शासक दल के लोग बहुमत में होते हैं और विरोधी दल के लोग अल्पमत में होते हैं, और दलीय आधार पर बात होती है और किसी उचित निर्णय पर आना मुश्किल हो जाता है । इसलिये अपराध के बारे में कोई फैसला देना विहित नहीं किया जा सकता है, इसलिये मैंने, मान्यवर, आग्रह किया था कि जो प्रस्ताव रखा गया है, उस प्रस्ताव के माध्यम से जिस लक्ष्य की प्राप्ति की चेष्टा की जा रही है, वह पूरा नहीं हो सकता है । तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के बारे में बात कही गयी । मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कोई मंत्री अपनी मंत्री की हैसियत से अगर करता है तो उस पर विशेषाधिकार का विषय इस सदन का नहीं हो सकता है लेकिन अगर माननीय सदस्य की हैसियत से करता है तो वह विशेषाधिकार की परिधि में आ सकता है .

श्री अध्यक्ष---

यह विशेषाधिकार की बात का नहीं है ।

श्री रामायण राय---

विशेषाधिकार के संबंध में चर्चा की जा रही है । चौधरी साहब ने स्वयं इस बात को कहा है ।

चौधरी चरण सिंह---

मान्यवर, आप बतलायें कि इस तरह की बात अगर होगी, तो हाउस कैसे चलेगा ? विशेषाधिकार की है कहीं इसमें ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो मैंने कह दिया, कि नहीं है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अध्यक्ष जी मेरी प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव पर निर्णय लेने के लिये लोग अलग-अलग मत प्रकट कर रहे हैं । हमारे दल ने एक बात भी नहीं कही । हम तो शांति से सदन का निर्णय चाहते हैं । अगर कोई माननीय सदस्य राय देते हैं कि इस कमेटी के बनने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो वह परिधि के बाहर नहीं है । वह नहीं कह रहे कि सदन में प्रस्ताव नहीं आ सकता ।

एक सदस्य---

मैंने तो ऐसा नहीं सुना ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

अगर मैंने अभी तक कुछ समझा है तो बात असल में यह है कि उधर के लोगों की बात तो हमारी समझ में आ जाती है लेकिन इधर के लोगों की बात उधर के लोगों की समझ में नहीं आती, योंकि शोर होने लगता है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

उधर के लोगों की बात तो खुदा ही समझ सकता है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

मान्यवर, प्रसन्नता की बात है कि माधव बाबू को खुदा याद आया। याद आना ही चाहिये। बकरीद का दूसरा दिन है। जरूर उस तक पहुंचने का आपका इंतजाम है। जहां तक प्रस्ताव की बात है, इनके कहने का यह मतलब नहीं कि प्रस्ताव नहीं आ सकता।

श्री बांके लाल---

लेकिन, आप तो पहुंचे फकीर हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

बड़ी इनायत है आपकी, अगर मुझे पहुंचा हुआ फकीर मानते हैं।

श्री रामायण राय---

मैंने आरम्भ में निवेदन किया था कि नियम २०० के अन्दर प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन प्रस्ताव की भाषा क्या होगी ? जिस कठिनाई के विषय में उस प्रस्ताव को लाया जायेगा, उसके विषय में मैंने निवेदन किया था लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने उसको सुना ही नहीं। मान्यवर, मैं यह आग्रह कर रहा था.....

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)---

आज जनता भूखों मर रही है और ये तस्करी कर रहे हैं। दोनों गाड़ी साथ-साथ नहीं चल सकतीं।

श्री रामायण राय---

मान्यवर, चौधरी साहब ने स्वयं यह बात कही और उनके मुख से सुन कर यह आश्चर्य हुआ कि देश के भीतर अपराधियों के दो वर्ग उन्होंने कर दिये। हमें पढ़ाया गया था कि कानून की दृष्टि में हर आदमी समान होता है लेकिन उन्होंने कहा कि यह साधारण अपराधियों का मामला नहीं है। इसलिये साधारण न्यायालयों से इस प्रदेश में जो आस्था है वह उनको हटती नजर आई।

श्री जंग बहादुर वर्मा---

अगर न्यायालय ही सब कुछ है तो मीसा पर क्यों रोक लगा दी गयी ?

श्री रामायण राय---

मैं आग्रह करूंगा कि जो प्रस्ताव उन्होंने रखा है उसकी असंगति पर वह स्वयं दृष्टिपात करें। वह कहते हैं कि उधर वालों का बहुमत होगा जब कि नियम यह कहता है कि जो दल जिस संख्या में इस सदन में चुन कर आया हुआ है कोई भी समिति जो गठित होगी वह उसी अनुपात में गठित होगी। चौधरी साहब अनोखी समिति बना कर भ्रष्टाचार मिटाने की बात कहते हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वह विश्वास रखें। (व्यवधान) कि अन्न जिन-जिन स्रोतों से ब्लैक मार्केट में जाता है उनको गैर कानूनी करार देकर सरकार ने तमाम अपराधियों को सजा दी (व्यवधान) कोई भी आदमी इधर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये उधर से कम व्याकुल नहीं है लेकिन आप एक्जेक्यूटिव का अधिकार स्वयं लेना चाहते हैं और आपको न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रह गया है। फिर किस पर आपको भरोसा है ? सरकार पहले ही कह चुकी है कि इस मामले में जांच की आवश्यकता है और सरकार मानती है कि अपराध हुआ है और इसलिये ई सरकार की ओर से एफ० आई० आर० दर्ज कराई गयी है। लिहाजा जांच कमीशन की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी

[श्री रामायण राय]

जाय ताकि जिन सबूतों के बल पर हम अपराधियों को सजा देना चाहते हैं वे सबके सामने जाहिर हो जांयं और अपराधी बच जायं और उनको सजा न दी जा सके। इसलिये हम सबूत को सदन के सामने पेश नहीं करना चाहते ।

*श्री रामबाबू (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम राम बाबू मिश्रा है और मैं मथुरा विधान सभाई क्षेत्र २६३ से कांग्रेस के टिकट से चुना गया। भारतीय जनसंघ को साढ़े सात हजार मतों से और चौधरी साहब के दल को १० हजार मतों से मैंने हराया है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में चौधरी साहब ने मेरा नाम लिया। अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण सदन में देना मेरा अधिकार है और उसी लिये मैं खड़ा हुआ हूं। (व्यवधान) मैं चौधरी साहब से गुजारिश करूंगा कि जिस प्रकार हमारे दल के लोगों ने चौधरी साहब को सुना है उसी प्रकार शांति से वे हमारी बात को भी सुनें। मैं कुछ शुरू करूं उससे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी की और इस माननीय सदन की नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं। ८-९ दिसम्बर को मथुरा के एस० पी० ने टेलीफोन करके मुझे बुलाया और मुझसे यह कहा कि मेरे पास एक ऐसी सूचना है कि आपके ऊपर कोई हत्या का षड़यंत्र किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह विनती करना चाहता हूं कि वे मथुरा के एस० पी० से जानकारी लेकर इस सदन को तथ्यों से अवगत करायें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

आपकी उम्र कितनी है ? आपकी उम्र से बड़े तो चौधरी साहब के बच्चे हैं।

श्री राम बाबू--

मान्यवर, मैं सन् ६७ से लेकर सन् ७१ तक इस लखनऊ में "समाचार भारती" कार्यालय का प्रमुख था। इस सदन में १९६७ में हमारे महामहिम चौधरी साहब, दलबदलुओं के शहंशाह इसी मंच से उधर गये थे। (व्यवधान) "समाचार भारती" को ५ लाख रुपये का ऋण सदन ने स्वीकार किया था लेकिन दल बदलने के बाद जब चौधरी साहब मुख्य मन्त्री हो गये तो उन्होंने अपने समय-काल में वह ऋण नहीं दिया ..... (विरोध पक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े हो गये और एक साथ बोलने लगे)।

श्री अध्यक्ष--

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण केवल उन्हीं बातों का दिया जा सकता है जिन बातों का उल्लेख यहां के नेताओं ने आपके बारे में किया हो। यह नहीं है कि आप दुनिया भर की बातें सदन में उठायें। जो प्रश्न उठाया गया है और आपका नाम लिया गया है, हालांकि मैंने नहीं सुना लेकिन मथुरा के एक एम० एल० ए० का नाम आया है, तो आप केवल उसी के बारे में कह सकते हैं।

श्री राम बाबू--

यदि यह बात न कहूं तो मामला साफ नहीं होगा।

श्री अध्य --

अगर आप मामला साफ करना चाहते हैं तो उसके लिये दूसरी विधि है।

श्री राम बाबू--

उन्होंने मेरे चुनाव के बारे में कहा, इसलिये मैं कह रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मथुरा में चौधरी साहब का दिग्विजय का झंडा नहीं बुलन्द हो सका। मान्यवर, इन्होंने एक बात कही थी आपने सुना हो या नहीं सुना हो कि वहां की पूरी कांग्रेस इस लड़के को टिकट देने के खिलाफ थी बड़ा ख्याल आया चौधरी साहब को लेकिन चौधरी साहब इस बात को नहीं जानते हैं कि मैं वहां कांग्रेस का सक्रिय सदस्य था और मथुरा कांग्रेस कमेटी के पैनल में मेरा नाम सबसे ऊपर था (व्यवधान) इस बाजरा-कांड को लेकर मेरे चुनाव में तरह-तरह से प्रचार किया गया और नगाड़े बजाये गये लेकिन उसके बाद भी मैं जीत कर आया। मैं चौधरी साहब को चुनौती देता हूं, मैं बाजरा कांड पर इस्तीफा देने को तैयार हूं और वह भी इस्तीफा दें। मैं साबित कर सकता हूंमैं चौ री साहब तो क्या उनकी धर्मपत्नी इस्तीफा दें और फिर चुनाव लड़ें। चौधरी साहब ने यशपाल कपूर का नाम लिया (व्यवधान)।

श्री सत्यपाल मलिक--

आप अपनी चाची को छपरौली में भेजें चुनाव लड़ने के लिये..... (व्यवधान) यशपाल कपूर वह आदमी है जो लड़कियां सप्लाई करता है.....

श्री राम बाबू--

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रोफेशन पत्रकारिता रहा है (व्यवधान)।

श्री सत्यपाल मलिक--

आप अपनी चाची को चुनाव लड़ने के लिये छपरौली भेजिये, इन्दिरा गांधी को छपरौली चुनाव लड़ने के लिये भेजिये (व्यवधान)...जमानत जब्त कराकर भेजेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अध्यक्ष महोदय, यह मतलब की बात कर रहे हैं। यह अपनी जवान पर नियंत्रण रखें। यह शराब पीकर असंयत होकर बात कर रहे हैं इनका डाक्टरी मुआयना किया जाय। यह बदतमीजी की बातों को कर रहे हैं। यह तस्करों के एजेन्ट हैं और औरतों को सप्लाई करते हैं। यह माननीय सदन तस्करों का अड्डा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सत्यपाल मलिक--

यह तस्करों के एजेन्ट हैं। यह मदहोशी में बात कह रहे हैं। जो लड़कियों की सप्लाई किया करते हैं उनको टिकट दिया गया, मैं बहुगुणा जी की तारीफ करता हूं लेकिन दबाव में आकर इन्हें लड़कियों के दलाल को टिकट देना पड़ा। (व्यवधान) यह कितने बड़े लज्जा की बात है कि प्रधान मन्त्री का एक लफंगा निजी सहायक इस मुल्क की राजनीति को चला रहा है, इस सूबे के मुख्य मन्त्री, एक भले आदमी को नौकर की हैसियत में रखे हुए हैं। प्रधान मन्त्री का एक भ्रष्ट सहायक, कुख्यात आदमी इस सूबे के दो-सवा दो सौ प्रतिनिधियों की जबान पर चिप्पी लगाये हुए है। यह सब बातें अब कदापित नहीं चलेंगी। यहां बदतमीजी होगी और यशपाल कपूर जैसे आदमी जो चापलूसी करके इतने बड़े पद पर पहुंच गया है, उसकी वकालत होगी, तो आप सदन चलवायें ?

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन के दोनों पक्षों के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय राम बाबू मिश्र, एम० एल० ए० और रामबाबू एक प्राइवेट नागरिक दो अलग-अलग हैसियत यहां पर हैं। जैसा यहां पर उन्होंने स्वयं कहा कि एम० एल०ए०

[श्री अध्यक्ष]

मैं उस वक्त नहीं था तो जब बाद में एम० एल० ए० की उनकी हैसियत हुई है, उसमें उनको हक नहीं है कि वह अपनी सफाई दें उस समय की जब वह एम० एल० ए० नहीं केवल एक नागरिक थे। इन दोनों स्थितियों में फर्क होता है। कोई किसी कमेटी का सदस्य होता है और उसमें उसका हित होता है तो उसको हक नहीं होता है कि वह अपनी राय जाहिर करे अथवा वोट करे।

(व्यवधान)

जब श्री रामबाबू मिश्रा एम० एल० ए० नहीं थे, उस वक्त का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें फर्क यह है, जैसे कोई कमेटी होती है, उस कमेटी में जो लोग बैठते हैं, उनका कोई सम्बन्ध, कोई हित किसी मामले में होता है, तो उस पर वह नहीं बोलते हैं और उस पर वोट नहीं करते हैं। तो मैं रामबाबू जी से कहूंगा कि उनको बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है। दूसरे लोग बोल सकते हैं। अब मैं आगे चलता हूं।

एक सदस्य—

जो कुछ भी उन्होंने (राम बाबू मिश्र) ने यहां पर कहा है, उसको आप कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

*श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

जो बहस यहां पर हो रही है वह एक सिद्धांत पर होनी चाहिये, एक कानून का ज्ञाता होने के नाते मैं इस पर कुछ निवेदन करना चाहता हूं और ५ मिनट का समय चाहूंगा। दो बातें यहां पर हमारे सामने आई हैं। (इस समय ३ बजकर ५२ मिनट पर अधिष्ठाता श्रीरामायण राय पीठासीन हुए) मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि रिपोर्ट होम सेक्रेटरी ने डी० आई० जी० को भेज दी है, और डी० आई० जी० ने उसे सब-इंसपेक्टर के पास भेज दिया है। इसमें जांच होगी और उसके बाद अपराधी को सजा मिलेगी। किन्तु हमें तो इस प्रदेश की १० करोड़ जनता को बताना है कि क्या इस कार्यक्रम से अपराधी को वास्तव में दंड मिलेगा? विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि इस सदन को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। एक सवाल है ७ सौ टन बाजरा मुख्य मन्त्री के आदेश पर आगरा से दिल्ली गया, गुजरात नहीं गया।

उसके सिलसिले में एक बात साफ है कि मुख्य मन्त्री जी दिल्ली से यह वायदा करके आये थे कि वह इस्तीफा दे देंगे और इस्तीफा दे देने के दो दिन के बाद यह आर्डर पेश किया गया। तो सब-इंस्पेक्टर, हजरतगंज इस बारे में कैसे तहकीकात करेगा? इस सदन की क्या जिम्मेदारी है? मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, बख्शी गुलाम मुहम्मद के खिलाफ इनक्वायरी हुई, सरदार प्रताप सिंह के खिलाफ इनक्वायरी हुई, के० बी० सहायक के खिलाफ इनक्वायरी हुई, बीजू पटनायक के खिलाफ इनक्वायरी हुई, तो उसमें सब-इंसपेक्टर ने क्यों तहकीकात नहीं किया? गुरनाम सिंह मुख्य मन्त्री थे। मैं उस मामले में दवे कमीशन के सामने पेश हुआ था। एक कमेटी ट्रैक्टर अलाट करने के लिए बनी थी। उसके चेयरमैन मुख्य मन्त्री गुरनाम सिंह थे। सवाल आया कि ट्रैक्टर्स प्रोग्रेसिव फार्म्स के नाम अलाट किये जायं। गुरनाम सिंह ने पहला ट्रैक्टर अपने नाम अलाट किया यह समझते हुए कि वह प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। (व्यवधान) मैं कानून के आधार पर बात कह रहा हूं और आपकी इजाजत से कह रहा हूं। उस सिलसिले में दव कमीशन ने निःपक्ष अपना फैसला दिया कि ऐसा करना उचित नहीं था।

इस सदन के सामने सवाल यह है कि गुमनाम आदमी जिसका नाम तक आज मंत्री नहीं ले सकते, एक ऐसी संस्था जो एग्जिस्ट नहीं करती, एक हजार टन का परमिट लेती है। २५ परसेंट लेवी होती है, रोड्स के जरिए, बावजूद सरकारी आदेश के आठ परमिट कटते हैं, बाजरा ट्रक में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लद कर जाता है। क्या वजह है कि आज तक इसके बारे में नाम सामने नहीं आये हैं। नाम आयेंगे नहीं अगर सब इंसपेक्टर तहकीकात करेंगे। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाल कर लोगों के सामने पेश कर सकें कि लोग कम से कम यह जान सकें कि मुख्य मन्त्री के सामने दरख्वास्त लेकर कौन गया था, जिस तारीख को यह आदेश हुआ, दरख्वास्त अपने आप चल कर नहीं गयी थी। तहकीकात इसकी होनी है। यह तहकीकात बिना माननीय मुख्य मन्त्री के हस्तक्षेप के हो सकती है? क्या हजरतगंज का दरोगा माननीय कमलापति त्रिपाठी से यह पूछने जायगा कि आपने जो आदेश दिया था तो कौन दरख्वास्त लेकर आया था, माननीय मंत्री उनको पत्र लिखकर भी नहीं पूछेंगे कि आपको किसने दरख्वास्त पेश किया था। यह भी नहीं पूछेंगे कि कौन दबाव था कि आपने एक हजार टन का परमिट बिना किसी तहकीकात के दे दिया।

मैं चाहता हूं, माननीय मुख्य मन्त्री तो मित्र हैं त्रिपाठी जी के, कम से कम उनके पास उन्हें मंत्रियों को भेजना चाहिये। क्या उन्होंने त्रिपाठी जी से इसके बारे में बातचीत किया या नहीं? कम से कम वह तथ्य सामने आने चाहिये जो मिनिस्टरों के इल्म में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। यहां जितने माननीय मन्त्री बैठे हैं, जितने सदस्य बैठे हैं, वह एक एक जानते हैं कि किसने दरख्वास्त पेश की, किसने आदेश दिलवाये, किसने नफा कमाया। जन्तन्त्र का मजाक मत कीजिये। अंग्रेज ने इस मुल्क में डेढ़ सौ वर्ष हुकूमत किया। उसने वारेन हेस्टिंग्ज का इम्पीचमेन्ट किया था। आप में जुर्रत होनी चाहिये। मैं जानता हूं कि इसके अन्जाम क्या होंगे। मैं जानता हूं कि हो सकता है माननीय मुख्य मन्त्री को कुछ एम० एल० ए० किसी के दबाव में आकर समर्थन करें। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा भी इस बात में शुबहा नहीं करता कि एक हजार टन का परमिट दे सकते थे माननीय मुख्य मन्त्री जब तक दबाव नहीं होता।

इस सदन में इस बात पर भी बहस होनी चाहिए कि आज एक मुख्य मन्त्री हैं जो दबाव में आकर इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देने के पहले एक हजार टन का परमिट अपने नाम काटते हैं या अपने साथियों के नाम काटते हैं तो इस सदन को विचार करना चाहिये कि हर मुख्य मन्त्री का प्राविडेंट फंड कितना होना चाहिये। सात सौ टन बाजरा मथुरा से दिल्ली ले जाकर बेचना, और एक क्विंटल पर सौ रुपये फायदा उठाना, तब आपका प्राविडेंट फंड कितना हुआ और उसकी जिम्मेदारी का क्या हुआ? क्या वोटर इतनी जानकारी पाने का भी अधिकारी नहीं है जो मुख्य मन्त्री को बनाता है कि जब वह इस्तीफा देता है तो उसकी कितनी सिक्यूरिटी होनी चाहिये? आपके सामने मंगलदेव कमेटी की रिपोर्ट है। उसने स्पष्ट कहा है कि साढ़े चार हजार बीघा जमीन पर मुख्य मन्त्री के परिवार वालों का कब्जा है। लेकिन आज तक एक भी बीघे पर से उनका कब्जा हटाने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हो पाया है। अगर इस कांड में कुछ घोटाला हुआ है तो यह उनके आदेश से हुआ है तो क्या यह जरूरी नहीं है कि इस माननीय सदन की एक कमेटी बनाई जाय जो यह फैसला करे कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का यह कार्य उचित है या नहीं।

इसके साथ ही माननीय रामायण राय जी ने अपने पक्ष को बचाने के लिये बड़ी कोशिश की। लेकिन गिल्टी कांशस क्या कह सकता है। गिल्टी कांशस की जबान रुक जाती है। आप नियमों का आधार लेते हैं। मुख्य मन्त्री जी के बारे में सफाई कौन से रास्ते से निकल सकती है। अगर हजरतगंज के सब इंसपेक्टर ने लिख दिया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी बड़े ईमानदार थे और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया तो क्या इससे मुख्य मन्त्री जी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी या फिर कांग्रेस पार्टी की जिसने देश को स्वतंत्र करवाया उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप जिन्दा रहना चाहते हैं एक सब इंसपेक्टर के सर्टिफिकेट पर। मैं जानना चाहता हूं कि

[श्री राजेन्द्रकुमार गर्ग]

जो फाइल उन्होंने पढ़ी है तो वे इस पर क्या आर्डर करते। मैं अपने मित्र सत्य प्रकाश जी का अभिनन्दन करता हूं जो उन्होंने कहा है। कम से कम मुख्य मन्त्री जी के काम की बात तो सामने आई। यहां पर कम से कम माननीया राजेन्द्र कुमारी जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी सारी बातों से अवगत हैं तो वह यह कहें कि मुख्य मन्त्री जी का इसमें कोई हाथ नहीं है। उनके ऊपर किसी का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। लेकिन आप लोग एक सब इंसपेक्टर के सर्टिफिकेट पर जिन्दा रहने की परम्परा मत डालिये। माननीय रामायण राय जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस दल की विजय हुई तो विरोधी दलों को विश्वास नहीं होगा। मैं कैसे मान लूं कि कांग्रेस दल के लोग झूठ को झूठ नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे भी तो हमको भी नोट आफ डिसेंट देने का अधिकार होगा।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री पर ही सारी जिम्मेदारी डाल रहा हूं। अगर उन्होंने फाइल को स्टडी करके अपना बयान दे दिया कि जो कार्य उन्होंने किया है वह सही किया है और किसी के दबाव में आकर नहीं किया तो मैं उनकी बात मान लूंगा। सब इंसपेक्टर के सर्टिफिकेट पर जिन्दा रहने की परम्परा को छोड़ दीजिये। आज आप सब इंसपेक्टर के सर्टिफिकेट पर वोटर के सामने नहीं जा सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप लोग इस मामले में फैसला लीजिये ताकि आप जनता के सामने जा सकें। मैं चाहता हूं कि या तो इस माननीय सदन की एक कमेटी बनाई जाय या हाई कोर्ट का कमीशन बनायें (इस समय ४ बजकर ९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) या फिर इस बात का मौका दीजिये कि इस मामले में तहकीकात हो कि एक मुख्य मन्त्री ने इस्तीफे के फैसले के बाद कैसे यह आदेश दिया जिसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ।

श्री बलदेव (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि श्री राम बाबू मिश्र जो कुछ निजी हैसियत से बोल गये हैं जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि वह नहीं बोलेंगे तो क्या वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष---

मेरी अनुमति से जो माननीय सदस्य बोले हैं वह तो रहेगा लेकिन मेरी व्यवस्था भी रहेगी।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अफसोस के साथ जो चौधरी जी का प्रस्ताव है उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय चौधरी जी से मैं कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं यह पूछना चाहूंगा कि यह जो संसद की या लोक सभा की या किसी सदन की जो समिति बनती है किसी अपने मन्त्री या भूतपूर्व मन्त्री की जांच करने के लिए बनती है? मैं माननीय चौधरी जी से यह जानना चाहता हूं कि जो १९१२ के बाद ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में आज तक कोई कमेटी बैठाई गई है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा आपसे कि जो चर्चा यहां पर भ्रष्टाचार की हो रही है श्रीमन्, मैं बहुत अदब से कहना चाहूंगा कि वह कोई मुख्य मन्त्री या एक मंत्रिमण्डल के मन्त्री या किसी पार्टी से नहीं सीमित है। आज हमने अखबार में पढ़ा कि जय प्रकाश जी ने वाराणसी में भाषण किया, मैं समझता हूं उसमें विरोधी दल के नेता मौजूद थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि बिहार में उनके आन्दोलन में भ्रष्टाचारी घुस आये हैं।

(व्यवधान---शोर गुल)

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि जो विषय है, उस पर माननीय सदस्य को बोलना है कि इधर-उधर की बातों पर बोलना है? अगर अपने शीशे के महल में

बैठकर ढेला फेकेंगे तो उन्हीं का महल टूटेगा । तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस विषय पर बोलना है उस पर माननीय सदस्य बोलेंगे कि इधर उधर की बातों पर बोलेंगे ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर अपनी व्यवस्था दें ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव––

माननीय अध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश नारायण जी के प्रति जितना आदर आपका है उतना ही आदर मुझ को भी है । जहां तक भ्रष्टाचार की बात है इस सदन में २४–२५ साल का मेरा भी छोटा सा राजनैतिक जीवन रहा है । यहां पर चौधरी साहब जी भी बैठे हुए हैं, जिस वक्त वे सत्ता में थे उस समय मैं विरोधी दल में भी था ।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री गंजी प्रसाद (जिला वाराणसी)––

आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं, तो चौधरी साहब भ्रष्टाचार सबसे पहले मिटाने के लिए तैयार हैं ।

(व्यवधान–शोरगुल)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव––

चाहे माननीय माधो प्रसाद जी हों या चौधरी चरण सिंह हों मैं इनसे यहां प्रश्न करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय ओम प्रकाश जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री गंजी प्रसाद––

आप चाहते क्या हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक––

मैं माननीय ओम प्रकाश जी से अपील करना चाहता हूं कि जो गड़बड़ घोटाला हुआ है उसमें ओम प्रकाश की चर्चा है, लेकिन आप नहीं हैं वह कोई दूसरे ओम प्रकाश हैं ।

श्री काशी नाथ मिश्र––

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । जिस प्रस्ताव पर बहस हो रही है उसको माननीय नेता विरोधी दल ने पेश किया है और उसके समर्थन में तमाम सदस्यों ने भाषण किया है । इस प्रस्ताव पर दोनों ओर के सदस्यों को भाषण करने का मौका मिलना चाहिये ।

(व्यवधान– शोर)

यह मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह हमारे संसदीय अधिकार हैं.....(शोर, कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष––

अगर मगर पर मैं व्यवस्था नहीं देता, आप पहले निश्चित होइये ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव---

जितने नेताओं ने इस पर भाषण किया है मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि तुलमोहन राम का कान्ड आज पैदा हुआ है। भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामले हुए हैं, जिसमें केन्द्रीय सरकार के मन्त्री खुद भी इनवाल्व रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। मैं चाहता हूं कि आप धैर्यपूर्वक सुनें। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार आप मिटाना चाहते हैं वह किसी कमेटी से ६ महीने में या एक साल में नहीं मिट जायगा। जाहिर है उसमें कुछ समय लग जायेगा। जो कमेटी बनायी जायेगी वह गवाहों का साक्ष्य लेगी और उनको क्रास एग्जामिन करेगी। इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि क्या आई० ओ० जाकर कमलापति त्रिपाठी को पकड़ कर लायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे संसद की कोई समिति हो या विधान सभा की कोई समिति हो उसको भी यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह कमलापति त्रिपाठी को हथकड़ी डालकर पकड़ सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि बीजू पटनायक के खिलाफ कार्यवाही की गयी और लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों ने कार्यवाही की है। चाहे उसमें जनमत का दबाव रहा हो। कोई टालने की बात नहीं है। सी० आई० डी० केस को इन्वेस्टीगेट कर रही है। इसमें जांच चल रही है। यह बहुत सीधी सादी बात है जब सरकार के पास कोई मामला आता है तो वह इन्टेलीजेन्स द्वारा प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करवाती है। यह नहीं करती है कि चार्जशीट कोर्ट में सीधी सबमिट कर दे। सी० आर० पी० सी० के तहत रिपोर्ट अदालत में जाती है। यह सीधा साधा प्रोसीजर होता है।

जहां तक देरी का प्रश्न है, इस समय सदन में चौधरी साहब नहीं हैं, आज उत्तर प्रदेश की सी० आई० डी० में कितने आदमी हैं, यह सब जानते हैं। पुराने मामले भी बहुत पड़े हुए हैं लेकिन यहां पर रोजाना कहा जाता है कि यह मामला सी० आई० डी० को सुपुर्द कर दो। सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने कामतलब होता है कि कम से कम एक मामले में ६ महीने या एक साल लग जाता है। मुझे तो ताज्जुब होता है यह सुनकर और इनकी नाजानकारी पर तरस आता है जब वे सी० आई० डी० द्वारा जांच के लिए कहते हैं। आप पुराने मसलों को देख लें कि क्या कहीं पर किसी संसद के या हाउस के सदस्य के विरुद्ध किसी कमेटी ने विचार किया हो। १९५१ में मुदगल का अकेला एक केस हुआ है जिस पर हाउस की कमेटी बैठी थी। मुदगल साहब ने कुछ संस्थानों से यह कह कर कि वह उनके मामले के सम्बन्ध में संसद में बात उठायेंगे, फीस ली थी। जब संसद में यह मामला उठा तो कहा गया कि इन्होंने अपनी सदस्यता का दुरुपयोग किया है, इसलिए पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रस्ताव किया कि सदस्यों की एक कमेटी बनायी जाय और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर माननीय मुदगल साहब को निकलना पड़ा। १९१२ से ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में हाउस की कोई कमेटी नहीं बैठी है, इस प्रकार की जांच के लिए क्योंकि धीरे-धीरे वे समझ गये कि इस प्रकार की प्रक्रिया से न्याय नहीं मिलता है। १९१२ में मार्कोनी का ठेके देने के बारे में मंत्रियों के खिलाफ एक केस हुआ। अतः ये जो यह नई परम्परा डालना चाहते हैं, उसके खिलाफ इस सदन से अपील करता हूं कि इसे टर्न डाउन कर दिया जाय।

अभी माननीय नियाज अहमद साहब भाषण कर रहे थे सन् १९६७ में जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे तो माननीय सी० बी० गुप्ता जी की फाइलें रिक्शा पर जा रही थीं और चौधरी साहब के लोगों ने कहा कि माननीय सी० बी० गुप्ता यहां से फाइलें चुरा कर ले जा रहे हैं। इसमें सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई गई और बाद में पता चला कि वे उनकी व्यक्तिगत फाइलें थीं। तो इस प्रकार से मिस हैंडलिंग से भ्रष्टाचार कम नहीं होने वाला है। अगर कल यह मामला आ जाय कि राम बाबू या माननीय बहुगुणा जी दोषी हैं, तो मैं पहला आदमी

हूंगा जो कहेगा कि उनको दंडित किया जाय । अतः पुनः मेरी प्रार्थना है कि माननीय चौधरी चरण सिंह के इस प्रस्ताव को वोट डाउन किया जाय ।

(माननीय नारायण दत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर और उनके खड़े होने पर)

(व्यवधान)

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)——

मान्यवर, इसमें हमें और कुछ समय दे दिया जाय । यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर हफ्तों बहस होनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष——

माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने बहुत अच्छी तरह से सोच समझ कर प्रस्ताव दिया है ।

श्री धीरेन्द्र सहाय——

यह औपचारिक प्रश्न नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष——

मैं इजाजत नहीं देता । अब समय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)——

मैंने यह व्यवस्था नहीं सुनी कि इस प्रस्ताव पर बहस के लिये कोई दिन निश्चित कि या गया हो ।

श्री अध्यक्ष——

आज का जो दिन निश्चित किया गया है तो दिन का मतलब ५ बजे तक है न ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद——

मेरा प्रस्ताव है कि आज यह सदन ६ बजे तक चले ।

(व्यवधान)

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)——

श्रीमन्, जो प्रस्ताव आज नियम २०० के अन्तर्गत माननीय नेता विरोधी दल एवं अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने प्रस्तुत किया है वह इस सदन के इतिहास में अभूतपूर्व है और मैं आपसे अनुज्ञा चाहूंगा कि मैं इस अभूतपूर्वता के संदर्भ में इस सदन की सहिष्णुता के प्रति अपना अभिनन्दन अर्पित करूं तथा यह आग्रह करूं कि इस विषय में जोकि एक ऐतिहासिक प्रस्ताव है इस पर इसकी संवैधानिक और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में यह सदन कृपया विचार करे । मैं विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं इस प्रस्ताव पर अपनी सम्मति के बल संसदीय कार्य मंत्री के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिये नहीं दे रहा हूं बल्कि पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस और प्रोसीजर का एक विद्यार्थी होने के नाते अपनी सम्मति अधिक देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इस सदन में सभी पक्षों में बहुत से ऐसे युवक सदस्य हैं जिनसे प्रदेश और देश को आशायें हैं और जिनको ऐसे प्रश्नों पर उसी गम्भीरता और गहराई से विचार करना है जो प्रस्ताव की गम्भीरता और शब्दावली के अनुरूप हो । अतएव मैं विनम्रतापूर्वक इस प्रस्ताव का जो संवैधानिक पहलू है पहले उस पर प्रकाश डालना अपना कर्त्तव्य समझता हूं ।

साधारणतया अगर नेता विरोधी दल कोई प्रस्ताव लाते हैं तो हमें स्वीकार होना चाहिये लेकिन आज इस प्रस्ताव को जिस नियम २०० के अन्तर्गत लाया गया है वह नियम इस प्रस्ताव के अभिप्राय की पूर्ति नहीं करता। इस नियम २०० के अन्तर्गत २०० से लेकर नियम २२२ तक उसकी सारी प्रक्रियायें लिखी हुई हैं । अगर यह नियम २०० के अन्तर्गत प्रस्ताव पास हो जायेगा तो आगे क्या होगा यह आगे नयमों में है । नियम २१६ (४) में है कि "प्रतिवेदन उपस्थित किये जाने के उपरान्त किन्तु उपस्थिति की तिथि से १५ दिन के भीतर मांग किये जाने पर अध्यक्ष यदि उचित समझें तो उस प्रतिवेदन पर विचार के लिये समय नियत करेंगे । सदन के समक्ष न कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मत लिये जायेंगे"। तो फिर इस प्रस्ताव का क्या नतीजा निकलेगा। यह नियम २०० इन चीज़ों के लिये बनाया ही नहीं गया है । इसके अलावा देश की विभिन्न विधान सभाओं तथा संसद तक में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत अलग अलग कांड या उप कांड या प्रकांड आदि पर कोई समिति इस तरह की गठित हो सके । आये दिन कांड तो होते रहते हैं, मगर उनकी जांच के लिये इस प्रक्रिया नियमावली में इस तरह का कोई नियम क्यों नहीं है? माननीय नेता विरोधी दल, जैसे संसदीय पद्धतियों के विख्यात व्यक्ति जिन्होंने इस प्रक्रिया नियमावली का सृजन किया है उन्होंने भी इसमें ऐसे नियम की परिकल्पना क्यों नहीं की? ऐसे कांडों के लिये संसदीय कमेटियों का प्राविधान वे कर सकते थे? लेकिन नहीं किया । उसके पीछे एक कारण था । कारण यह है कि संविधान के अन्तर्गत एक्ज़ीक्यूटिव पावर गवर्नर में निहित है । आप संविधान का अनुच्छेद १५४ देखें जिसमें लिखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। (व्यवधान) चावल कांड या बाजरा कांड लेजिस्लेटिव पावर्स से संबंधित नहीं है, यह एक्ज़ीक्यूटिव पावर्स से है जो गवर्नर के हाथ में है । क्या इस तरह के प्रस्ताव से या कमेटी बना कर कोई हल निकाला जा सकता है।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

हल क्यों नहीं निकलेगा ? लोग सच्चाई तो जान सकेंगे । इस सदन को सच्चाई का तो पता चल जायेगा । इसको मानने में आखिर आपको परेशानी क्या हो रही है यह तो बतलाइये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय नेता विरोधी दल के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला है और संसदीय कार्य मंत्री होने का सौभाग्य मुझे उन्हीं के समय में प्राप्त हुआ। और मैं जानता हूं कि नियमों के संबंध में वे दूसरे पक्ष की बात भी सुनते हैं । इसके लिये नियम २०० नहीं है । इसके लिये वह नहीं बनाया गया है । आप तर्क से जवाब दें । यह नियम एक्ज़ीक्यूटिव पावर से संबंधित नहीं है, लेजिस्लेचर पावर से संबंधित है या जुडिशियल पावर से संबंधित है । न्यायपालिका की शक्ति भी इस सदन को नहीं है । इस सदन की कमेटी जब कोई साक्ष्य लेती है, जो गवाही लेती है वह सदन के कार्य से संबंधित है । यह क्रीमिनल केस है और यह सदन क्रीमिनल ला से संबंधित नहीं है । सी०आर० पी०सी० को लागू करने के लिए सदन नहीं है, उसके लिये जुडिशियरी है । इसलिये अगर कोई जांच चाहे चावल कांड की हो, या धान कांड की हो और क्रीमिनल कार्य किसी के द्वारा हुआ है तो उसके लिये सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिये ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

अभी माननीय तिवारी जी ने जो कहा है कि माननीय नेता विरोधी दल जैसे संविधान के व्याख्याता ने भी नियम बनाते समय इसको क्यों नहीं रखा । तो जितने भी दार्शनिक या भाषाविद् आज तक संसार में हुए हैं उनके लिये पतंजलि में कहा गया है "अनुक्त प्रत्युहति पंडितो जनः" यानी जो चीज सामने न आयी हो उसके लिये वे नहीं कहते । एक उहाशक्ति होती है जो उनसे काम कराती है । सब चीजों की व्याख्या आवश्यक नहीं होती ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हाउस आफ कामंस में २०० साल पहले ऐसा हुआ था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय नेता जनसंघ, जिन्होंने बड़ी कृपा करके हाउस आफ कामंस का हवाला दिया है, उनका भी उत्तर देने की मैं धृष्टता करूंगा । मैं नहीं जानता, उनका उत्तर कहां तक दे सकूंगा, उसके लिये मुझमें क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है लेकिन जो हमारे नियम हैं, कानून हैं उनके संबंध में उत्तर देने की कोशिश करूंगा । उन्होंने २०० साल पहले हाउस आफ कामंस में ऐसा हुआ, इसका हवाला दिया लेकिन इस पर चुप बैठ गये कि आज क्या हुआ, यह नहीं बतलाया । (व्यवधान)

माननीय नेता जनसंघ ने २०० साल पहले क्या हुआ उसका उदाहरण दिया। मैं आपको बतला दूं कि सन् १७१५ में वहां सर राबर्ट वालपोल का बहुमत था जिन्होंने विरोधी दलों को दबाने के लिए उनके खिलाफ जांच करा दी। उसका नतीजा क्या हुआ ? कुछ सालों के बाद १७४२ में सर राबर्ट वलपोल के खिलाफ जब विरोधी पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो उन लोगों ने जांच बैठा दी। फिर १९१२ में मारकोनी केस में जब वायरलेस और टेलिग्राम से संबंधित ठेका मारकोनी कम्पनी को दिया गया तो इसके बाद पोस्ट मास्टर जनरल पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैसा लिया है और उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा । उसके लिये पार्लियामेंटरी कमेटी १९१२ में बनी थी और उसके लिये चूंकि आनुपातिक आधार पर प्रतिनिधि चुने गये इसलिये बहुमत लिबरल सदस्यों का हो गया । नतीजा यह हुआ कि रिपोर्ट दो पेश हुई, एक माइनारिटी की और एक मेजारिटी की और इस पर फिर सदन में पार्टी लाइन में विभाजन हुआ और इस तरह से क्राइम में कोई परिवर्तन नहीं आया । आपस में बंटवारा पार्टी लाइन में हो गया। इसलिये फिर सामन (Salmon) कमीशन बैठा १९६६ में और अगर नेता विरोधी दल मुझको आज्ञा दें तो मैं उनके जमाने में जो एक अच्छा कार्य हुआ था उस अच्छे कार्य के बारे में कहूं। सन् १९६७ में, तत्कालीन सरकार के मुख्य मंत्री ने एक बहुत अच्छा कानून भ्रष्टाचार निवारण के लिये प्रस्तुत किया । इसमें उसी कमीशन की प्रक्रिया के बारे में एक नोट सारे संसद सदस्यों को प्रसारित किया गया, इसका एक पैरा मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

चौधरी चरण सिंह--

जिसका कि उस वक्त आप सब लोगों ने विरोध किया था।

(हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप इस बात से भी अवगत हैं कि पिछले वर्षों में स्वर्गीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू को जनमत के दबाव के फलस्वरूप अपने मंत्रियों तथा राज्य सरकारों के मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये कुछ भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों की जांच करानी पड़ी । इन जांचों के विभिन्न रूप रहे हैं, किन्तु इनसे न तो शिकायत करने वाले व्यक्तियों को और न ही अभियुक्त व्यक्तियों को सदा संतोष हुआ और इन जांचों को इस अर्थ में फलप्रद भी नहीं पाया गया कि अनुगामी कार्य तत्कालीन सरकारों की इच्छा पर निभर रहा है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी].

यानी किसी रिपोर्ट का फालो-अप (Follow up) तत्कालीन सरकार पर निर्भर रहता है ।

पिछले सामान्य निर्वाचनों के बाद विभिन्न राज्यों में पुरानी सरकारों के सदस्यों के विरुद्ध कुछ जांच आयोग बैठाये गये हैं, और कुछ क्षेत्रों में इसकी अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं हुयी है । तो उन्होंने आर्डिनेन्स निकाला, इसका हवाला दिया कि जो जांच कमेटी यहां इस प्रकार की बैठती है वह सदा संतोषप्रद नहीं रहती है और यही बात सामन (Salmon) कमीशन नें भी निकाली । सामन (Salmon) कमीशन ने जो उल्लेख किया था वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं ।

'दी रिकार्ड आफ सच कमेटीज एप्वाइंटेड टू इन्वेस्टीगेट.....

श्री एदल सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

(शोर)

एक सदस्य--

माननीय तिवारी जी, आप को जबानी कहना हो कहिये। आप को इन सब बातों की जानकारी है तो आप वैसे ही कह दीजिये पढ़ने की क्या आवश्यकता है ?

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)-----

अध्यक्ष महोदय, इस कांड पर पर्दा डालने के लिये मंत्री जी नियमों का हवाला दे रहे हैं । उत्तर प्रदेश या हिन्दुस्तान की बात नही है यहां तो सभी मंत्रियों के हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हुये हैं । इसलिये यहां पर नियमों का हवाला दिया जा रहा है । नियमों में इतनीं छूट बना दी है कि देश और प्रदेश को लूटते रहें और जब पकड़ में आयें तो नियमों का हवाला दें इसमे केवल इतनीं सी बात है कि जांच होनीं चाहियें । हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि एक कमेटी बने जो इस भ्रष्टाचार की जांच करे और सच्चाई को सदन के सामने प्रस्तुत करे। जिस तरह से जांच की जा रही है उस तरह से सच्चाई सदन के सामने नहीं आयेगी । औचित्य पर, अध्यक्ष महोदय, ये जो कुछ पढ़ें वह केवल हिन्दी में पढ़ें यहां पर अंग्रेजी की जरूरत नहीं है । हिन्दी हमारे प्रदेश की भाषा है, जो कुछ कहना चाहते हों हिन्दीं में कहें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

पेज १८ पर लिखा हुआ है--

'दी रिकार्ड आफ सच कमेटीज....

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, यह फिर अंग्रेजी में ही बोल रहे हैं ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, आप मंत्री जी से कहें कि जो कुछ वह बोलें उसका अनुवाद हिन्दी में सदन के सामने प्रस्तुत करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह इंगलैन्ड की रिपोर्ट है इसलिये अंग्रेजी में पढ़ना पड़ रहा है :-

"The record of such Committees appointed to investigate allegations of public misconduct is, to say the least, unfortunate, as we have shown in Chapter II."

सामन (Salmon) कमीशन ने कहा कि चुनी हुयी कमेटी किसी भी सार्वजनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये जैसा अध्याय २ में कहा है कि कम से कम कहने में दुर्भाग्यपूर्ण कहा है ।

The Marconi scanral .....Act of 1921.

"The Marconi scandal for this purpose sounded the death knell of this form of investigation, and because it was wholly discredited, the Act of 1921 was passed. To go back to it would, in our view, be a retrograde step. We of course recognise that there are many purposes for which Select Parliamentary Committees are most useful and indeed indispensable—but the investigation of allegations of public misconduct is not one of them. Such matters should be entirely removed from political influences. A Select Parliamentary Committee is constituted of members representing the relative strength of the parties in the House. Accordingly it may tend in its report to reflect the views of the party having the majority of members, or indeed, as in the Marconi case, it may produce two reports and when these are debated in the House, the House may divide along party lines. On the other hand the reports of Tribunals under the Act of 1921, no doubt because of their excellence and the standing and political impartiality of their members, have invariably been accepted by Parliament without question. A further defect of a Select Parliamentary Committee is that it does not normally hear counsel and some if not all of its members will have had no experience of taking evidence or of cross-examining witnesses. Finally, witnesses who give evidence before a Select Parliamentary Committee may not be entitled to the same absolute privilege as they would enjoy before a Tribunal under the Act of 1921."

इसके बाद १९२१ का कानून पास किया गया जिसमें टू गो रिट्रोगेट स्टेप। इस पर फिर दुबारा पार्लियामेंट जांच करे यह एक पीछे हटने वाला कदम है । सामन(Salmon)कमीशन ने अपने अनुभवों के बाद यह रिपोर्ट दिया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि भारतवर्ष के और प्रदेशों में भी कांग्रेस सरकारें हुयी हैं और इससे कम घोटाला हुए हैं तो उसका आप आचरण करें । मध्य प्रदेश में चना का कांड, पश्चिमी बंगाल में चोकर कांड और भी बहुत से कांड हुए हैं और वहां कांग्रेस की सरकारें थीं । परन्तु उनसे ज्यादा यह कांड है तो उस प्रकार का आचरण आपने क्यों नहीं किया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

किसी मंत्री के खिलाफ अपने जांच की है क्या ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं गर्ग साहब से कहना चाहता हूं कि क्या यह सम्भव है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून की परिधि में क्रिमिनल है तो क्रिमिनल प्रोसीजर के अलावा और कोई जांच हो सकती है नहीं हो सकती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

भूतपूर्व मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोप साबित हैं तो क्या जांच किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं किसी भी तथ्य या किसी भी कांड के अलावा एक दूसरी बात कहता हूं कि आज हम लोग अपनी राजनीति को कहां ले जा रहे हैं । आज आरोपों प्रत्यारोपों की होड़ लगी है ।

श्री मधुकर दिघे--

आपने लेजिस्लेटिव और इक्जीक्यूटिव पावर और न्यायिक व्यवस्था के बारे में कहा । न्यायिक और कार्यकारिणी के मामले में आज आपको अधिकार है तो मैं उनमें नहीं जाना चाहता हूं । जो जांच के नियम है तो उनके संबंध में कहना है कि आप सही मुल्जिमों को पकड़ना नहीं चाहते हैं । आप मुख्य मंत्री और दूसरे लोगों को बचाना चाहते हैं । इसलिये कमेटी के द्वारा जांच करके इक्जीक्यूटिव द्वारा न्याय करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हमारे प्रदेश में कई मुख्य मंत्री रहे और मुख्य मंत्री को सैकड़ों आर्डर करने पड़ते हैं । कहना पड़ता है कि यह बात सही है और प्रार्थना दीजिये तो मुख्य मंत्री को तुरन्त आर्डर करना पड़ता है और यदि कोई गल्ती होती है तो उसको याद नहीं रहता है ।

"I have been deeply shocked by newsi tems appearing in various papers alleging my involvement inadulious paddy transaction in the Tarai Region. These allegations are completely baseless.

I have addressed a letter to the Speaker of the U.P. Legislative Assembly regarding this, a copy of which is enclosed herewith. I re uest you to kindly take necessary action against those who are guilty of impersonation and have dragged my name in this affair.

Thanking you."

तो सुरेश कुमार इस समय विहार असेम्बली के सदस्य हैं । आप कमेटी बनाकर इंक्वायरी कराना चाहते हैं । किन्तु मैं तो इंक्वारी के बाद जो बातें सामने आई हैं, उन पर ऐक्शन लेन जा रही हू ।

श्री मधुकर दिघे--

मैं आपको छागला साहब का फैसला सुना देना चाहता हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

हम लोग राजनीति में किसी भी दल के सदस्य हों....

श्री मधुकर दिघे--

मुन्द्रा केस में छागला साहब ने फैसला दिया था:

"In my opinion it is clear that the Minister should take the responsibility for the action taken by the Secretary or anybody. In this regard it is clear that the Minister must take the responsibility for actions done by his subordinate."

इसलिये इस दृष्टि से भी उनकी जिम्मेदारी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

सभी लोगों का राजनीतिक जीवन है । इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य ने अपना जीवन देश की सेवा के लिये अर्पित किया है लेकिन कोई आरोप के आधार पर हमारा राजनैतिक जीवन समाप्त करने की कोशिश करे तो उसको प्रश्रय नहीं देना चाहिये । इसम मुख्य

मंत्री जी या माननीय सदस्यों की बात नहीं है। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष श्री अडवानी श्री विनोबा भावे से मिलने गये थे । उनका वार्तालाप जागरण में छपा है । उन्होंने राजनैतिक भ्रष्टाचार की चर्चा की है और उसके बारे में विनोबा जी के विचार जानना चाहे हैं । श्री विनोवा जी ने कहा कि शंकराचार्य ने ...

चौधरी चरण सिंह—

मैं तिवारी जी को बहुत समझदार मानता हूं । अब यह जो बातें कह रहे हैं वे समय वेस्ट करने के बराबर हैं । सारा सवाल है कि मिनिस्टरों के करप्शन के लिये आपकी क्या तजवीज है, क्या होना चाहिये। जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड को आपने रिफ्यूज कर दिया । लोकायुक्त भी मुकर्रर नहीं किया। पब्लिक मैन इंक्वायरी भी नहीं हो सकती है । असेम्बली को लेजिस्लेटिव, इक्जीक्युटिव और जुडिशल तीनों पावर्स होती हैं । पार्लियामेंट को भी तीनों पावर्स होती हैं । जुडिशल में आप रोज कांटेम्प्ट में सजा देते हैं । इक्जीक्यूटिव में आप हाउस से मारशल द्वारा सदस्य को बाहर निकलवा देते है । जो आपकी कैबिनेट है उसको भी दो पावर्स हैं । इक्जीक्युटिव और लेजिस्लेटिव। नान-पार्लियामेंट्री सिस्टम में यह होता है कि तीनों पावर्स एक दूसरे से सेपरेट हैं । तो इंक्वायरी करके पब्लिक एजूकेशन के लिये हाउस में रख देंगे, इसमें आपको दिक्कत क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय नेता विरोधी दल के संसदीय अनुभव के सामने मैं बहस करने में कतराता हूं लेकिन इसके लिये आज्ञा चाहता हूं कि थोड़ी बहस कर लें । मैं इस संदर्भ में बतलाना चाहता हूं । शंकराचार्य ने एक कहानी लिखी है, जिसका शीर्षक है "को दशमः"।

कई सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, ये शंकराचार्य और विनोबा जो यहां बात कर रहे हैं, आप व्यवस्था क्यों नहीं देते ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, वह कहानी इस तरह है:—

"दस यात्री पदयात्रा पर निकले । जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो आगे पीछे हो गये । कुछ घंटों बाद फिर ये साथ हो गये तो गिनने लगे कि हम कितने हैं। एक ने गिना, दूसरे ने गिना तो भी संख्या नौ ही रही । दस जनों की सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि हम नौ हैं । क्यों ? क्योंकि अपने को छोड़ा । इस तरह भ्रष्टाचार की गिनती में भी अपने को छोड़ देते हैं और दूसरों से आरम्भ करते हैं ।

तो आज हमारी सबकी कठिनाई है । दसवां मिलता ही नहीं। यह अखबार में निकला है। आप चाहें तो देख लें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हम पढ़ चुके हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अब आपे १५७(१) सी०आर०पी०सी० के आधार पर इंक्वायरी होगी।

डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, मैं इससे अच्छी कहानी बता सकता हूं, जो इन्होंने अभी शंकराचार्य की बताई है । मान्यवर, टरकी के सुल्तान ने कहा कि जो कोई भ्रष्टाचारी को मिला देगा, इनाम देंगे। एक फकीर ने आ'कर कहा कि मैं यह काम कर सकता हूं । उसने कहा कि एक तीन गज चौड़ा और ४ गज लम्बा गड्ढा खुदवाइये और उसमें जिसको जो शिकायत हो, वह लिखकर उसमें डाल दे । ऐसा किया गया । जब शिकायतें आ गयीं तो फिर सुल्तान बैठा और फकीर बैठा । दरख्वास्तें गड्ढे से निकाली गयीं । एक दरख्वास्त में यह शिकायत लिखी थी कि सुल्तान के साहबजादे ने एक लड़की के साथ रेप किया । अगर इस तरह से रेप किया गया तो इज्जत कहां रहेगी । बादशाह ने हुक्म दिया कि मेरे साहबजादे को गोली मार दी जाय और वह गोली से मार दिया गया । इसके बाद बादशाह ने कहा कि दूसरी दरख्वास्त गड्ढे से निकालो । इसके बाद फकीर ने कहा कि नहीं अब बाकी दरख्वास्तों को मिट्टी का तेल डालकर जलवा दो' बादशाह ने पूछा क्यों ? फकीर ने कहा कि जब बादशाह के लड़के को भ्रष्टाचार की वजह से गोली मार दी गयी, तो अब भ्रष्टाचार नहीं रहेगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने अभी विनोबा जी की चर्चा की है और ऐसा लगता है कि तिवारी जी भूदानी बन रहे हैं । लेकिन तिवारी जी को तो अब जै प्रकाश जी की बात करनी चाहिये, क्योंकि विनोबा जी तो सूक्ष्म में प्रवेश कर गये हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि उनका भ्रष्टाचार के विरुद्ध [illegible]यान है, उससे यह सदन और शासक दल पूर्णतः सहमत है और हम भ्रष्टाचार के निवारण में किसी से पीछे नहीं बल्कि आगे रहना चाहते हैं । लेकिन आज जो प्रस्ताव यहां आया है उससे कार्य में रुकावट होगी और हम रे कार्यों में देरी होगी । साथ ही साथ कानून में भी रुकावट होगी । जो चार्ज शीट हो रही है उसको रुकवाने वाला यह प्रस्ताव होगा । मैं जानता हूं कि नेता विरोधी दल संसदीय पद्धति से डिग नहीं सकते । मेरा नेता विरोधी दल और माननीय नेता जनसंघ से प्रार्थना है कि ..... (शोर)

एक सदस्य—

मुझे एक शेर याद आ रही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे भी एक शेर आखिर में याद आ रही है ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, इसको सब-इन्सपेक्टर को जांच के लिये दिया जा रहा है । होम सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद सी०आई०डी० को दिया जा रहा है जिसका कि होम सेक्रटरी बड़ा अधिकारी है। इसमें क्या औचित्य है? क्या इसी तरह से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे अब कुछ नहीं कहना है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय अध्यक्ष इस सदन के १५ सदस्यों की एक समिति विरोधी पक्ष के किसी सदस्य के सभापतित्व में गठित करें ।

चौधरी चरण सिंह—

प्वाइंट आफ आर्डर । रिज़ोल्यूशन मैंने पेश किया तो आखिर में प्रस्तावक को जवाब का अवसर मिलना चाहिये । फिर असरार साहब ने प्रस्ताव किया था कि १ घंटे का समय बढ़ा दिया जाय उसको भी आपने हाउस में पुट नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

पूर्ण अधिकार नहीं है । यह लिखा है दे सकेंगे । १५ मिनट का समय बढ़ा सकता हूं । लिहाजा मैंने १५ मिनट का समय बढ़ा दिया ।

श्री भीखालाल—

हमने अपना मत व्यक्त किया इस प्रस्ताव के संबंध में । लेकिन माननीय मुख्य मंत्री पर उस मत की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई । इतने बड़े कांड पर चर्चा हुई लेकिन मुख्य मंत्री मौन रहे । ऐसा मालूम होता है कि किसी दबाव के कारण ऐसे भ्रष्टाचार के मामले पर मुख्य मंत्री जी परदा डालना चाहते हैं । इसलिये मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री भीखालाल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

नियमों में कोई उत्तर देने का प्राविधान नहीं है । लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि चौधरी साहब उत्तर दें । उनको रोका न जाय । मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट समय और बढ़ा दिया जाय ताकि चौधरी साहब सारी बातों का जवाब दे सकें ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। १५ मिनट का समय मैंने बढ़ा दिया था लेकिन अब मुख्य मंत्री जी ने भी १५ मिनट का और समय बढ़ाने का प्रस्ताव कर दिया है । लिहाजा आध घंटे का समय बढ़ा दिया जाता है।

चौधरी चरण सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी नहीं बोलेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

मेरा दिमाग इस मामले में साफ है । इसलिये मुझे कुछ बोलना नहीं है। इस मामले की जांच के फलस्वरूप जो दोष का भागी पाया जायगा उसे अवश्य दंडित किया जायगा भले ही वह हमारे दल का सदस्य ही क्यों न हो, उसे दल से बाहर निकालेंगे और दंडित करेंगे इस मामले की अवश्य जांच करानी है।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब ने प्रश्न किया था । २९२ में नियमतः ऐसा है कि आप बोलेंगे और उसके बाद मुख्य मंत्री जी जवाब दे सकेंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

विथआउट प्रिजूडिस टु रूल आज एक एक्सेप्शन है । मैं नहीं बोलूंगा ।

*चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता था कि सदन की तरफ से एक समिति नियुक्त करने का यह एक सीधा-साधा मामला है जिसका कि ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से कोई विरोध नहीं होगा । भ्रष्टाचार मिटाने की बात अगरचे कांग्रेस के लीडर्स बहुत कम करते हैं, शायद ही कोई करता हो, बल्कि उनका इरादा तो यह है कि भ्रष्टाचार दूसरे मुल्कों में भी होता रहता है । यह प्राइम मिनिस्टर भी बोलती रहती हैं और यही बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते रहे । एक कौंप्लीसेन्सी का एटीच्यूड कांग्रेस की तरफ से रहता है .....।

एक सदस्य--

आप विषय पर बोले ।

चौधरी चरण सिंह--

विषय पर ही बोल रहा हूं । अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि शासक दल की तरफ से भ्रष्टाचार को मिटाने का इरादा नहीं है । बहस के खातिर आप माने या न माने लेकिन जब आप भी इस पर विचार करते होंगे तो इस नतीजे पर पहुंचते होंगे कि भ्रष्टाचार हिन्दुस्तान में दूसरे मुल्कों की अपेक्षा ज्यादा है । यहां पर सबसे ज्यादा है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा--

नाट ट्रू सर ।

चौधरी चरण सिंह--

भ्रष्टाचार इंगलैण्ड में है, जापान में है, जर्मनी में है। लेकिन वहां पर उसे मिटाने की कोशिशें हो रही है और कोशिशों के बावजूद रहा है । लेकिन हमारे यहां तो कोशिश ही नहीं हो रही है । मैं यह उम्मीद कर रहा था कि आज बहस इतनी धरातल पर पहुंच गई है इसलिये शायद अब कोई इरादा हो । कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, अगर उसके जो अग्रणी लोग हैं उनकी इन्टेग्रिटी डाउटफुल हो, अगर वे चरित्रवान न हों। उनके कारणों में जाने की जरूरत नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और न किसी दल का ही नाम लेना चाहता हूं। जिनके हाथ में सत्ता रहती है वे उपेक्षा करते रहते हैं। उसका नतीजा यह है कि हमारा मुल्क पीछे रह गया है। चाहे आप कितनी ही स्कीम्स बना लीजिये, कितना ही रुपया उसके लिये रख लीजिये लेकिन मनुष्य अगर क्वालिटी वाला नहीं होगा तो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकेगा । क्वालिटी के लिये यह है जो बड़ा आदमी कहलाता है उसका असर छोटों पर पड़ता है । कहावत है कि महाजन जिस रास्ते जाता है सर्व-साधारण उसी रास्ते जाता है। महाजन वह है जिनके हाथ में पोलिटिकल पावर है। डिमोक्रेसी तब चलती है जब हमारी जनता या उसके चुने हुये प्रतिनिधियों का आचरण ऊंचा होता है । जनता के नुमाइन्दे जो हैं वे सही रास्ते से विचलित न हो सकें । यथा प्रजा तथा राजा होना चाहिये । जब हमारे यहां एजूकेशन बढ़ जायेगा, सोसलिज्म होगा तब जनता ही लगाम लगा सकेगी। किन्तु आज यह मोनार्की हो रही है यथा राजा तथा प्रजा । राजा कैसा करेगा,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसका असर वहां के बच्चों पर किसान पर, ट्रेडर्स पर, कर्मचारियों पर और पूरे समाज पर पड़ेगा। आज समाज का चरित्र बहुत नीचे पहुंच चुका है, निम्नतम विन्दु को टच कर चुका है। इसकी जिम्मेदारी आप पर ही है जिनके हाथ में राजपाट है। अब यह देश डूब चुका है। आर्ग्यूमेन्ट तो सिर्फ वक्त काटने के लिये हैं। हमारी राजेन्द्र कुमारी जी बैठी हुई है। कहती हैं इंटेलीजेन्स के सुपुर्द यह माला हुआ था। हम समझे कि सी० आई० डी० को इन्क्वायरी के लिये मामला दे दिया। सी० आई० डी० में इन्टेलीजेन्स की एक ब्रांच होती है उसको दिया है। उसे तो तब देते हैं जब कोई आदमी खुफिया तरीके से जानना चाहता है। फिर ओपन इन्क्वायरी होती है। लेकिन यहां पर कौन सी चीज आप इंटेलीजेन्स से जानना चाहते हैं जब चीफ सेक्रेटरी ने सारे फैक्टस आपके सामने रख दिये और फाइल मौजूद थी तो इन्टेलीजेन्स की रिपोर्ट का कोई सवाल नहीं था। आपने स्वयं कहा कि १०, १५ दिन में आ जायेगा लेकिन नवम्बर से मार्च तक आपने पता नहीं लगाया और आप कहती है जब आपका सवाल आया तब पता चला। देखिये आपकी काबिलियत। आपको ६ महीने हो गये आपने खुद कहा कि १०, १५ दिन में इंटेलिजेन्स को आ जायेगी लेकिन वह ६महीने हो गये तो आपने उस पर कोई गुस्सा किया फाइल में इस तरह से कोई नोट लिखा आपने। जब चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया था कि फिर भी आर० एफ० सी० को सजा नहीं दी। आप फिर उसमें कहती है कि उसमें वगैरह वगैरह लिखा है लेकिन जो हमारे पास नकल है उसमें केवल ओम प्रकाश का नाम है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं दो बातें कहना चाहती हूं मैं नोट पढ़ देना चाहती हूं जो उस वक्त फाइल में लिखा था। मैंने आर० एफ० सी० आगरा को संबंधित पत्रावली को मंगा कर देखा उससे प्रतीत होता है कि सभी परमिट इस प्रकार के दिये गये कि दिल्ली से गल्ले का डिसपैच गुजरात किया जाय। माल उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक सड़क से होगा। हो सकता है कि इस माल की खपथ दिल्ली या आस पास के इलाके में हो गई हो और वह गुजरात भेजा ही न गया हो। इस लिये मैंने श्री पी० एम० एल० श्रीवास्तव, आर० एफ० सी० आगरा को निदेश दिया कि वह दिल्ली से जांच करायें कि जितना बाजरा का परमिट दिया गया वह सब का सब गुजरात अथवा भावनगर भेजा गया है तो गुजरात के संबंधित जिला अधिकारी को सूचना दे दी जाय और किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अगर गल्ला भावनगर, आप देख लें यहां पर फिर परन्तु अगर कहा है, गुजरात नहीं भेजा गया तो इस मामले को पुलिस को देने की आवश्यकता होगी। आर० एफ० सी० को इस प्रकार के आदेश दे दिये जायें। तो यह तारीख १-११-७३ है। एक मिनट में और एक्सप्लेन कर देना चाहती हूं उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि हमने उसमें कुछ नहीं किया हमने कहा कि दिल्ली में जांच पड़ताल करें। मेरे पास एक एक करके क्रानालाजिकल आर्डर में इन्क्वायरी चलती रहती है। आपका प्रश्न मेरे सामने आया मैंने कहा कि जल्दी करवायेंगे। मैं सदन को एक एक चीज का बताना चाहती हूं। माधव बाबू ने कहा हमारे डिप्टी सेक्रेटरी के आर्डर है सीड के सिलसिले में। तो जब तुलाराम की रिपोर्ट हो गई उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी के कोई आर्डर आये। चूंकि सीड पर कोई कंट्रोल इस तरह का था नहीं। यह केन्द्रीय सरकार के आर्डर से जाते थे केवल परमीशन मांगते थे उस पर हमारे डिप्टी सेक्रेटरी ने क्लेरीफाई किया था।

एक बात और बता हूं कि जो आपने श्री सुरेश कुमार पुत्र जगजीवन राम बाबू का नाम भी लिया उसके बारे में पिछली बार काउंसिल में भी सवाल आया था जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आया था।

चौधरी चरण सिंह—

सीधी-सीधी बात को बाजपेई जी इधर-उधर ले जाना चाहती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जितने फैक्ट्स जुलाई में रिकार्ड में आ गये थे, उसके बाद भी इस मामले को सी० आई० डी० के सुपुर्द करने की कोई भी तनिक भी आवश्यकता नहीं थी। इसमें सिविल पुलिस को सीधे आदेश दे देने की बात थी। यदि उसमें सी० आई० डी० को ही देने की कोई बात की तो इंटीलीजेन्स सेक्शन को देने की कोई भी बात नहीं थी। आपके पास जुलाई, ७३ से सारे फैक्टस है और आप एक आदमी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहे हैं। अब कहते है सजा मिलेगी इंक्वायरी हो रही है। एक सब इन्सपेक्टर एक एम०पी० और एम० एल० ए० के खिलाफ, इंक्वायरी करेगा।

श्री हेमवती नप्दन बहुगुणा—

उसको तो बहुत पावर हैं वह तो एक मिनिस्टर की कार रोक लेता है।

चौधरी चरण सिंह—

आप इस तरह से हंसकर बातें न बनायें। एक सब इंस्पेक्टर, जो एक नीचे का मातहत है वह इंक्वायरी करेगा इनके खिलाफ ? अब करप्शन कैसे मिटे। जूडीशियल इंक्वायरी कराने को आप तैयार नहीं है। मैं सन ७३ में बाकायदा प्रस्ताव लाया इस हाउस में कि चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करने पर हाईकोर्ट के जज द्वारा इंक्वायरी करा दी जाये, जिनके बारे में जिन मिनिस्टर के बारे में हाउस में आरोप लगाये जायं। संथानम् कमेटी की अनुसार लोकपाल और लोक आयुक्त मुकर्रर करने की बात थी। धारा १०३ में पब्लिक सर्वेन्ट के खिलाफ इस्तगाशा अदालत में हो सकता है। किन्तु उसमें मिनिस्टर नहीं आता। इस व्यवस्था के खिलाफ कितने ही जूडिशियल कमेटी और कमीशन ने यह कहा कि इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जाये कि उसमें सभी को शामिल माना जाये। उसे आप करने को तैयार नहीं। चीफ मिनिस्टर जब तक राजी न हों, तब तक इंक्वायरी मिनिस्टर के खिलाफ नहीं बिठाई जा सकती है। चीफ मिनिस्टर तो करप्ट मिनिस्टर के बल पर है ही, वह कैसे कर सकता है। वह क्यों करना चाहेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हंसी की बात नहीं है। बहुगुणा जी चाहे कुछ कहें, यदि कोई चीफ मिनिस्टर करप्ट मिनिस्टर्स रखता है तो उसके पीछे कोई कारण तो होगा ही। मिनिस्टर ईमानदार होता है और एक मिनिस्टर को बेईमान होने के बाद भी रखता है तो उसके खिलाफ चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी कैसे करेगा—करायेगा। शायद ही ऐसा कोई उदाहरण हो जब चीफ मिनिस्टर ने कभी अपने अधीन मिनिस्टर के खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही की हो। मैं उसमें अमेन्डमेंट लाया था—

परिवहन मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)—

अभी हाल में बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने ही अपने एक मिनिस्टर के खिलाफ ऐक्शन लिया है।

चौधरी चरण सिंह—

कहीं रेयर केसेज में ऐसा होता होगा। इसमें भी आपस की पार्टी बाजी रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हुक्म दिया गया होगा, वरना ऐसा शायद कहीं भी नहीं हुआ है। वह तो मैं जानता हूं कि इस तरह का आब्जर्वेशन होगा, इस तरह की मिसाल दे देगें। पब्लिक मैन्स इन्क्वायरी आर्डिनेंस जो हमारी तरफ से १९६७–६८ में आया था उसमें किसी भी मिनिस्टर या चीफ

मिनिस्टर यहां तक कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, अगर दस आदमी गर्वनर को लिख कर कर दरख्वास्त दे दें तो इनक्वायरी हो सकती थी। उसमें चीफ मिनिस्टर की रजामन्दी की जरूरत नहीं थी ।

मैंने यह भी रखा था कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर और मंत्रियों के अलावा जो पांच साल पहले चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर रह चुके है उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो सकती थी। दूसरी बात यह थी कि इन्क्वायरी करने की एजेंसी बिल्कुल इंडिपेंडेंट थी। यह नहीं कि चीफ मिनिस्टर ने सब इन्सपेक्टर को इनक्वायरी करने के लिये हुक्म दे दिया। चीफ मिनिस्टर उसको बरखास्त नहीं कर सकता था । चीफ मिनिस्टर की रजामन्दी की जरूरत नहीं थी । मैं दोहराना चाहता हूं, मेरे पास कग्जि रखी होगी । हर इम्पार्टेन्ट कांग्रेस लीडर ने उस आर्डिनेंस की मुखालिफत की । अगर कोई डर नहीं था, और इन्क्वायरी करवाने के लिये तैयार थे तो क्यों विरोध किया ? एक रास्ता रह जाता है कि लेजिस्लेचर की कमेटी के जरिये इन्क्वायरी हो जाय । उसमें आप के लोग भी और इधर के लोग भी रहेंगे । उसको अपोज कर रहे हैं । कहते है कि कोई उस पर कोई ऐक्शन नहीं हो सकता । न हो ।

पब्लिक मैंने इनक्वायरी आर्डिनेंस में रिपोर्ट सदन के सामने रखी जाती । हाउस को कोई अधिकार नहीं था । कमीशन आफ इनक्वायरी बैठता है, जुडीशन इनक्वायरी होती है, उसमें भी हाउस कुछ नहीं कर सकता । लेकिन हाउस में रखा जाता है । इसमें रिपोर्ट सदन के सामने रखी जायगी । प्रेस में भी जायगी । पब्लिक को जानकारी होगी कि गवर्नमेंट कैसे चल रही है । फिर कहते है कि हाउस क्या करेगा ? सदन को तीनों अधिकार है, न्यायापालिका, कार्यपालिका और विधायिका, हाउस हर तरह की इनक्वायरी कर सकता है । रूल्स में दे रखा है । न भी हो । उसको इनहैरेंट राइट है । गवाही तलब कर सकता है । हाउस इनक्वायरी कर सकता है। मान ले जो रिपोर्ट आयगी वह यूनी-फैक्टुअल होगी । होगी नहीं । लोगों की इनफार्मेशन, इजूकेशन के लिये होगी । आप बचना क्यों चाहते है इफ योर कांशंस इज क्लियर ? लेकिन कांशंस क्लियर नहीं है । इस का जबाव मैंने यह दिया ।

अभूतपूर्व प्रस्ताव है । मैं माननीय नारायणदत्त से अर्ज करना चाहता हूं कि इस देश की अभूतपूर्व स्थिति है । क्या कोई देश इतना बरबाद हुआ जितना यह है ? नतीजा यह है कि जो अफसरान अंग्रेजों के जमाने में ईमानदार थे, जिनको मैं जानता हूं, वह आज बेईमान हो गये हैं, आप लोगों की मिसाल देख कर । जिन हाथों से मुल्क लूटा जा रहा है, आप चुप क्यों हैं ? भूतपूर्व मुख्य मंत्री हों या कोई हो, आप इनक्वायरी करवाये कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने १९७१ से १९७४ तक उन्होंने क्या किया । मैं अपने आप को पेश करता हूं । मेरी भी इनक्वायरी करवा ली जाय १९४६ से लेकर आज तक पब्लिक लाइफ की ही नहीं प्राइवेट लाइफ की भी । अगर किसी की प्राइवेट लाइफ ठीक नहीं होगी । तो उसकी पब्लिक लाइफ भी ठीक नहीं हो सकती ।

मैं सिर्फ एक बात कह कर खत्म करना चाहता हूं । एक दोस्त है, जिनको ८० फीसदी आदमी जानते हैं । स्वर्गीय फरीदी की पुत्री की शादी में मैं चला गया । मेरा फर्ज था । वहां पर एक पुराने कांग्रेसी १९४६ से १९५२ तक एम० एल० ए० रहे । मशहूर आदमी । कांग्रेस छोड़ा दूसरी पार्टी में शरीक हुए और बहुत दिनों तक चलते रहे फिर कांग्रेस में आ गये । अब एम० पी० हैं । मैंने उनका नाम लेकर कहा कि आओ बेटो मेरे पास । सब लोग इधर उधर बैठे थे । मैंने उनसे कहा कि मुल्क को कहां पहुंचाओगे । अभी तसल्ली नहीं हुई क्या ? मेरे उनके साथ ऐसे ताल्लुकात थे कि मैं उनसे इस तरह की बातचीत कर सकता था । उन्हों

[चौधरी चरण सिंह]

ने कहा कि इसमें केवल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्रधान मंत्री का ही दोष नहीं है। लेकिन उनका भी दोष है जिनके बल पर गवर्नमेंट चलती है। कितनी ही चीज़ें उनके सामने क्यों न आ जायं लकिन वह अपने मिनिस्टर के खिलाफ पार्टी में बात नहीं उठायेंगे। अपने मुख्य मंत्री से नहीं कहेंगे बदनामी हो रही है। आखिर इस पालिसी को बदलना चाहिये। यह मैंने उनसे कहा। वह पार्लियामेंट के मेम्बर है। उन्होंने कहा कि सच्ची बात हम बताते हैं कि हम केवल एम० पी० ही नहीं रह गये हैं। कोई जानना चाहेगा तो मैं नाम भी बता दूंगा। वह मेरी गैर हाजिरी में चला जाय और उनसे पूछ लें। उनका कहना है कि एम० एल० ए० अपने नेता के पास जाता है। चुनाव में कितना खर्चा होगा इसको वह जानता है। ५० हजार लगेगा तो ७० हजार बताता है और उसको ८० हजार दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि २० हजार और अगर जरूरत पड़े तो और मिल जायेगा। उन्होंने कि जब वह रुपया बचाते है तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं। (व्यवधान) फिकरा कसने से काम नहीं चलेगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन अगर आप किसी मिनिस्टर या अपने मुख्य मंत्री से नाराज है तो कैबिनेट बदलिये। आप दूसरी कैबिनेट बनाइये।

(व्यवधान)

मैं पुरानी बात बता दूं। उसमें देर लग जायेगी। उस समय के कांग्रेस के मिनिस्टर कितने कर्त्तव्यनिष्ट थे। एक बार पंत जी को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार पंडित जवाहर लाल जी को बुलाना पड़ा और ३–४ दिन तक उनसे बातें की। लेकिन आज बदकिस्मती है कि पुराने मेम्बर अपोज़ीशन में कम है और शासक दल के मेम्बरान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। इसलिये अगर देश रसातल को जा रहा है। तो केवल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मेरे इन दोस्तों की भी इक्वल जिम्मेदारी है और इतिहास उनको माफ करने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

(श्री अध्यक्ष के प्रस्ताव प्रस्तुत करना आरम्भ करने पर।)

अध्यक्ष महोदय, मैं पहले यह जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री जी इसको स्वीकार करने के लिये तैयार हैं?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा––

मान्यवर, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से दोषी लोग दण्ड मिलने से बाकी रह जायंगे और निर्दोषों को बिला वजह जिल्लत उठानी पड़ेगी।

चौधरी चरण सिंह––

इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(चौधरी चरण सिंह विरोधी पक्ष के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)––

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम समझते थे कि वह इसकी सफाई करेंगे और इसको कबूल फरमायेंगे।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अध्यक्ष इस सदन के १५ सदस्यों की एक समिति विरोधी पक्ष के किसी सदस्य के सभापतित्व में गठित करें जो इस प्रदेश से अनियमित रुप से बाजरा व धान (चावल) निर्यात काण्ड की छानबीन करके अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन को प्रस्तुत कर दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५१ के अन्तर्गत मैंने सभी सूचनाएं अस्वीकृत कर दी हैं।

(कुछ रुक कर)

अब हम उठते है, कल ११ बजे पूर्वान्ह फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
२६-१२-७४

सत्य प्रिय सिंह,
सचिब, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२ पर)

नक़ल फ़िक नं० १५८८ मु० आ० नं० १५०२ धारा ३०७ आई० पी० सी० थाना कोतवाली, गोंडा वकुआ० ता० ३०–११–७४ समय लगभग साढ़े ११ बजे ।

मरजुआ ता० ३०–११–७४ समय १६·४५

जाय वकुआ मौजा राजकीय कालेज का फील्ड मो० पटेलनगर, ओ० पी० महाराज गंज ।

वादी श्री मोहम्मद अजीज पुत्र मुहम्मद बक्स मो० राजकीय इंटर कालेज, गोंडा कक्षा ११

प्रतिवादी १––राघव राम पाण्डेय

२––उनका लड़का

३––तथा एक व्यक्ति और सूरत शनाख्त

धारा ३०७ आई० पी० सी०

आई० ओ० सी० आई० साहब वलरामपुर ।

नक़ल तहरीर हिन्दी

श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना कोतवाली गोंडा श्रीमान जी निवेदन है कि आज दिनांक ३०–११–७४ को दिन में लगभग साढ़े ११ बजे जब राजकीय इंटर कालेज के विद्यार्थियों का जुलूस जिला अधिकारी के कार्यालय से लौट रहा था तो जब राजकीय कालेज के फील्ड के सामने जुलूस पहुंचा तो जुलूस के लड़के राघवराम पांडेय ने जो बेहया जमाकर कब्जा कर रखा है उनकी बेहया हटाने के लिये आगे बढ़े कुछ लड़के बेहया के नजदीक पहुंचे ही थे कि राघव राम पान्डेय एवं उनका लड़का तथा और एक व्यक्ति के साथ जिसको मैं देखकर पहचान सकता हूं ने अपनी छत पर से गोली चलाई जो कि जुलूस में सम्मिलित अनिलकुमार सिंह, मृगेन्द्र कुमार आर्य, सुधीर कुमार श्रीवास्तव के अतिरिक्त ५ लड़कों को घायल कर दिया लगभग पचीस और तीस बार गोली चलाई गई जिससे घायल लड़कों के टांग, जांघ व पीठ तथा सीने में गोली लगी जो सभी गोंडा सदर अस्पताल में भर्ती हुए जिस समय गोली चली उस समय कोतवाली के सरदार दरोगा जी अपने सिपाहियों के साथ खड़े देखते रहे गोली चलाने के बाद लड़कों का जुलूस उत्तेजित हो गया और राघव राम पाण्डेय की गिरफ्तारी की मांग की लेकिन पुलिस और लड़कों के बीच लगभग साढ़े ४ बजे तक बातचीत का दौर चलता रहा जिसकी वजह से घटना की प्रथम सूचना दर्ज़ कराने में बिलम्ब हुआ उपरोक्त घटना की राकेश पान्डे, जगदीश प्रसाद दूबे, तारा सिंह तथा राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी आदि के अतिरिक्त अन्य बहुत से लोगों ने जो वहां मौजूद थे उपरोक्त घटना को देखा और सुना है । अतः रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही की जाय । प्रार्थी मो० अजीज पुत्र मोहम्मद बक्स राजकीय इंटर कालेज गोंडा कक्षा ११ अ । दिनांक ३०–११–७४ ।

लेखक एफ० आई० आर० हे० का० श्रद्धा राम त्रिपाठी ३०–११–७४

ना० मु० अ० हे० ह० रा० कृष्ण० ३०–११–७४

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६ पर]

नागरिक सुरक्षा अधिकारी, गोरखपुर श्री हरिश्चन्द्र वर्मा के विरुद्ध श्री गिरधारी लाल अग्रवाल, सदस्य उ० प्र० अपराध निरोधक समिति, गोरखपुर से प्राप्त शिकायतों का विवरण ।

१—आपातकालीन अवधि में माह जनवरी, १९७२ में कुछ सामानों के क्रय के लिये जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार स्थानीय फर्मों से कोटेशन मांगे गये थे जिसे श्री वर्मा जी नागरिक सुरक्षा अधिकारी ने बिना किसी कार्यवाही के अपने पास रख लिये और अपने व्यक्तिगत संपर्क से कुछ कोटेशन अपने निवास स्थान पर श्री मोहन लाल अग्रवाल से अवैधानिक तौर पर लेकर बदल दिये और कोटेशन प्राप्त होने के पूर्व ही श्री मोहन लाल अग्रवाल से कुछ सामानों की सप्लाई करा लिये थे । परन्तु इस अवैधानिक कार्य को जब जिलाधिकारी महोदय करने की स्वीकृति नहीं दिये तो सामान नहीं खरीदा गया और सभी पैसा सरकार को वापस हो गया ।

२—श्री वर्मा जी नागरिक सुरक्षा अधिकारी के वार्डेनों के प्रति अभद्र एवं अनुचित व्यवहार के कारण गोरखपुर नगर के समस्त पोस्ट वार्डेनों ने दिनांक ११-४-७२ को एक साधारण बैठक की श्री वर्मा जी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ जिसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को दिनांक १४-४-७२ को दी गई परन्तु अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई प्रस्ताव की प्रतिलिपि साथ में संलग्न है ।

३—स्टोर के सामान के खरीद के संबंध में श्री वर्मा जी नागरिक सुरक्षा अधिकारी श्री एन० बी० सिंह प्रभारी अधिकारी स्टोर से गलत कार्य करवाना चाहते थे परन्तु उन्होंने गलत कार्य का विरोध किया जिससे उनका स्थानान्तरण इस जनपद से करवा दिया गया ।

४—नागरिक सुरक्षा कार्यालय के स्टेनो श्री चन्द किशोर मिश्र से अपने घरेलू एवं व्यक्तिगत कार्य हेतु कुछ रुपया लिये थे जिसे अधिक दिनों तक वापस न करने पर स्टेनों बार-बार मांग की प्रार्थना की और वापस न होने पर जब इसकी सूचना जिलाधिकारी को लिखित रूप में दिया तो इससे कुछ धनराशि वापस किये । इसके बाद बाकी पैसा मांगने पर वापस नहीं किये बल्कि अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करने लगे जिसकी सूचना जिलाधिकारी को दिया । ए० डी० एम० (ई) महोदय के जांच हेतु कार्यालय आने पर श्री वर्मा जी ने स्टेनों से रुपया लेना स्वीकार भी किये गये फिर भी बाकी पैसा नहीं दिये जिससे पुनः स्टेनों ने उप निदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ० प्र० से भी प्रार्थना किया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

५—नागरिक सुरक्षा कार्यालय में चार-पांच चपरासी चतुर्थ श्रेणी केवल हैं परन्तु उनमें से तीन चपरासी श्री वर्मा, नागरिक सुरक्षा अधिकारी के घरेलू कार्यों में लगे रहते हैं जिस किसी दिन यदि घर पहुंचने में उन्हें देर हो जाती है तो उन्हें नौकरी से निकाल देने की धमकी देते हैं इस प्रकार कार्यालय के कार्य में अपना योगदान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नहीं दे पाते हैं ।

६—सरकार विभागीय जीप जोकि संगठन के कार्य हेतु निदेशालय से प्राप्त हुई है वह श्री वर्मा जी नागरिक सुरक्षाधिकारी जो घरेलू एवं व्यक्तिगत कार्यों से ही नहीं फुर्सत पाती है जबकि लागबुक में प्रतिदिन बार्डेन पोस्टों का ही दौरा दर्शाया जाता है जबकि जांच करने से ज्ञात होगा कि किसी बार्डेन पोस्टों पर नहीं जाते है ।

७—कार्यालय के कुछ कर्मचारी लगभग १० वर्षों से कार्य कर रहे हैं जिन्होंने आपत्ति-कालीन समय में बहुत ही परिश्रम एवं लगन के साथ सराहनीय कार्य किये हैं और उनका व्यव-हार वार्डेनों के प्रति भी सराहनीय रहा है उन कर्मचारियों को श्री वर्मा जी द्वारा गलत कार्य करवाने के विरोध में उन्हें आर्थिक हानि पंहुचाई जा रही है और उन्हें नौकरी से अलग कर देने का भी प्रयास जारी है ।

८—श्री हरिशचन्द्र वर्मा जी के विरुद्ध कुछ न्यायिक जांच चल रही है परन्तु मेरा सुझाव है कि ऐसी परिस्थिति में तत्काल श्री हरिशचन्द्र वर्मा, नागरिक सुरक्षा अधिकारी का इस जनपद से स्थानान्तरण करने के बाद ही न्यायिक जांच की जाय ।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०८ पर]

दिनांक 1 मई 74 से 20 जून 74 तक की अवधि में खीरी जिले के थाना मैगलगंज, थाना पसगवां तथा थाना मोहम्मदी के अन्तर्गत पड़ी डकैतियों का विवरण—

थाना	डकैतियों की संख्या जिनकी रिपोर्ट हुई	मृत व्यक्तियों की संख्या	विवेचना की प्रगति		विशेष विवरण
			अंतिम रिपोर्ट (संख्या)	जांच जारी (संख्या)	
मैगलगंज	५	2 (एक डकैती में)	२	३	जिन तीन मुकदमों की जांच हो रही है उनमें से २ में एक-एक अभियुक्त का चालान किया जा चुका है। सभी में विवेचना अभी जारी है।
पसगवां	६	शून्य	शून्य	६	२ मुकदमों में कुछ अभियुक्तों का चालान हो चुका है और सभी में विवेचना जारी है।
मोहम्मदी	२	शून्य	शून्य	२	१ मुकदमें में विभिन्न तिथियों में ८ अभियुक्तों का चालान हो चुका है। दोनों मुकदमों में विवेचना जारी है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

देखिए नियम ३८ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ९ का (उत्तर पीछे पृष्ठ १०९ पर)

तालिका 'अ'

आजमगढ़ जनपद के जिन-जिन विकास खण्डों में जिन-जिन स्थानों पर हरिजन कालोनी का निर्माण किया गया तथा प्रत्येक पर लागत की सूची ।

क्र० सं०	नाम विकास खंड तथा स्थान जहां कालोनी का निर्माण किया गया	प्रत्येक हरिजन का कालोनी पर अनुमानित लागत	निर्मित्त आवास गृहों की संख्या	अब तक वास्तविक व्यय
	१	२	३	४
१	बड़राव, सिपाह ..	१४,०००.००	७	१२,२५८.५३
२	अजमगढ़, छपरा सुल्तानपुर ..	१४,०००.००	७	९,१३२.९२
३	दोहरीघाट, गोठा टिकरी ..	१२,६५०.००	७	१०,८८६.३८
४	कोयलसा, अतरैठ ..	१४,०००.००	७	११,२६१.३४
५	हफतेहपुर मंडाव, मारफतपुर ..	१२,०००.००	६	९,५१९.५३
६	हरैया, हरैया ..	१८,५६२.००	९	१७,१७३.७२
७	घोसी, मजवारा ..	१४,०००.००	७	११,२९८.९०
८	बिलरियागंज, बिजयापार ..	१४,०००.००	७	१०,७४५.३६
९	महराजगंज, खजियावर ..	१४,०००.००	७	११,७९७.७०
१०	परदहा कहिनौर ..	१४,०००.००	७	१२,२१७.१३
११	कोपागंज, धवरियासार्थ ..	१४,०००.००	७	११,१९८.५६
१२	तहबरपुर, बीबीपुर ..	१४,०००.००	७	११,९७७.२३
१३	पवई, सुम्माडीह ..	१२,०००.००	६	११,६५५.२८
१४	लालगंज, खनियरा ..	१४,०००.००	७	१३,७१०.५५
१५	मेहनगर, मेहगनर ..	१३,५००.००	७	११,९६५.३१
१६	तरवा, बनगांव ..	१४,०००.००	७	१०,७४२.२५
१७	अतरौलियां, लोहरा ..	१४,०००.००	७	१२,४०६.७२
१८	अहरौला, कोतवालीपुर ..	१४,०००.००	७	१२,५३५.४५
१९	रानीपुर, करमी ..	१४,७९२.००	७	१४,९१५.८४
२०	ठेकमा, मुड़हर ..	१४,०००.००	७	१२,८५९.९९
२१	फलपुर, अमरेथू ..	१३,०००.००	७	११,२६०.६९
२२	मिर्ज़ापुर, बस्ती ..	१४,०००.००	७	११,५१९.७३
२३	मार्टिनगंज, फुलेश अहमद बक्स	१४,०००.००	७	१३,८६८.१९
२४	जहानागंज, मो० बक्स मसुद्दीनपुर	१०,०००.००	५	९,९४५.६४
२५	मुहम्मदाबाद, बरामदपुर ..	९,०००.००	४	६,३२४.६८
२६	रानी की सराय, लछिरामपुर ..	१२,०००.००	६	९,३५८.१७
२७	मुहम्मदपुर, मंगरांवा ..	१४,०००.००	७	११,३६१.५८
२८	बल्हनी, जमालपुर ..	१४,०००.००	७	१३,१५६.८८
	कुल योग ..	३,७९,५०४.००	१९०	३,२७,०७४.३१

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११३ पर) ।

दिनांक १३/१४ अगस्त, १९७४ को अगरा शहर के दंगों में पीड़ित व्यक्तियों की स्वीकृत धनराशि के वितरण की तालिका

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	प्रदत्त धनराशि
१	२	३	४
	नाम मुहल्ला:—टीला नन्दराम		
१	सांवलिया ..	ज्वाली बालमीकि ..	२००.००
२	भोंदू ..	सांवलिया बालमीकि ..	२००.००
३	सुम्मेरा ..	जंगली बालमीकि ..	२५०.००
४	भीमाराम ..	सरमन जाटव ..	४५०.००
५	चिरंजी लाल ..	टन्डाराम जाटव ..	२००.००
६	टन्डराम ..	भोंदा जाटव ..	३००.००
७	देवलाल ..	मवासी राम जाटव ..	२००.००
८	निहाल सिंह ..	मेवाराम जाटव ..	२००.००
९	हरीश चन्द्र ..	चेतराम जाटव ..	३५०.००
१०	मु०कलावती ..	विधवा बाबूलाल जाटव ..	१=५०.००
११	चन्द्रभान ..	मंगला जाटव ..	७५०.००
१२	दुर्गादास ..	हरजीत जाटव ..	७५०.००
१३	वेदराम ..	जवाली जाटव ..	२००.००
१४	राजाराम व श्यामलाल ..	जौहरी लाल जाटव ..	१०००.००
१५	सुखदेव ..	सोनपाल जाटव ..	१०००.००
१६	रतन सिंह ..	सांवलियां जाटव ..	१५००.००
१७	तेज सिंह ..	गोबिन्दाराम जाटव ..	७५०.००
१८	गरीब दास ..	जवाली जाटव ..	८७५.००
१९	कल्लू व ..	बुन्दू मुसलिम) ..	१०००.००
	ईशक ..	कल्लू मुसलिम) ..	
२०	नब्बू ..	अगबर मुस्लिम ..	३५००.००
२१	मुहम्मद शेरू ..	नब्बू मिस्त्री ..	३५००.००
२२	शहीद व सलीम ..	अल्लादीन मु० ..	७५०.००
२३	मु० बिब्बो ..	बेवा नूरा मु० ..	५००.००
२४	अमीरउद्दीन उर्फ लाला ..	कमरुद्दीन मु० ..	१६५०.००
२५	नत्थी ..	गेंदा ..	३००.००
२६	जमुनादास ..	नत्थीलाल जाटव ..	१५०.००
२७	मु० नारायनी ..	बेवा छीतरमल जाटव ..	२५०.००
२८	सुखराम ..	लोहरेराम जाटव ..	५००.००
२९	सन्तोषी ..	नत्थीलाल जाटव ..	१०००.००
३०	रामजी लाल ..	भोलाराम जाटव ..	५००.००

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	प्रदत्त धनराशि
१	२	३	४
३१	इशाक पहलवान ..	मु० इस्माईल ..	५००.००
३२	नवाब नजरुद्दीन व चिरागुद्दीन	शमी रुद्दीन ..	१६५०.००
३३	मम्मू ..	चन्दा शाह ..	५२५.००
३४	फरजंद अली ..	नमाजी ..	५००.००
३५	बाबूलाल ..	सांवलिया ..	३००.००
३६	गफूर खां ..	चांद खां ..	३००.००
३७	लतीफुद्दीन ..	चांद खां ..	३००.००
३८	नईमुद्दीन ..	निमाजुद्दीन ..	४००.००
३९	अहमद मियां ..	हमीद मियां ..	४००.००
४०	रफीक ..	मुहम्मद सद्दीक ..	३५०.००
	मुहल्ला सुभाष बाजार तिकौनियां (रेलवे लाइन के किनारे की दुकानें)		
४१	तीरतराम ..	दयाराम ..	५००.००
४२	परसराम ..	होतचंद ..	५००.००
४३	टीकमदास ..	परसराम ..	११६५.००
४४	बालचन्द ..	छत्तोमल ..	७५०.००
४५	करमचन्द ..	होतचन्द ..	५००.००
४६	नरायणदास उर्फ नारीमल ..	हस्सूमल ..	६२५.००
४७	आसनदास ..	होतचन्द ..	४००.००
४८	किशनलाल ..	होतचन्द ..	४००.००
४९	लीलाराम ..	होतचन्द ..	४००.००
५०	राधेश्याम ..	होतचन्द ..	४००.००
५१	श्याम लाल उफ सांवलदास	चेतनदास ..	३००.००
५२	शोभू उर्फ शोभामल ..	चेतन दास ..	३००.००
५३	नत्थू मल ..	पारसमल ..	७५०.००
५४	निजामुद्दीन ..	तुराबउद्दीन ..	७५०.००
५५	मुफीउद्दीन ..	निजामउद्दीन ..	१३२०.००
५६	लालू ..	रहीम बक्श ..	२५०.००
५७	जाबिद हुसैन ..	वदरुद्दीन ..	४००.००
५८	रफसन खां ..	गफूर बक्स ..	७५०.००
५९	अब्दुल अजीज ..	अब्दुल गफूर ..	३००.००
६०	भज्जो ..	अब्दुल हमीद ..	५००.००
६१	आलमगीर ..	मोला बक्श ..	५५०.००
६२	मुहम्मद उमर ..	बिसमिल्लाह होटल ..	३००.००
६३	मुहम्मद उमर ..	खिलौना वाले ..	५००.००
६४	अकील अहमद ..	शकील अहमद मुस्लिम .	१०००.००
६५	मु० अहसान ..	अब्दुल शकूर ..	१३२०.००
६६	इब्राहीम	मु० इशहाक ..	१०००.००
६७	मु० सद्दीक ..	इब्राहीम ..	२०००.००

क्रमांक	नाम	पिता का नाक	प्रदत्त धनराशि
१	२	३	४
६८	मु० आशिक कुरेसी	.. अब्दुल हमीद	.. २०००.००
६९	रसूल खां	.. मुन्ने खां	.. ७५०.००
७०	मु० रफीक	.. नूर मुहम्मद	.. ४००.००
७१	मु० इकबाल व अयूब	.. इदरीश	.. २५००.००
७२	अब्दुल शमीम उर्फ बोना	.. उसमान	.. ३०००.००
७३	मु० शहीद	.. मु० उसमान	.. १६५०.००
७४	मु० इलियाश	.. मु० इस्लाम	.. १०००.००
७५	अब्दुल कासिम	.. राघवउल्ला इमाम मस्जिद	.. १०००.००
७६	मु० इस्लाम	.. मु० उस्मान	.. १६५०.००
७७	रहीमुद्दीन, सलीमुद्दीन	.. मु० बख्श	.. १७५०.००
७८	अनवार खां	.. इमत्याज खां	.. १०००.००
७९	नवाब खां	.. सांवलियां	.. ३५०.००
	मुहल्ला रावली		
८०	बशीर	.. नजीर अहमद	.. ५००.००
	मुहल्ला चक्कीघाट		
८१	आगरा फिशरीज को० मार्केटिंग सोसाइटी		.. १५००.००
	मुहल्ला छीपीटोला		
८२	अख्तर अली	.. भोलू	.. १०००.००
८३	अलादीन	.. मुनीर	.. ७५०.००
८४	नूर ..	.. मुनीर	.. १०००.००
८५	नेत्र परचूनीवाला व मुन्शी पुत्र	.. बल्लू	.. १२५०.००
८६	पीरबख्श	.. हाजी बजीरबख्श	.. ११५०.००
	मुहल्ला सदर भट्टी		
८७	रामचन्द्र	.. लाहोरीमल	.. १०००.००
	मुहल्ला ढोलीखार		
८८	खलीफा रज्जाक	.. मु० इशाक	.. २००.००
	मुहल्ला टीला शेख मन्नू		
८९	मानिक चन्द	.. नत्था जाटव	४००.००
९०	खमानी	.. बदले	.. ५००.००
	टीला सरस		..
९१	बाबूलाल	.. सीताराम	.. ४००.००
९२	मेघा	.. सीताराम	.. ७५०.००

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	प्रदत्त धनराशि
१	२	३	४
९३	भूरीसिंह ..	कलुवा ..	७५०.००
९४	भवानी प्रसाद ..	देवी राम ..	७५०.००
९५	दीपा ..	भोलाराम ..	१०००.००
९६	देवीराम, चरनसिंह ..	भोलाराम ..	११५०.००
९७	भान सिंह ..	चुन्नीलाल ..	३५०.००
९८	गोकुल ..	भानपाल ..	२००.००
९९	करनसिंह ..	खुन्नी ..	७५०.००
१००	वेदरिया ..	छिद्दी ..	७५०.००
१०१	धनपाल ..	राम प्रसाद ..	५००.००
१०२	सन्नूराम ..	सुम्मेरा ..	४५०.००
१०३	हरदेवी ..	बेवा बाबूलाल ..	६००.००
१०४	पंछीराम ..	शोभाराम ..	७५०.००
१०५	नेतराम ..	चन्दीलाल ..	३००.००
१०६	लालाराम ..	घमन्डी कुम्हार ..	७५०.००
१०७	खूबी राम ..	भानपाल ..	७५०.००
१०८	उद्दी ..	महबूब नि०ढोलीखार ..	३५०.००
१०९	अलाउद्दीन ..	अब्दुल हमीद नि० टीला नंदराम	८७५.००
११०	हरीशंकर शर्मा ..	सिरोहीलाल, नि० चक्कीपाट ..	१०००.००
१११	प्रभू दयाल गुप्त ..	मुन्नालाल नि० चक्कीपाट ..	१५००.००
११२	लच्छो बाबू ..	डालचन्द नि० चक्कीपाट ..	७५०.००
११३	राम नरायन शानवाला विधाचन्द	चक्कीपाट ..	७५०.००
११४	मुन्शी ड्राइवर ..	चांद खां, काजीपाड़ा ..	७५०.००

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६पर)

खीरी जांच आयोग की रिपोर्ट का सारांश

अगस्त, १९७२ में लखीमपुर–खीरी तथा गोला में हुई घटनाओं की जांच के लिये शासन द्वारा गठित एक सदस्यीय जांच आयोग ने १ जनवरी, १९७४ को अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी थी । आयोग द्वारा मुख्यत: जो निष्कर्ष निकाले गये उनका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है:–

१––बरसात का मौसम होने के कारण १५ अगस्त, १९७२ को सांस्कृतिक कार्यक्रम का बसन्त सिनेमा हाल में आयोजित किया जाना तथा हाल में प्रवेश-पत्रों द्वारा ही प्रवेश किया जाना उचित था ।

२––आयोग के अनुसार आम जनता को इस आशय की सूचना समय पर नहीं दी गई कि बसन्त सिनेमा हाल में प्रवेश–पत्र द्वारा ही प्रवेश होगा । आयोग ने इसके लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रभारी अधिकारी श्री राम नरायन, एस० डी० एम० व कार्यक्रम के संयोजक श्री एस० एफ० ए० रिजवी, जिला विद्यालय निरीक्षक को उत्तरदायी पाया है ।

३––दिनांक १५ अगस्त, १९७२ को बसन्त सिनेमा हाल के सामने छात्रों पर किये बल प्रयोग को आयोग द्वारा उचित नहीं पाया गया । आयोग के अनुसार बल प्रयोग के लिये वहां पर तैनात पुलिस के सिपाही व पी० ए० सी० के कर्मचारी उत्तरदायी थे । श्री पी० सी० सक्सेना, कोतवाल जो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये बसन्त सिनेमा हाल के पास उपस्थित थे, पुलिस का भली-भांति पथ-प्रदर्शन न करने के लिये उत्तरदायी पाये गये ।

४––दिनांक १६ अगस्त, १९७२ को खीरी में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना आयोग द्वारा उचित पाया गया ।

५––दिनांक १७ अगस्त, १९७२ को पुलिस द्वारा गोला में गोली चलाया जाना आयोग द्वारा उचित नहीं पाया गया । आयोग द्वारा इस गोली कांड के लिये श्री रामआधार मिश्रा, सब-इन्सपेक्टर को उत्तरदायी पाया गया है ।

६––आयोग द्वारा श्री एस० एफ० ए० रिजवी, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा संयोजक, संस्कृति-कार्यक्रम का आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया ।

७––आयोग के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट श्री एम० सैदुल्ला, पुलिस अधीक्षक श्री जोध सिंह भंडारी तथा परगना मजिस्ट्रेट श्री राम नारायन द्वारा स्थिति को सही ढंग से संभाला गया ।

८––आयोग द्वारा दिनांक १५–८–७२ को सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिये बसन्त सिनेमा हाल में प्रवेश पाने के हेतु हठ करने के लिये छात्रों व अन्य व्यक्तियों को उत्तरदायी पाया गया । इसी प्रकार दिनांक १६–८–७२ को कोतवाली के सामने हुल्लड़बाजी करने तथा १७–८–७२ को गोला में हिन्सात्मक कार्यवाही करने तथा पी० ए०सी० ट्रक पर ईंट पत्थर फेंकने के लिये छात्रों को जिम्मेदार पाया गया ।

———

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६ पर)

परिशिष्ट

दिनांक २४ सितम्बर, १९७३ को मेरठ कालेज की एक छात्रा के कथित अपहरण के फलस्वरूप मेरठ नगर में दिनांक २५ से २८ सितम्बर, १९७३ के बीच आन्दोलन, प्रदर्शन तथा हिंसा व आगजनी के कृत्यों के कारण सम्पत्ति की हानि तथा लोक सेवकों व अन्य लोगों की क्षति पंहुचाये जाने तथा जिलाधिकारियों द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने के लिये किये गये बल प्रयोग की जांच हेतु शासन द्वारा १२ अक्तूबर, १९७३ को कमीशन्स आफ इन्क्वायरी ऐक्ट के अन्तर्गत न्यायिक जांच हेतु श्री पी० एन० हरकौली, जिला जज, अलीगढ़ को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्हें निम्न तथ्यों पर जांच करने की कहा गया:--

१--घटनाओं के सम्बन्ध में तथ्यों को तथा उन कारणों को जिनके फलस्वरूप घटनायें हुईं ज्ञात करना, और

२--स्थिति का सामना तथा बल प्रयोग करने सहित उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में दायित्व तथा उसकी सीमा का निर्धारण ।

शासन को आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । उसके महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित हैं.--

(१) दिनांक २४ सितम्बर, १९७३ को मेरठ कालेज की एक छात्रा कुमारी लता गुप्ता का अपहरण हो गया। उक्त घटना की सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन्स, मेरठ म मुकदमा अंकित किया गया । उक्त घटना की सूचना नगर के सभी थानों तथा निकटवर्ती जिलों तथा दिल्ली की पुलिस को दी गयी । अपहृत लड़की को वरामद करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

(२) जब पुलिस लड़की को खोजने के लिये कार्यवाही कर रही थी, मेरठ कालेज के प्रोफेसरों ने दिनांक २५ सितम्बर, १९७३ को एक बैठक की तथा वे इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी तथा उप पुलिस महानिरीक्षक से मिले । बार-एसोसियेशन, मेरठ का एक प्रतिनिधि मंडल भी अधिकारियों से मिला । उसी दिन लगभग दो हजार छात्रों ने जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया तथा तोड़-फोड़ की ।

(३) दिनांक २६ सितम्बर, १९७३ को रघुनाथ गर्ल्स डिग्री कालेज, मेरठ की छात्राओं ने जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया । उसी दिन जिलाधिकारी ने एक बैठक बुलाई जिसमें वकीलों, छात्र नेताओं तथा अन्य नागरिकों ने भाग लिया । उक्त बैठक में अपहृत लड़की को बरामद किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया । उसी तिथि को कुछ महिलाओं तथा बच्चों ने डा० सुशीला शर्मा के नर्सिंग होम के सामने प्रदर्शन किया ।

(४) दिनांक २७ सितम्बर, १९७३ को मेरठ कालेज के अध्यापकों तथा बार-एसोसियेशन के अलग-अलग प्रतिनिधि मंडल अधिकारियों से मिले । उन्हें कृत कार्यवाही से अवगत कराया गया तथा यह भी बताया गया कि पुलिस निष्क्रिय नहीं है तथा आवश्यक कार्यवाही कर रही है। दिनांक २७ सितम्बर को ही माध्यमिक शिक्षक संघ, मेरठ की बैठक हुई जिसमें पुलिस की आलोचना की गयी तथा २८-९-७३ को "मेरठ बन्द" का आवाहन किया गया ।

(५) आयुक्त मेरठ मंडल ने २७-९-७३ को अधिकारियों की बैठक बुलाई जिसमें यह निश्चय हुआ कि जनता की उग्र भावना को देखते हुये २८-९-७३ को जुलूस निकालने से न रोका जाय, विशेष कर जब कि आयोजकों ने उसके शान्तिपूर्ण होने का आश्वासन दिया है । इस सम्बन्ध में आवश्यक पुलिस व्यवस्था किये जाने का भी निणय लिया गया ।

(६) दिनांक २८ सितम्बर, १९७३ को जिमखाना मैदान से लगभग ५,००० लोगों ने जुलूस निकाला जिसमें बाद में और लोग शामिल होते गये । साक्षियों के अनुसार जुलूस की संख्या ७ से १२ हजार के बीच थी । उक्त जुलूस कलेक्ट्रेट के सामने पंहुचा और वहां प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुये आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया । वहां से कुछ प्रदर्शनकारी वापस चले गये तथा कुछ उप पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय की ओर गये । रास्ते में उन्होंने पुलिस आफिस पर पथराव किया जिससे कुछ पुलिस कर्मचरियों को चोटें आईं तथा पुलिस वाहनों को क्षति हुई ।

(७) जुलूस ने उप पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय के समक्ष उनके विरुद्ध नारे लगाये तथा कार्यालय में घुसने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस वालों ने रोका । श्री एच० ओ०के० लावानिया, मजिस्ट्रेट के बयान के अनुसार पुलिस ने उनसे लाठी चार्ज की अनुमति मांगी जो उन्होंने नहीं दी । इसके कुछ ही मिनट बाद एकाएक पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया जिसमें श्री लावानिया को गम्भीर चोटें आईं । पुलिस के साक्षियों ने लाठी चार्ज होने की बात स्वीकार नहीं की । आयोग के अनुसार लाठी चार्ज हुआ था । पर साक्ष्य के अभाव में आयोग यह ज्ञात करने में असमर्थ रहा कि लाठी चार्ज किसके आदेश से हुआ था ।

(८) दिनांक २८ सितम्बर, १९७३ को ही प्रदर्शनकारियों ने डा० सुशीला शर्मा के नर्सिंग होम पर भी तीन बार प्रदर्शन किया । उन्होंने नर्सिंग होम में आग लगा दी तथा पथराव किया जिससे नर्सिंग होम को काफी क्षति पहुंची । भीड़ को तितर-बितर करने के लिये उस स्थान पर अतिरिक्त जिलाधिकारी के आदेश से लाठी चार्ज हुआ । इस लाठी चार्ज के सम्बन्ध के आयोग ने कोई टीका नहीं की है ।

(९) दिनांक २८ सितम्बर, १९७३ को ही प्रदर्शनकारी पुनः उपपुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय के समक्ष एकत्रित हो गये तथा उनके विरुद्ध नारेबाजी करने लगे । उन्होंने कार्यालय के अन्दर घुसने का भी प्रयास किया । भीड़ को हिंसा पर उतारू देखकर उप पुलिस महानिरीक्षक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उसे तितर-बितर करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करने को कहा । मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट के न मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लाठी चार्ज का आदेश दिया । लाठी चार्ज के बाद भीड़-तितर-बितर हो गयी । उक्त लाठी चार्ज में श्री मोहन लाल कपूर, एम०एल०ए० को चोटें आईं । उनका आरोप था कि उन्हें उप पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय के अन्दर अकेले में पीटा गया । इस सम्बन्ध में आयोग का मत है कि उन्हें चोटें लाठी चार्ज के दौरान आईं । इस लाठी चार्ज को आयोग ने न्यायोचित ठहराया है ।

(१०) इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की जिम्मेदारी उन व्यक्तियों की है जिन्होंने इतना विशाल प्रदर्शन आयोजित किया था और अधिकारियों को इस बात का आश्वासन दिया था कि जुलूस शान्त रहेगा, किन्तु वास्तव में प्रदर्शनकारियों पर उनका नियंत्रण नहीं रह गया, यद्यपि कि यह मानना ही पड़ेगा कि इस प्रकार की जो घटनायें घटीं थीं उनके कारण ही वे गड़बड़ा गये थे और उत्तेजित हो गये थे । यह भी हो सकता है जैसा कि श्री वीरेश्वर त्यागी का कहना है कि प्रेस द्वारा दी गयी इस रिपोर्ट से लोग गुमराह हो गये थे कि इन सब के पीछे राजनैतिक हाथ था और एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की हिरासत से बच निकला था क्यों कि इस तरह की बातों से लोगों का उत्तेजित हो जाना स्वाभाविक था । किन्तु जब कि जिम्मेदार व्यक्तियों ने इतना विशाल प्रदर्शन आयोजित करने की जिम्मेदारी ली थी तो उनसे इस बात की अपेक्षा करना अनुचित न होगा कि उनको तथ्यों की अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिये थी और उन्हें अफवाहों और गलत रिपोर्टों के आधार पर बहक न•जाना चाहिये था ।

(११) आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उप पुलिस अधीक्षक (श्री भूषण शर्मा), उप पुलिस महानिरीक्षक (श्री के०डी० शर्मा), अतिरिक्त जिलाधिकारी (श्री पी०के० पांडे), चिकित्सा अधिकारी (डा० बी०पी० अग्रवाल) तथा कुछ पुलिस सब इन्सपेक्टरों (नाम नहीं दिये गये हैं) की त्रुटियां बतलाई है । इस सम्बन्ध में नियुक्ति विभाग, चिकित्सा विभाग तथा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११८ पर)

बाराबंकी जनपद में वर्ष १९७२, १९७३ व १९७४ (३० नवम्बर, १९७४ तक) असलहा के लाइसेंस के लिये प्राप्त तस्तारित तथा अवशेष प्राथना-पत्रों का विवरण

वर्ष	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	निस्तारित प्रार्थना-पत्रों की संख्या	अवशेष प्रार्थना-पत्रों की संख्या
१	२	३	४
१९७२ ..	१,३७७	१,२३५	१४२
१९७३ ..	२,१९५	१,४०९	७८६
१९७४ .. (३० नवम्बर तक) ।	१,९६१	१,०९१	८७०

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ९ व १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ पर)

बरेली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी लिमिटेड बरेली ने वर्ष १९७१–७२, ७२–७३ तथा ७३–७४ में बिजली बनाने हेतु क्रमश: २०९५५.७, २६,५३५.२ तथा ३०६७०.३ मीट्रिक टन कोयला क्रय किया था तथा उससे क्रमश: १४८०९९१०, १६८०९६३० तथा १९०४८८६० यूनिट्स बिजली का उत्पादन हुआ ।

हाइडिल पावर स्टेशन, दोहना से सप्लाई कम्पनी ने वर्ष १९७१–७२, ७२–७३ तथा १९७३–७४ में क्रमश: २,७३,७०,५३१ यूनिट्स, २,१९,१५,३५४ यूनिट्स तथा २,१६,३८,८६५ यूनिट्स क्रय किया और इन समस्त यूनिट्स के किसी भाग को भी डी०सी० में परिवर्तित नहीं किया गया ।

———

नत्थी 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में ३० जून १९७४ को लंबित मुकदमों की सूची

क्रम-सं०	मुकदमों का वर्ष	३०-६-७४ को लंबित	१९७४	१९७३	१९७२	१९७१	१९७०	१९६९	१९६८	१९६७ तथा उसके पूर्व के
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
दीवानी मुकदमें										
१	प्रथम अपीलें	१८६७	१४७	३२४	२५८	१८८	१५९	१८६	१६९	४३६
२	द्वितीय अपीलें	१६२३६	११११	२१७६	२५२७	२०६६	१४३७	१४७३	१८७५	३५७१
३	निष्पादन प्रथम अपील	११०	१५	१८	२५	८	१४	१२	८	१०
४	निष्पादन द्वितीय अपील	१३५४	४८	७९	१०३	१०३	१२१	१११	१३३	६५६
५	प्रथम अपील आर्डर से	१२५१	२०१	३७५	३६५	१४३	६८	३७	१९	४३
६	द्वितीय अपील आर्डर से	५०	४	१४	११	११	३	३	३	१
७	डिवीजन	२७४२	४२५	६२१	८४०	३३४	१९६	१४६	८२	९८
८	स्पेशल अपील	८३१	१४६	६३	१०४	११६	१४३	१९९	४०	२०
९	आयकर अधिनियम के अन्तर्गत रेफरेन्स ..	४७३	८०	२१७	१४०	१२	..	१	१७	६
१०	स्टाम्प ऐक्ट के अन्तर्गत रेफरेन्स ..	२०	..	३	४	११	..	..	..	२
११	सेल्स टैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत रेफरेन्स ..	६५४	१२७	३१३	१९१	१२	६	२	३	..
१२	कृषि आय कर अधिनियम के अन्तर्गत रेफरेन्स	१३	१	..	११	..	..	..	१	..

१३	अन्य रिफरेन्स ..	४०	१४	६	७	३	५	२	२	१
१४	मूल वाद ..	६	२	१	..	..	१	२	..	..
१५	निर्वाचन याचिक ..	५५	५४	..	..	१	..	..	..	..
१६	टेस्टामेंटरी मुकदमें	१७	४	३	४	२	..	..	१	३
१७	कम्पनी मुकदमें ..	११	..	..	..	..	..	..	..	११
१८	उपहारकर अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें ..	२	..	१	..	..	..	..	..	१
१९	वेल्थ टैक्स के अन्तर्गत मुकदमें	५२	६	३४	७	४	१	..	..	..
२०	याचिका के लिये आवेदन-पत्र	२०७०८	३४८१	६२३०	५३२२	४१४२	१०९६	४०२	२४	११
२१	विभिन्न मुकदमें ..	८५७	१४३	१६६	१४५	६५	७३	६३	६३	१३९
	फौजदारी मुकदमें :									
२२	अपीलें ..	११२७३	१७९४	३६३३	३६४२	२०१४	१८७	३	..	..
२३	मृत्यु दंड के मुकदमें ..	७५	६०	१५	..	..	..	..	..	..
२४	रिवीजन ..	४८५९	९३६	१८१३	१४७६	६०४	३०	..	..	..
२५	रिफरेंस ..	१३११	३२१	६७८	२१३	२४	१४	..	१	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२६ पर।)

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक १९७४

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा संशोधित हुआ। परिषद् द्वारा निकाले गये अंश बड़े कोष्ठकों में तथा उसके द्वारा जोड़े गए अंश अधोरेखांकित हैं।)

खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री के अपमिश्रण के विरुद्ध और अधिक प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से और उनके सम्बन्ध में अपराधों के लिए प्रतिरोधक दंड देने के निमित्त भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३, दि ड्रग्स ऐण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, १९४० और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

अधिनियम का लागू होना

२—भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३, दि ड्रग्स ऐण्ड कास्मेटिक्स ऐक्ट, १९४० और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में, एतद्पश्चात् व्यवस्थित रीति से संशोधित किया जायगा।

१८६० के अधिनियम ४५ का संशोधन

३—भारतीय दंड संहिता में—

(१) धारा २७२ में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"आजीवन कारावास से दंडित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

(२) धारा २७३ में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के करावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जायगा।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय अर्थात्:—

"आजीवन कारावास से दंडित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।";

(३) धारा २७४ में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा ।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

"आजीवन कारावास से दंडित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।";

(४) धारा २७५ में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा ।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"आजीवन कारावास से दंडित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो ।";

(५) धारा २७६ में, शब्द "दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जायगा ।" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"आजीवन कारावास से दंडित किया जायगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा, जो आजीवन कारावास से कम हो ।";

४. —दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में प्रथम अनुसूची में, धारा २७२, २७३, २७४, २७५ और २७६ के सामने वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः स्तम्भ २, ३ ४, ५ और ६ में निम्नलिखित प्रविष्टियां रख दी जायं, अर्थात्:— १९७४ के अधिनियम २ की प्रथम अनुसूची का संशोधन

"२७२	विक्रय के लिये आशयित खाद्य या पेय का ऐसा अपमिश्रण जिससे कि वह अपायकर बन जाये ।	जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय
२७३	खाद्य और पेय के रूप में किसी खाद्य या पेय को, यह जानते हुए कि वह अपायकर है, बेचना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

२७४ विक्रय के लिये आशयित किसी औषधि या भेषजीय निर्मित का ऐसा अपमिश्रण जिससे उसकी प्रभावकारिता कम हो जाय या उसकी क्रिया बदल जाए या वह अपायकर हो जाय ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
१७५ किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को जिसके बारे में ज्ञात है कि वह अपमिश्रत है बेचने की प्रस्थापना करना या औषधालय से देना ।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
२७६ किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित के रूप में जानते हुए बेचना या औषधालय से देना ।	जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास	संज्ञेय	अजमानतीय	सेशन न्यायालय"

१९४० का ऐक्ट २३ का संशोधन

५––दि ड्रग्स कास्मेटिक्स ऐक्ट, १९४० में––

(१) धारा ६ में उपधारा (१) में, वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात्––

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यह निदेश दे सकेगी कि केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला और निदेशक के कृत्य उत्तर प्रदेश में क्रमशः ऐसे प्राधिकारी तथा ऐसे अधिकारी द्वारा जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किये जा सकेंगे और तब इस अधिनियम में केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला या निदेशक के प्रति किसी निर्देश, यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ।"

(२) धारा १९ के पश्चात् निम्निलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:–

"१९ क––जब कोई औषधि या प्रसाधन सामग्री धारा २२ के खंड (ग) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति से इस युक्तियुक्त [का] विश्वास से अभिगृहीत की जाय कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री मिथ्या छाप वाली अथवा अपमिश्रित है तो इस बात को साबित करने का भार कि ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री मिथ्या छाप वाली अथवा अपमिश्रित नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से ऐसी औषधि या प्रसाधन सामग्री अभिगृहीत हो गई थी ।";

सबूत का भार

(३) धारा २७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"२७—जो कोई भी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,—

इस अध्याय के उल्लंघन में औषधियों के निर्मा उसकी बिक्री आदि के लिये शास्ति

(क) किसी औषधि का—

(१) जो धारा १७ के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खड (च), या खंड (छ) के अधीन मिथ्या छाप वाली अथवा धारा १७-ख के अधीन अपमिश्रित समझी गयी हो, या

(२) धारा १८ के खंड (ग) की अपेक्षानुसार किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना, या

(ख) इस अध्याय या तद्धीन बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में खंड (क) में निर्दिष्ट किसी औषधि से भिन्न किसी औषधि का विक्रय के लिये विनिर्माण करता है, विक्रय करता है, विक्रय के लिये उसका स्टाक या प्रदर्शन करता है अथवा उसका वितरण करता है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जायेगा। परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय किन्हीं विशेष कारणों के लिये, ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।"

(४) धारा २७-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"२७—जो कोई भी स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अध्याय

इस अध्याय के उल्लंघन में प्रसाधन सामग्रियों के विनिर्माण, विक्रय आदि लिए शास्ति

अथवा तद्धीन बनाये गये किसी नियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन में किसी प्रसाधन सामग्री का विक्रय के लिए विनिर्माण करता है, विक्रय करता है विक्रय के लिये उसका स्टाक या प्रदर्शन करता है अथवा ,उसका वितरण करता है तो वह आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परन्तु न्यायालय, निर्णय में वर्णनीय पर्याप्त तथा विशेष कारणों के लिये ऐसे कारावास से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास से कम हो।";

[(५) धारा ३० निकाल दी जाय।]

(५) धारा ३० के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"३०—इस अध्याय अधीन दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।"

६—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ में—

१९५४ के अधिनियम ३७ का संशोधन

(१) धारा ४ में, उपधारा (२) में निम्नलिखित परतुक बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"परन्तु राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से यह निदेश दे सकेगी कि केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला और निदेशक के कृत्य उत्तर प्रदेश में क्रमशः ऐसे प्राधिकारी तथा अधिकारी द्वारा जिन्हें राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किये जा सकेंगे और तब इस अधिनियम में

केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला या निदेशक के प्रति किसी निर्देश को यथास्थिति, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ।"

(२) धारा १६ में--

(क) उपधारा (१) में, शब्द "इतनी अवधि के लिए, जो छः मास से कम की न होगी किन्तु जो छः वर्ष तक की हो सकती है, कारावास से और जुर्माने, से जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा दंडनीय होगा" के स्थान पर शब्द "आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" रख दिये जायें ।

(ख) उपधारा (१) के परन्तुक (२) में, शब्द "तो न्यायालय निर्णय में वर्णनीय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए छः मास से कम की अवधि के लिए कारावास या एक हजार रुपए से कम के जुर्माने अथवा छः मास से कम की अवधि के लिए कारावास और एक हजार रुपए से कम के जुर्माने, दोनों से दंडित कर सकेगा" के स्थान पर निम्न-लिखित शब्द रख दियें जायं, अर्थात्--

"न्यायालय निर्णय में वर्णनीय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के लिए ऐसे दंड से दंडित कर सकेगा जो आजीवन कारावास के दंड से कम हो ।";

(३) उपधारा (१-ख) में, शब्द "छः वर्ष की अवधि के लिए कारावास से और जुर्माने से जो एक हजार रुपए से कम नहीं होगा, दंडनीय होगा" के स्थान पर शब्द "आजीवन कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा" रख दिये जायं;

(४) धारा १९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थातः—

"१९-क--जब खाद्य के लिए आशयित कोई पदार्थ धारा १० की उपधारा (४) के अधीन खाद्य निदेशक निरीक्षक द्वारा किसी व्यक्ति से इस युक्तियुक्त विश्वास से अभिगृहीत किया जाय कि वह अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला है तो यह साबित करने का भार कि खाद्य के लिए आशयित ऐसा पदार्थ अपमिश्रित या मिथ्या छाप वाला नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जिसके कब्जे से खाद्य के लिए आशयित ऐसा पदार्थ अभिगृहीत किया गया था ।"

सबूत का भार

(५) धारा २१ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"२१-क--इस अधिनियम के अधीन दंडनीय सभी अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे ।"

अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे

उद्देश्य और कारण

खाद्य पदार्थों तथा औषधियों में अपमिश्रण एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो भयंकर रूप धारण कर चुकी है। सरकार का यह विचार है कि ऐसे गम्भीर अपराधों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की जाय। अतएव, यह प्रस्ताव है कि इस प्रकार के गम्भीर अपराधों के सम्बन्ध में दंड को बढ़ाकर आजीवन कारावास का दंड कर दिया जाय और यह भी व्यवस्था की जाय कि अत्यधिक आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर ऐसा दंड देना अनिवार्य होगा। यह भी आवश्यक है कि ऐसे मामलों में सबूत के भार के लिए विशेष व्यवस्था की जाय। इस प्रकार के सभी अपराधों को संज्ञेय तथा अजमानतीय बनाने का भी भी प्रस्ताव है।

२—तद्नुसार खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ पुर:स्थापित किया जाता है।

सालिगराम जायसवाल,

स्वास्थ्य मन्त्री।

नत्थी "ठ"

(देखिए पीछे पृष्ठ १२६ पर)

इंडियन स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १४७ के अन्तर्गत किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची—

(१) खंड २ में मूल अधिनियम की धारा २ के प्रस्तावित खंड (१५) की प्रथम पंक्ति में शब्द 'लिखित" के स्थान पर शब्द "लिखत" कर दिया गया है।

(२) खंड ६ की मद (१६) की प्रथम पंक्ति में शब्द "प्रविष्ट" के स्थान पर शब्द "प्रविष्टि" कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिए पीछे पृष्ठ १२६ पर)

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) विधेयक, १९७४ में किये गये शाब्दिक संशोधनों की सूची—

(१) खंड ८ की प्रथम पंक्ति में दुबारा छपे शब्द अंक व चिन्ह "शब्द १७ में, उपधारा (२) में," निकाल दिये गये हैं।

(२) खंड १० के अन्तिम शब्द "दिये जायें" के स्थान पर शब्द "दिया जाय" रख दिया गया है।

(३) खंड ११ के उपान्तिक शीर्षक में शब्द "शोधन" के स्थान पर शब्द "संशोधन" रख दिया गया है।

विधान भवन उत्तर प्रदेश

नत्थी "ढ"

(देखिये पीछे पृष्ठ १३२ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार दिनांक २६ दिसम्बर, १९७४ से ३१ दिसम्बर, १९७४ तक के उपवेशनों के लिये निर्धारित कार्य-क्रम

गुरुवार, २६ दिसम्बर, १९७४	१--खाद्य, औषधि तथा प्रसाधन सामग्री अपमिश्रण निवारण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९७४ में विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर विचार एवं उसका पारण । २--उत्तर प्रदेश वन निगम विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण । ३--उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण ।	(सांयकाल ५ बजे तक)
	संविधान (३६वां संशोधन) विधेयक, १९७४ के अनुसमर्थन के संकल्प पर विचार एवं उसका पारण ।	(सांयकाल ५ बजे से ६ बजे तक)
शुक्रवार, २७ दिसम्बर, १९७४	१--उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९७४ (जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ) पर विचार एवं उसका पारण । २--उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण । ३--उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि-श्रमिक ऋण अनुतोष विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण ।	(सांयकाल ७ बजे तक)
शनिवार, २८ सिदम्बर, १९७४ रविवार, २९ दिसम्बर, १९७४	बैठक नहीं होगी ।	
सोमवार, ३० दिसम्बर, १९७४ मंगलवार, ३१ दिसम्बर, १९७४	उत्तर प्रदेश कराधान भू-राजस्व विधि विधेयक, १९७४ पर विचार एवं उसका पारण ।	

नत्थी "ण"

(देखिए पीछे पृष्ठ १३३ पर)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी प्रधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, १९७४

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की अवधि को और बढ़ाने के लिये विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९७४

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निधारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ,२२ १९७४ की धारा 1 का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण), (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "बारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "चौ वर्ष" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या २२, १९७४ का निरसन

३—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७४ एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

———

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यह एक अस्थायी विधान था जो तब तक प्रभावी रहने के लिए अभिप्रेत था जब तक कि इस सम्बन्ध में व्यापक विधान को अन्तिम रूप न दे दिया जाय। अभी तक व्यापक विधान को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है तथा इसी बीच में भारत सरकार ने एक पब्लिक ट्रस्ट बिल तैयार किया है। राज्य स्तर अथवा अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक विधान को अन्तिम रूप देने में अभी कुछ समय लगेगा। चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त अधिनियम की अवधि को, जो १४ दिसम्बर, १९७४ को समाप्त होने वाली थी, दो वर्ष और बढ़ाने हेतु तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक था, इसलिये राज्यपाल द्वारा १० दिसम्बर, १९७४ को उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अध्यादेश, १९७४ प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु पुरःस्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,

मुख्य मंत्री।

नत्थी "त"

(देखिये पीछे पृष्ठ १३३ पर)

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९७४

नागर स्वायत शासन से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमितियों को आगे आये हुए प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने और इलाहाबाद महापालिका के प्रशासन के लिए कतिपय अस्थायी प्रबन्ध की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

(२) अध्याय ६ तुरन्त प्रवृत्त होगा, अध्याय ५ दिनांक १५ अगस्त, १९७४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा और शेष अध्याय दिनांक २३ अक्तूबर, १९७४ को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे ।

अध्याय २

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५० का संशोधन और इलाहाबाद महापालिका के प्रशासन के लिए कतिपय अस्थायी प्रबन्ध के लिए उपबन्ध

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में, खंड (१७) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् —

"(१७-क) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा ५-क के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है ;" ।

धारा ५ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ५ में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(खख) नगर प्रमुख ;" ।

नई धारा ५-क का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

स्थानीय निकाय निदेशक

"५-क—(१) राज्य सरकार, किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी ।

(२) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्ततः समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक, महापालिका के कार्य कलापों के सम्बन्ध में, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारों का (जो धारा ५३८ और ५३९ के अधीन अधिकार न हो) जिन्हें राज्य सरकार बजट में अधिसूचना द्वारा, ऐसी

शर्तों तथा निबन्धनों के अधीन (जिनके अन्तर्गत स्वयं उसके द्वारा पुनर्विलोकन को शर्त भी है) जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जावें, उसे प्रतिनिहित करें, प्रयोग करेगा ।"

नई धारा ११-क का बढ़ाया जाना

५--मूल अधिनियम की धारा ११ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये, अर्थात्:--

"११ क--(१) नगर प्रमुख नगर में निर्वाचकों द्वारा व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायगा ।

नगर प्रमुख का निर्वाचन

(२) कोई बहिर्गामी नगर प्रमुख धारा १५-क के साथ पठित धारा १६ द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

(३) सभासद के निर्वाचन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से सम्बन्धित विवाद भी है) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध नगर प्रमुख के निर्वाचन के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(४) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति नगर प्रमुख तथा सभासद दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाये, या सभासद या विशिष्ट सदस्य होते हुये किसी उप निर्वाचन में नगर प्रमुख निर्वाचित हो जाये तो वह नगर प्रमुख के रूप में निर्वाचित होने के दिनांक से, यथास्थिति, सभासद या विशिष्ट सदस्य न रह जायेगा।"

धारा १२ का संशोधन

६--मूल अधिनियम की धारा १२ में--

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द 'नगर प्रमुख तथा' निकाल दिये जायें ।

(ख) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्

"(१) उप नगर प्रमुख, सभासदों का निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र निर्वाचित किया जायगा ।";

(ग) उपधारा (२) निकाल दी जाये ;

(घ) उपधारा (३) में, शब्द, 'नगर प्रमुख तथा' निकाल दिये जायें; और

(ङ) उपधारा (५) में, शब्द'नगर प्रमुख तथा' निकाल दिये जायें ।

धारा १३ का संशोधन

७--मूल अधिनियम की धारा १३ में, शब्द ,'नगर प्रमुख" निकाल दिये जायें ।

धारा १४ का संशोधन

८--मूल अधिनियम की धारा १४ में, शब्द तथा अंक "धारा १२ में" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "यथा स्थिति, धारा ११-क या धारा १२ में" रख दिये जायें।

धारा १५ का संशोधन

९--मूल अधिनियम की धारा १५ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:--

"(१) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के अधीन रहते हुये, नगर प्रमुख या उप नगर प्रमुख की पदावधि महापालिका के कार्यकाल के साथ समाप्त होगी।"

नई धारा १५-क के बढ़ाया जाना

१०--मूल अधिनियम की धारा १५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

"१५-क--नगर प्रमुख में अविश्वास प्रकट करने के प्रस्ताव पर धारा १६ के उपबन्ध निम्नलिखित परिष्कारों सहित लागू होंगे, अर्थात्:-

नगर प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

(क) उपधारा (७) निकाल दी गई समझी जायेगी; और

(ख) उप नगर प्रमुख और नगर प्रमुख के प्रति किन्ही निर्देशों का अर्थ यह लगाया जायगा कि वे क्रमश: नगर प्रमुख और जिला जज के प्रति निर्देश है ।"

११--मूल अधिनियम की धारा १६ में,-- धारा १६ का संशोधन

(क) उपधारा (२) में, शब्द "बारह महीने" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (३) में, शब्द "आधे से" के स्थान पर शब्द "दो तिहाई से" रख दिये जायें;

(ग) उपधारा (१५) में शब्द "आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत" के स्थान पर शब्द "दो तिहाई बहुमत" रख दिये जायें; और

(घ) उपधारा (१६) में शब्द "बारह मास" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायें ।

१२--मूल अधिनियम की धारा ३६ की उपधारा (२) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:-- धारा ३६ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें कक्ष से सभासद या सभासदों को निर्वाचित करने की अपेक्षा की गयी हो, निर्वाचक नामावली में किये गये किसी ऐसे संशोधन पर उक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ध्यान नहीं दिया जायगा ।"

१३--मूल अधिनियम की धारा ५१ में उपधारा (१) के खंड (क) में, शब्द "उपनगर प्रमुख" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख" रख दिया जाय । धारा ५१ का संशोधन

१४--मूल अधिनियम की धारा ६२ में, उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिये जायं अर्थात्:-- धारा ६२ का संशोधन

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां नगर प्रमुख की यह राय हो कि किसी विषय पर जिसके अन्तर्गत बजट के तखमीने और कराधान के प्रस्ताव भी है, महापालिका या उसकी किसी समिति के अधिवेशन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका निर्णय महापालिका के हित के विरुद्ध है तो वह अपनी टिप्पणियों सहित उसे निदेशक को भेज देगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उस पर ऐसा निर्णय ले सकता है (जो यथास्थिति, महापालिका या समिति के निर्णय का अतिक्रमण या आंशिक परिष्कार करते हुये हो सकता है) जिसे वह उचित समझे और उसका निर्णय ऐसे प्रभावी होगा मानो यह महापालिका या ऐसी समिति का निर्णय हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक अपना अंतिम निर्णय देने तक ऐसे अन्तरिम निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे, और ऐसे निदेश ऐसे प्रभावी होंगे मानों वे, यथास्थिति, महापालिका या ऐसी समिति के निर्णय हों :

प्रतिबन्ध यह भी है कि पूववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंडों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वे निदेशक से यह अपेक्षा करते है कि वह अपना निर्णय या अन्तरिम निदेश देने के पूर्व महापालिका (या, यथास्थिति समिति) या नगर प्रमुख को सुनवाई का अवसर दें ।"

१५--मूल अधिनियम की धारा ११७ में, उपधारा (५) में शब्द "जब कभी इसमें आगे स्पष्टत: ऐसा निर्देश दिया गया हो, यथास्थिति, महापालिका या कार्य- धारा ११७ का संशोधन

कारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुये" के स्थान पर शब्द "नगर प्रमुख के सामान्य नियंत्रण और निदेश के तथा जहां कहीं भी इसमें आगे स्पष्टत: ऐसा निदेश किया गया हो, यथास्थिति, महापालिका या कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन रहते हुये" रख दिये जायं ।

नई धारा ५३९-क का बढ़ाया जाना

१६—मूल अधिनियम के अध्याय २२ में, धारा ५३९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"५३९-क—राज्य सरकार द्वारा धारा ५३८ या धारा ५३९ के अधीन महापालिका के विघटन या अतिक्रमण का कोई अन्तिम आदेश, धारा ५३८ या ५३९ के अधीन कार्यवाही के पूर्व जज से परामर्श।

राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त जज से परामर्श करने के पश्चात् ही दिया जायगा, अन्यथा नहीं ।"

इलाहाबाद महापालिका के प्रशासन के संबंध में अथायी उपबन्ध

१७—मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी १७ सितम्बर, १९७४ से ही—

(क) इलाहाबाद महापालिका के नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख, सभासद; विशिष्ट सदस्य और उक्त अधिनियम की धारा ५, ९५ तथा ९७ के अधीन संगठित अथवा नियुक्त समस्त समितियों, विशेष समितियों, संयुक्त समितियों तथा उप-समितियों के सदस्य और मुख्य नगराधिकारी, अपने-अपने पद रिक्त कर देंगे, तथा ऐसी समस्त समितियां विशेष समितियां संयुक्त समितियां और उप समितियां विघटित हो जायेंगी;

(ख) उक्त अधिनियम की धारा ९ के अधीन नई महापालिका का सम्यक रूप से पुनर्गठन होने तक, उक्त महापालिका, उसके नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख तथा उक्त अधिनियम की धारा ५ में निर्दिष्ट समितियों की और मुख्य नगराधिकारी की समस्त शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी में (जिसे आगे प्रशासक कहा गया है) निहित हो जायेंगे, और उसके द्वारा उनका प्रयोग, पालन तथा निर्वहन किया जायगा, तथा प्रशासक को विधि की दृष्टि से महापालिका, नगर प्रमुख, उप नगर प्रमुख ऐसी समिति अथवा मुख्य नगराधिकारी, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, समझा जायगा;

(ग) प्रशासक, राज्य सरकार के किन्हीं साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुये, अन्तिम पूर्ववर्ती खंड द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों में से सब या किन्हीं के बारे में—

(१) उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट रीति से संगठित समिति या अन्य निकाय से, यदि कोई हो, परामर्श कर सकेगा; अथवा

(२) इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, किसी ऐसे व्यक्ति को अथवा अन्तिम पूर्ववर्ती उप खंड के अधीन संगठित किसी ऐसी समिति या अन्य निकाय को जिसे वह इस निमित्त निर्दिष्ट करे, प्रतिनिहित कर सकेगा;

(घ) प्रशासक का ऐसा वेतन और भत्ते जो उस निमित्त राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेशों द्वारा नियत किये जायें, महापालिका की निधि से दिये जायेंगे।

अध्याय ३ :

यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ का संशोधन

यू०पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६ की धारा २ का संशोधन

१८—यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में, खंड (५) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(५—क) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा ३१-ख के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश से है ।"

धारा १२-बी का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा १२—बी में, उपधारा (३) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् जिसमें कक्ष में सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने की अपेक्षा की गयी हो, निर्वाचक नामावली में किये गये किसी ऐसे संशोधन पर उक्त निर्वाचन के प्रयोजनार्थ ध्यान नहीं दिया जायगा ।"

नई धारा ३०-का का बढ़ाया जाना

२०—मूल अधिनियम की धारा ३० के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"३०-क—राज्य सरकार द्वारा धारा ३० के अधीन बोर्ड के विघटन या धारा ३० के अधीन कार्यवाही के पूर्व न्यायाधीश से परामर्श ।

अतिक्रमण का कोई अन्तिम आदेश राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नाम-निर्दिष्ट उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात् ही दिया जायगा, अन्यथा नहीं ।"

नई धारा ३१—ख का बढ़ाया जाना

२१—मूल अधिनियम की धारा ३१—क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"३१—ख (१)—राज्य सरकार, किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय निदेशक. स्थानीय निकाय निदेशक

उत्तर प्रदेश नियुक्त करेगी ।

(२) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त समनुदेशित कृत्यों के अतिरिक्त, निदेशक बोर्ड के कार्यकलापों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ऐसी शक्तियों का (जो धारा ३० के अधीन शक्तियां न हों) जिन्हें राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्त तथा निबन्धनों के अधीन (जिसके अन्तर्गत स्वयम् उसके द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है) जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें, उसे प्रतिनिहित करें, प्रयोग करेगा ।"

धारा ४३ का प्रतिस्थापन

२२—मूल अधिनियम की धारा ४३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"४३—(१)—प्रेसीडेन्ट, म्युनिसिपैलिटी के निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जायगा ।

प्रेसीडेन्ट का निर्वाचन

(2) कोई बर्हिगामी प्रेसीडेन्ट पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

(3) सदस्य के निर्वाचन के संबंध में (जिसके अन्तर्गत निर्वाचन तथा निर्वाचन अपराध से संबंधित विवाद भी है) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध प्रेसीडेंट के निर्वाचन के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित, लाग होंगे ।

(४) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी निर्वाचक प्रेसीडेंट के रूप में निर्वाचित होने के लिये अर्ह नहीं होगा जब तक कि उसकी आयु तीस वर्ष की न हो गई हो ।

(५) यदि किसी सामान्य निर्वाचन में कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य और प्रेसीडेंट दोनों ही रूप में निर्वाचित हो जाय, या बोर्ड का सदस्य होते हुए किसी उप निर्वाचन में प्रेसीडेंट निर्वाचित हो जाय, तो वह धारा ४९ में यथा उपबंधित के सिवाय, प्रेसीडेंट निर्वाचित होने के दिनांक से सदस्य न रह जायगा ।"

धारा ४४–ए का प्रतिस्थापन

२३––मूल अधिनियम की धारा ४४–ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:––

"४४क––यदि मृत्यु या त्याग-पत्र दिये जाने या किसी अन्य कारण से प्रेसीडेन्ट का प्रेसीडेंट के पद में आकस्मिक रिक्ति हो जाय तो तत्पश्चात, उप विर्वाचन यथाशक्यशीघ्र धारा ४३ में उपबन्धित रीति से, प्रेसीडेन्ट निर्वाचित किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रेसीडेंट के पद में, चाहे २३ अक्टूबर, १९७४ के पूर्व या उसके पश्चात् हुई आकस्मिक रिक्ति की दशा में, उसकी पूर्ति बोर्ड के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रणाली के अनुसार किये गये निर्वाचन द्वारा की जायगी और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त मत-पत्र द्वारा होगा ।"

धारा ८७–क का संशोधन

२४––मूल अधिनियम की धारा ८७–क में––

(क) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:––

"(२) बोर्ड के प्रेसीडेंट में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अभिप्राय का लिखित नोटिस, जो बोर्ड के सम्पूर्ण सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षारित हो, मय उस प्रस्ताव की प्रतिलिपि के जिसे प्रस्तुत करने का विचार हो, नोटिस में हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं दो सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक साथ जिला मजिस्ट्रेट को दिया जायगा ।";

(ख) उपधारा (१२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:––

"(१२) प्रस्ताव तभी स्वीकृत हुआ समझा जायगा जब वह बोर्ड के कुल सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित हुआ हो ।";

(ग) उपधारा (१३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :––

"(१३) यदि प्रस्ताव यथा उपर्युक्त बहुमत द्वारा स्वीकृत न किया जाय या यदि बैठक गणपूर्ति के अभाव के कारण जो तत्समय बोर्ड की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से कम न होगी, न हो सके तो उसी प्रेसीडेंट में अविश्वास के प्रस्ताव का कोई अनुवर्ती नोटिस प्राप्त नहीं किया जायगा जब तक कि बैठक के दिनांक से दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय ।";

(घ) उपधारा (१४) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:––

"(१४) इस धारा के अधीन अविश्वास के प्रस्ताव का कोई नोटिस प्रेसीडट द्वारा पद ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर ग्रहण नहीं किया जायगा ।"

धारा ६२ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ६२ में उपधारा (१) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:—

"प्रतिबन्ध यह है कि जहां प्रेसीडेंट (जो धारा ४३ के अधीन, जैसी कि वह २३ अक्टूबर, १९७४ के पूर्व थी, या धारा ४४-क के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन बोर्ड के सदस्यों द्वारा निर्वाचित प्रेसीडेंट न हो) की यह राय हो कि किसी प्रश्न पर (जिसके अन्तर्गत बजट के तखमीने और कराधान के प्रस्ताव भी हैं) बोर्ड की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका निर्णय बोर्ड के हित के विरुद्ध है तो वह अपनी टिप्पणियों सहित उसे निदेशक को भेज देगा, जो राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, उस पर ऐसा निर्णय ले सकता है (जो बोर्ड के निर्णय का अतिक्रमण या आंशिक परिष्कार करते हुए हो सकता है) जिसे वह उचित समझे, और उसका निर्णय ऐसे प्रभावी होगा मानो वह बोर्ड का निर्णय हो:

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि निदेशक अपना अंतिम निर्णय देने तक ऐसे अन्तरिम निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे और ऐसे निदेश ऐसे प्रभावी होंगे मानो वे बोर्ड के निर्णय हों:

प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खण्डों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वे निदेशक से यह अपेक्षा करते हैं कि वह अपना निर्णय अंतरिम निदेश देने के पूर्व बोर्ड या प्रेसीडेंट को सुनवाई का अवसर दें।"

अध्याय ४

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या २, १९१४ की धारा ६ (१) का संशोधन

२६—संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, १९१४ की धारा ६ में, उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(१) धारा ३६ में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय समिति का कार्यकाल पांच वर्ष होगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सभी समितियों का या किसी समिति का कार्यकाल समय-समय पर इस प्रकार बढ़ा सकेगी कि बढ़ाये गये कुल कार्यकाल का योग दो वर्ष से अधिक न हो।"

अध्याय ५

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३०, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ११, १९७३ की धारा २ का संशोधन

२७—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, १९७४ द्वारा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३, जिसे आगे इस अ याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में, खण्ड (घ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(घघ) 'अध्यक्ष' और 'उपाध्यक्ष' का क्रमशः तात्पर्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से होगा;"।

धारा ६ का संशोधन

२८—मूल अधिनियम की धारा ६ में, उपधारा (६) में, शब्द "परिषद्" के स्थान पर शब्द "सलाहकार परिषद्" रख दिया जाय ।

धारा १५ का संशोधन

२९—मूल अधिनियम की धारा १५ में—

(क) जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकरण" आया हो उसके स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (१) में, शब्द "विनियमों" के स्थान पर शब्द "उप-विधियों" रख दिया जाय;

(ग) उपधारा (५) में जहां कहीं भी शब्द "अधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय ।

धारा २७ का संशोधन

३०—मूल अधिनियम की धारा २७ में,—

(क) उपधारा (१) में—

(१) शब्द "प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उस निमित्त सशक्त उसका कोई अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या उसके द्वारा उस निमित्त सशक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी" रख दिया जाय;

(२) शब्द "अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या ऐसा अधिकारी" और शब्द "उक्त अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उपाध्यक्ष या ऐसे अधिकारी" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (२), (३), (४) और (५) में, जहां कहीं भी शब्द "अधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय;

(ग) स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय ।

धारा ३३ का संशोधन

३१—मूल अधिनियम की धारा ३३ में, उपधारा (४) में, शब्द "इस अधिनियम के प्रख्यापन से पूर्व" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व" रख दिये जायें ।

धारा ३६ का संशोधन

३२—मूल अधिनियम की धारा ३६ में,—

(क) जहां कहीं भी शब्द "प्राधिकरण" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (४) में, शब्द "अधिकरण" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय ।

धारा ३७ का संशोधन

३३—मूल अधिनियम की धारा ३७ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

विनिश्चयों का अंतिम होना

"३७—अपील पर अध्यक्ष का प्रत्येक विनिश्चय, और केवल अपील पर (यदि वह की जा सकती हो और की जाय) किसी विनिश्चय के अधीन रहते हुए, धारा १५, धारा २८ या धारा ३६ के अधीन उपाध्यक्ष या अन्य अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।"

धारा ५५ का संशोधन

३४—मूल अधिनियम की धारा ५५ में, उपधारा (२) के खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्—

"(क) धारा १५ की उपधारा (५) के अधीन या धारा २७ की उपधारा (२) के अधीन अपील के आपन पर फीस का उद्गृहीत किया जाना ।"

धारा ५६ का संशोधन

३५—मूल अधिनियम की धारा ५६ में, उपधारा (२) के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:—

"(छ) धारा १५ की उपधारा (१) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन पर दी जाने वाली फीस;

(ज) दस्तावेजों तथा मानचित्रों के निरीक्षण या उनकी प्रतियां प्राप्त करने के लिये दी जाने वाली फीस;

(झ) कोई अन्य विषय जिसे विनियमों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय।"

धारा ५७ का संशोधन

३६—मूल अधिनियम की धारा ५७ में,—

(१) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख ख) धारा ३२ के अधीन अपराधों के शमन के लिये मार्ग-दर्शन करने वाले सिद्धान्त;"

(२) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:—

"(घ) भवनों के नक्शे या जल प्रदाय, जल निकास तथा मल वहन प्रणाली को तैयार करने के लिये वास्तुकलाविद्, नगर नियोजन, इंजीनियरों, सर्वेक्षकों, नक्शानवीसों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना तथा ऐसी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिये दी जाने वाली फीस;

(ङ) कोई अन्य विषय जिसे उपविधियों द्वारा विहित किया जाना हो या किया जाय।"

धारा ५९ का संशोधन

३७—मूल अधिनियम की धारा ५९ में,—

(क) उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (क) में, शब्द तथा अंक "ऐसी आवास या सुधार स्कीमों को छोड़ कर जिनका कार्यान्वयन १२ जून, १९७३ के पूर्व प्रारम्भ हो गया था और जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय" के स्थान पर शब्द तथा अंक, "उन आवास या सुधार स्कीमों को छोड़ कर जो, उनमें समाविष्ट क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के पूर्व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ की धारा ३२ के अधीन विज्ञापित की गई हों" रख दिये जायं, शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा ६" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा ६ और २४" रख दिये जायें;

(२) खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा ६" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रान्त साधारण खण्ड अधिनियम, १९०४ की धारा ६ और २४" रख दिये जायें;

(३) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) खण्ड (क) और (ख) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, यू० पी०

म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, अथवा उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अधीन कोई उपविधियां, निदेश और विनियम जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दिये जायें।";

(ख) उपधारा (३) में, प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात्:—

"ऐसे विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में यथापरिभाषित कोई सम्पूर्ण नगर है, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक को, और उससे, विकास प्राधिकरण के गठन के दिनांक के ठीक पूर्व उस नगर की नगर महापालिका के अधिष्ठान के समस्त पद, जो अनन्यतः उक्त अधिनियम के अध्याय १४ के अधीन उसके कार्य-कलापों के सम्बन्ध में हों, ऐसे दिनांक से ही ऐसे पदाभिधान से जैसा प्राधिकरण अवधारित करे, विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे, तथा उस नगर को नगर महापालिका के अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों का चयन (जो उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, १९६६ जिसे आगे इस धारा में केन्द्रीयित सेवायें कहा गया है, के अधीन गठित किसी सेवा के सदस्य न हों) जिनकी संख्या इस प्रकार अन्तरित पदों की संख्या से अधिक न हो, उन पदों पर नियुक्त किये जाने के लिये, ऐसे निदेशों के अनुसार किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें, और इस प्रकार चयन किये जाने पर वे विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और उसके अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी हो जायेंगे, और उसी अवधि के लिये, उसी पारिश्रमिक पर तथा सेवा की उन्हीं शर्तों तथा निबन्धनों पर पद धारण करेंगे जिन पर वे पद धारण करते होते, यदि प्राधिकरण का गठन न किया गया होता, और तब तक उसी प्रकार पद धारण करते रहेंगे जब तक कि ऐसी अवधि, पारिश्रमिक तथा शर्तें और निबन्धन प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं।";

(ग) उपधारा (६) में—

(१) खण्ड (ग) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अधिनियमिति के अधीन गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी" रख दिये जायें;

(२) खण्ड (ङ.) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (१) या उपधारा (२) में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (१) या उपधारा (२) में निर्दिष्ट

किसी अधिनियमिति के अधीन नियुक्त या गठित किसी प्राधिकारी" रख दिये जायें;

(३) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(च) इस अधिनियम के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ की धारा १५ की उपधारा (२) के अधीन समस्त अपील, और उक्त अधिनियम की धारा १५—क के अधीन सभी पुनरीक्षण जो ऐसी घोषणा के दिनांक को, यथास्थिति, नियंत्रक प्राधिकारी या राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, धारा ३७ के अधीन गठित अध्यक्ष को अन्तरित हो जायेंगे, सिवाय उक्त अधिनियम की धारा ८—ख के अधीन नियत प्राधिकारी या नियंत्रक अधिकारी के आदेश से उद्भूत होने वाले पुनरीक्षणों के जो विकास प्राधिकरण को अन्तरित हो जायेंगे और, यथास्थिति, अध्यक्ष या विकास प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।"

अध्याय ६

उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियम) अधिनियम, १९५८ का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या ३४, १९६८ की धारा २ का संशोधन

३८—उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में—

(१) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख) 'भवन' का वही तात्पर्य है जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में है ;"

(२) खण्ड (च) में शब्द "विनियमों" के स्थान पर शब्द "नियमों" रख दिये जायें ।

धारा ३ का संशोधन

३९—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) में शब्द, अक्षर तथा अंक "यू०पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १७८ से १८६ तक" के स्थान पर शब्द तथा अंक "यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १७८, १७९, १८०, १८०-ए, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६, २०३, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २०९, २१० और २२२" रख दिये जायें।

धारा ४ का संशोधन

४०—मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, खण्ड (क) में शब्द "सचिव, स्वायत्त शासन, या" निकाल दिये जायें।

धारा ५ का संशोधन

४१—मूल अधिनियम की धारा ५ में शब्द, "नियंत्रक प्राधिकारी, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के

सम्बन्ध में, किसी विज्ञापित क्षेत्र के लिये ऐसे आदेश प्रचारित कर सकता है जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्रचारित किन्ही सामान्य आदेशों से असंगत न हों और जो, आवश्यक समझे जायें," के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी विनियमित क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसे विनियम, जो इस अधिनियम या नियमों से असंगत न हों और जिन्हें वह निम्नलिखित विषयों में से किसी एक या एकाधिक के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, जारी कर सकती है" रख दिये जायें ।

नयी धारा ५-क का बढ़ाया जाना

४२--मूल अधिनियम की धारा ५ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:--

विनियमित क्षेत्र के लिए महायोजना

"५-क--(१) यदि राज्य सरकार की राय में किसी विनियमित क्षेत्र का महायोजना के अनुसार विकास करना अपेक्षित हो तो वह ऐसी योजना या तो नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे वह उचित समझे तैयार करा सकती है ।

(२) प्रत्येक ऐसी योजना तदर्थ बनाये गये किन्हीं नियमों या विनियमों के अनुरूप होगी ।

(३) महायोजना का पुनरीक्षण प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति पर किया जायगा और यदि राज्य सरकार उचित समझे तो उसका पुनरीक्षण इसके पूर्व भी किया जा सकता है ।"

धारा ६ का संशोधन

४३--मूल अधिनियम की धारा ६ में, शब्द "आदेशों" के स्थान पर शब्द "विनियमों" रख दिया जाय ।

धारा ७ का संशोधन

४४--मूल अधिनियम की धारा ७ में--

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायें, अर्थात्:--

"(२) ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर, नियत प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा या तो, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायें, अनुज्ञा देगा या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार करेगा ।

(२-क) एक मात्र वे कारण जिन पर अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकता है निम्नलिखित हैं, अर्थात्:--

(क) ऐसे निर्माण-कार्य या निर्माण-कार्य के स्थल के उपयोग से अथवा स्थल-नक्शे, भूमि-नक्शे, उत्सेध, सेक्शन या विनिर्दिष्टियों में समाविष्ट किसी ब्योरे से किसी विधि या इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन दी गयी किसी आज्ञा अथवा बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्ध का उल्लंघन होगा;

(ख) ऐसी अनुज्ञा के लिये प्रार्थना-पत्र में नियत ब्योरे नहीं दिये गये हैं अथवा वह नियत रीति से तैयार या हस्ताक्षरित नहीं किया गया है;

(ग) नियमों या विनियमों के अधीन नियत प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित कोई सूचना या लेख्य यथाविधि प्रस्तुत नहीं किया गया है ;

(घ) प्रस्तावित भवन से किसी सार्वजनिक भू-गृहादि का, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, १९७२ में परिभाषित है, अधिक्रमण होगा;

(ङ) ऐसे भवन का स्थल सड़क से लगा हुआ नहीं है और उस भवन में ऐसी सड़क से, उस स्थल से सम्बद्ध किसी ऐसे मार्ग या रास्ते द्वारा जो बारह फीट से कम चौड़ा न हो, पहुंचने का कोई साधन नहीं है;

(च) निर्माण-कार्य का स्थल ऐसे क्षेत्र का भाग है जिसका विन्यास-नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है;

(छ) प्रस्तावित भवन का उपयोग या नक्शा महायोजना के अनुरूप नहीं है ।

"(२–ख) यदि प्रार्थना-पत्र में नियत ब्योरे न दिये गये हों अथवा वह नियत-रीति से तैयार या हस्ताक्षरित न किया गया हो तो नियत प्राधिकारी उसे अस्वीकार करने के बजाय, प्रार्थी को उसे संगत नियमों तथा विनियमों के अनुरूप बनाये जाने के लिये लौटा सकता है ।

(२–ग) विशेषतया, और उपधारा (२) में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियत प्राधिकारी, किसी भूमि क्षेत्र को कालोनी के रूप में विकसित करने के लिये धारा ६ के अधीन अनुज्ञा देते समय निम्नलिखित सभी या कोई शर्तें आरोपित कर सकता है, अर्थात्—

(क) प्रार्थी सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जो निर्दिष्ट किया जाय, नियत मानकों के अनुसार ऐसे क्षेत्र का विकास और उसमें सुख-सुविधाओं की व्यवस्था का प्रबंध करेगा और तदर्थ ऐसे प्राधिकारी या अन्य अभिकरण से अनुबन्ध करेगा अथवा उसे पर्याप्त प्रतिभूति देगा, अथवा स्वयं ऐसा विकास और ऐसी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने का वचन देगा और राज्यपाल के पक्ष में, प्रतिभू सहित या प्रतिभू रहित तदर्थ बन्धपत्र, नियत प्राधिकारी के सन्तोषानुसार निष्पादित करेगा ।

(ख) प्रार्थी राज्य सरकार या सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी को मार्गों, सार्वजनिक पार्कों तथा अन्य लोकोपयोगी सेवाओं के लिये अलग रखी जाने वाली भूमि या तो बिना मूल्य के या ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो निर्दिष्ट की जायें, अन्तरित करेगा ।

(२–घ) उपधारा (२–ग) के अधीन प्राथी द्वारा निष्पादित किसी बन्ध-पत्र के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३, की धारा ४४५, ४४६, ४४७ और ४४९ के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, ऐसे लागू होंगे मानो मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के स्थान पर नियत प्राधिकारी के प्रति अभिदेश और सेशन्स न्यायाधीश के प्रति अभिदेश के स्थान पर नियंत्रक प्राधिकारी के प्रति अभिदेश रख दिये गये हों ।";

(२) उपधारा (४) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द "आदेशों" के स्थान पर शब्द "विनियमों" रख दिया जाय ।

धारा ८ का संशोधन

४५—मूल अधिनियम की धारा ८ में, खण्ड (ग) में, शब्द "इस अधिनियम के अधीन प्रचारित किसी आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी विनियम" रख दिये जायें ।

धारा ८-ख का निकाला जाना

४६—मूल अधिनियम की धारा ८-ख निकाल दी जाय ।

धारा ९ का संशोधन

४७—मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (१) में—

(१) शब्द "इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं विनियमों" रख दिये जायें, और

(२) शब्द "ऐसी अनुज्ञा दी गयी हो" के पश्चात शब्द "या किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने या किसी निर्माण-कार्य को निष्पादित करने से रोकने के लिये धारा १० की उपधारा (२) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही का उल्लंघन करके" रख दिये जायें ।

धारा १० का संशोधन

४८—मूल अधिनियम की धारा १० की संख्या बदल कर उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और—

(१) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) में—

(क) शब्द "इस अधिनियम के अधीन प्रचारित आदेश" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी विनियम" रख दिये जायें;

(ख) शब्द "किसी ऐसे अभियोजन (Prosecution) के अतिरिक्त जो इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट किया जाय" के स्थान पर शब्द "धारा ९ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" रख दिये जायें;

(ग) शब्द "स्वयं" के पश्चात शब्द "सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी के माध्यम से अथवा ऐसे अन्य अभिकरण के माध्यम से जिसे वह उचित समझे" रख दिये जायें;

(२) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(२) यदि नियत प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण या किसी ऐसे निर्माण-कार्य का निष्पादन जो कि धारा ६ में अभिदिष्ट है, अवैध रूप से प्रारम्भ किया गया है अथवा अवैध रूप से किया जा रहा है तो वह ऐसा निर्माण, पुनर्निर्माण या निष्पादन का निदेश देने वाले या उसे करने वाले व्यक्ति को लिखित नोटिस देकर यह अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे तत्काल रोक दे, और उसके ऐसा न करने पर ऐसे निर्माण या पुनर्निर्माण के किये जाने को या निष्पादन को रुकवा सकते है और उसके लिये ऐसे युक्तियुक्त बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो ।"

धारा १२ का संशोधन

४९—मूल अधिनियम की धारा १२ की संख्या बदल कर उसे उसकी उप धारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(२) नियत प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का या तो अभियोजन निर्दिष्ट किये जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात्, ऐसी शर्तों पर (जिनके अन्तर्गत अपराध के लिये संधान स्वरूप धनराशि का भुगतान भी हो सकता है) जैसा, यथास्थिति, वह या नियंत्रक प्राधिकारी उचित समझे, अभिसंधान कर सकता है, और नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर, अभिसंधान करेगा ।"

धारा १४ का निकाला जाना

५०--मूल अधिनियम की धारा १४ निकाल दी जाय ।

धारा १५-क का प्रतिस्थापन

५१--मूल अधिनियम की धारा १५-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:--

राज्य सरकार की पुनरीक्षण सम्बन्धी शर्तें

"१५-क--(१) राज्य सरकार किसी भी समय स्वत: या उसे तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी आज्ञा की वैधता अथवा उसके औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के लिये नियंत्रक प्रधिकारी द्वारा निस्तारित किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उस के सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सम्बद्ध व्यक्ति को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना, ऐसी कोई आज्ञा नहीं देगी जिसका उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।

(२) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रदत्त अधिकार किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को जो नियंत्रक प्राधिकारी के सभापति से निम्न न होगा, प्रतिनिहित कर सकती है ।

नयी धारा १६-क का बढ़ाया जाना

५२--मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्:--

स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में फीस आदि का जमा किया जाना

"१६-क--(१) किसी नगर (ऐसा कि वह उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ में परिभाषित है) की सीमाओं के भीतर नियत प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन वसूल की गयी समस्त फीस और धारा १२ की उपधारा (२) के अधीन वसूल की गयी समस्त धनराशि सम्बद्ध नगर महापालिका की निधि में जमा की जायगी ।

(२) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपधारा (१) के उपबन्धों का प्रसार, यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में यथा-परिभाषित किसी म्युनिसिपैलिटी पर ऐसे दिनांक से, जैसा भी वह निदेश दे, कर सकती है और तदुपरान्त उस उपधारा में नगर के प्रति अभिदेशों का उस म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों उनके अन्तर्गत उक्त म्युनिसिपैलिटी के लिये अभिदेश भी हो ।

(३) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपधारा (१) के उपबन्ध किसी नगर पर लागू न रहेंगे, और तदुपरान्त उपधारा (१) के उपबन्ध ऐसे नगर पर लागू न रह जायेंगे, और इसी प्रकार उपधारा (२) के अधीन किसी विज्ञप्ति को विखंडित कर सकती है और तदुपरान्त उपधारा (१) के उपबन्ध सम्बद्ध म्युनिसिपैलिटी पर लागू न रह जायेंगे ।

(४) प्रत्येक नगर महापालिका या म्युनिसिपल बोर्ड, जिस पर तत्समय उपधारा (१) के उपबन्ध लागू हों, जब नियत प्राधिकारी या नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा ऐसा अनुरोध किया जाय, उसे ऐसे कर्मचारिवर्ग

उपलब्ध करेगा जो, यथास्थिति, नगर या म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं के भीतर उस प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये आवश्यक हों।"

धारा १७ का संशोधन

५३—मूल अधिनियम की धारा १७ में, शब्द "किसी अन्य विधि" के स्थान पर शब्द "इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायें ।

धारा १९ का संशोधन

५४—मूल अधिनियम की धारा १९ में—

(१) उपधारा (१) में, शब्द "विनियम" के स्थान पर शब्द "नियम" रख दिया जाय;

(२) उपधारा (२) में, प्रारम्भिक पैरा में, शब्द "विनियम" के स्थान पर शब्द "नियम" रख दिया जाय ।

नयी धारा २० का बढ़ाया जाना

५५—मूल अधिनियम की धारा १९ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"२०—इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम तथा विनियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिये जो उसके एक सत्र या दो अथवा उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और, जब तक कि कोई बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों-सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों या विनियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

विधान मंडल के समक्ष नियमों तथा विनियमों का रखा जाना

संक्रमणकालीन उपबन्ध

५६—मूल अधिनियम की धारा १९ के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सभी विनियम और मूल अधिनियम की धारा १८ के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सभी आदेश जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त हों, जहां तक वे एतद्द्वारा संशोधित उक्त अधिनियम के उपबन्धों से संगत हों, प्रवृत्त बने रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा १९ या धारा ५ की अधीन बनाये गये क्रमशः नियमों तथा विनियमों के रूप में प्रभावी होंगे जब तक कि वे राज्य सरकार द्वारा परिवर्द्धित संशोधित या विखंडित न कर दिये जायं ।

अध्याय ७

प्रकीर्ण

निरसन

५७—(१) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७४ और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९७४ एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों (अध्याय ६ को छोड़कर) यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

उद्देश्य और कारण

महापालिकाओं के कार्य-कलापों को अपेक्षाकृत अधिक दक्षतापूर्वक संचालित करने के उद्देश्य से यह वांछनीय समझा गया कि नगर प्रमुख का कार्यकाल महापालिका की अवधि के साथ-साथ समाप्त हो और उसे वयस्क मताधिकार के आधार पर नगर के निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित किया जाय। नगर प्रमुख तथा उप-नगर प्रमुख को अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिये समर्थ बनाने की दृष्टि से इस बात की भी व्यवस्था करना वांछनीय समझा गया था कि उनके द्वारा पदग्रहण किये जाने के दो वर्ष के भीतर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का कोई नोटिस प्राप्त नहीं किया जायगा और ऐसा कोई प्रस्ताव पारित होने के लिये महापालिका की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से अधिक का बहुमत अपेक्षित होगा ।

२—उपर्युक्त प्रस्तावों के फलस्वरूप नगर प्रमुख में, महापालिका के अथवा उसकी समिति के किसी ऐसे निर्णय को जिसे वह महापालिका के हितों के विरुद्ध समझे, स्थानीय निकाय निदेशक, को अभिदिष्ट करने की शक्ति निहित करना तथा निदेशक को राज्य सरकार की पूर्वानुमति से उस पर ऐसा निर्णय लेने के लिये जैसा वह उचित समझे, सशक्त करना आवश्यक था।

३—यह भी उचित समझा गया था कि किसी महापालिका का विघटन अथवा अतिक्रमण किये जाने के पूर्व राज्य सरकार उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से परामर्श करे ।

४—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ में म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट का प्रत्यक्ष निर्वाचन करने, उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने, स्थानीय निकाय निदेशक को अभिदेश करने तथा नगरपालिका बोर्ड का अतिक्रमण अथवा विघटन करने के पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करने के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार के संशोधनों को करना आवश्यक समझा गया था ।

५—यह भी वांछनीय समझा गया था कि म्युनिसिपल बोर्डों तथा महापालिकाओं की भांति टाउन एरिया कमेटी का कार्यकाल भी चार वर्ष के बजाय पांच वर्ष हो ।

६—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा आरम्भ की गई सुधार स्कीमों को उक्त परिषद् द्वारा जारी रखने के लिये उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, १९७३ में उपबन्ध बनाना भी उचित समझा गया था। यह भी उचित समझा गया था कि सुधार स्कीमों से सम्बन्धित महापालिका के स्थापन के समस्त पद विकास प्राधिकरण को अन्तरित कर दिये जायें।

७—इलाहाबाद की महापालिका का कार्यकाल १३ सितम्बर, १९७५ को समाप्त होने वाला था और यह उचित तथा इष्टकर समझा गया कि समस्त पांच महापालिकाओं के निर्वाचन साथ-साथ कराये जायें। इलाहाबाद के नगर प्रमुख का कार्यकाल १७ सितम्बर, १९७४ को समाप्त होने वाला था और चूंकि महापालिकाओं के नवीन निर्वाचन निकट भविष्य में होने को थे इसलिये वर्तमान महापालिका के सभासदों द्वारा नये नगरप्रमुख का निर्वाचन उचित नहीं समझा गया था। इन परिस्थितियों में इलाहाबाद महापालिका का विघटन तथा उसका प्रशासन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी प्रशासक में निहित करना वांछनीय समझा गया था।

८—चूंकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था, अतएव, उक्त प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, १९७४ तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, १९७४ प्रख्यापित किये गये थे ।

९—नागर एवं ग्राम्य क्षेत्रों के अनियोजित विकास को रोकने के उद्देश्य से निर्माण-कार्यों के विनियमन करने की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, १९५८ अधिनियमित किया गया था । इस अधिनियम में महायोजना के लिये कोई उपबन्ध नहीं है । इस अधिनियम में विनियमों को विधान मण्डल के समक्ष रखने के लिये कोई भी उपबन्ध नहीं है । इनके लिये अधिनियम में आवश्यक उपबन्ध करना वांछनीय समझा गया है ।

१०—उपर्युक्त अधिनियमों में कुछ अन्य छोटे-मोटे संशोधन करने के लिये इस अवसर का लाभ उठाया गया है ।

११—तद्नुसार यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है ।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री ।

विधान सभा

नत्थी 'श'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३४ पर)

उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि श्रमिक ऋण श्रनुतोष विधेयक, १९७४

भूमिहीन कृषि-श्रमिकों को ऋण ग्रस्तता से श्रनुतोष का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

१—(१) यह श्रधिनियम उत्तर प्रदेश भूमिहीन कृषि-श्रमिक ऋण श्रनुतोष श्रधिनियम, १९७४ कहलायेगा ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

कतिपय ऋणों तथा दायित्वों पर प्रभाव न पड़ना।

२—इस श्रधिनियम की किसी बात का प्रभाव निम्नलिखित शीर्षकों के श्रन्तर्गत श्राने वाले किसी श्रनुसूचित ऋणी के ऋणों तथा श्रन्य दायित्वों पर नहीं पड़ेगा, श्रर्थात्:—

(क) ऐसे ऋणी को किराये पर दी गई किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय कोई किराया;

(ख) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा साक्ष्यित कोई संव्यवहार या हक विलेखों के निक्षेप द्वारा बन्धक का कोई संव्यवहार;

(ग) न्याय-भंग से उद्भूत कोई दायित्व श्रथवा कोई श्रपकृत्य सम्बन्धी दायित्व;

(घ) की गई सेवाश्रों के लिये वेतन के रूप में या श्रन्यथा देय मजदूरी श्रथवा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में कोई दायित्व;

(ङ) भरण-पोषण के सम्बन्ध में कोई दायित्व, चाहे वह न्यायालय की डिग्री के श्रधीन हो श्रथवा श्रन्यथा;

(च) निम्नलिखित को देय कोई ऋण:—

(१) केन्द्रीय सरकार श्रथवा कोई राज्य सरकार ;

(२) कोई स्थानीय प्राधिकारी;

(३) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) श्रधिनियम, १९७२ में यथापरिभाषित कोई बैंकिंग कम्पनी;

(४) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) श्रधिनियम, १९७२ में यथा परिभाषित कोई निगम;

(५) कोई सहकारी समिति;

(६) कम्पनीज ऐक्ट, १९५६ के श्रधीन्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी;

(छ) कोई ऋण जो ऐसे ऋणी द्वारा क्रय किये गये माल की कीमत के बारे में हो;

(ज) सम्पत्ति के विभाजन या बंटवारे के कारण देय कोई प्रतिकर अथवा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा २९-क में निर्दिष्ट कोई प्रतिकर;

(झ) भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली कोई धनराशि।

परिभाषाएं

३—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(१) "सिविल न्यायालय" के अन्तर्गत—

(क) प्राविंशियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, १९२० के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय;

(ख) यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन स्थापित कोई न्याय पंचायत;

(ग) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, १८८७ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई न्यायालय;

भी है;

(२) "सहकारी समिति" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, १९६५ के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किसी समिति से है;

(३) "ऋण" का तात्पर्य नकद अथवा वस्तु के रूप में किसी अधिदाय से है, चाहे उसके लिये बिक्री हुई हो अथवा नहीं और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा संव्यवहार भी है जो सार रूप में ऋण हो;

(४) "भूमिहीन कृषि-श्रमिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि-श्रम या खेती हो और जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व या तो कोई भूमि न हो या उत्तर प्रदेश में भूमिधर, सीरदार, असामी या सरकारी पट्टेदार के रूप में ०.४०४६८५६४ हेक्टर (एक एकड़) से अनधिक भूमि हो;

(५) "अनुसूचित ऋणी" का तात्पर्य साधारणतया उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जो भूमिहीन कृषि-श्रमिक हो।

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के परिणाम

४—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अथवा किसी ऐसी संविदा या अन्य लिखित में जो ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी हो, किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से, एतद्पश्चात् दिये गये परिणाम होंगे अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व लेनदार को अनुसूचित ऋणी द्वारा देय प्रत्येक ऋण जिसके अन्तर्गत ब्याज, यदि कोई हो, की धनराशि भी है, पूर्णतया उन्मोचित समझा जायगा;

(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व अनुसूचित ऋणी द्वारा देय कोई भी ऋण उससे अथवा उसकी किसी भी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति से अथवा जंगम या स्थावर सम्पत्ति के प्रति, वसूल न किया जा सकेगा, और उसके विरुद्ध ऐसे ऋण से सम्बन्धित किसी डिग्री या आदेश के निष्पादन में कोई ऐसी सम्पत्ति न तो कुर्क की जा सकेगी, न बेची जा सकेगी और न उसके विरुद्ध किसी अन्य रीति से कार्यवाही की जा सकेगी;

(ग) कोई भी सिविल न्यायालय ऋण की किसी भी धनराशि की जिसके अन्तर्गत, ब्याज, यदि कोई हो, भी है, वसूली के लिये किसी अनुसूचित ऋणी के विरुद्ध कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा ।

परन्तु जहां कि किसी अनुसूचित ऋणी तथा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अथवा कार्यवाही संयुक्त रूप से संस्थित की जाय वहां इस खण्ड की कोई बात, वाद लाये जाने अथवा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में वहां तक जहां तक कि उसका सम्बन्ध ऐसे अन्य व्यक्ति से है, लागू न होगी:

(घ) किसी अनुसूचित ऋणी के विरुद्ध किसी ऋण की वसूली के लिये इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को लम्बित समस्त वाद तथा कार्यवाहियां (जिसके अन्तर्गत अपीलें, पुनरीक्षण, कुर्की अथवा निष्पादन की कार्यवाहियां भी हैं) उपशमित हो जायेंगी:

परन्तु इस खण्ड की कोई बात--

(१) किसी ऐसी जंगम सम्पत्ति की बिक्री पर जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व हुई हो और पूरी हुई हो;

(२) किसी ऐसी स्थावर समिति की बिक्री पर जिसे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पुष्ट कर दिया गया हो,

लागू न होगी ।

(ङ) प्रत्येक अनुसूचित ऋणी जो किसी ऋण के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय द्वारा धन के लिये उसके विरुद्ध पारित की गई किसी डिक्री के निष्पादन में सिविल कार गार में निरुद्ध हो, छोड़ दिया जायेगा;

(च) किसी अनुसूचित ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक जंगम सम्पत्ति ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जायगी, और लेनदार उसे तुरन्त वापस करने के लिये बाध्य होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अनुसूचित ऋणी ऋण के किसी ऐसे भाग को जिसका उसने पहले ही भुगतान कर दिया हो, या जो उससे वसूल किया गया हो, वापस पाने का हकदार होगा ।

ऋण के बदले में श्रम कार्य संबंधी करार का शून्य होना ।

५--कोई भी रूढ़ि या परम्परा और कोई भी करार (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व किया गया हो या इसके पश्चात् किया जाय) जिसके अधीन अथवा जिसके कारण किसी अनुसूचित ऋणी या उसके आश्रितों अथवा उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य से लेनदार के लिये श्रमिक के रूप में या अन्यथा कार्य करना अपेक्षित हो, शून्य होगा ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या १८, १९७४ का निरसन ।

६--(१) उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जन-जातियां तथा विमुक्त जातियां ऋण अनुतोष अध्यादेश, १९७४ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इसके उपबन्धों के अधीन अथवा आधार पर किया गया या करने से रह गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके आधार पर किया गया या करने से रह गया समझा जायगा मानों यह अधिनियम, जहां तक इसका सम्बन्ध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों के भूमिहीन कृषि-श्रमिकों से है, 1 अक्टूबर 1974 को प्रारम्भ हुआ हो ।

उद्देश्य और कारण

सिद्धान्तहीन साहूकारों द्वारा भूमिहीन कृषि श्रमिकों का शोषण करने की बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। इस प्रकार का शोषण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों के सदस्यों की दशा में सबसे अधिक सुना जाता रहा है। प्राय: ऋण की छोटी-सी धनराशि को कई गुना बढ़ाकर दिखाया जाता था, और देय से अधिक भुगतान करने के बावजूद भी ऋण बना रहता था। ऐसी शिकायतें भी थीं कि कुछ मामलों में ऋण-ग्रहीता को जीवन-पर्यन्त तथा कभी-कभी तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक साहूकार की सेवा करने के लिये बाध्य होना पड़ता था। राज्य सरकार अपना पुनीत कर्त्तव्य समझती है कि इन शोषित कमजोर वर्गों के नागरिकों को उनकी निरन्तर ऋण-ग्रस्तता से मुक्त कराया जाय। तदनुसार राष्ट्रपिता के पिछले जन्म-दिवस के अवसर पर ऐसे भूमिहीन कृषि श्रमिकों को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों के थे, उनकी ऋण-ग्रस्तता पर आधारित दासता से मुक्ति दिलाने के लिये अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था।

२—अग्रेतर विचार करने पर राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि अन्य भूमिहीन कृषि-श्रमिकों को भी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा विमुक्त जातियों के नहीं है, इस क्रान्तिकारी विधायन का लाभ दिया जाना चाहिये। तदनुसार, वर्तमान विधेयक में जिसके द्वारा उक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित किया जा रहा है, समस्त भूमिहीन कृषि-श्रमिकों को, भले ही वे किसी जाति या धर्म के हों, समाविष्ट किया गया है।

३—तद्नुसार यह विधेयक पुर:स्थापित किया जाता है।

हेमवती नन्दन बहुगुणा,
मुख्य मंत्री।

नत्थी 'द'

(देखिये पीछे पृष्ठ १३५ पर)

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि विधेयक, १९७४

होटलों में सुख-साधनों पर कर अधिरोपित करने और कतिपय कराधान तथा भू-राजस्व विधियों का संशोधन करने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, १९७४ कहलायेगा।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अध्याय २

सुख साधन कर का अधिरोपण

प्रारम्भ

२—यह अध्याय ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ नियत करे।

परिभाषाएं

३—इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'होटल' के अन्तर्गत उपाहार गह भी है यदि उसमें ग्राहकों को किराये पर कमरे दिये जाते हों;

(ख) 'सुख-साधन' का तात्पर्य ऐसी सुख-सुविधाओं से है जो किसी होटल में ऐसे कमरों या कमरों की कोष्ठावलि के जिनका किराया पचास रुपया प्रति दिन अथवा उससे अधिक हो, अधिभोगियों के लिए व्यवस्थित की जायं,

(ग) 'सुख साधन कर' अथवा 'कर' का तात्पर्य धारा ४ के अधीन उद्गृहीत कर से है;

(घ) 'विहित' का तात्पर्य इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(ङ) किसी होटल के संबंध में, 'स्वामी' के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो तत्समय उसके प्रबन्ध का प्रभारी हो;

(च) 'किराया' का तात्पर्य किसी होटल के कमरे के अधिभोगी से वसूल किए गए समस्त प्रभार, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाय, के योग से है, तथा उसके अन्तर्गत वास करने, भोजन करने अथवा सेवा करने के प्रभार अथवा होटल के सेवकों को देय बख्शीश के मद्दे स्वामी द्वारा ली गई कोई धनराशि अथवा उसमें से सभी या कोई भी है,

स्पष्टीकरण—१ जहां केवल कमरे के अधिभोग के लिए किराये की दर नियत हो और भोजन तथा सेवा करने के लिए प्रभार पृथक रूप से उद्गृहीत किये जाते हों, वहां प्रत्येक दिन के लिए वसूल की गई वास्तविक धनराशि, जिसके अन्तर्गत भोजन, पेय, मनोरंजन तथा इसी प्रकार की अन्य मदों के लिए संदत्त कोई धनराशि भी है, का योग कर दिया जायगा और उस योग को किराया समझा जायगा;

२—जहां प्रभार दैनिक या प्रति व्यक्ति के आधार से भिन्न आधार पर उद्गृहीत किए जायं, तो प्रभार की संगणना प्रतिदिन और प्रति व्यक्ति के लिए उस कमरे में जिसके लिए प्रभार लिया जाय, अधिभोग की अवधि के आधार पर और उन व्यक्तियों की संख्या के आधार पर जो वास्तव में अधिभोग कर रहे हों, या जिन्हें अधिभोग करने की अनुज्ञा दी गई हो, की जायेगी;

(क) 'कमरा' के अन्तर्गत कमरों की ऐसी कोष्ठावलि भी है जिसे एक इकाई के रूप में किराये पर उठाया जाता हो ।

कर का उद्ग्रहण

४—(१) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो किसी होटल में सुख-साधनों से व्यवस्थित कोई कमरा या कमरों की कोष्ठावलि किराये पर लेता है, निम्नलिखित दर पर सुख-साधन कर देय होगा, अर्थात्—

(क) यदि किराया एक सौ रुपये प्रतिदिन से अधिक न हो—	किराये के ३ प्रतिशत की दर से
(ख) यदि किराया एक सौ रुपये प्रतिदिन से अधिक हो किन्तु एक सौ पचास रुपये प्रतिदिन से अधिक न हो	किराये के ५ प्रतिशत की दर से
(ग) यदि किराया एक सौ पचास रुपये प्रतिदिन से अधिक हो:	किराये के ७ प्रतिशत की दर से;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो किराये का संदाय विदेशी मुद्रा में करता है, उसके द्वारा देय कर में पच्चीस प्रतिशत कर रिबेट दिया जायगा ।

(२) सुख-साधन कर की संगणना करने में एक रुपये के ऐसे भाग को जो पांच पैसे का गुणक न हो पांच पैसे के अगले उच्चतर गुणक तक पूर्णांकित कर दिया जायगा ।

संदाय की रीति

५—(१) होटल का स्वामी कमरे के किराये के साथ कर को उसके देनदार व्यक्ति से संग्रहीत करेगा और उसे राज्य सरकार को ऐसी रीति से जो विहित की जाय संदत्त करेगा ।

(२) यदि कोई स्वामी विहित अवधि में कर का भुगतान करने में असफल रहता है तो वह असंदत्त रही धनराशि पर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देने का भागी होगा और ऐसा ब्याज कर की धनराशि में जोड़ दिया जायगा तथा सभी प्रयोजनों के लिए कर का भाग समझा जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि अपील पर दिये गये किसी आदेश के परिणामस्वरूप कर की धनराशि में फेर-फार किया जाता है तो ब्याज की पुनः संगणना की जायेगी ।

कर-निर्धारण

६—(१) कर ऐसे प्राधिकारी द्वारा जो विहित किया जाय, निर्धारित किया जायगा ।

(२) कर-निर्धारण की तथा कर-निर्धारण के किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील की प्रक्रिया, और कर-निर्धारण तथा अपील प्राधिकारियों की शक्तियां ऐसी होंगी जो विहित की जायें।

कर के स्थानपर प्रशमन फीस का संदाय

७—इस अध्याय में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कर-निर्धारण प्राधिकारी किसी होटल के स्वामी को अनुज्ञा दे सकता है कि वह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जायें, इस अध्याय के अधीन देय करके स्थान पर प्रशमन के रूप में एकमुश्त धनराशि का भुगतान कर दे ।

बहियों तथा लेखों का निरीक्षण

८—कर-निर्धारण प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि इस अध्याय अथवा तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है--

(क) किसी युक्तियुक्त समय पर किसी होटल में प्रवेश कर सकेगा;

(ख) होटल के किसी भी स्वामी से किन्हीं भी बहियों, लेखों अथवा अन्य दस्तावेजों को अपने समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) किन्हीं भी बहियों, लेखों अथवा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकेगा, और

(घ) कमरों के अधिभोग को सुनिश्चित करने के लिए उनका निरीक्षण कर सकेगा ।

भू-राजस्व के बकाया के रूप में धनराशियों की वसूली

९—धारा ७ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा ५ के अधीन देय कोई धनराशि-कर-निर्धारण प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र पर स्वामी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

शास्ति

१०—(१) यदि कोई व्यक्ति विहित कालावधि के भीतर धारा ५ अथवा धारा ७ के अधीन देय किसी धनराशि का भुगतान करने में असफल रहेगा तो, धारा ५ की उपधारा (२) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह सिद्ध दोष होने पर पांच हजार से अनधिक जुर्माने से दंडनीय होगा और जब अपराध चालू रहने वाला हो तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहे, प्रतिदिन एक सौ रुपये से अनधिक अग्रेतर जुर्माने से दंडनीय होगा ।

(२) कोई व्यक्ति जो ऐसी कोई सूचना, जिसे देने के लिए वह इस अध्याय के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन अपेक्षित हो, देने में असफल रहेगा अथवा जानबूझ कर मिथ्या सूचना देगा, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

११—(१) यदि इस अध्याय के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भार-साधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे तथा तदनुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अध्याय में उपबंधित दंड का भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, या उसने अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो तथा यह साबित हो कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा तथा तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) 'कम्पनी' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है, तथा

(ख) किसी फर्म के संबंध में, 'निदेशक' का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

इस अध्याय के अधीन की गई कार्रवाई के लिए परित्राण

१२—इस अध्याय या तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिये आशायित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी।

नियम बनाने की शक्ति

१३—(१) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के उपबन्धों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी और ऐसे नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा ६ में निर्दिष्ट कार्यवाहियों के संबंध में फीस के उद्ग्रहण की व्यवस्था की जा सकेगी।

(२) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कुल तीस दिन की कालावधि पर्यन्त जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगा, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन, उक्त कालावधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार अथवा संशोधन तद्धीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

अध्याय ३

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, १९३९ का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या १, १९३९ की धारा २ का संशोधन

१४—संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, १९३९, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में, खंड (कककक) में, शब्द "शोधित स्प्रिट तथा एब्सोल्यूट अलकोहल" के स्थान पर शब्द "शोधित स्प्रिट, विकृत स्प्रिट तथा एब्सोल्यूट अलकोहल" रख दिये जायें और दिनांक २३ अप्रैल, १९७४ से रखे गये समझे जायें,

१५—मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (१) में धारा ३ का संशोधन;

(१) प्रथम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय और दिनांक २३ अप्रैल, १९७४ से रखा गया समझा जाय:—

"राज्य में, दिनांक २ मई, १९७४ से, मोटर स्प्रिट या डीजल आयल या अलकोहल की प्रथम बिक्री पर मोटर स्प्रिट की दशा में २५ पैसे प्रति लीटर, डीजल आयल की दशा में १० पैसे प्रति लीटर और अलकोहल की दशा में ४० पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जायेगा और ऐसे कर का भुगतान, ऐसी बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा नियत रीति से किया जायेगा :";

(२) प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७४ के प्रारम्भ होने के पश्चात्" के स्थान पर अंक तथा शब्द "दिनांक २ मई, १९७४ को या उसके पश्चात्" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें, और शब्द "ऐसे प्रारम्भ" के स्थान पर शब्द "उक्त दिनांक" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायं ।

धारा ६ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा ६ में, शब्द "फुटकर व्यापारी" के स्थान पर शब्द "व्यापारी" रख दिया जाय ।

अध्याय 4

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 ई० का संशोधन

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या १५, १९४८ ई० की धारा २ का संशोधन

१७—उत्तर प्रदेश बिक्री-ऐक्ट, १९४८ ई० जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में, खंड (झ) में, वर्तमान स्पष्टीकरण २ के पूर्व, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाये, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—माल के क्रय अथवा विक्रय के संबंध में देय अथवा देने के लिए अभिप्रेत बिक्री-कर अथवा क्रय-कर के रूप में व्यापारी द्वारा वसूल की गई धनराशियां विक्रय-धन में सम्मिलित समझी जायगी।"

धारा ३-क का संशोधन

१८—मूल अधिनियम की धारा ३-क में, उपधारा (२) में, शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "चार प्रतिशत" रख दिये जायें।

धारा ३-घ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा ३-घ में, उपधारा (१) में, खंड (क) में, शब्द "साढ़े तीन प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "चार प्रतिशत" रख दिये जायें।

धारा ३-च का संशोधन

२०—मूल अधिनियम की धारा ३-च में, शब्द "आधा प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "एक प्रतिशत" रख दिये जायें।

धारा ४ का प्रतिस्थापन

२१—(१) मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय और दिनांक ३१ मार्च, १९५६ से रखी गई समझी जाय, अर्थात्—

कर से छूट

"४—इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित पर कोई कर नहीं लगेगा—

(क) पानी, दूध, नमक, समाचार-पत्र, मोटर स्प्रिट की या अन्य किसी ऐसे माल की जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा छूट दे, बिक्री पर; या

(ख) किसी ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर जो आल इंडिया स्पिनर्स एसोसियेशन या गांधी आश्रम, मेरठ या उनकी शाखाओं द्वारा की गई हो या ऐसे अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों द्वारा की गयी हो जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा छूट दे:

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (क) या खंड (ख) के अधीन कोई छूट देते समय राज्य सरकार ऐसी शर्तें जिनके अन्तर्गत ऐसे शुल्क का, यदि कोई हो, जो प्रति वर्ष आठ हजार रुपये से अधिक न हो, जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट करे, भुगतान करने की शर्त भी है, आरोपित कर सकती है।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में, पद—

(क) "पानी" के अन्तर्गत मिनरल वाटर, एरेटेड वाटर, टानिक वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या सुगंधित जल नहीं है;

(ख) "दूध" के अन्तर्गत कन्डेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर या बेबी मिल्क नहीं है।"

(२) मूल अधिनियम की धारा ४ में, जैसी कि वह उपधारा (१) द्वारा उपबन्धित रूप से प्रतिस्थापित है, शब्द "मोटर स्प्रिट" के स्थान पर शब्द तथा अंक "संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, १९३९ में यथा परिभाषित मोटर स्प्रिट, डीजल आयल या अलकोहल" रख दिये जायें और दिनांक २ मई, १९७४ से रखे गये समझे जायं।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची में, क्रम संख्या ८९ के सामने स्तम्भ २ में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जाय और दिनांक २ मई, १९७४ से रखी गयी समझी जाय:—

"सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिटमय शराब जिसके अन्तर्गत मैथाइल अलकोहल भी है किन्तु जिसके अन्तर्गत देशी शराब नहीं है और संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, १९३९ में यथा-परिभाषित 'अलकोहल' भी नहीं है।"

अध्याय 5

संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या ५, १९३९ की धारा २ का संशोधन

२३—संयुक्त प्रांत मोटर-गाड़ी कराधान अधिनियम, १९३५, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ में खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(कक) अपील प्राधिकारी का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है।"

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

२४—मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"३—राज्य सरकार किसी मोटर-गाड़ी या मोटर गाड़ियों के किसी वर्ग को जिसे नियत किया जाय, नियत शर्तों के अधीन रहते हुए, या तो पूर्णतः या अंशतः इस अधिनियम के प्रवर्तन से विमुक्त कर सकती है।"

विमुक्तियां

धारा 4 का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

(क) स्पष्टीकरण में, खंड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिये जायें, अर्थात्:—

"(सी) उत्तर प्रदेश कर विधि संशोधन अधिनियम, १९६९ के अध्याय ५ के प्रारम्भ होने के दिनांक से तथा उसके पश्चात् किन्तु १ जनवरी, १९७२ के पूर्व किसी भी अवधि के संबंध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये १९६९ के उक्त अधिनियम द्वारा यथा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची से है,

(डी) १ जनवरी, १९७२ से तथा उसके पश्चात् किन्तु उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, १९७४ के अध्याय ५ के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी भी अवधि के संबंध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अधिनियम, १९७२ के अध्याय ४ द्वारा यथा संशोधित प्रथम अनुसूची से है;

(ई) उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, १९७४ के अध्याय ५ के प्रारम्भ होने के दिनांक से तथा उसके पश्चात् किसी भी अवधि के संबंध में देय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये उक्त अधिनियम द्वारा तथा प्रतिस्थापित प्रथम अनुसूची से है।"

(ख) उपधारा (३) निकाल दी जाय।

धारा 5 का संशोधन

२६—मूल अधिनियम की धारा ५ में—

(क) उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि धारा ४ के अधीन किसी अवधि के लिये देय कर और इस अधिनियम के जैसा कि वह उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, १९७४ के अध्याय ५ द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, उपबन्धों के अनुसार उस अवधि के लिये पहले ही भुगतान किये गये कर (जिसके अन्तर्गत अधिभार भी है) की धनराशि के अन्तर का भुगतान १ जनवरी, १९७५ को या उसके पूर्व किया जायगा।"

(ख) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(१-क) जब कोई व्यक्ति अपने नाम में रजिस्ट्रीकृत कोई मोटर-गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है तब इस संबंध में अन्तरक के दायित्व के होते हुए भी, अन्तरिती इस प्रकार अन्तरित मोटर-गाड़ी के संबंध में कर के बकाये का, यदि कोई हो, जो उसके अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व देय हो, भुगतान करने का भागी होगा मानो अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिये कर देय है, उक्त मोटर गाड़ी का स्वामी था।"

धारा 14 का संशोधन

२७—मूल अधिनियम की धारा १४ में, प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय।

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

२८--मूल अधिनियम की धारा १५ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"१५--(१) कर के निर्धारण, आरोपण या वसूली से संबंधित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को नियत रीति से अपील कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि निर्धारित कर का पचास प्रतिशत जमा न कर दिया गया हो ।

(२) इस धारा के अधीन अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश अंतिम और निश्चायक होगा।"

प्रथम अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का रखा जाना

२९--मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्—

प्रथम अनुसूची

धारा ४ (देखिये)

अनुच्छेद संख्या	गाड़ी का विवरण	कर की वार्षिक दर
१	२	३
	भाग 'क'	
	परिवाहन गाड़ियों से भिन्न अन्य गाड़ियां	
१	भारविहीन ४०६ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली मोटर साइकिलें (जिसमें स्कूटर तथा आटो-साइकिलें सम्मिलित हैं)	रुपया
	(क) मोटर बाइसिकिलें:--	
	(१) ९१ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	३५.००
	(२) ९१ किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	५५.००
	(ख) तीन पहिये वाली मोटर-साइकिलें	५५.००
	(ग) किसी ट्रेलर या पार्श्व गाड़ी (साइड कार) को खींचने के लिये प्रयोग की जाने वाली मोटर बाइसिकिलें या तीन पहिये वाली मोटर साइकिलें उपर्युक्त दरों के अतिरिक्त ..	७.००
२	केवल यात्रियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये बनाई गयी और प्रयोग में लाई गयी गाड़ियां, जिनमें ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो (मोटर साइकिलों सहित) और जिनका भार विहीन वजन ४०६ किलोग्राम से अधिक हो--	
	१) (क) १,०१६ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार विहीन ..	१२५.००

१	२	३
		रुपया
	(ख) १,०१६ किलोग्राम से अधिक किन्तु १,२७० किलोग्राम से अनधिक वजन वाली भार-विहीन	१६५.००
	(ग) १,२७० किलोग्राम से अधिक किन्तु १,७७८ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली भार-विहीन	२०७.००
	(घ) १,७७८ किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार-विहीन..	२५०.००
	(२) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर	२८.००
३	ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये बनाई गयी या प्रयोग के लिए अपनाई गयी ४०६ किलोग्राम से अधिक वजन वाली, भार विहीन गाड़ियां, जिनमें मोटर साइकिलें भी सम्मिलित हैं:—	
	(१) यदि उसमें पूर्ण रूप से वायवीय (न्यूमैटिक) टायर लगाये गये हों, और (क) १,०१६ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन ..	१८३.००
	(ख) १,०१६ किलोग्राम से अधिक किन्तु १,७७८ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली भार विहीन	३१३.००
	(ग) १,७७८ किलोग्राम से अधिक किन्तु २,५४० किलोग्राम से अनधिक वजन वाली भार-विहीन	४१३.००
	(घ) २,५४० किलोग्राम से अधिक किन्तु ३,५५६ किलोग्राम से अनधिक वजन वाली भार-विहीन	६०३.००
	(ङ) ३,५५६ किलोग्राम से अधिक किन्तु ५,०८० किलोग्राम से अनधिक वजन वाली, भार-विहीन	७७६.००
	(च) ५,०८० किलोग्राम वजन से अधिक वजन वाली भार-विहीन ५,०८० किलोग्राम से अधिक प्रत्येक १,०१६ किलोग्राम या उसके किसी भाग के लिए	३२२.००
	(छ) इस अनुच्छेद के अन्तर्गत आने वाली गाड़ियों द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर—	
	(क) १,०१६ किलोग्राम से अनधिक भार ले जाने के लिए ..	२१५.००
	(ख) १,०१६ किलोग्राम से अधिक भार ले जाने के लिए ..	४१३.००
	(२) यदि लचकीले टायर लगाये गये हों तो वायवीय टायर सहित उसी वजन (भार-विहीन) की गाड़ी के लिये देय समुपयुक्त कर तथा उस पर ३३ १/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर,	
	(३) यदि लचकीले टायर न लगाये गये हों तो वायवीय टायर सहित उसी वजन (भार-विहीन) की गाड़ी के लिये देय समुपयुक्त कर तथा उस पर ६६ २/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर:	

१	२	३

प्रतिबन्ध यह है कि इस भाग के अनुच्छेद १, २ और ३ के सामने स्तम्भ ३ में विनिर्दिष्ट कर की दर में निम्नलिखित स्वामियों के वर्गों के सिवाय मोटर गाड़ियों के सभी स्वामियों के संबंध में पचास प्रतिशत की वृद्धि होगी, अर्थात्:—

(क) एकल व्यक्ति;

(ख) कोई म्युनिसिपल बोर्ड, नगर महापालिका, जिला परिषद, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी या क्षेत्र समिति;

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय,

(घ) मान्यता प्राप्त कोई शिक्षा संस्था;

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास,

(च) राज्य सरकार द्वारा गजट में तदर्थ अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति ।

भाग 'ख'

परिवहन गाड़ियां

		रुपया
४	यात्रियों तथा यात्रियों के हलके वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिये किराये पर चलने वाली गाड़ियां:—	
	(१) ड्राइवर को छोड़कर तीन से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली	२७५.००
	(२) ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली ..	५५०.००
	(३) ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—	
	(क) तीन पहियों वाली	५५०.००
	(ख) अन्य	६८८.००
	(४) ड्राइवर को छोड़कर छः व्यक्तियों से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली—	
	प्रथम छः स्थानों के लिये	५६५.००
	छः से अधिक प्रत्येक स्थान के लिये और बीस स्थानों तक इसके अतिरिक्त—	
	(क) यदि क—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	४५.००
	(ख) यदि ख—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	३०.००
	(ग) यदि ग—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	२५.००

१	२	३
		रु०
	(५) ड्राइवर को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु बत्तीस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली---	
	(क) यदि क---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो---	
	प्रथम बीस स्थानों के लिये	१,२९०.००
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए	५५.००
	(ख) यदि ख---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो---	
	प्रथम बीस स्थानों के लिए	१,०३५.००
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिये	४५.००
	(ग) यदि ग---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो---	
	प्रथम बीस स्थानों के लिए	८८५.००
	प्रत्येक अतिरिक्त स्थान के लिए	३०.००
	(६) ड्राइवर को छोड़कर बत्तीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने के स्थान वाली अंतिम पूर्वोक्त खंड के अधीन प्रथम बत्तीस स्थानों के लिये देय कर तथा बत्तीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिए, इसके अतिरिक्त---	
	(क) यदि क---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	१०५.००
	(ख) यदि ख---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	७५.००
	(ग) यदि ग---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	४५.००
५	सीमित संख्या में यात्रियों को ले जाने तथा सीमित परिमाण में माल के परिवहन के लिये किराये पर चलने वाली गाड़ियां---	
	प्राधिकृत संख्या में यात्रियों के बैठने के स्थानों के संबंध में अनुच्छेद ४ के अधीन देय कर तथा माल के प्राधिकृत भार के प्रत्येक ५१ किलोग्राम के लिये अतिरिक्त कर---	
	(क) यदि क---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो	१५.००
	(ख) यदि ख---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	१०.००
	(ग) यदि ग---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो ..	५.००
६	केवल माल के परिवहन के लिये चलने वाली गाड़ियां---	
	(१) यदि उसमें पूर्णरूप से वायवीय टायर लगाये गये हों, और	
	(क) यदि क---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो---	
	(१) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिये ..	३५०.००
	(२) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिये	१३.००
	(ख) यदि ख---श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो---	
	(१) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिए ..	३१५.००

१	२	३
		रु०
	(२) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिये	,१०.००
	(ग) यदि ग—श्रेणी के मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो—	
	(१) प्राधिकृत भार के प्रथम ७६२ किलोग्राम के लिये ..	२८५.००
	(२) प्राधिकृत भार के प्रत्येक अतिरिक्त ५१ किलोग्राम के लिये	८.००
	(२) यदि लचकीले टायर लगाये गये हों—इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिये देय कर, और साथ ही उस पर ३३ १/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर,	
	(३) यदि लचकीले टायर न लगाये गये हों—इस अनुच्छेद के अधीन उसी प्रकार की प्राधिकृत भार क्षमता वाली वायवीय टायर लगी गाड़ी के लिये देय कर और साथ ही उस पर ६६ २/३ प्रतिशत अतिरिक्त कर।	
६	क—मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अध्याय ४ के अधीन चार या अधिक रीजनों में चलाई जाने के लिए अनुज्ञेय माल गाड़ियां—अनुच्छेद ६ तथा ७ के अधीन देय समुपयुक्त कर और उस पर ५०० रुपये वार्षिक का अतिरिक्त कर ।	
७	किसी विशेष मार्ग पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत गाड़ियां—	
	क—श्रेणी के मार्ग के संबंध में अनुच्छेद ४, ५ या ६ के अधीन देय समुपयुक्त कर और साथ ही ऐसे समुपयुक्त कर के ५० प्रतिशत से अनधिक का ऐसा अतिरिक्त कर जो नियत किया जाय।	
८	किराये पर चलने वाली गाड़ियां, जिनके संबंध में अनुच्छेद ४, ५, ६ तथा ७ में से किसी के अधीन कर का भुगतान किया जा चुका हो, जब विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में और सीमित अवधि के लिये उन मार्गों, जिन पर ये अन्यथा चलती हैं, से भिन्न अन्य मार्ग या मार्गों पर प्रयोग के लिये अभिप्रेत हो पूर्वोक्त किसी भी अनुच्छेद के अधीन भुगतान किये गये किसी कर के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे दिन या उसके किसी भाग के लिए, जिसमें किसी ऐसी गाड़ी को ऐसी विशेष या अस्थायी परिस्थितियों में प्रयोग करने का अभिप्राय हो, ३ रुपये की दर से कर:	
	प्रतिबन्ध यह है कि इस अनुच्छेद में दी गई कोई बात किसी ऐसी मोटर गाड़ी पर लागू नहीं होगी जो किसी विशेष यात्रा के प्रयोजन के लिये अस्थायी रूप से किसी निजी किराया करार के अधीन हो:	
	प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई मोटर गाड़ी उस अवधि में जब उसे उन मार्गों के अतिरिक्त, जिनके संबंध में उसे स्थायी लाइसेंस दिया गया है, अन्य मार्ग या मार्गों पर अस्थायी रूप से चलने की अनुमति दी गई हो, उन सड़कों का प्रयोग न करें जिसके लिये उसे स्थायी लाइसेंस दिया गया है, तो अतिरिक्त कर देय न होगा।	
९	ट्रैक्टर—उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के संबंध में भुगतान किये जाने वाले कर के अतिरिक्त ..	१२५.००

१	२	३

भाग—ग

स्पष्टीकरण

(१) जब किसी मोटर गाड़ी का प्रयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये किया जाय या ऐसी रीति से प्रयोग किया जाय जिससे कि उस पर इस अनुसूची के एक से अधिक अनुच्छेद के अधीन कर लगाया जा सके, तो ऐसा कर उच्चतम समुपयुक्त दर पर देय होगा।

(२) 'भार-विहीन वजन' का तात्पर्य गाड़ी के उस समय के वजन से है जब वह भार-विहीन हो और इसमें ऐसे समस्त पुर्जे, सामान, ईंधन, जल और संचायक सम्मिलित है, जो गाड़ी के लिये जब वह चलती हो आवश्यक हो और साधारणतया गाड़ी के साथ प्रयोग में आते हों।

(३) 'प्राधिकृत' भार का तात्पर्य माल के उस अधिकतम भार से है जिसे गाड़ी में वहन करने की अनुमति हो और जिसे गाड़ी के रजिस्ट्रीकृत भारयुक्त वजन में से भार-विहीन वजन को घटा कर निकाला जा सके।

(४) 'वायवीय टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जिसमें यांत्रिक दबाव से हवा भरी गयी हो।

(५) 'लचकीले टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जो भारत निर्मित रबड़ से बना हो, किन्तु वायवीय टायर न हो और जिसकी मोटाई इतनी हो कि वह पहिये के रिम से उन्नीस मिलोमीटर से कम बाहर न निकली रहे।

(६) 'लचीलापन रहित टायर' का तात्पर्य उस टायर से है जो न तो वायवीय टायर हो और न लचकीला टायर हो।

(७) यदि कोई मोटर गाड़ी शायिका (स्लीपिंग बर्थ) से सज्जित हो तो प्रत्येक शायिका अनुच्छेद ४, ५ और ७ के प्रयोजनार्थ, दो यात्रियों के बैठने के स्थान के बराबर समझी जायगी।

(८) किसी ऐसी मोटर-गाड़ी से, जिस पर अनुच्छेद ४ से ७ में से किसी के अधीन कर लगाया जा सकता हो सम्बद्ध या उसके द्वारा खींचे जाने वाले प्रत्येक ट्रेलर को ऐसी पृथक मोटर गाड़ी समझा जायगा जिस पर उक्त अनुच्छेदों द्वारा विहित समुपयुक्त कर लगाया जा सकता है।

अध्याय ६

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, १९७२ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३५, १९७२ की धारा २ का संशोधन

३०—उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, १९७२ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ में:—

(१) खंड (क) के पूर्व, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(कक) 'वार्षिक मूल्य' का तात्पर्य—

(१) किसी भूमिधर की दशा में, ऐसे भूमिधर द्वारा देय अथवा देय समझे गये भू-राजस्व के दुगुने के बराबर धनराशि,

(२) किसी सीरदार अथवा मध्यवर्ती की दशा में, ऐसे सीरदार अथवा मध्यवर्ती द्वारा देय अथवा देय समझे जाने वाले भू-राजस्व के बराबर धनराशि, तथा

(३) किसी सरकारी पट्टेदार की दशा में, ऐसे पट्टेदार द्वारा देय लगान के बराबर धनराशि;

से है;"

(२) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय; अर्थात्:—

"(ग) 'भूमि' का तात्पर्य ऐसी कृष्ट अथवा अकृष्ट भूमि से है जिसके संबंध में, यथा स्थिति, भू-राजस्व अथवा लगान निर्धारित हो, अथवा निर्धारित किया जाना हो या उसका भुगतान किया जाना हो, और जो

(१) किसी भूमिधर, सीरदार अथवा सरकारी पट्टेदार द्वारा, या

(२) किसी मध्यवर्ती द्वारा यदि भूमि उसकी निजी जोत में हो, या उसकी सीर या खुदकाश्त अथवा बाग के रूप में हो,

कृषि, औद्यानिकी या पशुपालन (जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन तथा कुक्कुट पालन भी है) से संबंधित प्रयोजनों के निमित्त धृत अथवा अध्यासित हो;";

(३) खंड (छ) में, शब्द "भूमिधर, सीरदार और स्वामी" के स्थान पर शब्द "भूमिधर, सीरदार, सरकारी पट्टेदार और स्वामी" रख दिये जायें।

धारा ४ का संशोधन — ३१—मूल अधिनियम की धारा ४ में, शब्द, अक्षर तथा अंक "धारा २४७-ख और" निकाल दिये जायं।

धारा ५ का संशोधन — ३२—मूल अधिनियम की धारा ५ में—

(१) उपधारा (१) में, शब्द "साठ प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "चालीस प्रतिशत" रख दिये जायें,

(२) उपधारा (४) में शब्द "चालीस प्रतिशत" "पंद्रह प्रतिशत" और "पचीस प्रतिशत" के स्थान पर क्रमशः शब्द "पच्चीस प्रतिशत," "दस प्रतिशत" और "पंद्रह प्रतिशत" रख दिये जायें।

अनुसूची का प्रतिस्थापन — ३३—मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जाय, अर्थात्:—

अनुसूची

(धारा ३ देखिये)

भूमि विकास कर निम्नलिखित दर से देय होगा:—

क—किसी भूमिधर, सीरदार अथवा सरकारी पट्टेदार की दशा में—

(१) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर—

उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल १.२६४७ हेक्टर (३.१२५ एकड़) से अधिक न हो।	कुछ नहीं

(२) जिसके द्वारा तथा जिसके परि- वार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल १.२६४७ हेक्टर (३.१२५ एकड़) से अधिक किन्तु २.५२९३ हेक्टर (६.२५ एकड़) से अधिक न हो।	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की आधी धनराशि ।
(३) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल २.५२९३ हेक्टर (६.२५ एकड़) से अधिक किन्तु ५.०५८६ हेक्टर (१२.५० एकड़) से अधिक न हो।	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की डेढ़ गुनी धनराशि।
(४) जिसके द्वारा तथा जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा मिलाकर उत्तर प्रदेश में धृत समस्त भूमि का क्षेत्रफल ५.०५८६ हेक्टर (१२.५० एकड़ से अधिक हो ।	उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की ढाई गुनी धनराशि।
ख––किसी मध्यवर्ती की दशा में	उसके द्वारा धृत भूमि के वार्षिक मूल्य की ढाई गुनी धनराशि ।

स्पष्टीकरण––इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए 'परिवार' के अन्तर्गत कोई व्यक्ति उसका पति या उसकी पत्नी तथा अवयस्क बच्चे चाहे वे उस व्यक्ति के साथ संयुक्त हों या नहीं हैं।"

अध्याय ७

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५० ई० का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१ ई० की धारा २४७-ख का निकाला जाना

३४––उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० ई० (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २४७-ख निकाल दी जाय।

धारा २९४ का संशोधन

३५––मूल अधिनियम की धारा २९४ में, उपधारा (२) में, खंड (ककक) निकाल दिया जाय।

अध्याय ८

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ का संशोधन

प्रारम्भ

३६––यह अध्याय १२ अक्टूबर, १९७४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३३, १९५२ की धारा ३ का संशोधन

३७––उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ३ की उपधारा (२) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय:

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वन पार्ट टैरिफ की दशा में, जहां कि भारित दर उपभोग के यूनिट पर आधारित हो वहां एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी प्रति यूनिट एक पैसे से कम या प्रति यूनिट छःपैसे से अधिक न होगी।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

३८—इस अध्याय द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा ३ के अधीन कोई विज्ञप्ति दिनांक १२ अक्टूबर, १९७४ से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए जारी की जा सकती है ।

अध्याय ९

प्रकीर्ण

निरसन तथा अपवाद

३९—(१) निम्नलिखित अध्यादेश एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:—

(१) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७४—

(२) उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७४

(३) उत्तर प्रदेश भूमि-विकास कर तथा भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, १९७४

(४) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७४,

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा तथा संशोधित नीचे स्तम्भ १ में उल्लिखित अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाई इस प्रकार की गई समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के वे अध्याय या धारायें जो नीचे स्तम्भ २ में उल्लिखित हैं, उनके सामने स्तम्भ ३ में उल्लिखित दिनांक से प्रवृत्त हो गये हों—

१	२	३
१—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, १९३९	अध्याय ३	२३ अप्रैल, १९७४
२—संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, १९३५	अध्याय ५	३० सितम्बर, १९७४
३—उत्तर प्रदेश भूमि-विकास कर अधिनियम, १९७२ ।	अध्याय ६	२९ अक्टूबर, १९७४
४—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम १९५० ई० ।	अध्याय ७	२९ अक्टूबर, १९७४ ।
५—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई०	अध्याय ४	४ नवम्बर, १९७४
		में धारा १७ से २०
		अध्याय ४ में ३१ मार्च, १९५६
		धारा २१ की उपधारा (१)
		अध्याय ४ में २ मई, १९७४
		धारा २१ की उपधारा (२) और धारा २२

उद्देश्य और कारण

राज्य के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि निम्नलिखित अधिनियमों को निम्नलिखित रूप से संशोधित किया जाय--

(क) संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, १९३५

यह विनिश्चिय किया गया कि सभी गाड़ियों पर सड़क-कर पच्चीस प्रतिशत बढ़ा दिया जाय और कम्पनियों की गाड़ियों पर पचास प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर लगाया जाय, और यह भी कृषि प्रयोजनों के लिये गाड़ियों को दी गयी छूट वापस ले ली जाय।

(ख) उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, १९७२

यह विनिश्चय किया गया कि भूमि विकास कर की दरों को इस प्रकार समायोजित किया जाय जिससे कि भूमिधरों और सीरदारों पर इसका भार समान रूप से पड़े। यह भी विनिश्चय किया गया कि दरों में उपयुक्त वृद्धि की जाय।

(ग) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०

बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और सभी सुसंगत बातों का पुनर्विलोकन करने के उपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि ६.२५ एकड़ तक जोत वाले भूमिधरों और सीरदारों को मालगुजारी से दी गयी छूट वापस ले ली जाय।

(घ) उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई०

कर अपवंचन को रोकने और बिक्री-कर की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि बिक्री-कर या क्रय-कर के रूप में किसी व्यापारी द्वारा वसूल की गयी धनराशि को उसके विक्रय-धन में सम्मिलित किया जाय जैसा कि कुछ अन्य राज्यों में है। यह भी विनिश्चय किया गया कि माल के विक्रय-धन पर धारा ३-क (२) और ३-घ (१) (क) के अधीन वसूल किये जाने वाले कर की दर में आधे प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाय। यह भी विनिश्चय किया गया कि जिन व्यापारियों का विक्रय-धन दो लाख रुपये से अधिक है उन पर धारा ३-च के अधीन लगाये गये अतिरिक्त कर को आधा प्रतिशत से बढ़ाकर एक प्रतिशत कर दिया जाय।

२—इसके अतिरिक्त, अलकोहल की परिभाषा में, जैसी कि वह संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, १९३९ में दी गई है, विकृत स्प्रिट विनिर्दिष्टतः सम्मिलित नहीं है जिसके कारण परिभाषा के विधिक निर्वचन में सन्देह होता है। अतएव, यह आवश्यक समझा गया है कि इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिये अलकोहल की परिभाषा में विकृत स्प्रिट को सम्मिलित किया जाय। यह भी आवश्यक समझा गया कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में भी परिणामिक संशोधन किया जाय।

३—चूंकि, राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और तात्कालिक कार्यवाही करना अपेक्षित था, इसलिये उपर्युक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित किये गये—

(क) उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७४।

(ख) उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, १९७४।

(ग) उत्तर प्रदेश भूमि-विकास कर तथा भू-राजस्व (संशोधन) अध्यादेश, १९७४

(घ) उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७४।

४—राज्य के संसाधनों को जुटाने के उद्देश्य से यह भी विनिश्चय किया गया है कि—

(क) उन होटलों में सुख-साधनों पर जहां प्रतिदिन पचास रुपये या इससे अधिक पर कमरा देने की व्यवस्था है, कर अधिरोपित किया जाय।

(ख) उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ में भी कुछ छोटे मोटे संशोधन किये जायें ।

५—यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने और होटलों के सुख-साधनों पर कर अधिरोपित करने की व्यवस्था करने के लिए, जैसा कि ऊपर वर्णित है, पुरःस्थापित किया जा रहा है इस अवसर का लाभ उपर्युक्त अधिनियमों में कतिपय अन्य औपचारिक संशोधन करने के लिये भी उठाया जा रहा है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १८६ वि० सभा—(२५६५)—१९७५—८६५ ।